राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंकः 02] **पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तैंतीसवां दिवस** **[संख्या: 18**

सोमवार,

29 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

धरना

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

बधाई एवं आभार

सी.पी. जोशी, श्री, अध्यक्ष के जन्म दिवस पर बधाई

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको जन्म दिन मुबारक हो।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की तरफ से आज आपके जन्म दिन पर हम सब आपको हार्दिक बधाई देते हैं। आप दीर्घायु हों। आपने जिस तरीके से राजस्थान विधान सभा को नियंत्रित किया है, अच्छा चलाया है, उस सबकी हम तारीफ करते हैं। पूरा सदन आपके लिए शुभकामनाएं देता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे जन्म दिन की आप बधाई दे रहे हैं। मेरे जन्म दिन की सबसे बड़ी गिफ्ट कटारियाजी देंगे। वह सभी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करेंगे कि वे अपनी जगह पर बैठें। क्वेश्चन आवर के बाद जो आपके कन्सर्न हैं, उनके संबंध में मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। मेरी अब सानुरोध प्रार्थना है कि आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। यदि आप मेरे को जन्म दिवस की गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि प्रश्न काल की महत्ता को समझते हुए प्रश्न काल के लिए आप अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्वेश्चन आवर समाप्त होते ही व्यवस्था देंगे?

श्री अध्यक्ष: जी। क्वेश्चन आवर समाप्त होते ही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप सब आ जाइए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का धरना समाप्त)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जन्म दिन पर अपनी पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी, क्योंकि मैं आपके विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं यह सोचता हूं कि मेवाड़ और नाथद्वारा अपने मूल्यों के लिए जाना जाता है। मैं यह सोचता हूं कि उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए आप सक्षम होकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्ष: आपका आभार। प्रश्न काल, श्री चेतन सिंह। एक मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जन्म दिन पर हार्दिक बधाई देता हूं और सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक यहां पर मौजूद हैं, उन सबकी यह इच्छा है कि आप 100 साल से भी ज्यादा जिंदगी जीएं।

दूसरी बात यह है कि नेता, प्रतिपक्ष ने आपको सिर्फ मेवाड़ तक सीमित रखा है। वह तो खुद मेवाड़ तक सीमित हैं ही हैं, लेकिन आपको भी सीमित रख दिया है। हां, मैं इसका पुरज़ोर विरोध करता हूं और नेता, प्रतिपक्ष से आशा करता हूं कि वह अपने इस वक्तव्य में कुछ न कुछ संशोधन करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा यह कहना था कि मेवाड़ की जो परम्परा रही है और नाथद्वारा की जो मान्यता रही है, उसी के अनुरूप आप इस राजनीति में मेवाड़ का और नाथद्वारा के उस गौरवमय इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही मैंने आश्वासन दिया। मैं सोचता हूं कि इसमें मेवाड़ अपने आप में आप सबके साथ है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री चेतन सिंह।

तारांकित प्रश्नोत्तर

डीडवाना के छात्र-छात्राओं की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

385. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से 2018 की अवधि में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो वर्षवार, वर्गवार छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राओं का शिक्षण संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्तियां नहीं दिये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों का बकाया भुगतान निर्धारित समय अवधि में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहला प्रश्न मेरा है इसलिए मैं मेरी तरफ से आपको जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत बजट उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 के नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बकाया नहीं है। विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 में आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में से लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार, शिक्षण संस्थान एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बकाया नहीं है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति राशियों का भुगतान किया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप/कमियां होने के कारण लम्बित हो सकते हैं, जिनकी विद्यार्थियों/शिक्षण संस्थानों द्वारा आक्षेप/कमियां पूर्ति उपरान्त नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा आक्षेप पूर्ति उपरान्त नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण 17 प्राथमिकताएं निर्धारित कर बजट उपलब्धता के अनुसार 'पहले आओ पहले पाओ की नीति' के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वर्षों के लम्बित आवेदन पत्रों को सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि एक तो इनका जो राजस्थान स्कालरशिप पोर्टल है, इसमें दो जानकारियां दी गई हैं। एक तो है- Scholarship Disbursed और दूसरा है- Scholarship Bill Generated. मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है? पैंडिंग तो सिर्फ आपने भारतीय आई.टी.आई., डीडवाना में सिर्फ 3 बता दिये लेकिन बिल जनरेटेड के नाम पर 11 अभी भी पैंडिंग है, जिनको आपका पोर्टल ठीक बता देता है लेकिन अभी भी उनको स्कालरशिप नहीं मिल पाई है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि इनमें फर्क क्या है?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि अगर पैंडिंग है तो उनको कब तक वेग आन्सर नहीं, कब तक दे देंगे? तिथि या महीना तय हो कि कब तक यह जो पैंडिंग है, उनको दे दिया जाएगा?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो 11 छात्र, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वह विभाग के द्वारा जो पूर्तियां होनी चाहिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, नागौर, उसके बाद पोर्टल में डाइरेक्ट, सीधा हमारे डाइरेक्ट्रेट में आता है और उसके अंदर हम यह तय करते हैं कि यह पात्र है या नहीं है। वह 11, जितने भी आपने पूछा है, मैंने प्राय:-प्राय: सारी छात्रवृत्ति पिछले तीन-चार महीने में जारी की है लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं और जो कमियां होती हैं तो वह छात्रवृत्ति हम दे नहीं पाते हैं, वापस उस कालेज के अंदर भेजते हैं इसलिए वह अंतर भी इसलिए होता है। बाकी वह 11 अगर उसकी पूर्ति करेंगे, अगर कालेज स्तर पर उस आक्षेप की पूर्ति करेंगे, फिर आनलाइन भरेंगे तो निश्चित तौर से हम वह छात्रवृत्ति दे देंगे।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि उसमें कोई आक्षेप या आब्जेक्शन नहीं है। पोर्टल पर यह लिखा है- Bill Generated, वह फार्म बिलकुल कमप्लीट है लेकिन उनको इस आधार पर जानकारी ही नहीं है कि क्या आधार है? यह रख दिया जाता है कि- Bill Generated और उसको अलग रख दिया जाता है। अभी तक उन बच्चियों को पूरा फार्म होने के बाद, परिपत्र कमप्लीट होने के बाद भी उनको स्कालरशिप नहीं मिली है। यह मैं फर्क पूछना चाहूंगा कि उनके पोर्टल पर जो दे रखा है- Bill Generated और Scholarship Disbursed में फर्क क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब छात्रवृत्ति के लिए आन-लाइन आवेदन आता है तो पोर्टल पर वह आ जाता है लेकिन Bill Generated यानी, उसका इसलिए कर देते हैं कि बिल तो जनरेट कर दिया लेकिन उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी जब तक वह एकाध जो आक्षेप हैं, उनकी पूर्ति नहीं करेंगे इसलिए वह अंतर उसमें है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी वह छात्र ज्यों ही पोर्टल के ऊपर अपने आक्षेप की पूर्ति कर देगा, तो वह हो जाएगी, इसलिए उसमें और इसमें यह फर्क है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, सीधा प्रश्न है कि

(श्री अध्यक्ष)

आनलाइन आवेदन कर दिया, बिल जनरेट हो गया तो उसको यह कैसे मालूम पड़ेगा कि आक्षेप क्या है? प्रश्न यह है। जब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा आक्षेप का, तब तक उसमें हो नहीं पाएगा इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि आन-लाइन आपने ले लिया तो वह कैसे होगा? माननीय सदस्य, अनिताजी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, चेतनजी ने जो सवाल पूछा और मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, शायद मैं उसको और क्लीयर करना चाहती हूं। अभी सवाल यह है कि जो छात्रवृत्तियां स्वीकृत हो जाती हैं और बिल के अभाव में जो भुगतान नहीं होता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी स्वीकृति तो हो गयी लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ? यह चेतनजी का प्रश्न है और यही मैंने प्रश्न किया, आप उसका जवाब दे दें तो Bill Generated और Scholarship Disbursed दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट मंत्रीजी। आपका क्या है?

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्षजी, मैंने यह जो बिल जनरेटेड वाले जितने भी दे रखे हैं, इनमें कोई आक्षेप या आब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन वाले इसमें आलरेडी पिन-पाइंट किये हुए हैं कि इसमें आब्जेक्शन है। यह पोर्टल से दिया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जनरेटेड बिल जो हैं, जनरेटेड बिल में कार्यालय द्वारा बिल पारित किये जाने पर भुगतान किया जाता है और आपने जैसा क्वेश्चन किया कि उसको आक्षेप का पता कब लगता है? जनरेट तो कर दिया, उसके लिये उसको हम एस.एम.एस. करते हैं। जिस कालेज का छात्र है, उस कालेज के अंदर प्रिंसिपल को करते हैं और इसी आधार पर हमने चार लाख पैंडेंसी कम की हैं, लेकिन यह थोड़ा-सा मामला कोई तीन हजार के आस-पास है, जिसमें इनके मात्र 11 केस हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी वह जो जनरेट किया हुआ है, उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं खाली यह कहना चाहता हूं कि आई.टी. के साथ प्रोब्लम है, आपने आनलाइन और बिल का कर रखा है, उस आई.टी. वाले एप में आपका जो आब्जेक्शन है, उसका इश्यू नहीं है। जब तक

(श्री अध्यक्ष)

वह इश्यू एड्रैस नहीं होगा, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए विभाग से यह कोशिश करें कि जब आनलाइन एप्लीकेशन दें, बिल जनरेट के और इसके बीच में यदि आक्षेप है तो वह आइडेंटिफाई करने की भी व्यवस्था यदि नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने का काम किया जाना चाहिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): निश्चित तौर से उसको इम्प्रूव करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। अगला प्रश्न, फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): पहले तो आपको जन्म दिन की शुभकामना देते हुए मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस विधान सभा में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या बोलें। अब कटारियाजी बोल चुके।

उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित केमिकल फैक्टरियां

386. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर के मादड़ी इंस्ट्रियल क्षेत्र में केमिकल फैक्टरियां चल रही हैं? यदि हां, तो किस-किसकी व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से क्या एक फैक्टरी कोरोमण्डल इण्टरनेशनल लिमिटेड के नाम से भी चल रही है? इस कारण से ग्राम बैड वास का पर्यावरण प्रदूषित हो गया है तथा इसके कारण से फसल की पैदावार भी बन्द हो गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्व में उक्त क्षेत्र में केमिकल की फैक्टरियां कुछ वर्षों में ही बन्द करनी पड़ी थीं? यदि हां, तो उक्त को बन्द नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर में विभिन्न प्रकार के कुल 30 केमिकल उद्योग चल रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। मैसर्स कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स लिबर्टी फास्फेट) के नाम से खाद बनाने का उद्योग F-227, मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर में कार्यरत है।

उद्योग द्वारा जनित उच्छिष्ट को पुन: चक्रित कर प्रसंस्करण में उपयोग में लिया जाता है। उद्योग शून्य नि:स्राव पर आधारित है।

उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्क्रबर, साइक्लोन एवं उचित ऊंचाई की चिमनी की व्यवस्था की गयी है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 11.02.2019 एवं 13.02.2019 को की गयी जांच के दौरान उद्योग से उत्सर्जित वायु प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, उक्त उद्योग में केन्द्रीय एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में, उद्योग से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक तत्वों की मानिटरिंग हेतु आनलाइन सेंसर लगे हैं।

उद्योग में शून्य नि:स्राव की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आनलाइन फ्लो मीटर एवं कैमरा स्थापित है। सेंसर, आनलाइन फ्लो मीटर एवं कैमरा राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सर्वर से जुड़े हुए हैं। गत छह माह में आनलाइन मानिटरिंग के नतीजों तथा दिनांक 11.02.2019 एवं 13.02.2019 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गयी जांचों के नतीजों के अनुसार प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों में हैं, अत: ग्राम बैड वास का पर्यावरण उक्त उद्योग के कारण प्रदूषित होना संभावित नहीं है।

मक्का, ज्वार, चरी और कुछ क्षेत्र में सब्जियां तथा रबी मौसम में गेहूं, जौ और कुछ क्षेत्र में रिजका आदि फसलें ली जाती हैं। इन बोई गई फसलों की वृद्धि एवं उत्पादकता सामान्य पाई गई है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विगत 3 वर्षों में मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर में 12 केमिकल उद्योगों के विरुद्ध बंद करने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

मैसर्स कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड के विरुद्ध बंद करने हेतु कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उक्त उद्योग के द्वारा जनित

(उद्योग मंत्री)

उच्छिष्ट को पुन: चक्रित कर प्रसंस्करण में उपयोग में लिया जाता है एवं उद्योग शून्य नि:स्राव पर आधारित है। उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्क्रबर, साइक्लोन एवं उचित उंचाई की चिमनी की व्यवस्था की गयी है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विगत 3 वर्षों में किये गये निरीक्षणों एवं जांच के दौरान उद्योग से उत्सर्जित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए एवं उद्योग शून्य नि:स्राव की अनुपालना करता हुआ पाया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खण्ड-2 में कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण द्वारा कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड की जांच की है 11.02.2019 एवं 13.02.2019 को, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि पांच वर्षों में इन्होंने कब-कब जांच की और उसकी जांच रिपोर्ट बताने की कृपा करेंगे। खण्ड-3 में आपने यह कहा है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा तीन वर्ष में मादडी औद्योगिक क्षेत्र की 12 फैक्टरियों को बन्द कर दिया गया है और सूची भेजी है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि 12 फैक्टरियां बन्द कर दीं और यह 12 में ही यह सूची दी है, जिसमें क्रम संख्या-16 मैसर्स नाहर मिनरल्स एण्ड केमिकल, यह कार्यरत है। दूसरी, क्रम संख्या-15 मैसर्स महालक्ष्मी केमिकल्स, यह भी कार्यरत है। जब एक तरफ तो कह रहे हैं कि बन्द कर दीं, तो यह कार्यरत क्यों हैं? अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा कि कुछ फैक्टरी वापस चालू क्यों कर दीं, वह इसलिए कि उन्होंने अपने सिस्टम को बदल लिया और यह पहले 2017 में फैक्टरियां बन्द कर दी गयी थीं। यह जिन दो फैक्टरियों का आपने उल्लेख किया है, इनमें से एक को 31.07.2018 को वापस चालू किया, दूसरी को 07.08.2018 को पुन: शुरू किया। जब इन्होंने अपना सिस्टम ठीक कर लिया और प्रदूषण नहीं हो रहा है, किसी तरह की शिकायत नहीं है, और आनलाइन

(श्री परसादी लाल)

सेंटर सर्वर से भी यह जुड़ा हुआ है। बार-बार इनकी जांच की गयी है। आपने कहा 2016 में भी, 2017 में भी, 2018 में भी, सबकी जांच की जा रही है। बराबर जांच की जा रही है और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस गांव का आप बता रहे हो, उस गांव से शिकायत आयी है, दुबारा शिकायत आयी है। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि शिकायत पर दुबारा जांच करें और जो भी जांच रिपोर्ट हो, वह जल्दी से जल्दी भेजें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि पूरी केमिकल की फैक्टरियों में सब यंत्र लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारा भूजल खराब क्यों है और नाले के अन्दर केमिकल क्यों आ रहा है? हमारी फसलें नष्ट क्यों हो रही हैं और वह नदी के अंदर जो पानी जा रहा है वह प्योर पीला पानी है और केमिकलयुक्त है। जब यह फैक्टरियां सही हैं तो यह पानी साफ कैसे नहीं आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय, जब मेरे खुद के बोर के अंदर पानी का बता रहा हूं। गर्मी के दिनों में एक आम का पेड़ था, मिट्टी लग गयी, मेरा जो बागवान था, उसने उसको धो दिया, वह पूरा का पूरा आम का पेड़ जल गया अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जब हमारा बोर का पानी बिलकुल कैमिकलयुक्त है, जब आम का पेड़ जल सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया न।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, तो हमारा वह पानी खराब क्यों है?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बैठें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मानक जो आ रहे हैं, 2016 में जांच हुई है, 2017 में जांच हुई है, 2018 में जांच हुई है और 2019 में तीन बार जांच हो गयी। फिर आपकी शिकायत है तो फिर आपके जांच करवा देंगे। अभी जो मानक आ रहे हैं, उससे प्रदूषण बहुत कम मात्रा में है और इसकी वैसे आपको जो शिकायत है, वह

(श्री परसादी लाल)

शिकायत अभी आयी है, उसकी मैं जांच जल्दी करवा दूंगा और ऐसी कोई बात होगी, हमारी जानकारी में जो है, विभाग ने जो जानकारी दी, अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार अभी वहां पर शून्य पर सारी फैक्टरियां काम कर रही हैं और पहले फैक्टरी बंद भी हुई और फिर चालू भी हुई। वह अपना सिस्टम अच्छा बदलने के कारण ही वह 2018 में चालू हुई है पहले वाली सरकार के समय। हमने न तो किसी को बंद किया है, और न चालू किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। गलत बात नहीं, बैठें आप। माननीय सदस्य, गलत परम्परा नहीं, आप सीनियर आदमी हैं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे समय न तो किसी फैक्टरी को हमने बन्द किया है, न चालू करने का आदेश दिया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय तो बन्द की गयी थी, वापस उन्होंने ही, जब सिस्टम ठीक हो गया, वापस चालू हो गयी। अगर कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वहां की जनता हमेशा ही इस बात की शिकायत करती रहती है और कुल 30 ही फैक्टरियां हैं, जिनको आपने नामजद की है, जो इस प्रकार का केमिकल और खाद बनाती हैं, उसके कारण से यह प्रदूषण है। उसमें जिन 12 को आपने बन्द किया है, जिसके बारे में आप कह रहे हो, यह सारी की सारी फरवरी, मार्च 2016 में बन्द हुई हैं और जिन दो फैक्टरियों को आप चालू बता रहे हो, यह दोनों फैक्टरियां वापस आपकी अप्रैल में चालू हो गयीं। इस प्रश्न के उत्तर में ही यह जो आपने 12 लिखी हैं कि यह 12 बन्द है, यह नहीं लिखकर आप यह लिख देते कि 12 में से 10 तो बन्द हैं और 2 इस तारीख को शुरू हुई। इस तारीख को तो बन्द हुई और इस तारीख को वापस चालू किया। आप इतना ही बता दें कि यह जो दोनों फैक्टरियां बन्द हुईं, यह किस तारीख को बन्द की गयीं और वापस इनकी जांच के बाद कब खोली गयीं? यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, वहां के लोगों को परेशानी है तो फिर यह जो उच्छिष्ट आता है वो आता कहां से है? पूरी की पूरी आयड़ की नदी को एक बार आप निश्चित रूप से देख लें जो उदयसागर तक जाती है, आखिर ये गंदी है क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो सवाल किया, 10 में से 2 फैक्ट्री 2017 में बंद हुईं 2018 में इनकी जांच करके 31.07.2018 को वापस चालू किया नाहर मिनरल्स को और जो दूसरी फैक्ट्री है महालक्ष्मी केमिकल्स। इसको पहले आपके ही समय बंद किया, 07.08.2018 को वापस चालू किया, जब मानक सही हो गये, रिपोर्ट सही आ गयी तो आपकी सरकार के समय ही, न हमने कोई बंद किया है न चालू किया है, सब आपकी सरकार के समय। नेता महोदय, आपके अनुसार कोई फैक्ट्री अगर गलत प्रदूषित कर रही है, गलत केमिकल से आ रहा है तो हम दोबारा सारी फैक्ट्रियों की जांच करने के लिए विभाग को एक बार फिर कह देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैंने तो यह पूछा था कि यह जो दो आप कार्यरत लिख रहे हो 12.04.2016 से और 17.06.2016 से, वापस उन 12 में से आप दो को कार्यरत बता रहे हो, इनको बंद कब की थी और चालू कब थीं, यह तो बताएं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): नेता महोदय, बंद की तारीख है, 12.04.2016 को नाहर मिनरल्स एण्ड केमिकल बंद हुई, 31.07.2018 को पुन: चालू की। महालक्ष्मी केमिकल्स 17.06.2016 को बंद हुई और 07.08.2018 को वापस चालू हुई।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आपने अच्छा कहा कि सबकी जांच कराएंगे, उस जांच में जन प्रतिनिधि को भी सम्मिलित कर लें जिससे उनके मन में संतोष हो जाए कि इसमें पोल्यूशन है कि नहीं है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की पालना की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न 387 स्थगित है।

प्रश्न संख्या 387

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल। (व्यवधान) 388, जोर से बोलो आप।

श्रीडूंगरगढ़ में गोचर भूमि को आबादी भूमि में बदलने की कार्ययोजना

388. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांवों में लम्बे समय से गोचर भूमि के कितने क्षेत्र पर लोग बसे हुए हैं? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर आवासीय पट्टे आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की तहसील श्रीडूंगरगढ़ के 39 गांवों में 180.9079 हैक्टेयर गोचर भूमि में 2054 परिवार बसे हुए हैं तथा तहसील नोखा में 5 गांवों में 28.89 हैक्टेयर गोचर भूमि पर 271 परिवार बसे हुए हैं। तहसीलवार, ग्रामवार सूची परिशिष्ट - 'अ' पर संलग्न है।

(2) चरागाह पर अतिक्रमण को हटाने हेतु विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्देश दिये गये हैं किन्तु फिर भी पत्र दिनांक 20.05.2019 एवं 10.07.2019 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों से चरागाह पर आवासीय प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के सम्बन्ध में सूचना मंगवायी गई है ताकि समस्या का कोई समाधान हेतु गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह है कि अतिक्रमण है जो गरीब आदमी बैठे हैं, विशेषकर 20 सालों से जो कमजोर तबके के लोग बैठे हैं गोचर भूमि पर या सिवायचक पर, उनको आज तक सरकारी सुविधा से वंचित रहना पड़ता है जबकि...

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): उसी में है, साहब। अध्यक्ष महोदय, वैसे पहले प्रश्न में ही मेरी भावना, इस प्रश्न में थोड़ा वहां लिखने में भी प्रश्न को घुमाया गया है। मैं यही जवाब चाहता हूं कि जहां गरीब आदमी 20 वर्ष से आवास करता है तो क्या उसको पट्टे देने की सरकार व्यवस्था करेगी? जबकि

(श्री गिरधारीलाल)

23.12.74 को गोचर में विकास अधिकारी द्वारा पट्टे भी जारी किये गये हैं फिर भी उनको आज तक सरकारी आवास की या अन्य सरकारी सुविधा मिल नहीं पा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें, लम्बा नहीं। प्रश्न क्या है आपका?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मेरा ये ही है, साहब।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि गोचर भूमि पर जो आदमी बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार कोई नई नीति बनाकर उनका नियमन करना चाहती है या नहीं चाहती है? सीधा प्रश्न यह है। बैठें, आप विराजें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह विषय के संदर्भ में न्यायालय ने आदेश दिये हुए हैं, विभाग इसको एग्जामिन करवा रहा है इस न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत। पहले तो सूचना ही मांगी है कि पूरे राजस्थान में कहां-कहां इस तरह के गोचर के अन्दर अतिक्रमण हुए हैं और फिर उस आदेश की जो भावना है उसके अन्तर्गत हम लोग कोई न कोई व्यवस्था करेंगे जिससे गोचर पर बसे हुए गरीब लोगों को हम लोग पट्टे दे सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जहां गोचर भूमि पर बसे हुए हैं उसमें जहां भूमि नहीं है जहां अगर दो-चार बीघा किसी ने कब्जा कर रखा है उसको नहीं, अगर आवासहीन है, उसमें निश्चित रूप से सरकार कुछ कटौती, संशोधित करके और गरीब आदमी को सरकारी आवास के रूप में जरूर पट्टा जारी करे, 150 गज का करें चाहे 300 गज का करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से तो सहमत हूं पर न्यायालय के आदेश के अन्दर कुछ सीमाएं हैं। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं उन सीमाओं के अन्दर इस संदर्भ में क्या निर्णय हो सके, वैसा निर्णय करके उन तमाम गरीब लोगों को कोई न कोई राहत पहुंचाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीराराम। श्री हीराराम, अगला प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हीराराम, 198, बैठे हुए हैं, माननीय सदस्य, आपको प्रश्न नहीं पूछना? आप कहां खयालों में बैठे हुए हैं।

बिलाड़ा के ट्रोमा सेन्टर में रिक्त पद

389. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ट्रोमा सेंटर स्वीकृत है? यदि हां, तो वर्तमान में ट्रोमा सेंटर के प्रोटोकाल के अनुरूप उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिलाड़ा में स्थित ट्रोमा सेंटर में विभिन्न श्रेणी के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ट्रोमा सेंटर में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। ट्रोमा सेन्टर, बिलाड़ा में प्रोटोकाल के अनुरूप उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित ट्रोमा सेन्टर पर राज्य सरकार के नोर्म्स के अनुसार चिकित्सकों एवं नर्स श्रेणी-द्वितीय के स्वीकृत व रिक्त पदों का पदवार विवरण निम्नानुसार है :-

चिकित्सकों का स्वीकृत पदवार विवरण:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	01	01
2.	चिकित्सा अधिकारी (सर्जरी)	02	02
3.	चिकित्सा अधिकारी (अस्थि रोग)	03	01
योग		**06**	**04**

नर्स श्रेणी-द्वितीय का पदवार विवरण:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	नर्स श्रेणी-द्वितीय	10	01
योग		**10**	**01**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया अथवा स्थानान्तरण से प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद को शीघ्र भरने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि जो स्वीकृत पद रिक्त हैं वो भरने के अलावा अभी हमारे यहां बिलाड़ा ट्रोमा सेन्टर में ब्लड बैंक भी खोला गया है, वहां लैब टैक्निशियन नहीं हैं, सफाईकर्मी नहीं हैं। इसके अलावा जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर नहीं है, तो ये जो सारे उपकरण हैं और जो लैब टैक्निशियन और फार्मासिस्ट हैं, इनकी वित्तीय स्वीकृति देने की क्या सरकार मंशा रखती है? यदि रखती है तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा का जो ट्रोमा सेन्टर है उसकी ओपीडी 14.09.2018 से 27.07.2019 तक कुल 1 लाख 3 हजार 627 रही है और इमरजेंसी ओपीडी 6 हजार 823 रही है और इसमें से 534 के करीब केसेज रैफरल केसेज हैं जो 9 परसेंट है। इसमें रोड साइड एक्सीडेंट हैं, मिर्गी है, न्यूरोलोजिकल डिसआर्डर है, हैमरेज है, स्पाइनल इंजरी है, हार्ट अटैक है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, अभी वहां पर जो उपकरणों की कमी है, उसकी सूची मैंने इनको दी है। ट्रोमा सेन्टर के संचालन में जो भी उपकरणों की कमी होगी, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी कमी आपके ट्रोमा सेन्टर को संचालित करने में आ रही है सरकार उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेगी।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री हीराराम)

से मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उस समय सम्माननीय अशोक गहलोत साहब ने यहां बिलाड़ा हास्पिटल 100 बैड की घोषणा कर दी थी, क्या अब सरकार मंशा रखती है कि इस हास्पिटल को 100 बैड का किया जाए?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 500 बैड इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाने की घोषणा की गई है और मुझे उम्मीद है कि शायद उन बैडों की संख्या में आज कुछ वृद्धि हो जाए, तो पूरे राज्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए बिलाड़ा के भी जो स्वीकृत बैड हैं उसमें हम किस प्रकार बढ़ोतरी कर सकते हैं, माननीय सदस्य की भावनाओं को हम ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिर्राज सिंह।

बाड़ी में कन्या महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

390. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में एकमात्र राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित है? क्या यह भी सही है कि उपखण्ड बाड़ी एवं सरमथुरा उपखण्ड के कई गांवों की दूरी उक्त महाविद्यालय से 100 किलोमीटर से भी अधिक है? क्या इन बालिकाओं की समस्या को देखते हुए सरकार बाड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी हां। धौलपुर जिले में एकमात्र राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर संचालित है। हां, कुछ गांवों की दूरी 100 किमी है।

उपखण्ड बाड़ी में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी संचालित है जिसमें सत्र 2018-19 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उपखण्ड बाड़ी में वर्तमान में निजी क्षेत्र के 07 महाविद्यालय (05 सहशिक्षा एवं 02 महिला शिक्षा) संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-02 पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों को खोलने के संबंध में नीति बनाई

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

जा रही है। अत: नीति बनने के पश्चात् चरणबद्ध रूप से नये राजकीय महाविद्‌यालय खोले जाएंगे। इस पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, 100 किलोमीटर की दूरी है। बच्चियों के आने-जाने की बड़ी समस्या है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसे भी खोलें, प्रदेश में और भी खुलेंगे, तो आप सबसे पहले बाड़ी का ध्यान रखें। 100 किलोमीटर की दूरी बच्चियों के लिए बहुत दूरी होती है। वर्तमान में भी अभी क्लास 12 में 4 हजार बच्चियां पढ़ रही हैं। अब हर किसी के पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं होती कि वह हर जगह जाकर के अपनी बच्चियों को पढ़ा सके। मंत्री जी से यही निवेदन है कि हमें आश्वस्त करें कि आप जब भी घोषणा करेंगे तो बाड़ी को भी सम्मिलित करेंगे।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पूरे धौलपुर जिले में जिला मुख्यालय पर एकमात्र राजकीय कन्या महाविद्‌यालय संचालित है। माननीय सदस्य के क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की दूरी भी जैसा आपने बताया 100 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट घोषणा में भी राजस्थान में करीब 5 बालिका महाविद्‌यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। जैसा मैंने मेरे मूल प्रश्न में निवेदन किया कि आगामी समय में नये राजकीय महाविद्‌यालय खोले जाने के लिए सरकार द्‌वारा नीति बनाई जा रही है। उस संबंध में बालिका महाविद्‌यालय बाड़ी में खोले जाने के लिए जो मांग की गई है, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 391**,** स्थगित।

प्रश्न संख्या 391

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्म दिन पर दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको लंबी उम्र मिले और स्वस्थ जीवन बिताएं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांगों को पेंशन

392. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2017 से कितने वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन से वंचित आवेदकों को सरकार कब तक पेंशन देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) प्रदेश में 01 जनवरी 2017 से सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगों (राज्य/केन्द्र) में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का जिलेवार एवं माहवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 से 4 पर सलंग्न है।

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन हेतु किये गये आनलाइन आवेदन से भुगतान की प्रक्रिया तक 90 दिवस की अवधि निर्धारित है। विभागीय आदेश क्रमांक 4791 एवं 5407 दिनांक 02.07.2019 द्वारा आवेदनों की जांच/सत्यापन स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए Rajssp Portal पर निर्धारित समय सीमा में स्वत: सत्यापन, स्वत: स्वीकृति की व्यवस्था लागू की गई है। जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब के अंदर जिलेवार और टोटल राजस्थान के पेंशनधारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। अगर मैं इसको देखता हूं तो करीब-करीब सारी स्कीम्स में पेशनधारियों की संख्या कम हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या कारण हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पेंशन कम नहीं हो रही है।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पेंशनधारी कम हो रहे हैं। संख्या घट रही है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले यह पेंशन कम हुई थी आपको मालूम है, लेकिन वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन 48,84,879 यह अभी जारी है। एकलधारी पेंशन 17,55,959, विशेष योग्यजन 4,53,259, लघु एवं सीमांत कृषक, यह नई स्कीम हमने जारी की है, उसमें भी 2,79,432 पिछले 2-3 महीनों में पेंशन जारी की है। राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल 74,13,529 पेंशन जारी है, पेंशन मिल रही है। पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। रोज पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बहुत सरलीकरण किया जा चुका है। इस सरलीकरण से आवेदक 90 दिन के अंदर-अंदर पेंशन प्रा कर लेता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में पेंशन में कमी आई है, अब तो पेंशन लगातार बढ़ रही है। अब कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने वृद्धावस्था पेंशनधारियों के बारे में बताया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अप्रैल, 2019 की अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर 28,97,171 पेंशनधारी थे, मई की बात करें तो 28,93,820 थे, लेकिन वह जून में घटकर 26,54,000 हो गए। इसके पीछे क्या कारण हैं? मैं यह जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने बाकी चीजें तो बताईं, लेकिन इसके घटने का कारण मैं जानना चाहूंगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पेंशन घटी नहीं है। पेंशन का अलग-अलग वर्गीकरण कर दिया गया। अलग-अलग वर्गीकरण करने के कारण से, मैंने इसमें पूरे हर साल के आंकड़े दिए हैं। 2016-17 का भी आंकड़ा दिया है, 2017-18 का भी आंकड़ा दिया है। अभी वर्तमान के अंदर जो पेंशन जारी की है, उसका भी आंकड़ा दिया गया है। पेंशन बराबर मिल रही है। पेंशन में कोई घटौती, बढ़ोतरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि मई और जून महीने में जो संख्या है, उसमें कमी आई है। खाली वह उसी का पूछ रहे हैं। मई और जून के बीच में कम क्यों आई संख्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह मई और जून का कौनसा सत्र पूछा है आपने? सत्र कौनसा है?

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सत्र 2019 है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2019 के अंदर मई और जून में जो कमी आई है, मई, 2019 में 3 लाख और अप्रैल के अंदर 3 लाख 31 हजार और जून के अंदर 2 लाख 83 हजार पेंशन हो गई। बता रहा हूं। चिंता क्यों कर रहे हो? अब कुछ पेंशन ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पेंशन जो दी जाती है, मैंने कोई गलत तो दिया नहीं। मैंने सही आंकड़ा दिया है। पेंशन जो दी जा रही है उसके अंदर अप्रैल, मई और जून में 3 लाख से घटकर इतनी पेंशन हुई है, यह मैं खुद कह रहा हूं। मैं कोई गलत थोड़े ही बोल रहा हूं। इसके घटने के कई कारण हैं जिसके कारण से संख्या कम हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हां।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इस कारण से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अंगूठा नहीं लगा, सही मिला नहीं, ओटीपी पर गए नहीं, इसलिए वहां से जो रिकार्ड आया, उसके आधार पर यह पेंशन कम हुई। लेकिन अभी हमने जून के अंदर जो ओटीपी जारी की है नये सिरे से जारी की है, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि पेंशन ट्रेजरी से बराबर आ जाती है, यह जो कह रहे हैं कि भुगतान कम हुई है इसका कारण यही है। भुगतान अगले माह में होने के कारण भी हुई है। कभी-कभी भुगतान भी अगले माह में होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आनलाइन जो पेंशन हमने की है, इस वजह से थोड़ी इसमें कमी आई है। यह पेंशन बंद नहीं हुई है। यह कमी आई है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले महीनों में यह संख्या वापस वैसी की वैसी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मुख्य मंत्री विकलांग पेंशन, अप्रैल, 2019 में थी 3 लाख 31 हजार और जून के अंदर घटकर हो गई 2 लाख 83 हजार, इसके बाद यह जो आपकी पेंशन है सीएम डीपीएस, एसटी को मुख्य मंत्री विकलांग पेंशन अप्रैल में आपने दी 59 हजार 521 को और जून में घटकर 49 हजार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

93 रह गई। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो नाम कम हुए कहीं 10 हजार नाम कम हुए, कहीं 2 लाख कम हुए, क्या इन नामों के कम होने के पीछे इनके ऊपर कोई आक्षेप लगा या आपने जिस पोर्टल की बात की राजएसएसपी पोर्टल, वह आपका पोर्टल फेल हो गया। आप तैयारी करके नहीं आए तो आप अध्यक्षजी से प्रार्थना कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, don't give adjectives.

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेंशन भुगतान, मार्च माह की पेंशन का अप्रैल माह में भुगतान होता है, कभी-कभी भुगतान ट्रेजरी नहीं करती है तो भुगतान की संख्या दी गई है, किसी पेंशनधारी की पेंशन खतम नहीं हुई है। अगले महीने में पेंशन, पूरा पेंशन उस महीने के अंदर जिसको दी जाती है उसी को हम जोड़ते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन बंद नहीं हुई है, अगले महीने उसको अपने आप जोड़ा जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, खाली इस बात को समझाएं कि एक-एक लाख आदमियों की संख्या कम हो रही है, तो विभाग ध्यान दे कि पोर्टल में खराबी है या उसको पेंमेंट करने में तकलीफ है, इस पर ध्यान देने का काम है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि पेंशन की प्रक्रिया पहले बड़ी जटिल थी, हमने इसको मई-जून-जुलाई में चालू किया है, इस कारण से कमीबेशी हुई है, बाकी किसी पेंशनधारी की पेंशन बंद नहीं हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक पेंशनधारी यह कहे कि मेरी पेंशन बंद हो गई, यह पेंशन मार्च की अप्रैल में या मार्च, अप्रैल की मई में मिली, तो इस कारण से है। बाकी कोई प्रकार की पेंशन बंद नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि अगली बार किसी महीने में कम नहीं होगी?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पेंशनधारी हैं वे अगले महीने में किसी सूरत में कम नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

कोटा में सी.एस.आर. के तहत कार्य

393. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि व्यय करने के क्या-क्या प्रावधान तय किये गये हैं?

(2) कोटा जिले में कुल कितनी कम्पनियां हैं जो सीएसआर के दायरे में आती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्पनियों ने विगत पांच वर्षों में सीएसआर के तहत कौन-कौन से कार्य करवाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को निजी कम्पनियों द्वारा सीएसआर के तहत सही प्रकार से कार्य नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि व्यय करने के कोई प्रावधान तय नहीं किए गए हैं।

सीएसआर राशि व्यय करने के प्रावधान कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं जिसके तहत ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक आधार पर नैटवर्थ 500 करोड़ रुपये या अधिक अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक हो, सीएसआर के दायरे में आती हैं। ऐसी सभी कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत कम्पनी की सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिडयूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किए जाने का प्रावधान है।

(2) उपलब्ध सूचनानुसार कोटा जिले में 10 सीएसआर इकाइयां संचालित हैं एवं उनका विवरण खण्ड-3 के अनुसार परिशिष्ट-1 पर उल्लेखित है।

(3) कोटा जिले में संचालित 10 सीएसआर कम्पनियों द्वारा

(उद्योग मंत्री)

उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार उनके द्वारा सीएसआर के तहत किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा शिडयूल-VII की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार को विगत 3 वर्षों में निजी कम्पनियों द्वारा सीएसआर के तहत सही प्रकार से कार्य नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को कंपनियों द्वारा खर्च किए जाने वाले सीएसआर व्यय पर कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं है क्योंकि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि Government has no role to play in monitoring implementation of CSR by Companies.

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों में कोटा में स्थित विभिन्न उद्योगों में कितना-कितना लाभ हुआ तथा उसके पेटे कोटा जिले में क्या-क्या विकास के कार्य, कितनी-कितनी सीएसआर फंड की राशि से हुए?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि कितना उनका लाभ हुआ, उनका एक अकाउंट होता है उस अकाउंट में तीन साल तक वह राशि रहती है, उसके बाद खर्च करने के लिए खुद कम्पनियां ही अपनी समिति बनाकर स्वयं के आधार पर करती हैं। न सरकार को उसमें कोई मानिटरिंग करने का सिस्टम है, न सरकार इसकी स्वीकृति जारी करती है। पर अभी-अभी भारत सरकार ने इसमें अमैंडमेंट किया है कि तीन साल तक कम्पनियां अपने अकाउंट का पैसा खर्च नहीं करेंगी तो वह पैसा तीन साल के बाद पीएम रिलीफ फंड में जमा हो जाएगा। इस पर राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा-झालावाड़ जिले में इसमें काफी काम करवाए गए हैं। आपने सूची देखी होगी माननीय सदस्य, बहुत काम कराए हैं, फिर भी कोई शिकायत है तो सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें केन्द्र सरकार को लिखा जाए और राज्य सरकार का

(श्री संदीप शर्मा)

इसमें हस्तक्षेप हो। निश्चित रूप से जिस जगह उद्योग लगे रहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जिले में भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, यह भारत सरकार का प्रश्न है। हो गया। माननीय सदस्य, आप नीचे बैठें। यह भारत सरकार का प्रश्न है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जैसा माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं कि झालावाड़ में भी किया है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

अगला प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

मेवाड़ काम्प्लैक्स योजनान्तर्गत पर्यटन विकास के कार्य

394. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेवाड़ कॉम्प्लैक्स योजना के उद्देश्य एवं रूपरेखा क्या है? उक्त योजना पर अनुमानित परिव्यय क्या है? अब तक योजना में विकसित किए जा रहे प्रत्येक स्थल पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में मेवाड़ काम्प्लैक्स में विकसित किए जा रहे प्रत्येक स्थल पर कितने पर्यटक आए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के विकास एवं संरक्षण के साथ-साथ महाराणा प्रताप के शौर्य एवं पराक्रम से आमजन को अवगत कराने के उद्देश्य से मेवाड़ काम्प्लैक्स परियोजना पर कार्य किया गया। मेवाड़ काम्प्लैक्स के तहत हल्दीघाटी, गोगुन्दा, चावण्ड, दिवेर एवं छापली पर विकास एवं संरक्षण कार्य करवाए गए। इन कार्यों पर रुपये 1706.45 लाख की राशि व्यय की गई।

मेवाड़ काम्प्लैक्स के तहत वर्ष 2009 से 2018-19 तक किये गये स्थलवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ काम्प्लैक्स के तहत विकसित किए गए स्थलों पर पर्यटकों के आगमन संख्यांक सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा मेले एवं त्यौहार का आयोजन, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के विभिन्न माध्यमों यथा प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक व डिजिटल मीडिया में विज्ञापन जारी कर तथा वेबसाइट व सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इन प्रयासों से मेवाड़ काम्प्लैक्स परियोजना क्षेत्र के पर्यटन स्थलों व मेले त्यैहारों का भी प्रचार-प्रसार किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि महाराणा प्रताप जयंती पर हर वर्ष मेला लगता है, खमनौर पंचायत समिति के द्वारा हल्दीघाटी पर मेला लगाया जाता है। इस मेले का आयोजन होता है, पंचायत समिति के द्वारा दो-दो हजार रुपये हर ग्राम पंचायत से लेकर वह कंट्रीब्यूट करते हैं और इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्या राज्य सरकार यह विचार रखती है, जैसा आपने अपने जवाब में कहा कि बहुत सारी जगह मेले और त्यौहार आयोजित करते हैं। क्या प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सरकार यह विचार रखती है कि सरकार अपने स्तर पर तीन दिवसीय मेला आयोजित करे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा सवाल किया है उससे मैं सहमत हूं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के ऊपर यह निर्भर करता है और यह भी सौभाग्य मेवाड़ का है कि हमारे अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य, तीनों मेवाड़ के हैं। अगर आप सिफारिश कर दें और हमारे कुछ वित्तीय संसाधन बढ़ जाएं तो बड़ी कृपा होगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सिफारिश तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो पूछ ही रही हूं। आपका संरक्षण भी चाहिए क्योंकि आपका क्षेत्र भी है और महाराणा प्रताप जयंती पर मेले के आयोजन पर एक तो हमारा निवेदन था, एक तो आपने फर्माया कि मेवाड़ काम्प्लैक्स के बहुत सारे स्थानों का

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

डवलपमेंट हुआ, वह माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री थे उस समय यह उनकी कल्पना थी कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, उनको डवलप किया जाए। मेरा आपसे प्रश्न है कि बहुत सारे स्थान अभी भी छूटे हुए हैं। जैसे मचीन के अंदर अवशेष हैं, वहां पर महल बने हुए हैं जहां महाराणा प्रताप रुकते थे, वे महल बहुत खंडहर स्थिति के अंदर हैं। उनका डवलपमेंट का विचार रखते हैं?

इसी प्रकार से हल्दीघाटी पर राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है महाराणा प्रताप का, उस राष्ट्रीय स्मारक पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। आपने प्रश्न में तो कहा कि हमें नहीं पता कि कितने पर्यटक आते हैं, इसकी कोई सूची हमारे पास नहीं है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि पर्यटक तो बहुत आते हैं वहां पर, सिर्फ इतना ही पूछना है कि उन पर्यटकों की सुविधा के लिए न तो वहां कोई छाया है, न कोई पानी है, न कोई एप्रोच रोड है, तो क्या उस राष्ट्रीय स्मारक के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आप करेंगे? मचीन के अंदर खंडहर महल हैं उनको रिपेयर करने का सोचेंगे?

खमनौर से बड़ा भाणुजा के बीच एक गुफा है जहां भामाशाह रहते थे और महाराणा प्रताप के जीवन में भामाशाह की बहुत अहम भूमिका है। क्या सरकार उस गुफा को भी डवलप करने का विचार रखती है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आपने जो प्रश्न किया है, उसकी मैं बहुत कद्र करता हूं और मैं आवश्यक भी समझता हूं कि यह होना चाहिए लेकिन आपने बीच में अभी यह भी कहा था कि आपने बताया नहीं कि कितने पर्यटक आये? देखिए, उदयपुर, नाथद्वारा और राजसमंद, जिला-वाइज हमारे सामने पूरे आंकड़े हैं, लेकिन कौन-कौन कहां गया, ये आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं हो सकते, पर डवलपमेंट की जो बात है, जैसा मैंने कहा, वित्तीय संसाधन आप बढ़वा दें, निश्चित रूप से इनकी देखभाल होगी। साथ ही आपके जो भी सुझाव हैं, मैं उनकी कद्र करते हुए अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपके सान्निध्य में अगर वित्तीय संसाधन बढ़ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। हम कराएंगे साहब, बिलकुल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप जयंती पर जो मेले का आयोजन होता है, उसमें मैंने जैसा कहा कि 2-2 हजार रुपये इकट्ठे किये जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना यह है कि एएसआई, जो कि हमारा पुरातत्व विभाग है, Archeological

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

Survey of India, वहां से 25-25 हजार रुपये एक दिन का किराया लेते हैं शाही बाग़ का। कहां तो थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा करके वे मेले का आयोजन करते हैं, फिर पंचायत समिति को 25 हजार प्रति माह Archeological Department को देना होता है, तो सरकार एक पत्र लिख सकती है Archeological Department को, महाराणा प्रताप जयंती पर इस प्रकार का मेला हो रहा है और तीन दिन के 75 हजार रुपये उन्हें किसी तरह से बटोरकर देने हैं, कम से कम इसकी तो घोषणा करें कि ये 75 हजार रुपये तो राज्य सरकार देगी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम विभाग को चिट्ठी लिखेंगे Archeological Department को कि ये पैसे माफ किये जाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित इन स्थानों के विकास के लिये मेवाड़ काम्प्लैक्स में काम किया गया, जो कुछ भी आपने बताया 17 करोड़ रुपये का, लेकिन इन स्थानों की देखभाल के लिये, इनकी व्यवस्था के लिये या इन्हें जैसा बनाया गया है, कम से कम वे मेंटेन रहें, इसकी व्यवस्था के बारे में सरकार ने क्या विचार किया है? अगर सरकार नहीं कर सकती तो क्या कोई एजेंसी बनाकर उसे देकर भी उसकी व्यवस्था की जा सकती है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, उससे मैं सौ फीसदी सहमत हूं। मेवाड़ काम्प्लैक्स में आने वाले स्थलों के लिये विभाग ने पूर्व में स्थानीय समितियों के माध्यम से रखरखाव करने का प्रयास किया था, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा सफल नहीं हुई है। विभाग का यह प्रयास है कि उपखण्ड अधिकारियों की समितियों के माध्यम से कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनके रखरखाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि पर्यटकों को समस्त सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकान्ता जी मेघवाल।

चम्बल नहर में सीपेज रोकने की कार्ययोजना

395. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्मित चम्बल दायीं व बायीं मुख्य नहर से निकलने वाले माइनरों से पानी सीपेज होने के कारण किसानों

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

की फसलों हेतु टेल तक पानी नहीं पहुंचता जिसके कारण किसान फसलों को पानी नहीं दे पाते? यदि हां तो कहां-कहां पर कितना-कितना सीपेज है? क्या सरकार सीपेज को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा सीपेज रोकने के लिए कोई बजट की व्यवस्था की गई है? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि कब-कब व कहां-कहां स्वीकृत कर व्यय की गई? इससे कितना सीपेज रुका? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार की टेल क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु पानी को लिफ्ट के माध्यम से पहुंचाने की योजना है? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जवाब मेरे पास आ गया है, जवाब में टाइम वेस्ट नहीं करें तो ठीक रहेगा।

(उत्तर जो सदन पटल पर रखा गया)

श्री हरीश चौधरी (सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री): (1) जी नहीं। चम्बल दायीं व बायीं मुख्य नहर से निकलने वाले माइनरों से पानी सीपेज होने के उपरांत भी हर वर्ष टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाता है। चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहरें ज्यादातर कच्ची हैं। कच्ची नहरों में सीपेज पानी की मात्रा 2.50 क्यूसेक्स प्रति दस लाख वर्ग मीटर एवं पक्की नहरों में सीपेज पानी की मात्रा 0.80 क्यूसेक्स प्रति दस लाख वर्ग मीटर होती है। कच्ची नहरों को पक्की करने से 1.70 क्यूसेक्स प्रति दस लाख वर्ग मीटर की बचत सम्भव है।

सीपेज रोक कर चम्बल सिंचित क्षेत्र में कोटा, बून्दी व बारां जिले के लगभग 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अन्तिम छोर तक के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई तंत्र के जीर्णोद्धार के कार्य करवाकर समयबद्ध तरीके से पानी पहुंचाने के लिए 1274 करोड़ रुपये की राशि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2012-13 में दिनांक 26.03.2012 को दिये गये बजट भाषण के बिन्दु संख्या-33 से घोषणा की गई। कार्य प्रगतिरत है तथा कार्य सम्पादन से समानांतर रूप से सीपेज में कमी आई है।

(2) बजट घोषणा 2012-13 के अंतर्गत चम्बल नहरी तंत्र के

(श्री हरीश चौधरी)

जीर्णोद्धार हेतु 1274 करोड़ रुपये की योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक तीन चरणों में राशि रुपये 852 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के आधार पर दायीं मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के 10 कार्यों हेतु राशि रुपये 463.88 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये जिसके विरुद्ध माह जून 2019 तक राशि रुपये 131.32 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

इसी प्रकार बायीं मुख्य नहर प्रणाली के 5 कार्यों हेतु राशि रुपये 243.58 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये जिसके विरुद्ध माह जून, 2019 तक राशि रुपये 88.56 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस प्रकार कुल कार्यादेश राशि 707.46 करोड़ रुपये के विरुद्ध माह जून, 2019 तक राशि रुपये 219.88 करोड़ व्यय की जा चुकी है तथा 224 किमी. नहरों को पक्का किया जा चुका है।

(3) वर्तमान में चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना के टेल क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु पानी को लिफ्ट के माध्यम से पहुंचाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अच्छा, धन्यवाद। आप सीधा प्रश्न पूछना चाहती हैं? आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): धन्यवाद, सर। माननीय मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया कि 1274 करोड़ रुपये आपने इसके लिये स्वीकृत किये और जो मुझे आपने जवाब दिया है कि 707.46 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, उसमें से 219.88 करोड़ रुपये आपने व्यय किये। मतलब आपका कुल कार्यादेश 707.46 का था। मेरे तीनों ही प्रश्नों के जवाब में आपने जो 1274 करोड़ का ब्यौरा दिया है, उसमें आपने यह नहीं बताया कि किसानों के लिये नहरी सिस्टम को सुधारने के लिये जो सरकार ने पैसा स्वीकृत किया, उसमें अधिकारियों ने विजिट के नाम से डेढ़ करोड़ से ज्यादा की दस लग्जरी गाड़ियां खरीद लीं, जबकि अधिकारियों का कोई विजिट नहीं हो रहा है।

इसके अलावा जो अधिकारियों के दफ्तर हैं, आवास हैं, उनमें

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लगातार इस राशि को खर्च किया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है। यह आपके जवाब में नहीं दिया गया।

दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या यह सही है कि वन थर्ड पानी, 1300 क्यूसेक्स पानी जो एक लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करता है और जिसमें किसानों को पांच हजार करोड़ का उत्पादन बढ़ाकर हम दे सकते हैं, इतना पानी सीपेज होकर फालतू बह रहा है, इसके लिये हमने अभी तक क्या किया? कुछ नहीं किया। पैसा स्वीकृत हो रहा है, पैसा लैप्स हो रहा है। हम उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहे।

मेरा आपसे यह भी प्रश्न है कि क्या हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय इटावा वाली ब्रांचों के लिये, केशवरायपाटन, इन सबके लिये जो डीपीआर बनायी थी, उसका क्या हुआ, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहली तो उन्होंने यह चिंता जाहिर की कि जिस मद के लिये जो पैसा स्वीकृत था, उस मद में खर्च नहीं होकर यह दूसरे मद में खर्च हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाएगी। मद के अलावा कहीं दूसरी जगह खर्च हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा, आपका यह सवाल है कि जो कच्ची नहरों के कारण पानी का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है, उन कच्ची नहरों को पक्का बनाने के लिये जो कोई भी स्कीम स्वीकृत हुई है, उस काम की गति संतोषजनक नहीं है। कच्ची नहरों को पक्की बनाने के संदर्भ में आपका जो प्रश्न था, उसके अंदर ही उत्तर दे दिया गया कि कितने पानी की उन कच्ची नहरों से पक्की बनाने में बचत हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने काम करते वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें समयावधि बहुत कम मिलती है। वहां जो जमीन की स्थिति है, वहां के सोइल की स्थिति है, बारिश के कारण और फिर फसल को पानी देने के कारण मात्र तीन से चार महीने ही हमें मिलते हैं। पिछले सालों में जो बजरी की स्थिति वहां रही है, माननीय न्यायालय की पाबन्दी, कई कारणों के साथ एक कारण वह भी है। जो डीपीआर के संदर्भ में बात की गयी है कि वह डीपीआर बनी और उस योजना का क्या हुआ, वह योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। जो पहले स्वीकृत योजना है, वही अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, इसलिये नई योजना स्वीकृत नहीं की गयी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): मैं इसमें एक सवाल और करना चाहूंगी कि आपकी कमेटी गठित हुई है जो हमारे 1274 करोड़ रुपये थे, इसके लिये आपने कमेटी गठित की है। जांच कमेटी जयपुर की बनायी जिसमें आपके यहां के अधिकारी हैं। मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूं कि इस कमेटी ने कब-कब जाकर वहां जांच की? क्या कोटा के सर्किट हाउस से आगे आपकी कमेटी कभी बढ़ी?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने अभी घोषणा की थी कि 1200 लोगों की जो भर्ती करनी थी, उसमें क्या यह सही है कि 300-400 माइनरों पर हमारे 258 वाटर मास्टर लगे हुए हैं, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। जो पटवारियों को हमने हटा दिया, जो कि नहरी सिस्टम को संभालते थे, उनका सारा काम वर्तमान में ये देख रहे हैं। आपने इसमें घोषणा भी की है, तो क्या 2000 लोगों में हम इन वाटर मास्टरों को सम्मिलित करेंगे?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो सवाल का स्कोप है, उसके अंतर्गत तो ये भर्तियां आती ही नहीं हैं। उसके बावजूद भी...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, नहरी सिस्टम को ये ही लोग संभालते हैं, माइनरों को ये ही संभालते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुनें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो मूल सवाल है, उसमें आपने सीपेज के संदर्भ में सवाल किया था और सीपेज के अलावा टेल पर पानी नहीं पहुंचने के संदर्भ में किया था। कहीं भी कर्मचारियों के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया, इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि मूल सवाल के स्कोप में यह बात नहीं आती। उसके बावजूद भी जो चिंता जाहिर की है आपने कि कर्मचारी कम हैं तो मैं इस संदर्भ में दिखवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि इस काम में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, वह यह है कि जो कोई भी सीएडी के अंदर कच्ची नहरों के संदर्भ में योजना थी, पहले योजना हुआ करती थी सीएडीडब्यूएम, केन्द्र सरकार ने 01.04.2017 को वह योजना बंद कर दी और यह कहा गया कि एक नई योजना लाकर इन कच्ची नहरों को पक्की करने के संदर्भ में केन्द्र की तरफ से सहायता मिलेगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): 000

(12:00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री, बैठें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। गलत परम्परा डाल रहे हैं आप।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदस्यगण को बोलने के लिए दिये जाने वाले समय का नियतन

माननीय सदस्यगण, मुझे दु:ख है कि परसों जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में यह बात नहीं हो। समय का जो निर्धारण है उसकी पालना की जाए और उसमें जो कुछ भी हुआ उस बात को हम भूल जाएं। आइंदा हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो टाइम हम अलग-अलग दलों के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं उस समय को एधर (Adhere) करें। जो सभापति पैनल में हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि समय का पूरा पालन करें जिससे किसी भी माननीय सदस्य को यह कहने का मौका नहीं मिले कि किसी को ज्यादा समय दिया या कम समय दिया।

जो दूसरी व्यवस्था के सम्बन्ध में कि निर्दलीय सदस्यों को ज्यादा समय मिलता है या कम समय मिलता है और जिसमें आपने चिन्ता व्यक्त की, मैं आप और सत्ता पक्ष के साथ पर बैठकर कि जो सदस्य किसी पार्टी के साथ एसोसियेट हैं उनको मूल पार्टी के साथ जोड़ा जाए या उनको अलग समय दिया जाए, किस तरह से इस व्यवस्था को ठीक ढंग से करें, मैं बैठकर चर्चा करके इस व्यवस्था को ठीक करूंगा। आप सबका सहयोग चाहता हूं कि जिस तरह से हमने सदन को अच्छे से चलाया है, उसी परम्परा को हम बनाये रखें और उसमें जो कुछ भी परिवर्तन करना है वह आपके साथ बैठकर चर्चा करके परिवर्तन करेंगे।

आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों एक साथ प्रस्तुत करेंगे और चर्चा जो पारण की स्टेज पर है उस पारण की स्टेज के सम्बन्ध में हम चर्चा करें। जो दलों की तरफ से सदस्यों के नाम आये हैं और समय दिया उस समय को हम एधर करेंगे, जो आपने समय दिया है। कौन सदस्य कितने

(श्री अध्यक्ष)

समय तक बोलेगा उसको नोट कर लिया है और हम उस समय को पूरा एधर करेंगे। सभी सदस्यों से निवेदन है कि जितना समय अलग-अलग दल के लोग दे रहे हैं, स्पीकर कृपा करके उतने समय को एधर करने का काम करें जिससे हमारी डिबेट अच्छे ढंग से हो सके। मैं वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के लिए माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि प्रस्ताव रखें।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 19 तक, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 19 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 19 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

वित विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि....

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा भी ले लें।

राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: पांच बजे माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे और 4 बजे विपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया बोलेंगे। सबसे पहले प्रथम वक्ता राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर संविधान के आर्टिकल 207 (1) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 और संविधान के आर्टिकल 204 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2019 विचारार्थ लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 सदन में लाया गया है उसके पीछे मूल उद्देश्य सरकार का पैट्रोल और डीजल पर और अधिक वैट अधिरोपित करने और राज्य मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल व सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधनों के माध्यम से और करारोपण करने का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, इससे पहले इसी सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अन्दर पृष्ठ 54 के पैरा 227 में जो बात कही, वह मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक बात कही कि कर प्रस्तावों में मेरे द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है तथा कर प्रस्तावों से लगभग 301 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की, यानी कि राजस्थान के अवाम को राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने यह कहने का प्रयास किया कि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसमें नया कोई करारोपण नहीं और 301 करोड़ की करों में उन्होंने छूट देने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि 6 जुलाई को संसदीय परम्पराओं को धता बताकर राजस्थान की सरकार ने विधान सभा के बाहर जाकर 4 परसेंट डीजल और पैट्रोल में बढ़ोतरी की। राज्य की जो मन्दी में चलती अर्थव्यवस्था है उसको और मन्दी में धकेलने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्दर उस राज्य में पैट्रोल और डीजल का उपभोग अधिक से अधिक हो, वहां व्यापारिक गतिविधि हो, चाहे किसान के काम में खेती अधिक से अधिक हो, डीजल का उपयोग होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, पर मुझे कहते हुए अफसोस है, मंत्री महोदय, पूरे उत्तरी भारत के अन्दर आज राजस्थान वह प्रदेश हो गया जिसमें डीजल और पैट्रोल का मूल्य सर्वाधिक है। अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, आज इसी कारण से हमारे राजस्थान के अन्दर जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं चाहे वे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लगे हों, उनमें हमारे पैट्रोल और डीजल की खपत 10 से 20 परसेंट कम हो रही है। अभी लोक सभा में एक सवाल के जवाब में जो उत्तर आया, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा। लोक सभा में उत्तर में यह कहा गया कि 2018-19 में राज्य में बीपीसीएल की बिक्री में 5.56 परसेंट, आईओसीएल की बिक्री में 2.8 परसेंट, एचपीसीएल की बिक्री में 3 परसेंट बिक्री घटी है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्दर 11 परसेंट, पंजाब में डीजल और पैट्रोल की खपत 9.61 परसेंट बढ़ी है।

(12:08 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, हमारी प्रतिस्पर्धा होती है। राजस्थान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। हमारे यहां जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सीमावर्ती जिलों में सस्ता डीजल लाने के लिए तस्करी का काम प्रारम्भ हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में डीजल और पैट्रोल की तस्करी इसलिए हो रही है कि हरियाणा के अन्दर राजस्थान से 5.50 रुपये पैट्रोल सस्ता है, पंजाब में राजस्थान से 6.34 पैसे पैट्रोल सस्ता है, हरियाणा में राजस्थान से डीजल 7.75 रुपये सस्ता है और पंजाब में 9.01 रुपये सस्ता है।

सभापति महोदय, अब मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 के अन्दर जो सरकार संशोधन लेकर आई है, अध्याय 2 धारा 2 के अन्दर जो एक स्पष्टीकरण मंत्री महोदय जोड़ने जा रहे हैं मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं। 'राज्य में खुदरा आउटलेट्स को डीजल और पैट्रोल के विक्रय के लिए तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम उस रकम के बराबर समझी जाएगी जिस पर खुदरा आउटलेट्स ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं।' इसी में आपने राजस्थान वित्त विधेयक के पृष्ठ 8 में लिखा है कि - "वर्तमान में, पैट्रोल और डीजल पर कर का उद्ग्रहण किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा विक्रयों की श्रृंखला में प्रथम बिन्दु पर किया जाता है। इस प्रकार, खुदरा आउटलेट्स से वसूली गयी कीमत पर कर संदाय कर रही है, न कि उपभोक्ताओं द्वारा संदत्त की गई कीमत पर। ऐसी कीमत, जो उपभोक्ता खुदरा आउटलेट्स को संदत्त करता है, पर कर प्रभारित करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 में एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्पष्टीकरण IV जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यानी, सभापति महोदय, पैट्रोल और डीजल, उसमें एक तरह से जो वैट सरकार ने पहले 4 परसेंट 6 जुलाई को बढ़ाया, उस वैट को और बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। यानी अब जो वैट लगेगा वह पहले जो रिटेलर के रूप में प्रथम बिन्दु पर लगता था, अब उपभोक्ता पैट्रोल पम्प से पैट्रोल और डीजल खरीदने जाएगा, उस बिन्दु पर जब ये वैट लगेगा तो उसमें कौन-कौन सी राशि और जुड़ेगी, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। उसमें राशि जुड़ेगी रोड सेस जो आज 1 रुपया 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पर लग रहा है। डीलर का कमीशन, जो पैट्रोल पम्प का डीलर है, उसको 2 रुपये 7 पैसे कमीशन मिलता है और ये पैट्रोल और डीजल जब आईओसीएल या कंपनियों से चलकर उस पैट्रोल पम्प तक जाते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है, वह 1 रुपया 70 पैसे आता है।

इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, रोड टैक्स, डीलर का कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये कुल मिलाकर जो राशि होती है, उस राशि पर जब ये टैक्स लगेगा तो यह वैट बढ़कर हो जाएगा 1 रुपया 54 पैसे जाएगा, जो अतिरिक्त भार आएगा। इन्होंने जो वैट 22 परसेंट बढ़ाया, इस संशोधन के पारित होते ही राजस्थान के अंदर डीजल और पैट्रोल पर वैट अब हो जाएगा 23.53 परसेंट, क्योंकि अब वैट अंतिम बिन्दु पर लगाने का यह संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है, कहीं तो आपने ईज आफ डूइंग फार्मिंग की बात कही थी और कहीं आप जिस प्रकार किसान की कमर तोड़ रहे हैं, 1 रुपया 54 पैसा यह जो राशि बढ़ जाएगी, इस पूरी राशि को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 रुपया 12 पैसे, जो पहले वैट बढ़ा और उसमें 1 रुपया 54 पैसा अब अंतिम बिन्दु पर लगने के कारण, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जब यह जुड़ जाएगा तो यह कुल मिलाकर एक लीटर पर 3 रुपया 66 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार इस संशोधन के माध्यम से यह प्रस्ताव लेकर आई है।

सभापति महोदय, इसका अर्थ क्या होगा हरियाणा के अंदर अब हमसे डीजल सस्ता मिलेगा, हमारे और हरियाणा के बीच में डीजल की प्रति लीटर की दरों में 9 रुपये 29 पैसे सस्ता डीजल मिलेगा, ये तस्करी बढ़ेगी। पंजाब के अंदर भी इसी प्रकार 9 रुपये 54 पैसे सस्ता डीजल मिलेगा। अगर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस प्रकार हम राजस्थान की जनता को एक तरफ यह कह रहे हैं, बजट के अंदर यह घोषणा कर रहे हैं, भाषण में कह रहे हैं, हम किसी प्रकार का कर नहीं लगाएंगे, 301 करोड़ रुपये की हमने करों में राहत दी है। दूसरी तरफ 6 जुलाई को पिछले दरवाजे से 4 परसेंट वैट लगाया और अब ये 1.3 परसेंट बढ़ाकर कुल मिलाकर वैट इतना बढ़ गया।

सभापति महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि राजस्थान में 23.53 परसेंट वैट होना, ये राजस्थान की जनता के लिए कुठाराघात है। कहीं तो जन घोषणा पत्र में आपने पृष्ठ 39 में कहा था कि हम राजस्थान की अवाम से वादा करते हैं कि हम पैट्रोल और डीजल को जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव रखकर, इसको जीएसटी के दायरे में लाएंगे। अभी परसों ही जीएसटी की मीटिंग हुई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसमें भाग लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा साफ थी तो क्या राजस्थान की सरकार पैट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव लेकर गई? यही नहीं, सभापति महोदय, अभी सरकार ने इसी बजट के अंदर जो नैचुरल गैस है, नैचुरल गैस के अंदर भी 5.5 परसेंट से वैट बढ़ाकर 10 परसेंट करके एक तरह से आम उपभोक्ता पर रसोई गैस को महंगा करने का काम सरकार कर रही है। यह सरकार का असली चेहरा है।

सभापति महोदय, अब जो दूसरा संशोधन सरकार लेकर आई है, वह संशोधन है। राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 और संशोधन क्या लेकर आई, इसमें एक धारा है विद्यमान धारा 8 और 9 और उसके बीच में एक नई धारा इंसर्ट की है (8क), और उसके पीछे मंतव्य क्या है? जिस तरह इन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है, सरकार विद्युत शुल्क में तो छूट दे सकती है पर विद्युत शुल्क में, उसमें ब्याज पर और पैनल्टी पर छूट नहीं दे सकती। यह (8क) के माध्यम से सरकार यह संशोधन लेकर आई है कि विद्युत शुल्क के साथ-साथ अगर किसी उपभोक्ता पर पैनल्टी है, किसी पर पैनल्टी अधिरोपित हो गई है या ब्याज है तो उस पर भी छूट देने के लिए सरकार संशोधन लेकर आई है।

मैं पूछना चाहता हूं ये किसकी मांग पर लेकर आए हैं? ये कौन से ऐसे छुपे हुए हिडन एजेंडा हैं, किस उद्योगपति को राहत देने के लिए, क्योंकि जो ये पैनल्टी और ब्याज, इस पर आप छूट देने के लिए तरह से डिस्क्रिशनरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पावर ले रहे हैं, इसके पीछे आपका मंतव्य क्या है? सरकार इसको बताए तो बहुत ठीक है।

सभापति महोदय, इन्होंने जब यह कहा कि हम विद्युत शुल्क के अंदर संशोधन लेकर आए हैं, तो अच्छा रहता। आज शुल्क किसको कहते हैं, जो जनता से किसी न किसी रूप से वसूला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपने, जो फ्यूल चार्ज है, इसको बढ़ाकर 55 पैसे किया है और 55 पैसे करके राजस्थान की जनता की जेब से चार सौ करोड़ रुपये आप निकाल रहे हैं।

सभापति महोदय, यह बिजली जो खरीदते हैं, उसमें जो वेरियबल कास्ट है, एक तो फिक्स कास्ट होती है, एक वेरियबल कास्ट, कभी कोयले के दाम बढ़ गए, कई बार डीजल के दाम बढ़ गए, परिवहन बढ गया और कई बार जो बिजली क्रय करते हैं और बिजली की जो बिलिंग होती है, उसका अन्तर भी वेरियबल कास्ट में आ जाता है। उस वेरियबल कास्ट के आधार पर अक्टूबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो फ्यूल चार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट था, आज यह 55 पैसे इन्होंने कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप रूकने वाले यहीं नहीं हो, मंत्री महोदय, अभी ये सदन स्थगित होगा तब आप 9 पैसे और बढ़ाओगे। सभापति महोदय, ये 9 पैसे क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने जो नियामक आयोग के सामने अपनी अर्जी प्रस्तुत की है, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि बिजली की खरीद और उपभोक्ता की जो बिलिंग है, उसमें 64 पैसे का अंतर है। यानी, 64 पैसे ये और वसूलेंगे, ये 9 पैसे राजस्थान के उपभोक्ता, जिसको इन्होंने कहा कि हम 5 साल तक विद्युत दर नहीं बढांएगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये घरेलू बिजली दर बढ़ रही है। अगर घरेलू विद्युत दर बढ़ेगी, राजस्थान में ऐसा कोई किसान है, जो अपने घर में बिजली नहीं जलाता हो। ये राजस्थान के किसान के बिजली का घर का बिल भी आपने माफ कर दिया है या उसकी भी कोई फिक्स आपने 55 पैसे प्रति यूनिट फिक्स कर दी है। ये किसान की जेब पर डाका डालने का काम सरकार कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी जो डिस्काम का प्रतिवेदन आया उसमें 31 मार्च तक डिस्काम ने 831 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी और जो बिलिंग हुई है, वह 547.7 करोड़ यूनिट, यानी 257 करोड़ यूनिट जो कम बिलिंग हुई है, उसका दण्ड भी राजस्थान की जनता पर है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, ये बिजली कंपनियों को कहां लेकर जा रही है सरकार। उनके गलत प्रबंधन के कारण से आज इनका टी.एण्ड डी. लोस 29.03 हो गया है। अब ये टी.एण्ड डी. लोस बढ़ रहा है। यह दंड किसी का और फकीरों पर डालने का काम कर रहे हो। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। सभापति महोदय, रघु शर्मा जी का दंड फकीरों पर क्यों?

सभापति महोदय, एक बात में निवेदन करना चाहूंगा जब कभी भी अडाणी, अम्बानी की बात आती है, सदन के नेता हो चाहे संसदीय कार्य मंत्री हों, अडाणी अम्बानी की बात को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान में अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड है, इसके कोयले की दरों के अंतर में सत्ताइस सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख रुपये चुकाने में आपने बड़ी फुर्ती की। 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर, आपने एक करोड़ बीस लाख उपभोक्ताओं पर 36 महीने के लिए डाल दिया, जजिया कर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फैसला कैसे हुआ? फैसला इसलिए हुआ था कि आपकी तरफ से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने अच्छी पैरवी नहीं की, इस वजह से हुआ। ये भी तो समझिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संसदीय कार्य मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले आज आपके सचिवालय में धूल फांक रहे होंगे, अगर आप निकालकर देंखें, क्योंकि विधि विभाग भी आप देखते हो, हाई कोर्ट के कंटैम्प्ट और पीटिशन आज पैंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने कंटैम्प्ट और पीटिशन पैंडिंग हैं। आप रिव्यू में जाते, आप स्टे लेने की कोशिश करते पर लोक सभा के चुनाव के बाद आपका ये अडाणी जी से प्यार क्यों बढ़ गया? मैं समझता हूं राजस्थान की जनता सब जानती है।

ये तो बात वह हो गई, सभापति महोदय, गुड़ तो खाना है पर गुलगुले से परहेज करूंगा। लोग कुछ समझते नहीं हैं क्या? अब आपने ये 5 पैसे तो 36 महीने के लिए राजस्थान के 85 लाख उपभोक्ताओं पर कर दिया।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह पहली बार होगा, बिना नियामक आयोग में गए एक पैसा भी उपभोक्ता से वसूला नहीं जा सकता, ये नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, आप नियामक आयोग में गए नहीं, आपने नियामक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आयोग में अर्जी लगाई नहीं, नियामक आयोग ने आपत्तियां मांगी नहीं और आपने फैसला कर आर्बिट्रेरी और 5 पैसे वसूलने चालू कर दिए। अब ये तो आपने जजिया कर लगा दिया।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब राजस्थान के अंदर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार हैं, जिनके 2600 करोड़ के बिल बकाया पड़े हैं, उनके लिए कौनसा कर लगाओगे? ठेकेदार की आवाज नहीं है, अडाणी की आवाज है, इसलिए अडाणी के प्रभाव में आकर आपने ये तो कर दिया पर ये 2600 करोड़ रुपये के जो बिल पैंडिंग हैं, उसके लिए आपका क्या रोड मैप है आप जरूर निश्चित तौर पर बतायें।

सभापति महोदय, यहां बहुत बड़ी चर्चा हुई। चर्चा इस बात की भी हुई कि चाहे छबड़ा का थर्मल पावर हो, चाहे कालीसिंध का थर्मल पावर हो। संसदीय कार्य मंत्री पिछले सत्र में कागज ले-लेकर यों कर रहे थे जैसे जो फैसला हमने कर लिया था इनको बेचने का, वह बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें सदन के सामने आ जाएं तो ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, आज जो हमारी इंडियन एनर्जी आडिट है वह यह कह रही है कि राजस्थान में हर वर्ष विद्युत खपत साढ़े सात परसेंट से नौ परसेंट की दर से बढ़ रही है और अभी मुख्य मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण पढ़ा तो बजट भाषण में पैरा-41 में इन्होंने इस अंदाज से पढ़ा कि 21,766 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन राजस्थान में हुआ है वह सारा का सारा इन्होंने 6 महीने में आकर जादुई छड़ी से पूरा कर दिया पर अगर प्रगति प्रतिवेदन को आप देखो तो भाजपा शासन काल में माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, 2170 मेगावाट थर्मल पावर से विद्युत उत्पादन बढ़ाने का काम हुआ, सोलर से 1262 का हुआ और विंड एनर्जी में हम देश की पहली पायदान पर पहुंच गए। आज की स्थिति क्या है, सभापति महोदय, कि हमें रोज प्रतिदिन ये जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बना हुआ है, यह एक्सचेंज ऐसा है कि इससे हिन्दुस्तान में कोई भी सरकार इस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जिस तरह स्टाक एक्सचेंज है, उस तरह बिजली की दरों का निर्धारण होता है, कोई भी इससे बिजली खरीद सकता है। रोज प्रतिदिन हम एक लाख से लेकर ढाई लाख तक बिजली खरीद रहे हैं और आज एक अध्ययन यह कह रहा है कि देश के अन्दर 34 थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं जो बंद होने की कगार पर हैं और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का कोई भी ऐसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है जो घाटे में नहीं चल रहा है। इसका कारण भी है कि हम एक यूनिट बिजली बनाते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट से तो उस पर 8 रुपये की लागत आती है। 8 रुपये की लागत इस तरह से आती है कि 4.20 रुपये तो उत्पादन में लागत आ जाती है। 1.20 रुपये जो आपके टी.एंड डी. लोसेज अगर 26 परसेंट मानो तब की बात कह रहा हूं मैं, तब 1.20 रुपये टी.एंड डी. लोसेज की वजह से लागत आ जाती है और जो विद्युत कंपनियों पर कर्जा है 'उदय' से अब इनको संजीवनी मिली है पर उस समय 81 पैसे प्रति यूनिट इनका ब्याज लगता था और ट्रांसमिशन चार्ज पर 78 पैसे, ये आठ रुपये से ज्यादा आपकी एक यूनिट बिजली अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से स्वास्थ्य मंत्री जी, पैदा करते हो, तो उस पर लागत आती है और आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से जो बिजली मिल रही है वह 3.15 रुपये से 3.95 रुपये में तो यह कहां की समझदारी है कि हमें बाजार में 3.15 रुपये में बिजली मिल रही है पर हम अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट को चलाएंगे। उसका डिस्इन्वेस्टमेंट करें तो गलत फैसला है और हम आठ रुपये की बिजली खरीदेंगे। मैं समझता हूं कि आपने जो छबड़ा थर्मल की बात कही मंत्री महोदय, उसमें बड़े जोर-जोर से बात कर रहे थे। यह सही है कि छबड़ा थर्मल पावर में 250 मेगावाट की चार यूनिट चालू हैं, और 660 मेगावाट की 2 यूनिट अभी निर्माणाधीन हैं और इसके डिस्इन्वेस्टमेंट का फैसला 2014-15 में बजटीय घोषणा में किया गया था क्योंकि उस समय उत्पादन कंपनियां अस्सी हजार करोड़ रुपये के घाटे को पार कर रही थीं। सारी बैंकरप्ट हो गयी थीं। ऋण मिलना बंद हो गया था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने बिजली देनी बंद कर दी थी तब, माननीय मंत्री महोदय, 16.10.2015 को भारत सरकार के पूर्व ऊर्जा सचिव आर.वी. शाही की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनी। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया कंपनी को कंसलटैंट नियुक्त करके उससे अध्ययन कराया गया और उसके बाद चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड बोर्ड बना, उसने यह तय किया कि छबड़ा की दोनों यूनिट जो 939 करोड़ के घाटे में थी 31.3.2015 तक और जो निर्माणाधीन यूनिट थी जिसमें 920 करोड़ रुपये की राशि लगनी थी और उसमें भी 6336 करोड़ रुपये सरकार को ऋण लेना था। 584 करोड़ की उसकी शेयर कैपिटल थी। भारत सरकार का उपक्रम है एनटीपीसी। भारत सरकार के उपक्रम को डाइरेक्ट नेगोसिएशन रूट के साथ जब हमने इसको नेगोसिएशन के द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विनिवेश करने का जो फैसला किया था वह उसमें किया तो घाटे में चलते हुए इन सफेद हाथियों का अगर हम डिस्इन्वेस्टमेंट करें तो मैं समझता हूं और अब भारत सरकार का आपने बजट पढ़ा होगा, भारत सरकार 1 लाख 25 हजार करोड़ के अपने सार्वजनिक उपक्रम का डिस्इन्वेस्टमेंट करने जा रही है।

सभापति महोदय, इसी तरह यह कालीसिंध है, कालीसिंध 2010 में दो इकाइयों की जो स्वीकृति जारी हुई थी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इसका भी एक वर्ष का घाटा 574 करोड़ था और यह घाटा लगातार बढ़ रहा था, इन सारे घाटों को देखते हुए सरकार ने नीतिगत फैसला लिया और यह गलत फैसला भी नहीं है जब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से 3.15 रुपये में बिजली मिल रही है तो आठ रुपये की बिजली उत्पादन करने वाले इन सफेद हाथियों को हम क्यों पालें, सवाल इस बात का था।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो इसी सरकार ने पढ़वाया, उसके पैरा-39 की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें इन्होंने कहा कि राजस्थान विद्युत वितरण निगमों का कुल संचयी घाटा 77,453 करोड़ का 2013-14 में था जो 2017-18 में बढ़कर 92,460 करोड़ हो गया। निश्चित तौर पर हो गया। इन कंपनियों की हालत खराब हो गई और इन्हीं कंपनियों को संजीवनी बूटी देने के लिए जब विगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 में उदय योजना से जो यह टेक ओवर किया इनका 60 हजार करोड़ का ऋण और इन्हें 60 हजार करोड़ रुपये तो 2018-19 तक और 2019-20 में 14,721 करोड़ का प्रावधान किया। उसका परिणाम क्या रहा, अब सीएजी रिपोर्ट की जो पुस्तक आपने हमें दी है, वह रिपोर्ट यह कह रही है कि राजस्थान में 2013-14 में जो विद्युत कंपनी 12,678 करोड़ की हानि में थी, वह 2017-18 में 2,750 करोड़ के लाभ में आ गई। माननीय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इन विद्युत कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, उस काम के कारण आज ये विद्युत कंपनियां जिन्दा हैं।

सभापति महोदय, अब एक-दो संशोधन ये और लेकर आये हैं। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में। इसकी धारा-3 में संशोधन लेकर आये हैं और इस संशोधन की पृष्ठभूमि तो तभी बन गई थी जब इन्होंने एक महीने पहले राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश दिये कि जिला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कलेक्टर डीएलसी की दरों को कम से कम 25 परसेंट और अधिक से अधिक 50 परसेंट बढ़ाएंगे। जन प्रतिनिधियों को धता बता कर इन्होंने जो कर्म किया, उस पृष्ठभूमि में यह संशोधन लेकर आये हैं। यह संशोधन क्या है सभापति महोदय, यह संशोधन यह है कि अब जो बैंक के अन्दर आप गारंटी के लिए बैंक लोन के लिए या दूसरे काम के लिए जो स्टाम्प लगाओगे उस स्टाम्प में जो इन्होंने रेट बढ़ाये हैं ये हैं स्टाम्प शुल्क में 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत। यह राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद-25 के खण्ड-घ, अनुच्छेद-6 के खण्ड-क में संशोधन किया है। यह अगर आप देखें यह बढ़ोतरी सिर्फ 0.15 से 0.25 की नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने अधिकतम सीमा को बढ़ाया 5 लाख से 25 लाख, उसके पीछे कारण यही है कि ये अब प्रतिभूति के जो डाकूमेंट तैयार होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब वह जाएगा तो उस पर डीएलसी लगेगी बढ़ी हुई दर। एक तरह से राजस्थान में एक तरफ कह रहे हो कि एमएसएमई के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो और दूसरी तरफ यह दर बढ़ाकर आप राजस्थान के उद्योग-धंधों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हो। यह एक तरह से राजस्थान के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हो।

सभापति महोदय, अब एक संशोधन और लेकर आये हैं। राजस्थान मोटरयान अधिनियम, 1951 की धारा 4 में संशोधन लेकर आये हैं उसमें 4 के क, ख, ग में संशोधन लेकर आये हैं। वाहन करों की दरों में यातायात मंत्री जी, इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, आप लंबी-चौड़ी बात करते हो कि हम राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता एवं सुलभ दिलाना चाहते हैं। आपको याद होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं पहले स्टेज कैरिज में चैसिस के आधार पर 0.49 परसेंट के आधार पर आप इनसे एसआरटी विशेष पथकर लिया करते थे और 1250 रुपये इसमें फिक्स रोड टैक्स हुआ करता था। अब आपने इस प्रक्रिया को बदल दिया। अब आपने प्रति सीट 300 रुपये लेना चालू कर दिये। इसका परिणाम क्या हुआ सभापति महोदय, और उसमें सरचार्ज भी 6.25 रुपये और बढ़ा दिया जो पहले एक वाहन पर 11,761 रुपये टैक्स लगा करता था अब वह 17,000 हो गया और इसी तरह लोक वाहन पर जो पहले एसआरटी 30,000 तय था उसमें रोड टैक्स भी 1250 रुपये तय था वह बढ़ कर अब उसमें सरचार्ज मिलाकर 665 रुपये प्रति सीट आपने किया है। यह बढ़कर हो गया 37,000 जो पहले लगभग 32,000 था और इसके साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन्होंने एक काम और कर दिया। इन्होंने पहले धारा-4 डी में जिसको विलोपित किया है, कोई भी वाहन स्वामी अगर ईमानदारी से अपना पूरा टैक्स दे तो दिसम्बर के अन्दर उसकी जो एसआरटी थी उसमें 75 परसेंट की छूट मिलती थी। अब आपने वह भी वापस ले ली। इसी तरह मैं समझता हूं गुड टैक्सपेयर को इंसेंटिव से आपने वंचित करने का काम किया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट में तो आपने 17800 से बढ़ाकर 23725 जो बढ़ाया है, मैं समझता हूं यह बिलकुल इस तरह की बातें हैं, आज पहले ही राजस्थान में वाहन स्वामियों की कमर इसलिए टूट गई कि डीजल के दाम बढ़ गये और अब यह और टैक्स बढ़ाकर आपने राजस्थान की अवाम से जो सस्ता ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने का वादा किया था, उसके ठीक विपरीत काम आप कर रहे हो।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, सरकार आती है, सरकार जाती है, पर सरकार का अस्तित्व रहता है। सरकार के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। पर एक आदत पड़ गई है कि जब भी नई सरकार आएगी पुरानी सरकार पर दोषारोपण करेगी कि पुरानी सरकार ने राजस्थान को पीछे कर दिया, राजस्थान अंधेरे के गर्त में चला गया, राजस्थान के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक लगा हुआ है, राजस्थान में आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं। मैं समझता हूं इस बार मुख्य मंत्री जी ने जिस अंदाज में पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाये आर्थिक कुप्रबंधन से लेकर फिजूल खर्ची के, शायराना अंदाज में कई बातें उन्होंने कह डालीं और आंकड़ों की बाजीगरी करके यह दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान की बदहाल स्थिति के तारणहार के रूप में मैं ही हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की छींटाकशी से राजस्थान में औद्योगिक निवेश का वातावरण कभी नहीं बनेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी आपने हमें एक पुस्तक दी है, पुस्तक सीएजी की रिपोर्ट 2019, सभापति महोदय, उसमें आपने पहले पन्ने पर लिखा है 'dedicated to truth in public interest' रिपोर्ट से ज्यादा आथेंटिक डाकूमेंट कुछ नहीं हो सकता। मैं सदन का ध्यान उसके पृष्ठ 2 की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, पृष्ठ 2 में एक तालिका है जिसमें राज्य की जीडीपी पिछले चार वर्षों में कितनी बढ़ी और हिन्दुस्तान की जीडीपी के साथ उसकी तुलना की गई है। मैं सदन के सामने वह बात निवेदन करना चाहता हूं। 2013-14 में भारत की जीडीपी बढ़ी 13 परसेंट और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की जीडीपी थी 11.6 परसेंट, कम थी। 2014-15 में भारत की जीडीपी थी 10.8 परसेंट, राजस्थान की जीडीपी थी 11.7 परसेंट। 2015-16 में भारत की जीडीपी थी 10.6 परसेंट और राजस्थान की जीडीपी थी 11.1 परसेंट। 2016-17 में भारत की जीडीपी थी 10.8 परसेंट और राजस्थान की जीडीपी थी 11 परसेंट। इसी तरह से 2017-18 में भारत की जीडीपी थी 10.10 परसेंट और राजस्थान की 10.7 परसेंट। यह सारे तुलनात्मक आंकड़े मैं घर से नहीं लाया हूं, यह सीएजी की रिपोर्ट जिसको मैंने कोट किया है, जिसको आपने कहा 'dedicated to truth in public interest' उसमें लिखी गई है। यह बता रहे हैं जीडीपी किसी भी प्रदेश की खुशहाली का प्रतीक है। यह बता रहे हैं कि पिछले कालखण्ड में राजस्थान ने निरंतर प्रगति की है।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सीएजी की रिपोर्ट 2019 के पृष्ठ 7 पर आकर्षित करना चाहूंगा। वित्तीय अनुशासन में बांधने के लिये उस सीएजी की रिपोर्ट में लिखा गया कि एफआरबीएम एक्ट की धारा 6 (ख) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को जीएसटी के 3 प्रतिशत करने के लिये और आगे अनुपात बनाये रखने की परिकल्पना की गई थी। अब इसके एक्चुअल फीगर आ गये। अब इसमें जो जीएसटी में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत है, उसके एक्चुअल फीगर आ गये और एक्चुअल फीगर क्या हैं, 2015 में था 3.37 परसेंट, 2015-16 में 3.15 परसेंट और 2017 में 3.0 परसेंट, यानी एफआरबीएम के दायरे में राजस्थान के वित्तीय अनुशासन को बांधा, उस वित्तीय अनुशासन की पूरी पूरी पालना विगत सरकार ने की। इसी सीएजी की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 7 के पैरा 3 में कहा गया है 2017-18 के कुल बकाया देयता जीएसटी के 35.5 परसेंट तक निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम एक्ट, 2005 की धारा 6 में संशोधन करके अप्रैल, 2016 में किया गया था, सीएजी की रिपोर्ट में एक्चुअल आय एवं व्यय कहते हैं कि 2017-18 के दौरान ऋण का जीएसटी का अनुपात 3.4 परसेंट था, यानी यह सारे आंकड़े यह बता रहे हैं कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने किस प्रकार इस काम को किया।

मैं निवेदन करूं, मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान पर 309385 करोड़ का कर्जा है। यह सारा दोष पूर्ववर्ती सरकार का है, यानी 52 वर्ष तक आपने राज किया, आपने तो कर्जा लिया ही नहीं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो एफआरबीएम एक्ट 2019-20 में आपने हमको दिया, उसके पृष्ठ 5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुल राजस्व टैक्स रेवेन्यू और नोन टैक्स रेवेन्यू जो इन्होंने कुल राजस्थान की दी है, वह है 73742 और राज्य के वेतन पेंशन में और लिये गये ऋण की अदायगी में खर्चा है 111486, यानी कुल मिलाकर 151 प्रतिशत ज्यादा पैसा तो वेतन, भत्ते, पेंशन और ब्याज की अदायगी में जा रहा है। आप बताओ आप ऋण नहीं लोगे तो विकास कैसे करोगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने बजट एट ए ग्लांस में कहा, 32 लाख 704 करोड़ के ऋण का प्रावधान आपने खुद ने ही कर लिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने ऋण लिया, हमने ऋण लेकर असेट्स बनाये। यह तालिका यह बात कहती है, मैं उस पर लंबा जाना नहीं चाहूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जयपुर में मैट्रो सेवा फेज एक बी इसी वित्तीय वर्ष में चालू कर देंगे और 13 हजार करोड़ की द्वितीय चरण की हम डीपीआर बनाएंगे, बहुत स्वागत है। मैंने सारे बजटीय प्रावधान खोज डाले, मुझे कहीं यह प्रावधान नहीं मिला कि किस प्रकार आगे के फेज में 13 हजार करोड़ की जो बात कर रहे हैं, सभापति महोदय, यह जो सीएजी की रिपोर्ट है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की रिपोर्ट ...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप यह गलत कह रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपये का जो इसका सैकण्ड फेज है, उसकी डीपीआर बनवाएंगे। डीपीआर बनने के बाद खर्चा आयेगा कि कितना खर्चा लगेगा और बजट अगले साल भी पेश होगा, उससे अगले साल भी पेश होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ठीक है, अच्छी बात है। मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सीएजी की रिपोर्ट आपने पेश की है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में, इसके पृष्ठ संख्या 183 में आप देख लो, आपने एक तालिका दी है। वह तालिका यह कहती है 2017-18 में मैट्रो का कुल संचित घाटा 180 करोड़ हो गया और अकेले 2017-18 का घाटा 45 करोड़ 49 लाख है। अब आप दूसरा चरण प्रारम्भ कर रहे हो, कम से कम इसका आकलन तो करो कि यह जो प्रथम चरण में मैट्रो चल रही है इसमें यात्री भार कितना है, मैट्रो वायबल क्यों नहीं है? इस सफेद हाथी को कब तक आप पैसा देते रहोगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कौनसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वायबल होती है? यह एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि घाटा खाकर भी उसको कराए। क्या आपने रोडवेज बंद कर दी थी क्या? वह भी घाटे में थी उस वक्त। यह तो सरकार की नीयत है। कौनसी ट्रांसपोर्ट है? आप पूरे हिन्दुस्तान की किसी भी ट्रांसपोर्ट को उठाकर देख लो, चाहे मैट्रो हो, चाहे रोडवेज हो और चाहे कोई भी हो, वह वायबल है क्या, वह प्रोफिटेबल है क्या, आप एक मुझे बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने इसलिए बात की कि सरकार को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिये कि आज जो मैट्रो चल रही है, जिस मैट्रो के जनक भी मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने ऐसा रूट बनाया है, आज वह मैट्रो खाली क्यों चल रही है, आज मैट्रो पर यात्री भार पूरा क्यों नहीं है? उसकी कमी खामी को पूरा करके आप दूसरे चरण में जा रहे हो, कम से कम उसके दुरुस्तीकरण की बात तो करो।

यातायात मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी मैं बड़ी कद्र भी करता हूं, आप बड़े दबंग भी हो, पर बाजुओं के आधार पर सरकारें नहीं चलतीं, दिमाग के आधार पर सरकारें चलती हैं। आपने यहां घोषणा कर दी ...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप कहना क्या चाहते हो, मतलब दिमाग नहीं है? हद कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने यहां घोषणा कर दी कि आप सब ग्राम पंचायतों को रोडवेज से जोड़कर उनको सारी सुविधा देंगे। आपने कभी देखा कि आपकी रोडवेज की सेहत क्या है। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसके पृष्ठ 125, कालम 5 पर 31 मार्च, 2018 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का घाटा है 4639 करोड़ रुपये। आपकी जो 2738 करोड़ रुपये नियोजित पूंजी थी, वह पूरी साफ हो गई, नेगेटिव हो गई। आज आप यह बताओ कि रोडवेज के कर्मियों को वेतन भत्ता, पेंशन दे नहीं सकते। उनके मेडिकल बिल आप पास करा नहीं सकते। आप किस प्रकार यह बेड़ा बढ़ाओगे, किस प्रकार नई बसें लाएंगे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट आप इजाजत दोगे ...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): कोई नहीं, सभापति महोदय, यह लिखा हुआ है सभा में या तो प्रवेश न किया जाये, यदि प्रवेश किया जाये तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाये। मैं राठौड़ साहब की बहुत कद्र करता हूं। इनको यह भी बताना चाहिये कि पांच साल में जो आपने धार्मिक कार्य किये, उन धार्मिक कार्यों का ही परिणाम है कि रोडवेज के टायर ले गये, लोहा ले गये, रोडवेज को बर्बाद कर दिया। हजारों करोड़ रुपये का घाटा रोडवेज को आपने दिया। रोडवेज के कर्मचारी को बर्बाद करने का संकल्प आपने लिया। तनख्वाहें नहीं मिलती थीं, टाइम पर तनख्वाह मिलने लगी। भत्ता मिलने लगा। आज कह रहा हूं कि रोडवेज से जो वादे किये हैं, वे पूरा करेंगे। ग्रामीण सेवा भी चलाएंगे। राजस्थान के हर गांव को ग्रामीण परिवहन सेवा से जोड़ेंगे। लोक परिवहन सेवा का सच है। हमने आते ही लोक परिवहन सेवा बंद की, क्योंकि हम रोडवेज को जिंदा रखना चाहते हैं। आप इतने सीनियर आदमी हैं, सच भी बोला करो। आपने तो पांच साल बर्बाद करने में लगाये हैं। हमने तो छह महीने में तीन महीने काम किया, उन तीन महीनों में भी रोडवेज के कर्मचारी भरोसा करके बैठे हैं। आप चिंता मत करो, राजस्थान में जो वादे किये, वे सारे वादे पूरे करेंगे।

श्री सभापति: मंत्री जी, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने इसलिए ही बात चलायी है। हमने कर्म किया, कुकर्म किया, क्या किया, क्या नहीं किया? इसका परिणाम है कि हम इधर बैठे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने जो बाजू की बात की है। माननीय सभापति महोदय यह तो हटाइये। यहां बाजुओं का क्या काम है?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने यह बात इसीलिए कही है कि हमने कर्म किया, क्या किया, हम इधर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी निगाह सिविल लाइन के फाटक पर नहीं, रोडवेज के मुख्यालय पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप इस घाटे के हाथी से यह किस प्रकार करेंगे, मुझे बताएं।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह सदन चला है, किसान के कर्जे की बात यहां किसी न किसी रूप से होती रही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। 24 जुलाई को सहकारिता मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य भी यहां दे डाला। उससे एक बात तो साफ हो गयी, जो कामर्शियल बैंक से, शिड्यूल्ड बैंक से जिन 17 लाख किसानों ने कर्जा लिया, वह कर्जा तो आप माफ नहीं करोगे। आप केन्द्रीय सरकार से संवाद कर रहे हो। भगवान करे, आपका संवाद सफल हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात जो नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर उठायी है, मैंने उस पर प्रिविलेज मोशन भी मूव किया। जब नेता प्रतिपक्ष ने 31 जुलाई को यह कहा कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में जो बीमित किसान हैं, यह उनके लिये अंतिम तारीख है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि रिकार्ड में चली जाए। 48 घंटे में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल बंद हो जाएगा। एक बात जो मंत्री महोदय ने कही, यह कहा, सभापति महोदय, जिस समय मुझे वक्तव्य देना था, उसमें प्रतिपक्ष के बहिर्गमन से बात पूरी नहीं हुई। प्रधान मंत्री फसल योजना का पोर्टल अभी तक भारत सरकार ने चालू नहीं किया। जैसे ही वह पोर्टल चालू होगा, हम इसी साल, जितने भी किसानों ने खरीफ की फसल का 2019 के लिये अल्पकालीन फसली ऋण लिया है, उनका पंजीयन करा लेंगे। इन सब फसलों का बीमा 29 जुलाई से पहले करा देंगे। यानी 29 जुलाई को मैं अपनी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने इसके लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया। भारत सरकार में जाइंट डायरेक्टर श्री अतुल कुमार मुठानी, जो इसे देखते हैं, उन्होंने लिखकर दिया है, वह मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि रिकार्ड पर आ जाए। उन्होंने लिखकर दिया "there is no date for portal opening for digitization of notification by the state government/s. As soon as the state government/s issue notification for a particular season, the state/s is required to digitize the notification on the portal." यह स्टेट गवर्नमेंट को करना है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): "once the digitization process is completed, the process of enrolments of farmer/s gets automated. अपने आप चालू हो जाएगा, and this portal will shutdown automatically for enrolments on the cut of date" मतलब यह अपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बंद हो जाएगा "the enrolment has started on dated 20th May, 2019" मतलब 2019 की 12 मई से पोर्टल खुला हुआ है एनरोलमेंट चालू है, and the number of applications of farmer/s received, 98,11,629 excluding Gujarat and Karnataka, as they have their own portals." यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभापति महोदय, यह पहली बार होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आंकड़ा भी देना चाहता हूं। इसी जुलाई महीने में, पिछली जुलाई में खरीफ की फसल में 29 लाख 55 हजार किसान बीमित हुए थे और उनको 2200 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था। आप यह किसानों के साथ अन्याय करने की ओर बढ़ रहे हो। सभापति महोदय, इन्होंने जो एप्रोप्रिएशन बिल रखा है, उसके लिए दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: आपका समय पूरा हो रहा है, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक, 2019 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप न बोलें प्लीज, आपके सदस्य का ही समय खराब होगा। राठौड़ साहब बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं बहुत सीधा-सादा आदमी हूं। जब इधर से आवाज उठती है तो मैं घबरा भी जाता हूं। मुझे आप संरक्षित करो, तो ही मैं बोल पाऊंगा।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आर्टीकल 204 (1) के प्रावधानों के अनुसार सदन के सामने जो राजस्थान विनियोग विधेयक, 2019 विचारार्थ है, इसका मूल कारण क्या है? सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेवारी है कि 2019-20 की सरकार विभिन्न विभागों की मांगों की संरचनाओं के अनुसार कंसोलिडेटेड फंड से 2 लाख 39 हजार 959 करोड़ एवं 66 लाख रुपये लेने के लिये आज ये अधिकार ले रहे हैं। लेना भी चाहिए। सरकार का टैक्स रेवन्यू है, नोन टैक्स रेवन्यू है। सरकार का सेंटर टैक्स डिवोल्यूशन है। सरकार के पास सेंट्रल टैक्सेज में शेयर है, ग्रांट्स है, सरकार का ऋण है। इसको आप किस प्रकार अलग-अलग मांगों में विभाजित करोगे, यह अधिकार आज इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से सरकार ले रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर मुख्य मंत्री जी से लेकर सारे लोग कहते हैं कि सरकार के इस खजाने के आप ट्रस्टी हो। हर चुनी हुई सरकार ट्रस्टी रहती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं आपका ध्यान राजस्थान विनियोग विधेयक के पृष्ठ 1 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें कंसोलिडेटेड फंड से मात्र ब्याज की अदायगी। इस फंड से आप कितना ब्याज अदा करोगे? इसका हैड 2049, इस हैड में क्या लिखा है? बजट हैड 2049 है, इस वित्तीय वर्ष में आप 23132 करोड़ रुपये की ब्याज की अदायगी करोगे। इतना तो ब्याज देना पड़ेगा। आप जो ऋण ले रहे हो। बजट हैड 6003 में राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 19181 करोड़ रुपये है। बजट हैड 6004 में जो केन्द्र सरकार से आप कर्ज अग्रिम ले रहे हैं, वह 862 करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर 20043 करोड़ रुपये तो आप ऋण ले रहे हो और ब्याज में अदायगी आप 23132 करोड़ रुपये की करोगे, यानी आप जितना कर्जा ले रहे हो, उससे ज्यादा, उसमें 3079 करोड़ रुपये और मिलाकर आपको देने पड़ेंगे। ये कहां से आएंगे? आप जब सप्लीमेंट्री डिमांड में जब आओगे, तो आप जो आंकड़ा आज दे रहे हो, यह 40 हजार करोड़ को पार करेगा।

मैं आपका ध्यान राजस्थान विनियोग विधेयक, 2019 के पृष्ठ- 6 मांग संख्या 16, पुलिस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें 2019-20 के लिये आप 6245 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर ले रहे हैं, इसमें वेतन भत्ते और प्रशासनिक व्यय पूरे पुलिस के बेड़े के। आप कैपिटल एक्सपेंडीचर, आप पुलिस के लिए आधुनिक हथियार खरीदेंगे, पुलिस के लिये आधुनिक वाहन खरीदेंगे। आज साइबर क्राइम की बाढ़ आयी हुई है, उसके लिये सिर्फ 174 करोड़ रुपये।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो चीजें रह गयीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपराध और अपराधियों के बढ़ते ग्राफ पर कंट्रोल कैसे करेंगे?

मैं तीसरा निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो बजट हैड है शिक्षा, खेलकूद और संस्कृति। इसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में 31815 करोड़ रुपये लिया है और इसमें कैपिटल एक्सपेंडीचर में 539 करोड़ रुपये लिये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट भाषण में आपने 14 हजार कमरे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण के लिये आपने 1581 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ये 1581 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? जब आप कैपिटल हैड में 539 करोड़ रुपये ले रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि ये जो बिल लेकर आये हैं, वे बिल राजस्थान को अंधेरे में ले जाने वाले हैं। आपने जन घोषणा-पत्र में घोषणाओं का अंबार कर डाला। आपके वित्तीय प्रावधान नगण्य हैं।

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब समाप्त करें। संयम लोढ़ा जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे सकते है। संविदाकर्मी बाहर खड़े हैं और नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों बिल सरकार लेकर आयी है। ये बिल असत्य आंकड़ों का पुलिंदा है। राजस्थान के भविष्य और राजस्थान के विकास के मार्ग को रोकने वाला है। इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): ये कितने सीनियर विधायक हैं। पैट्रोल और डीजल के लिये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि पांच वर्षों में जितनी कीमत बढ़ी है, केन्द्र में बीजेपी की सरकार ने बढ़ायी। उन्होंने पैट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी। पैट्रोल-डीजल की रेट बढ़ाने के लिये केन्द्र में बीजेपी सरकार जिम्मेदार है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): एक्साइज ड्यूटी तो बीजेपी सरकार ने बढ़ायी है, उसी के कारण पैट्रोल-डीजल महंगा है। ये जब पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा था तो मोदी जी की सरकार महंगा कर रही थी।

श्री सभापति: माननीय सीएम साहब अपने रिप्लाई में देंगे। आप विराजें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पैट्रोल-डीजल की रेट बढ़ने के लिये केन्द्र में मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरी तरफ इशारा करके कहा है। अभी इन्होंने आंख निकालकर बात की है। जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है।

श्री सभापति: संयम लोढ़ा जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं जवाब दूं, सभापति महोदय?

श्री सभापति: आप विराजिए।

सूचना

पीलीबंगा के अस्पताल में नवजात की मृत्यु

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। पीलीबंगा हास्पिटल के अंदर नवजात की मृत्यु हो गई। डाक्टर्स ने संभाला नहीं। पीलीबंगा हास्पिटल में नवजात की मृत्यु हो गई, मैं वह बात उठा रहा हूं।

श्री सभापति: आप बैठिए। ठीक है, अब आप विराजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): बड़े शर्म की बात है। लोग धरने पर बैठे हैं। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा हास्पिटल के अंदर नवजात की मृत्यु हो गई। डाक्टर्स ने अभद्र व्यवहार किया।

श्री सभापति: बैठिए आप। समय आपका कटेगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): नहीं कटेगा साहब। मैं विधान सभा के अंदर मूल समस्या की बात करना चाहता हूं। डाक्टरों की गलती के कारण नवजात की मृत्यु हो गई। लोग धरने पर बैठ गए।

श्री सभापति: कटारिया जी, समय आपका कटेगा। संयम लोढ़ा जी।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2019

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया। नागरिक सुबह चाय पीता है तो हमें टैक्स देता है। दिन में दाल खाता है तो हमें टैक्स देता है। कपड़े पहनता है तो हमें टैक्स देता है। रात को सोते वक्त बिजली जलाता है तो हमें टैक्स देता है। सुबह से लेकर उसका पूरा दिन सरकार को टैक्स देने में जाता है। चाहे वह सरकार स्टेट की हो या सेन्ट्रल की हो। इस नाते नागरिक को इस बात का पूरा अधिकार है कि उसको चलने के लिए ठीक सड़क मिले। उसके परिवार के लोगों का इलाज कराना हो तो उसको अच्छा अस्पताल मिले। उसके घर में कोई नया सदस्य आने वाला हो तो उसकी पत्नी की डिलीवरी अच्छे वातावरण में हो। सारी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने का उसको अधिकार है। रात को एक बजे भी अगर उसकी बच्ची कहीं से निकली है तो वह एक सुरक्षित वातावरण में घर पर पहुंचे ऐसा उसको वातावरण मिले। इन सब बातों को, इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने का नागरिक को अधिकार है। यह कोई दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है। हम सब लोगों का दायित्व है कि हम हमारे नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अभी अशोक गहलोत साहब की 2008 से 2013 की सरकार को लेकर कई तरह की

(श्री संयम लोढ़ा)

टिप्पणियां हुई कि पता नहीं उस सरकार ने राजस्थान का क्या कर दिया? मैं आपको निवेदन करूंगा, "there was a very strong performance in revenue realization. The revenue income has increased from Rs. 35,385 crore (2009-10) to Rs. 74,470 crore (2013-14). There's 218 percent of increase in 2013-14 in comparison to 2009-10, increased in revenue watch because of the better tax-administration, plugging of leakage, simplifications of procedures and use of I.T (Information Technology)." मुझे कहने की जरूरत नहीं है राजस्थान सरकार के आंकड़े अपने आप में गवाह हैं कि अशोक गहलोत साहब ने 2008 से 2013 के बीच में किस उच्च स्तर का प्रशासन राजस्थान की जनता को दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर और रेवेन्यू इनकम जीएसडीपी में तुलनात्मक प्रतिशत क्या रहा, कमी या वृद्धि का, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 2010-11 में 0.62 परसेन्ट बढ़ा, 2011-12 में 0.36 परसेन्ट बढ़ा और 2012-13 में 1.31 परसेन्ट बढ़ा। लेकिन हमें खुशी होनी चाहिए कि रेवेन्यू इनकम 2010-11 में 1.92 परसेन्ट बढ़ी, 2011-12 में 1.36 परसेन्ट बढ़ी और 2012-13 में 1.88 परसेन्ट बढ़ी। आप स्वयं जानते हैं कि यह सारी उपलब्धियां तभी प्राप्त करना सम्भव है जब चारों तरफ आपकी नजर हो, चारों तरफ आपका नियंत्रण हो, चारों तरफ आप ध्यान रख रहे हों कि स्टेट का रेवेन्यू कैसे बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक फीगर और सुनाना चाहूंगा "there was also a phenomenal growth in GSDP which has increased from Rs. 2,30,949 crore (2008-09) to Rs. 4,78,160 crore (2012-13) and there's a increase of 207 percent." यह बताता है कि प्रदेश का किस तरीके से आर्थिक विकास करने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पब्लिक मेन्डेट उस सरकार को नहीं मिला, लेकिन मैं गहलोत साहब के 2013-14 के बजट का जरूर एक अंश यहां पर पढ़ना चाहूंगा। 2013-14 के बिंदु संख्या 216 में उन्होंने लिखा है कि राज्य के बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व उदयपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सीवरेज के कार्य पूरे हो चुके हैं एवं 32 शहरों में सीवरेज व एसटीपी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-

(श्री संयम लोढ़ा)

14 में आबूरोड़, अलवर, ब्यावर, बहरोड़, भादरा, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपूतली, कुचामन सिटी, लक्ष्मणगढ़, मेड़ता सिटी, नवलगढ़, निम्बाहेड़ा, चिड़ावा, फलौदी, रामगंज मण्डी, संगरिया, शाहपुरा, शिवगंज कुछ और कस्बों के नाम हैं। मैं पूरे स्टेट का तो नहीं जानता, पर मैं पूछ सकता हूं कि मेरे जिले के दो टाउन के नाम शिवगंज और आबू रोड के नाम इस 2013-14 के बजट में थे। पांच साल आपकी सरकार रही। आपकी ही पार्टी के विधायक जीते हुए थे, तीनों जगह से। आपकी ही पार्टी के मंत्री थे। क्यों ध्यान नहीं आया पांच साल कि इस काम को करते?

माननीय सभापति महोदय, 2013 में सुराज संकल्प यात्रा निकली। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस विरोधी हवा में या तथाकथित नरेन्द्र मोदी की लहर में राजस्थान में राज बदल दिया। 2014 के अंदर, 14 जुलाई, 2014 को तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बजट भाषण पढ़ा है, मैं उसका कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं। बिंदु संख्या 10 पर माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी कहती हैं कि इस विकट, मैंने बता दिया आपको कि फाइनेंशियल कंडीशन अशोक गहलोत कैसी छोड़कर गए थे, और पहले बजट में क्या कह रहीं है कि इस विकट वित्तीय स्थिति से उबरने की कुशलता और काबिलियत दोनों मेरी सरकार और मेरी पार्टी में है। इस संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति के बावजूद समृद्ध और विकसित राजस्थान तथा ''सब जन विकास और सब जन उत्थान'' मेरी सरकार के मूल मंत्र होंगे। मेरी सरकार का संकल्प है कि हमें वर्ष 2020 तक राजस्थान को एक शक्तिशाली, विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें राज्य की आर्थिक विकास दर को 12 प्रतिशत व प्रति व्यक्ति आय को 10 प्रतिशत बढ़ाना होगा। बढ़ा दी दस परसेन्ट प्रति व्यक्ति आय?

माननीय सभापति महोदय, आर्थिक विकास दर का मैं आपको फीगर बताऊं 2014-15- 7.26 परसेन्ट, 2015-16- 8.02 परसेन्ट, 2016-17-5.64 परसेन्ट, 2017-18- 6.36 परसेन्ट और 2018-19- 7.33 परसेन्ट। कहां रह गई वह 12 परसेन्ट की आर्थिक विकास दर और प्रति व्यक्ति आय? मैं निवेदन करूं अगर स्थिर कीमत पर देखें तो जो प्रति वर्ष 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय 1 लाख 3 हजार 925 होनी चाहिए, वह रह गई 78 हजार 785 और प्रचलित मूल्य के आधार पर जो 10 फीसदी बढ़ोतरी अगर हम पांच साल की गिनते हैं तो 1 लाख 23 हजार

(श्री संयम लोढ़ा)

84 रुपये होनी चाहिए, वह रह गई 1 लाख 09 हजार 105 रुपये। बदल दिया राजस्थान? ले आए सुराज?

(13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजकोषीय घाटा, यह क्या कहते हैं, वर्ष 2014-15 के मूल अनुमानों में 16354 करोड़ 76 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था। अब परिवर्तित बजट अनुमान के अनुसार पहले ही साल में, परिवर्तित बजट अनुमान के अनुसार यह बढ़कर 20185 करोड़, 90 लाख अनुमानित है जो कि जीएसडीपी का 3.52 परसेंट है। पहले ही साल में आपने वित्तीय अनुशासन उल्लंघन के रास्ते खोल दिए। कहां रह गया एफआरबीएम एक्ट, कहां रह गई उस वित्तीय अनुशासन की पालना? यह पहले साल से ही शुरू कर दिया।

आप खाद्यान्न उत्पादन ले लीजिए। 2017-18 में 221.30 लाख टन था। 2018-19 में 218.29 लाख टन हो गया, मतलब 1.36 परसेंट कम। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर से डवलपमेंट एक्सपेंडीचर का परसेंटेज 2015-16 में 70.81 रहा और 2018-19 में 68.20 रहा, मतलब, आप पैसा कहां खर्च कर रहे हो? आपके डवलपमेंट का एक्सपेंडीचर तो नीचे गया। अब इस सरकार ने 2019-20 में वापस बढ़ाकर 70.14 डवलपमेंट पर खर्च करना तय किया है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सेवाओं पर जो खर्चा हुआ है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडीचर से कितना परसेंटेज है, 2017-18 में 36.38 परसेंट है, सोशल सर्विस पर, 2018-19 में 39.45 परसेंट। इस सरकार ने बढ़ाकर 39.51 परसेंट किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़े कह रहे हैं।

भारत का नीति आयोग है, देश के 21 राज्यों का उन्होंने पूरा आकलन किया है। हमको कहां पर रखा? मैं नहीं कह रहा हूं, देश में प्रधान मंत्री द्वारा गठित नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य भारत सूची 2018 एसडीजी जिसको सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने इसको जारी किया है। हम कहां हैं? इसके 62 प्राथमिक संकेतक हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, हम तीसरी श्रेणी में खड़े हैं। हमसे बेहतर हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ है, छोटा-सा

(श्री संयम लोढ़ा)

पांडिचेरी जैसा स्टेट भी हम से बेहतर है। हमसे बुरी स्थिति खाली तीन स्टेट की है असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। यह नीति आयोग ने स्टेटमेंट रिलीज किया है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अंदर इनका कामकाज कैसा रहा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, भारत के महालेखाकार ने पूरे राजस्थान सरकार के काम काज की जांच करके इस सदन में तीन दिन पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें फोरेस्ट को लेकर क्या कहा, मैं कुछ टिप्पणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश। फोरेस्ट पर सुनिए। आकल के पास जीवाश्म पार्क में मौजूद जीवाश्म को संरक्षित करने एवं इन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने तथा वुड फासिल्स पार्क में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ 90 लाख रुपये व्यय करने का निर्णय लिया। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए 5 करोड़ प्रस्तावित था। इन्होंने किया क्या, महालेखाकार कहते हैं कि वर्ष 2017-18 में 5 करोड़ बजट घोषणा प्रावधान के समक्ष 20 लाख रुपये आबंटित किए। मात्र 20 लाख रुपये जिसके विरुद्ध केवल 13 हजार रुपये खर्च किए। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त महालेखाकार कह रहे हैं। विभाग ने सूचित किया कि विस्तृत परियोजना की समीक्षा की गई तथा तकनीकी रूप से ठीक नहीं पाई गई और मौजूदा सलाहकार की सेवाएं रद्द की गई। यह इनकी मोनिटरिंग है, यह इनका सरकार चलाने का तरीका है?

माननीय सभापति महोदय, अब मैं माइंस डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूं। बजट में इन्होंने क्या घोषणा की, खनन प्रभावित क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधि पर 500 करोड़ का व्यय किया जाएगा। इन कल्याणकारी गतिविधियों में पेयजल परियोजना, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के कल्याण, कौशल विकास, सड़क निर्माण, नवीनीकरण, ऊर्जा, सिचाई एवं जल संरक्षण शामिल है। किया क्या, महालेखाकार कहते हैं वर्ष 2017-18 तक 500 करोड़ में से मात्र 119.18 करोड़ रुपये खर्च किए। खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण का वादा पूरा नहीं किया गया। 500 करोड़ में से आप 24 परसेंट पैसा खर्च कर रहे हो। जो पैसा उपलब्ध है उसको आप खर्च नहीं कर पाए। कहां बिजी थे, कौनसी गतिविधियों में बिजी थे? पता लगाना पड़ेगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास में क्या बजट घोषणा थी! राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाएं जैसे मेज़, कुर्सी, ग्रीन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। किया क्या, महालेखाकर क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं पर 40 करोड़ बजट प्रावधान के समक्ष केवल 13 करोड़ 4 हजार की राशि व्यय की गई। नारी शक्ति, महिला मुख्य मंत्री, महिला वित्त मंत्री, पैसे का प्रावधान, फिर भी खर्चा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह 2016-17 का एक और सुनाता हूं। वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों पर आगामी तीन वर्षों में 75 करोड़ रुपये व्यय किए जाने थे। वर्ष 2016-17 में 20 करोड़ के कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2017-18 के लिए 30 करोड़ प्रस्तावित किए गए, यह बजट घोषणा है। महालेखाकार का कहना है, वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। विभाग ने बताया कि 2265 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लक्ष्य के समक्ष केवल 292 केन्द्रों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मार्च, 2018 तक जारी की गई तथा शेष केन्द्रों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। सभापति महोदय, हाल देखिए।

सभापति महोदय, कालेज एजुकेशन के बारे में मैं आपको निवेदन करूं, इनकी क्या बजट घोषणा थी। वर्ष 2014-15 बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान 8 महाविद्यालयों के लिए 48 करोड़ की लागत से नये भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया। राजकीय कला महाविद्यालय दौसा, सीकर, कोटा, चिमनपुरा। वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, अलवर। कला महाविद्यालय कोटा। वाणिज्य महाविद्यालय कोटा। इन्होंने क्या किया, महालेखाकार क्या कहते हैं, वर्ष 2017-18 के दौरान 48 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के समक्ष केवल 3 करोड़ राशि खर्च की गई।

इसी तरह एक और आक्षेप हायर एजुकेशन के बारे में महालेखाकार ने किया है। इनकी सात संभागीय बजट घोषणा थी। सात संभागीय मुखयालयों के चयनित महाविद्यालयों में ढाई करोड़ की लागत से स्मार्ट साइंस लैब स्थापित किए जाने थे। इन लैब की मुख्य विशेषताएं थीं, थ्री डी एनीमेटेड माड्यूल,

(श्री संयम लोढ़ा)

आभासी वास्तविकता, वीडियो आदि थी। महालेखाकार क्या कहते हैं, वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया। विभाग ने सूचित किया कि स्वीकृत राशि 3.37 करोड़ हस्तांतरित की गई है और प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल एजुकेशन, क्या घोषणा थी। चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर के आईसीयू में स्थापित कैथ लैब की समयावधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए 10 करोड़ की लागत से कैथ लैब मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। महालेखाकार क्या कहते हैं, वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। नई मशीन की खरीद के लिए अब प्रक्रिया शुरू करेंगे।

इसी तरीके से कोटा के मेडिकल कालेज के लिये भी 29039 लाख रुपये की बजट घोषणा की गई, लेकिन 2017-18 में कोई व्यय नहीं किया गया, तो माननीय सभापति महोदय, जितनी बढ़-चढ़ करके अपनी सरकार के बारे में उपलब्धियां बता रहे थे, मुझे खुद कहने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार का डाकूमेंट अपने-आप में इनके कामकाज की तस्वीर बता रहा है।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा पर हमारा खर्चा है, 2017-18 में जनरल एजुकेशन पर 26806 करोड़ रुपये, जिसको अभी अशोक गहलोत साहब की सरकार ने बढ़ाकर 39520 करोड़ रुपये किया, टेक्निकल एजुकेशन पर 2017-18 में जो 169 करोड़ था, अभी बढ़ाकर उसको 223 करोड़ किया। स्पोर्ट्स पर 2017-18 में 108 करोड़ था, इसको बढ़ाकर 123 करोड़ किया। आर्ट एण्ड कल्चर पर 102 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर 148 करोड़ किया। लेकिन चिंता का विषय यह नहीं है, माननीय सभापतिजी, चिंता का विषय है, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर। आप देखेंगे कि शिक्षा पर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 2017-18 में 26668 करोड़ रुपये हुआ और कैपिटल एक्सपेंडीचर 515 करोड़ रुपये हुआ। 26668 करोड़ रुपये रेवेन्यू एक्सपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर 515 करोड़ रुपये। अब आप बताइये, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कौनसा विकास किया है। 98 percent of the total budgeted expenditure on education for the year was revenue expenditure. आपका सारा खर्चा एजुकेशन डिपार्टमेंट का तनख्वाह पर, पेंशन पर, इन सब पर जा रहा है। हमारे बच्चों के लिये बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, स्कूलों का हाल बेहतर करने में हम लोग कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं, वह हमारे समझने की जरूरत है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, छोटे-छोटे स्टेट्स, आप आज तुलना करेंगे, हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं हमसे बहुत बेहतर शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। सिक्किम, मिजोरम हमसे बहुत आगे हैं।

आप हैल्थ का लीजिये। हैल्थ में 2017-18 में 7355 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अभी 9856 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडीचर क्या है। माननीय सभापति महोदय, 94 percent of the total budget is revenue expenditure. सारा पैसा कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, इन सब पर जा रहा है। अगर हैल्थ के अन्दर भी हम प्रति व्यक्ति खर्चे को देखेंगे तो छोटे-छोटे स्टेट्स हमारी तुलना में बहुत आगे हैं। मैं ज्यादा बढ़ा उदाहरण नहीं दूंगा लेकिन आसपास के चार राज्यों का आपको उदाहरण देता हूं कि वह अपने बजट का कितना परसेंट पैसा एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, कितना हैल्थ पर कर रहे हैं।

राजस्थान का टोटल एक्सपेंडीचर एजुकेशन पर 40014 करोड़ है, जो 19 परसेंट है। मध्य प्रदेश का 32046 करोड़, जो 15.8 परसेंट है। गुजरात का 26518 करोड़, जो 14.4 परसेंट है। महाराष्ट्र का 71307 करोड़ है, जो 18.9 परसेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा स्टेट, हम जिन स्टेट्स से पीछे रह रहे हैं, उनकी तुलना में आगे बढ़े।

मेडिकल के अन्दर भी राजस्थान का कुल खर्चा 13039 करोड़ है। मध्य प्रदेश का 10499 करोड़ है। गुजरात का 10754 करोड़ है। महाराष्ट्र का 15919 करोड़ है लेकिन इन आसपास के राज्यों से, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रोविजन किया है, वह बैटर है। एजुकेशन में भी हम इन राज्यों से बैटर हैं, मेडिकल में भी हम इन राज्यों से बैटर हैं। राजस्थान का शेयर 6.2 परसेंट है। मध्य प्रदेश 4.9 परसेंट, गुजरात 5.8 परसेंट और महाराष्ट्र 4.2 परसेंट है। माननीय सभापति महोदय, जो अनेक कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शामिल की हैं, उसी का नतीजा है कि जो आल इंडिया के स्टेट्स का एवरेज मेडिकल में है, 5.2 परसेंट, उससे हम आगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर भी आपको निवेदन करना चाहूंगा। जो एजुकेशन पर प्रति व्यक्ति है, वह राजस्थान में 6018 रुपये हम प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हम से बहुत पीछे है 4989 रुपये खर्च कर रहा है। गुजरात हमसे आगे है,

(श्री संयम लोढ़ा)

वह 6715 रुपये खर्च कर रहा है। महाराष्ट्र हमसे आगे है, वह 8752 रुपये खर्च कर रहा है। जो आल इंडिया का एवरेज स्टेट्स का है, हम उसकी तुलना में पीछे हैं। 6471 रुपये का आल इंडिया का एजुकेशन पर स्टेट्स का एवरेज प्रति व्यक्ति खर्चे का है।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल के अन्दर हम कहीं आगे हैं, कहीं पीछे हैं। हम मध्य प्रदेश से बेहतर हैं कि हम 789 रुपये एक व्यक्ति पर खर्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश 655 रुपये खर्च कर रहा है। गुजरात 935 रुपये खर्च कर रहा है। महाराष्ट्र 792 रुपये खर्च कर रहा है। आल इंडिया का जो एवरेज है, उससे हम 4 रुपये आगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि पिछली सरकार का उदय योजना में जाने का क्या कारण रहा। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी सदन में जब डा. चंद्रभान ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, तब मैंने उनको आगाह किया था कि आप बोर्ड का विखंडन मत करो। इन कम्पनियों का रास्ता मत पकड़ो। यह आगे जाकर बहुत आत्मघाती साबित होगा। अब पिछली सरकार ने, राजस्थान के फाइनेंस सैक्रेटरी के मना करने के बाद भी बार-बार मुख्य मंत्रीजी के दस्तखत करा दिये और उदय योजना का सारा कर्जा अपने माथे ले लिया। लेकिन उस उदय योजना के साथ जो शर्तें थीं, उनका क्या हुआ? आज ये 62422 करोड़ रुपये का इस पर ऋण माथे ले लिया, 31443 करोड़ 68 लाख रुपये ब्याज की देनदारी है। कुल 93865 करोड़ 84 लाख रुपये की देनदारी अपने माथे पर ली।

माननीय सभापति महोदय, यह सब अब नई सरकार के माथे छोड़ गये। पिछले दो साल में 2016-17, 2017-18 में इन्होंने 13490 करोड़ रुपये का भुगतान किया और आज 80375 करोड़ 13 लाख की देनदारी राजस्थान सरकार के माथे पटक गये। अब कह रहे हैं कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा बढ़ गया, आप क्यों ले रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, क्या एक्सपेक्टेशन थी, जब यह उदय योजना का कार्यान्वयन किया गया। वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग शहरी क्षेत्र के अन्दर 60166 का टार्गेट था, यह महालेखाकार की रिपोर्ट है, और किया क्या, 16842, जस्ट 28 परसेंट। ग्रामीण क्षेण में 3486 का टार्गेट था। कोई

(श्री संयम लोढ़ा)

काम नहीं किया। फीडर सेपरेशन जो करना था, उसका 4357 फीडर को सेपरेट करने का टार्गेट था, और किये कितने, 724, मात्र 17 परसेंट। ग्रामीण फीडर 26821 करने थे। उसका 25 फीसदी नहीं कर पाये। घरों में विद्युत, स्पाट मीटरिंग, 49849 का टार्गेट था और किये कितने? 7953, मात्र 16 परसेंट। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से न तो डी.टी. की मीटरिंग के लिए कोई काम किया और न स्पाट मीटरिंग के लिए किया, न फीडर सेपरेशन के लिए किया और एक ऐसा काम राजस्थान की जनता के सामने छोड़कर चले गये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति: हां, अब आप समाप्त करें। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं, बहुत ही आवश्यक सूचना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। पहले इनको बोल लेने दीजिए। अभी आप विराजिए। माननीय संयमजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा, खुद कैग ने भारत सरकार के संबंध में यह कहा है कि भारत सरकार ने आफ-बजट बोरोइंग को शामिल नहीं किया और अपना राजकोषीय घाटा 3.46 बता दिया और कैग ने यह कहा है, भारत के महालेखाकार ने कि 5.8 परसेंट, जी.डी.पी. का 5.8 परसेंट राजकोषीय घाटा है क्योंकि आपने आफ-बजट बोरोइंग की।

माननीय सभापति महोदय, क्या हाल है शेयर कंपनियों के शेयर मार्केट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनका इक्विटी मार्केट कैपिटल, क्या देश के आर्थिक हालात हो रहे हैं? 1 जुलाई को 1.55 लाख करोड़ था जो 26 जुलाई को गिरकर 143.62 लाख करोड़ हो गया। 25 दिन में देश की आम जनता के शेयर की वैल्यू, माननीय सभापति महोदय, 8 लाख करोड़ रुपये घट गई है, 8 लाख करोड़ रुपये। आप बी.एस.ई. का सूचकांक देखिए, 01 जुलाई का 39543.73 और 25 जुलाई को 37940.23, सार्वजनिक उपक्रमों का सूचकांक देखिए, 7857.17 और 25 जुलाई को 7279.27, बैंकों का सूचकांक

(श्री संयम लोढ़ा)

देखिए 35114.37 और 25 जुलाई को वापस 32900.73, आटो सैक्टर का सूचकांक देखिए, 3627.68 और 25 जुलाई को 3375.98, 95 परसेंट कंपनियों के शेयर भाव, माननीय सभापति महोदय, 70 परसेंट गिर गये हैं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पर रिप्लाई दिया, उसमें उन्होंने यह कहा कि हम माब-लिंचिंग तथा आनर-किलिंग पर कानून लाएंगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून लाने की जरूरत कहां है? आप हालात देखिए कि क्या जरूरत है इन कानून को लाने की? जब सरकारें डकैती, चोरी, 420, हत्या के प्रयास, इस तरीके के मुकदमे राज में आने के बाद वापस ले लेती हैं तो यह माब-लिंचिंग और आनर-किलिंग के कानून क्या करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो मुकदमे वापस लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फाइनेंस बिल में कहां लिखा है यह? क्यों बिना मतलब सदन में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं? अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे यह। ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति: आप सब विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कांग्रेस की आपकी सरकार ने कभी मुकदमे वापस नहीं लिये क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनना पड़ेगा आपको।

श्री सभापति: संयम लोढ़ाजी, विराजिए आप। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री ज्ञानचंद पारख। माननीय सदस्य श्री ज्ञानचंदजी पारख।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचंदजी। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार की मजबूरी समझता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इतनी दयनीय हालत सरकार की है कि कहीं न कहीं बैक-डोर से जनता की जेब खाली करने के लिए कोई न कोई टैक्स सरकार को लगाना था। यह सरकार फाइनेंस बिल लेकर आई है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: मैं इनका नाम पुकार चुका हूं, आप बैठिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आप विराजिए। आप विराज जाएं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: आप तो विराजें। आप विराजिए। आप विराज जाइए। विराजिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

(13.27 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आज व्यवस्था दे चुका हूं, आप प्लीज बैठें। मैं व्यवस्था दे चुका हूं, आप बैठें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। प्लीज ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। अंकित नहीं होगा, पहले मैं यह रूलिंग दे चुका हूं। मार्निंग में रूलिंग दे चुका हूं। आप बैठें प्लीज। मैं सुबह बोल चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। श्री ज्ञानचंद पारख। मैं सुबह बोल चुका हूं। सुबह मैं बोल चुका हूं। अंकित नहीं होगा। मैं मार्निंग में बोल चुका हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: मैं रूलिंग दे चुका हूं। मैं मॉर्निंग में रूलिंग दे चुका हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। अंकित नहीं होगा। प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। प्लीज, कह दिया मैंने। कुछ भी अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचंदजी पारख, आप बोलिए। प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है। आप सीनियर मैम्बर होकर खुद नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, यह कोई तरीका नहीं है। आप फिर मुझे माफ करें, यह कोई तरीका नहीं है कि आप इम्पोज करें। जब मैं मॉर्निंग में रूलिंग दे चुका हूं कि टाइम के अलावा नहीं बोलेंगे तो आप कष्ट करके नियम को तो नहीं तोड़ें और सदन की परम्परा को कम से कम खराब नहीं करें। श्री ज्ञानचंद पारख। ज्ञानचंद पारखजी, 25 मिनट।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मजबूरी को पहचानता हूं और मुझे पता है कि यह सरकार कितनी मजबूर है कि बिना कोई टैक्स लगाये यह अपने रोजमर्रा के काम भी आसानी से नहीं कर सकती।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि सदन चल रहा है और सदन के नेता की क्या मजबूरी रही कि जो टैक्स उनको सदन के अंदर लगाने की घोषणा करनी थी, पता नहीं कि किस बात को लेकर वह घबरा गये? कहने को तो पारदर्शी सरकार है, अगर वाकई में पारदर्शी सरकार होती न तो बजट के साथ टैक्स की बात भी कर लेते कि हमारी मजबूरी है, हम डीजल और पैट्रोल पर टैक्स लगाएंगे पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि सदन चल रहा है, उसके बावजूद सदन के बाहर टैक्स लगाया और सदन में वाहवाही लेने की कोशिश की, हमने 301 करोड़ के टैक्स में राहत दी है। यह जनता नासमझ नहीं है। कोई गलतफहमी आप रखना मत और लोक सभा के चुनाव परिणाम से थोड़ा सबक ले लो कि आपका क्या हाल किया था। कोई टैक्स लगाना है, मजबूरी है सरकार की, सरकार टैक्स लगाती है, मना नहीं है, पर नियमों से लगाये, बैक-डोर से नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाना इसलिए भी मजबूरी है कि जो हमने वर्ष 2018-19 का रेवेन्यू एस्टीमेट किया था, थोड़ी एक्चुअल में कमी रह गयी। हमारा रेवेन्यू एस्टीमेट था 1 एक लाख 51 हजार 663 करोड़ रुपया और मार्च में जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट आयी है, उसमें जो एक्चुअल रेवेन्यू हमको मिली, वह 1 लाख 37 हजार 873, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने की है, कि हमने जी.एस.टी. में तो रेवेन्यू एस्टीमेट किया था 21 हजार करोड़ का, बाकी सारे जो टैक्सेज थे, उसमें हम 90 या 95 के बीच आये हैं, पर जी.एस.टी. में हमारा एस्टीमेट से भी 1 हजार 938 करोड़ रुपया ज्यादा है, 22 हजार 938 करोड़ रुपया हमको जी.एस.टी. से मिला। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में जो टैक्स है अगर ईमानदारी से उनका संग्रहण कर लें, हमारी मशीनरी को थोड़ा टाइट कर दें और उसको भ्रष्टाचार से मुक्त कर दें न, तो शायद नये टैक्स लगाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पहले ही पैसे की कमी है और एक बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ और हुआ कि हमको जो ग्रांट और एड मिलनी थी 29 हजार 857 करोड़ की, कहीं हमने लापरवाही की, कोई काम में कमी रखी या समय पर हमें जो काम करना था, वह कर नहीं पाये और उसकी वजह से 9 हजार 820 करोड़ की ग्रांट और एड भी हमको कम मिली। जो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हमको सहायता मिलती है न, उसका भी प्रोपर उपयोग कर दें न, उसके माध्यम से भी जनता के बहुत सारे हम करवा सकते थे। पर अपन ने किया डीजल और पैट्रोल, एक ही चीज दिखती है हमको, बाकी अधिकार तो चले गये भारत सरकार के पास, आपके पास है ही नहीं और उसमें टैक्स लगाकर आपने 2600 करोड़ का बोझ राजस्थान की जनता के ऊपर डाला है और बात करते हो कि हमने राहत दी है। यह हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता मजबूर है, पता है कि अगले साढ़े चार साल, पांच साल चुनाव नहीं है, पर जनता की याददाश्त बहुत अच्छी है और पहले जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम आपने देखे हैं। चाहे 2013 का देखा या इस लोक सभा का देखा। इसलिए जनता को कभी छलने का प्रयास मत करो और जो भी टैक्स लगाना है, खुलेआम सदन में बैठकर लगाओ, कोई मना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह डीजल और पैट्रोल सबसे जुड़ा हुआ है। चाहे खेती हो तो डीजल काम आता है, चाहे किसी भी काम में ले लो, डीजल काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, माइंस में डीजल काम आता है, वाहनों में तो काम आता ही आता है। डीजल और पैट्रोल की रेट बढ़ाने का मतलब सीधे-सीधे महंगाई को बढ़ाना और महंगाई को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। अब दूसरा एक काम और कर दिया आपने। सदन में तो आपने डी.एल.सी. की दरें बढ़ायी नहीं, पता है कि बढ़ाओगे तो बदनामी होगी।

(13.34 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

राजस्थान की जनता सड़कों पर आ जाएगी और आपने जिला कलेक्टरों को निर्देश देकर जो रियल एस्टेट बहुत बड़े आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसमें कुछ राहत देने के बजाय उस पर एक करारा प्रहार और कर दिया और लगभग-लगभग आपने 25 से लेकर 50 परसेंट तक की बढ़ोतरी रियल एस्टेट में डी.एल.सी. की दरों में कर दीं। इससे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, यह मानकर चलना। रजिस्ट्री, पंजीयन होने कम हो जाएंगे। आज भी मौका है, जब मुख्य मंत्री महोदय बिल पास कराएंगे तो मेरा निवेदन रहेगा,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

किसी ने आपको भ्रमित कर दिया होगा, गलत राय दे दी होगी, यह दोनों काम, चाहे डी.एल.सी. का है और चाहे पैट्रोल-डीजल का है, जो बैक-डोर से आपने लगाया है, उसको वापस ले लो, यह मेरा आग्रह रहेगा।

आपने विद्युत को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी आपने टैक्स लगा दिये। किसी को पता चले नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का बिल ज्यादा आ रहा है। वह भी आपका वादा है कि हम विद्युत की दरें नहीं बढ़ाएंगे तो यह जो शुल्क बढ़े हैं न, उसको भी कम कर दो, यह मेरा आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी पूरे राजस्थान में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलन्त है और वह है फसली ऋण का। पहले वाला ऋण आपने माफ कर दिया, कई लोगों को लैटर मिल गये, मैं उसमें नहीं जाऊंगा पर जो फसली ऋण 28 मई से बंटना चालू हो जाना चाहिए था, 28 मई के बाद 28 जून और आज 29 जुलाई आ गया, आनलाइन की प्रक्रिया आपने चालू कर दी, लेकिन बैंकों के पास पैसा कहां है? और नाबार्ड से आपने सहायता मांगी थी, जो आप लोन बांट रहे हो, जो आपका लक्ष्य है 16 हजार करोड़ का, उसमें से 60 परसेंट नाबार्ड आपको दे। यह नाबार्ड से आपकी डिमांड थी और नाबार्ड ने 40 परसेंट के लिये आज आपको हां भरी है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): नाबार्ड का हिस्सा 40 परसेंट ही होता है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): आपने डिमांड 60 परसेंट की की थी पर 40 परसेंट नाबार्ड देगा। 6400 करोड़ तो आपको नाबार्ड दे देगा और 9600 करोड़, जो आपका लक्ष्य है 16 हजार करोड़ का, उस 9600 करोड़ की व्यवस्था आप कहां से करोगे? अब आपने बैंकों को डायरेक्शन दे दिये। थोड़ा उनको हड़का भी दिया आपने कि बाकी की व्यवस्था बैंकों को करनी है। अगस्त में वैसे ही नाबार्ड की एक किश्त ड्यू हो रही है बैंकों को वैसे भी, जो पहले का ऋण है, उसकी अपनी किश्त चुकानी है और वह भी लगभग 4 हजार करोड़ है। दूसरी तरफ आप कह रहो कि ऋण दे दो अपने। यह जो पब्लिक डिपोजिट है, उसको उपयोग में ले लो।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता होगा रिजर्व बैंक के भी कठोर निर्देश हैं कि पब्लिक डिपोजिट में से आप लोन नहीं दे सकते। आप बैंकों को दबा तो रहे हो नाजायज तरीके से, लेकिन बंटेगा, नहीं बंटेगा, इसकी गारण्टी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कौन लेगा? मुझे याद है जब 2013 में यहां सरकार थी न, पाली जिले में किसानों को जो फसली ऋण बंटना था, उसका लक्ष्य था 900 करोड़ रुपये, चूंकि चुनावी वर्ष था, सरकार की मजबूरी थी, वोटों की कटाई भी करनी थी, 900 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध दबाव डालकर 1050 करोड़ का ऋण आपने बंटवा दिया था। 150 करोड़ जो ज्यादा बंटा न, उसकी बाद में जांचें भी चली थीं और बाद में बड़ी मुश्किल से बैंक वालों ने रिकवरी करके वह पैसा जमा कराया। जब रिजर्व बैंक ने मना कर दिया कि आप पब्लिक डिपोजिट में से ऋण नहीं दे सकते और ऐसे में आप बैंक को दबाओगे न, तो ठीक नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आपने जो लक्ष्य रखा है 16 हजार करोड़ का, नाबार्ड के पास जो पैसा है, सरकार बैंकों को उपलब्ध करा दे ताकि बैंकें 31 जुलाई तक ऋण बांट सके। दिन तो बचे हैं आपके पास तीन, तीन भी पूरे नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब आपने आनलाइन सिस्टम अलग कर दिया, अच्छी बात है आनलाइन होना चाहिए, हम भी पक्ष में हैं पर उसकी अभी तक तैयारी पूरी नहीं है। कई जानकार भी नहीं हैं, स्टॉफ भी नहीं है और 31 तारीख तक यदि आप किसान को ऋण नहीं दे पाओगे तो 31 तारीख के बाद में उसके फसल बीमा का काम रुक जायेगा क्योंकि फसल बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और आप अब से लगातार काम करो तो भी 31 जुलाई तक आपका काम पार पड़ने वाला नहीं है। आनलाइन अच्छा सिस्टम है, मना भी नहीं करते लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि कम से कम बीमा कम्पनी से बात करो क्योंकि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी ओर से वार्ता करके बीमा की अवधि बढ़ा सकती है, तो वहां किसान चिंतित हो रहा है, आप बीमा कम्पनी को बुलाओ, उनसे बात करो कि इस कारण से ऋण में विलम्ब हुआ है और आप उसकी अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दो तो भी किसानों को राहत मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, ऋण के बाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा था न जिसको लेकर सरकार की मजबूरी है कि हम टैक्स लगाएं, वह है हमारे युवा बेरोजगारों को भत्ता मिलना। चुनाव जीतना था, मनचाही घोषणा कर दी। आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष में मनचाही घोषणा कर दी तो, आपने कौनसी नई बात कर ली? आपने वो ही किया और आपने तो हम से कई बढ़कर की तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना बहुत जरूरी हो गया। ये

(श्री ज्ञानचंद पारख)

विधान सभा सत्र खतम होगा न, युवा वहां तैयार बैठा है आन्दोलन के लिए, वह हमारे इशारे का इन्तजार कर रहा है कि अगर सरकार विधान सभा के जरिए नहीं मानती है तो हमको छूट दे दो, हम सड़क पर इस सरकार को मनवा लेंगे। यह मजबूरी है टैक्स लगाने की, कहां जाएगी सरकार? लेकिन इनको भत्ता मिल जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार करे, यह मेरा आग्रह रहेगा।

हमारे ऊपर कई तरह के आरोप रोज सदन में सुनते हैं कि हमने बिना वित्तीय प्रबंधन किये जाते-जाते कई सारी घोषणाएं कर दीं। थोड़ा आप मेहरबानी करके 2013-14 का बजट भाषण सुन लेना और 2018-19 का भी देख लेना, आपके सामने हम बहुत बौने रह गये, बहुत बौने। आपने कैसी घोषणाएं कीं, आप कल्पना नहीं कर सकते। 4 हजार 150 करोड़ की तो सिर्फ सड़कों की घोषणा है 2013-14 के बजट में। एक विधान सभा क्षेत्र में 30-40 किलोमीटर सड़क मिलेगी, हमको कोई मिली नहीं। 4 हजार 150 करोड़ की तो सड़कों की घोषणाएं हैं जिसमें 2001 के घोषित राजस्व गांव 195, उनमें 172 करोड़ रुपये, 100 से 250 की आबादी वाले 500 गांव, उसके 585 करोड़ रुपये, प्रति विधान सभा 30 से 40 किलोमीटर सड़क, 650 करोड़ रुपये और 2 हजार 743 करोड़, यह सारा 2013-14 के बजट में है।

पेयजल में, आपने कमाल कर दिया, लगभग 20 हजार करोड़ से भी ज्यादा राशि के काम, कहां हैं वो काम? अगर वह काम हो जाता न तो आज मेरे पाली में पानी की ट्रेन नहीं आती। अधिकांश जिलों में, अधिकांश कस्बों में और गांवों की हालत बहुत खराब है। पानी की दशा क्या है, सबको पता है। यह घोषणा हमने नहीं की। चाहे सिंचाई में हो तो वहां भी हजारों करोड़ की घोषणाएं।

आठ मेडिकल कालेज, ये सारे मेडिकल कालेज का शिलान्यास हमारे काल में हुआ और उद्घाटन भी हमारे काल में ही हुआ है। स्कूलें भी बहुत सारी दीं, हमने बंद की होगी पर आपने दी बहुत सारी, उसमें कोई शक नहीं पर हमने क्या दिया, पता है न। चुनाव नहीं था पर पहले ही वर्ष में राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीनियर सैकण्डरी स्कूल होगी, उस समय कोई भी चुनाव नहीं था। हमने ऐसे ही घोषणा नहीं की है और हमारी अधिकांश घोषणाएं उसी काल में चालू हो गईं या हमने वित्त का प्रबंधन कर दिया।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, हमें पूरी उम्मीद थी, यह पता नहीं थोड़ी 0.5 की गड़बड़ हो गई, बाकी तो हम ही आने वाले थे, आप थोड़े ही आने वाले थे, कोई ज्यादा अन्तर थोड़े था इसमें। यह तो आपके वह अंधे के हाथ बटेर लगी जो लग गई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): हमारी सरकार सैकण्डरी पूरे राजस्थान में करके गई तब आपने सीनियर की है। (व्यवधान) सैकण्डरी हम करके गये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई इन्टरवीन नहीं करेगा। कोई इन्टरवीन करे तो अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय उद्योग मंत्री जी, आप सैकण्डरी स्कूलों की भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी पीछे बैठे हैं, हमारे काल में 600 सैकण्डरी स्कूलें एक साथ हुई थीं राजस्थान में, कोई मामूली नहीं थी। यह शिक्षा मंत्री जी हंस रहे हैं, आप इनको पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप इधर मुखातिब रहें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ ही मुखातिब हों।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, यह मेडिकल कालेज का भी हमने शिलान्यास किया, बिल्डिंग बनी, हमने शुरुआत की, उसका उद्घाटन किया। हम जो कहते हैं न वह करके दिखाते हैं। कहने की बात और है, करने की बात और है, यह हाथी के दांत वाली बात हमारे में नहीं है और उसी का परिणाम है कि दूसरी बार नरेन्द्र मोदी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, दोबारा और पहले से भी ज्यादा बहुमत से। यह कोई मामूली बात नहीं होती।

जाते-जाते 2013 में आपने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, सभापति महोदय, जो पहले वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेन्शन मिलती थी, उसमें एक शर्त थी कि जिसके 18 साल से बड़ा बालिग बेटा हो गया वह उसकी पात्रता नहीं रखेगा। तो उस समय उसके दायरे में बहुत ज्यादा परिवार नहीं आ पाते थे पर मार्च, 2018 के बजट में आपने घोषणा कर दी कि चाहे किसी का बालिग बेटा हो, बस एक सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे प्रावधान आपने खतम कर दिये और आनन-फानन में गांवों में कैम्प लगाकर कि देखो हमारी सरकार तुम्हारे लिए कितनी बड़ी पेन्शन योजना लेकर आ गई,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

और एक-एक पंचायत समिति में हजारों-हजारों फार्म भरवा दिये कि ये फार्म भरेंगे तो ये हमारा वोट बैंक पक्का हो जाएगा। कुछ फार्म स्वीकृत भी किए पर, माननीय सभापति महोदय, अधिकांश फार्म बी.डी.ओ. के दफ्तर में बंद हो गये जो हमारी सरकार आने के बाद में खुले। आपने उसमें 1500 करोड़ का प्रावधान किया था और आपको पता था क्योंकि उस समय हालात लग गये थे कि वापस किसी कीमत में आने वाले नहीं हैं। 1500 करोड़ का वित्तीय भार चाहे हमारी सरकार पर पड़ा, हमने कभी नहीं कहा कि आपने जाते-जाते ये योजना क्यों चालू कर दी।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई भी काम हो, पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। अब आपके धर्म संकट और हैं कुछ, आपको ऊपर भी खुश रखना और नीचे जनता को भी खुश रखना, आपको दोहरा मापदण्ड अपनाना पड़ता है। हमारी पार्टी में वह नहीं है। हम नीचे काम करेंगे तो हमारा टिकट पक्का है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सीट पक्की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर आपके ऊपर वाले आका नाराज हो जाएं न, कि आपका ऊपर वाला आका नाराज हो गया, खफा हो गया तो नीचे चाहे कितनी भी आपकी जन शक्ति आपसे जुड़ी हुई हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइए। स्थान पर जाइए, स्थान पर जाइये आप। (व्यवधान) स्थान पर जाइये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपको अपनी गलती सुधारने का वापस मौका मिला है, चाहे भूल से ही मिल गया हो, ज्यादा अन्तर है नहीं। पूरे देश में जो वातावरण चल रहा है राष्ट्रवाद का, ईमानदारी का, जनता चाहती है कि आज की तारीख में कोई भी फैसला हो, कोई भी योजना हो, कोई भी निर्णय हो, देश हित में हो और ईमानदारी से हो। यह जनता चाहती है और जब जनता का टैस्ट यह है तो हमको जनता के नक्शे-कदम पर चलना ही पड़ेगा। टैक्स आप लगा दो, मना नहीं है पर टैक्स का पैसा ईमानदारी से वापस जनता के हित में लग जाए, विकास के कार्य में लग जाए, उसके लिए भी सिस्टम को थोड़ा चुस्त-दुरुस्त करो।

मैं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बात नहीं करता, मैंने दो-तीन विषय उठाये थे, चाहे श्रम विभाग का भ्रष्टाचार हो और चाहे ग्रामीण विकास का। मेरे क्वेश्चन के माध्यम से सरकार ने माना भी था कि वाकई में गड़बड़ हुई है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सस्पैंड भी हुए थे। यह भ्रष्टाचार को लेकर यदि आपने कोई लगाम नहीं कसी तो यह जो आप टैक्स वसूल करोगे, वह आपके काम आने वाला नहीं है।

श्री सभापति: 3 मिनट में आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था। बजट भाषण में है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। यह माननीय मुख्य मंत्री के भाषण में है। लेकिन मुझे उनकी मजबूरी पता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन पर कोई आरोप लगा नहीं सकता। लेकिन उनकी मजबूरी है कि पिछली बार भी कांग्रेस के दामाद को यहां लाखों एकड़ भूमि उनको मजबूरी में खरीदवानी पड़ी। उनकी मजबूरी थी। उनकी ईमानदारी, नीयत में मुझे बिलकुल शक नहीं है, लेकिन आप मेहरबानी करके यह मजबूरी भी बंद करो।

सभापति महोदय, जो आज की तारीख में आपकी सत्ता आई है, यह ऊपर की मेहरबानी से नहीं आई है। ऊपर की मेहरबानी से तो वही 185 वाली हालत होती। यह तो सदन के नेता की छवि थी, उसकी वजह से हुई। मेरा आग्रह रहेगा कि जो टैक्स आपने लगाया, हम कहेंगे तो भी आप मानोगे नहीं। यह तय है लेकिन इस टैक्स का पैसा ईमानदारी से कलेक्ट करके जनता की सेवा में लगा देना।

माननीय उद्योग मंत्री जी, टैक्स लगाकर के तो हम रेवेन्यू प्राप्त कर लेंगे, पर मात्र टैक्स की रेवेन्यू से जनता के ऊपर बार-बार बोझ डालना ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा उद्योगों को पनपाने के लिए भी काम करो। जब तक राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं पनपेगी, इंडस्ट्री का विकास नहीं होगा, तब तक रोजगार भी नहीं होगा और आपकी अर्थव्यवस्था भी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर यह चुनौती है।

सभापति महोदय, मेरा पुन: आपसे आग्रह रहेगा कि इंडस्ट्री को किस प्रकार हम पनपा सकें, जो इंडस्ट्री मरणासन्न अवस्था में जा रही है, वेंटिलेटर पर है, उसको वापस कैसे जीवित कर सकें, उसके लिए भी बजट में प्रावधान करवा देना। आज हमारे मुख्य मंत्री जी की भी तरफ से कुछ न कुछ घोषणा हो जाए ताकि जो पैसा आपने लिया है, वह वापस यहां की इंडस्ट्री में काम आ जाए। यहां के रोजगार को बढ़ाने में काम आ जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त और विनियोग विधेयक पर बोलने का जो समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।

सबसे पहले तो हमारे देश के हालात जो बने हुए हैं, बैंकिंग सैक्टर, रियल एस्टेट सैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर और एक्सपोर्ट्स, सबकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे देश के हालात बड़े ही खराब हैं एक्सेप्ट कि हम बता रहे हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ है। वह इसलिए हम जीडीपी बढ़ा हुआ बता रहे हैं क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन का मैथड है, वही बदल दिया है। यह मोदी जी की सरकार है, बदलने के लिए वह कुछ भी बदल सकते हैं। जीडीपी का जो कैलकुलेशन का मैथड था, वही बदल दिया। कुछ और बदलने को नहीं मिला तो वही बदल दिया और उससे दिखा दिया कि जीडीपी 7 परसेंट पर चल रही है, बढ़ रही है। लेकिन आज के पेपरों में ही है कि वर्ल्ड बैंक ने, जो जीडीपी हमारी केन्द्र सरकार ने बोली थी, उससे जीडीपी 0.3 परसेंट वापस डाउन होने जा रही है।

सभापति महोदय, दूसरी चीज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि यह पहली सरकार है, जहां जीडीपी बढ़ रहा है विदाउट एम्प्लायमेंट। एम्प्लायमेंट पर केन्द्र सरकार ने अपने बजट में कोई बात नहीं कही है कि किस तरीके से एम्पलायमेंट बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि मुद्रा लोन पर हम आपका एम्प्लायमेंट बढ़ाएंगे। युवाओं को बैंक से नया लोन देंगे। उस पर मैं बताना चाहूंगा कि जो मुद्रा लोन है उसमें 75 परसेंट पैसा 50 हजार रुपये तक अनएम्प्लाइड यूथ को मिला है। उससे ज्यादा मिला नहीं है।

कल-परसों में ही फीगर थे कि जो मुद्रा लोन है, जो अभी डेढ़ साल पहले ही शुरू हुआ है। आलरेडी मुद्रा लोन के ऊपर 17 हजार करोड़ के एनपीए हो चुके हैं। मेरा यह कहना है कि यदि इसी तरह से चलता रहा, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए हो रहे हैं, साढ़े 4 लाख करोड़ के एनपीए हो चुके हैं, उसमें 17 हजार करोड़ के एनपीए और जुड़ गए हैं। यह मुद्रा लोन भविष्य में कितने कारगर सिद्ध होंगे, यह किसी को नहीं पता है।

सभापति महोदय, आज पहली बार हुआ है, जब से बीजेपी सरकार केन्द्र में आई है, जो भारत सरकार के ऊपर 50 लाख करोड़ का लोन था, सिर्फ 5 साल में वह लोन बढ़कर के 80 हजार करोड़ हो गया है, means 60

(श्री रोहित बौहरा)

percent of increase in 5 years. It is unprecedented. किसी भी सरकार में नहीं हुआ है कि 60 परसेंट पैसा किसी सरकार को लोन लेना पड़े जिससे कि सरकार चल सके।

सभापति महोदय, दूसरी चीज, हमारे चूरू से आने वाले विधायक महोदय, जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने बोला कि वैट बढ़ा दिया गया डीजल और पैट्रोल पर। बिलकुल ठीक बात है, वैट बढ़ा दिया। लेकिन वैट बढ़ा क्यों? वैट बढ़ा क्योंकि डीजल और पैट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। यदि एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो वैट अपने आप बढ़ेगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान से पहला बजट केन्द्र सरकार का आया। महंगाई किसने बढ़ाई? केन्द्र सरकार ने बढ़ाई। एक्साइज किसने बढ़ाया? केन्द्र सरकार ने बढ़ाया। यह भूला नहीं करें।

सभापति महोदय, कल ही के पेपरों में आया है, पहली बार हिन्दुस्तान में हुआ है कि गलत फीगर दिए गए फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। आज केन्द्र सरकार का जो लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट था, वह 3.46 परसेंट था। कैग की नई रिपोर्ट आई है and they have said that the fiscal deficit has increased from 3.46 percent to 5.85 percent. And what's the reason? The reason is that the Central Government has spent money on food subsidy, fertilizers subsidy and on other subsidies, where you'll not be able to get the loan-back because you're spending money on subsidies. आप सब्सिडी पर पैसा खर्च करते हैं तो आप कोई नया एसैट्स नहीं बनाते हैं। आपने एसैट्स पर पैसा नहीं खर्च किया। आपने पैसा सब्सिडीज पर खर्च किया है। वह भी गवर्नमेंट की कंपनीज ने लोन लिया है और उस पर आपने पैसा खर्च किया है। क्या यही वित्तीय प्रबंधन केन्द्र सरकार का है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसी तरह से सब्सिडीज पर पैसा लुटाएंगे? पैट्रोलियम सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। यदि पैसा नहीं था तो इन सब्सिडीज को आप कम कर देते। किसने रोका था आपको? लेकिन आप लोगों को तो बताना था कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। किसी भी तरह से सब्सिडी दें, चाहे देश बर्बाद हो जाए।

सभापति महोदय, दूसरी चीज इन्होंने अभी बोली है कि एक सावरन बांड्स के ऊपर बहुत हल्ला हो रहा है। पेपर्स में रोज आ रहा है सावरन बांड्स

(श्री रोहित बौहरा)

के ऊपर। इसमें कहा गया कि यदि केन्द्र सरकार देश से पैसा अपनी उधारी चुकाने के लिए नहीं इकट्ठा कर पाएगी तो सावरन बांड्स फोरेन से लेकर के आएगी। आज यदि हम सावरन बांड्स लेकर के आते हैं, यदि सावरन बांड्स हम विदेश से लेकर के आएंगे तो सबसे पहले हमें उनको हैच करना पड़ेगा। उसमें वित्त मंत्री महोदया ने हैचिंग की कास्ट ही नहीं बोली है। हमारी जो कन्वर्जन रेट है, जो डालर की कन्वर्जन रेट है, यदि हमने बाहर से इतना पैसा उठा लिया तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं बचेगा। इसकी चारों तरफ भर्त्सना हो रही है।

सभापति महोदय, आज इनकी वजह से जो फोरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, जो इंडिया के अंदर बाहर से फंड लेकर के आते थे। जो सस्ता फंड लेकर के आते थे। वह इंडिया छोड़कर के भाग रहे हैं। वह क्यों भाग रहे हैं? केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 42 परसेंट टैक्स कर दिया हाई नैटवर्थ इंडिविजुअल्स पर। उन्होंने अपनी दुकान बंद करके भागना शुरू कर दिया। इन 2 महीनों में 14 हजारा करोड़, यानी 2 बिलियन डालर मार्केट में से निकल गया। जो 13 हजार सूचकांक था, वह आज 11200 पर रह गया। इंडियन पब्लिक का करीब-करीब 8 लाख करोड़ रुपया साफ हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार तो आज केन्द्र सरकार है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सब इफेक्ट स्टेट्स पर आएगा। केन्द्र सरकार जो भी करती है, उसका इफेक्ट स्टेट्स पर आता ही आता है।

सभापति महोदय, तीसरी चीज जो कि बहुत ही जबरदस्त की है, यह सुनने लायक है, the latest development is that कैबिनेट ने एक डिसीजन किया कि फिफ्टींथ फाइनेन्स कमीशन को एक रेफरेंस दिया जाए। वह रेफरेंस किसके ऊपर है? वह रेफरेंस है कि जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टी है, उसका स्टेट्स पर जो टोटल रेवेन्यू आएगा, इसमें से कुछ पोर्शन डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को दिया जाएगा। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, इन दोनों चीजों पर केन्द्र सरकार अपने पूल में से पैसा देती थी।

(14.00 बजे)

अब हमारे पूल में से यह पैसा जाएगा। हमारे पूल में से यह पैसा जाएगा तो हमारे पास स्टेट में devolution आएगा वह कम आएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, वह है central

(श्री रोहित बौहरा)

government. एक और अभी जैसे ही बजट खतम हुआ, Central Road Fund (CRF) जिससे हमारे जो neighboring states हैं वहां हमें रोड्स बनाने के लिए पैसा दिया जाता था। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बताएंगे, आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं। आप बताएंगे कि पैसा आता था सीआरएफ से अपने यहां। कम से कम मैं सोचता हूं कि दो हजार, तीन हजार, चार हजार करोड़ रुपये तक अपने को मिलता था। अपने को अलवर वाले बैल्ट में, भरतपुर वाले बैल्ट में, धौलपुर वाले बैल्ट में, सब जगह पैसा आता था, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं?

माननीय सभापति महोदय, वह सीआरएफ का पैसा आपकी केन्द्र सरकार ने बंद कर दिया। सीआरएफ का पैसा, now will be totally given to the finance ministry. यह पैसा आपको devolve होकर स्टेट्स पर नहीं आएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ultimately जिम्मेदार कोई न कोई तो है? इसके लिए ultimately जिम्मेदार केन्द्र सरकार है। जो अपने वित्त प्रबंधन की बात करते थे, मैंने कुछ पहलुओं में इनका शानदार वित्त प्रबंधन था, उसके बारे में बात की।

अब मैं बात करूंगा अपनी स्टेट गवर्नमेंट की। मैं यह मानता हूं कि हमारा 44 परसेंट बजट का पैसा committed liabilities में जा रहा है, 44 परसेंट है 2017-18 में, आप कहेंगे तो मैं figure calculate करके आपको बता दूंगा। 44 परसेंट पैसा committed liabilities i.e. salaries, pensions and interests, इसके ऊपर 44 परसेंट पैसा जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, आपने भी खर्च किया और हमारी सरकार भी खर्च कर रही है, जो कि आगे नहीं चलेगा। यदि हम बजट का 44 परसेंट पैसा यहीं खर्च करेंगे तो कैसे काम चलेगा? काम ही नहीं चलेगा। सरकार को करना पड़ेगा। engineering departments में कई ऐसे divisions हैं जहां एक पैसे का काम नहीं है वहां engineering departments में divisions चल रहे हैं। उन divisions को हमें तोड़ना पड़ेगा। जहां हमारे पास काम है, उन आदमियों को ट्रांसफर करके दूसरे divisions को देना पड़ेगा। administrative costs सरकार को कम करनी पड़ेंगी। आप देखें, कई ऐसे departments हैं, agriculture में sheep & wool अलग, fisheries अलग, printing-stationary अलग, ऐसे कई department हैं जिनका बजट सिर्फ 100 करोड़ है लेकिन उनकी administrative cost ही 90 करोड़ है, so they can’t spend any money तो सरकार

(श्री रोहित बौहरा)

को सोचना पड़ेगा कि हमको कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये इतने सारे departments हैं उनको कम करना पड़ेगा, वापस एकमुश्त करना पड़ेगा जिससे हम अपनी administrative cost, यह above the party line है, न इसमें बीजेपी, न कांग्रेस लेकिन हम यदि राजस्थान का भला चाहते हैं, हम राजस्थान को growth path पर ले जाना चाहते हैं तो यह हमें करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारी CAG की रिपोर्ट है, वह आपको बताना चाहूंगा। As per the CAG report जो हमारी annual borrowings 2017-18 में 26,180 करोड़ थी, वह हमारे finance commission ने हमें permission ही सिर्फ 24,827 करोड़ की दी थी। उसका हमने उल्लंघन किया, खुले आम उसका उल्लंघन हुआ। यह देखिए यह तो बड़ी fantastic चीज है जो कि बीजेपी के राज में हुई। The total investments of the state in the Corporation and Rural banks, करीब 45781 करोड़, आज state government's return on investment क्या है? The return on investment is only 0.1 percent between 2013-18, and it ranged between 0.1 percent to 0.3 percent. मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि हमें ऐसे investment करने चाहिए या नहीं करने चाहिए जिस पर return on investment आता ही नहीं है। आज यह देखिए, इस पर यह पैसा जो हमने दिया है इस पर हमने ब्याज लिया है, 7.3 परसेंट, तो नुकसान पूरी state government को ही हुआ है, 2 परसेंट का। हमने कई जगह जो लोन दिए हैं, जिनकी हमारी lending rate 7.3 थी, हमने 6.8 पर कई जगह लोन दिए हैं। Ultimately the government had to make a loss of 0.5 percent.

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं। यह CAG की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया, 247 projects were sanctioned for more than 10 cores and they remained incomplete. A total of Rs. 20,176 crore has been spent on these projects against the sanctions. 30 हजार करोड़ की सैंक्शन थी, 20 हजार करोड़ हम खर्च कर चुके And 25 percent of these projects are pending from last five years. यह 2017-18 की बात कर रहा हूं। जो 25 परसेंट प्रोजेक्ट नहीं हुए हैं उनकी कोस्ट 145 परसेंट बढ़ गई है, यानी 5400 कोस्ट थी, आज की डेट में वह 13222 करोड़ पहुंच गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन-कौन

(श्री रोहित बौहरा)

अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या सरकार इन पर कुछ एक्शन लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है? मैं तो सरकार से विनती करूंगा कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर सरकार को कोई न कोई एक्शन लेना पड़ेगा कि क्यों ये projects overdue हुए।

माननीय सभापति महोदय, financial management में एक और है, the total expenditure in 2016-17 में हमने किया 176 करोड़ रुपये, हमने जो appropriation किया 1,83,564 करोड़ रुपये का। यानी, we under spent Rs. 17,388 crore और सेम 2017-18 में हमने 15,990 करोड़ under spend किया, यह क्यों हुआ? इस पर यदि हम डिटेल में जाएंगे कि यह under spend क्यों हुआ, central government से पैसा नहीं आया, इससे projects kill हुए। जो भी projects हैं, वे fourth quarter में project final करते हैं, इस सरकार को भी सोचना पड़ेगा। यदि हमने बजट लिया है, तो we should जो भी हमें tender डालने हैं, वह जुलाई तक tender हो जाने चाहिए, हमें लास्ट तक wait नहीं करना चाहिए जिससे काम ही खतम नहीं होता, इससे ही वह under spend होता है। projects कमप्लीट नहीं होते तो उनमें पैसा नहीं जाता तो यह सब सरकार को बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा क्योंकि पांच साल के इतने शानदार financial management बीजेपी सरकार ने किया है, जो ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। इसीलिए पांच साल में इनके जो लोन अमाउंट है, यदि उदय योजना को भी हम छोड़ दें, लोन अमाउंट पूरा डबल कर दिया, इतना अच्छा financial management आपका रहा, यदि white paper पर निकालें तो आंसुओं के अलावा उस white paper पर कुछ नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बहुत सीरियसली सरकार को सोचना पड़ेगा, वह है petroleum sector, इसमें क्या हुआ जब कांग्रेस सरकार थी तो हम 1 लाख 90 हजार बैरल रोज निकालते थे, जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई वह आयल निकलना कम हो गया, वह हो गया 1 लाख 55 हजार, क्योंकि वह natural resource है, अपने आप कम भी हो जाता है, 1 लाख 55 हजार बैरल रोज हमारे पास तेल निकलना शुरू हो गया। हमारे को 10 blocks central government ने अलाट किए, उन पर काम ही शुरू नहीं हुआ। अब जाकर उस पर काम शुरू हुआ है तो मेरी विनती है सरकार से, क्योंकि केयर्न और ओएनजीसी का 2020 में करार खतम हो

(श्री रोहित बौहरा)

जाएगा, यदि सरकार ने नहीं किया तो नया इन्वेस्टमेंट केयर्न नहीं करेगी और आपकी रिफाइनरी वाली उम्मीद वह आकर खतम हो जाएगी, इसलिए मेरा कहना है कि इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। मेजर मिनरल और माइनर मिनरल, आज मेजर मिनरल में हमारी पालिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पालिसी है कि मेजर मिनरल की सब माइंस आक्शन हो, बहुत अच्छा है, absolutely no issues. जितना है क्योंकि उसमें मेजर मिनरल में बड़े-बड़े सीमेंट प्लांट्स लगते हैं, बड़े-बड़े लाइम स्टोन्स के लगते हैं। अब आप माइनर मिनरल को आक्शन करेंगे, आपके बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं कर रहे हैं, उत्तराखण्ड जैसे स्टेट नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार को वापस सोचना चाहिए, खण्डों की जो माइंस हैं, 100 गुणा 100, कहां उनको आक्शन करेंगे? हम ऐसे-ऐसे मिनरल्स को आक्शन करेंगे जिसमें मुश्किल से कोई अपना पेट भर पाता है? पता चला कि यदि सरकार ने आक्शन किया, चाहे वह कांग्रेस सरकार ही हो, यदि सरकार आक्शन करेगी तो जो उद्यमी हैं, पता चला कि वह नैचुरल रिसोर्स को ही खतम कर जाएगा, वह क्यों देगा आपको। सरकार को सोचना पड़ेगा, बीजेपी वाले नीति बना गए हैं आक्शन की, उसको खतम करना पड़ेगा। माइनर मिनरल को हमें आक्शन में से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे बिलकुल नीचे तबके के सोसायटी के लोग हैं उनको भी पिछली कांग्रेस सरकार ने कई माइंस अलाट की थीं। छोटी-छोटी माइंस हैं, मेसनरी स्टोन्स की माइंस हैं, फैल्सपार की माइंस हैं, छोटी-छोटी, सिलिका सैंड की माइंस हैं तो इनको हमारे को किसी तरह से इसमें से निकालना होगा।

एक सजेशन और दे रहा हूं, सर। हमें रेवेन्यू लैंड को, जो हम बजरी के केस में कर रहे हैं, जहां पर कि मिनरल्स हैं, हमें उसे रेजिंग एंड सेलिंग की वजह से कान्ट्रेक्ट पर दे देना चाहिए, उनमें पट्टे काट देने चाहिए, जिससे किसान की भी एक इनकम हो सके और सरकार की भी इनकम हो सके। इससे दोनों को फायदा है। इससे आप नैचुरल रिसोर्सेज को भी ठीक कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं।

अब मैं एग्रीकल्चर पर आना चाहूंगा। आज एग्रीकल्चर में करीब-करीब 80 से 90 हजार टन हम विदेश से पाम आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, राजस्थान में या केन्द्र सरकार या या पूरे इंडिया में, कि

(श्री रोहित बौहरा)

किसी तरह से यह 80-90 हजार टन जो आयल सीड है, जिसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका हम खात्मा कर सकें। मैं तो राज्य सरकार से कहूंगा कि अलग-अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स, मस्टर्ड आयल के बहुत प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, भरतपुर में हमारा एक साइंटिफिक सेंटर और खुला हुआ है। मैं चाहूंगा कि पूरे ईस्टर्न राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में मस्टर्ड उगाने पर और जोर दिया जाए, जिससे कम से कम यह इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन हो सके।

एक चीज और है साहब। आज जो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट है, उसने जितने छोटे बांध बना रखे हैं या छोटे एनीकट बना रखे हैं, उसमें हमें ड्रेजिंग करानी पड़ेगी। मतलब जो साइल आ गया है, उसकी जो क्षमता है, जो कि कम हो गयी है, हमें यह नरेगा से डवटेल कराकर जितने छोटे-छोटे एनीकट और छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं, उसमें से मिट्टी निकलवानी पड़ेगी। यदि हम नहीं निकलवाएंगे तो थोड़े दिन बाद पता लगेगा, उसमें पानी ही नहीं बचा। यह प्रोग्राम बिलकुल तीव्र गति से बनाना पड़ेगा। यह ड्रेजिंग नहीं करेंगे तो हमारे यहां पानी भरेगा ही नहीं बांधों में और बांधों में पानी नहीं भरेगा तो अल्टीमेटली उससे नुकसान किसानों का होगा।

मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो राजस्थान कैनाल है, उसमें पानी आता है और गर्मियों में पानी बहुत इवेपोरेट होता है और एक अच्छी चीज जो कि गुजरात सरकार ने की थी, नर्मदा को पूरा पीवी सेल्स से ढक दिया था। मैं यही कहता हूं कि हम उन्हें कापी करें, जो अच्छी चीज है, जो आज बीजेपी सरकार ने गुजरात में एक अच्छी चीज की, क्यों न वह हम अपने राजस्थान में भी लेकर आएं। हम राजस्थान कैनाल को पीवी सेल्स से ढक दें, जिससे कम से कम सोलर एनर्जी के लिये, जो हमारी सरकार ने कहा है कि हम 44 हजार मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करेंगे, मंत्री महोदय, मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आईजीएनपी पर हमें यह करना चाहिए और यह एक बहुत अच्छी चीज है। चूंकि आप इर्रिगेशन का आंसर दे रहे हैं, यह एक बहुत अच्छी चीज होगी।

दूसरी चीज, एक कालीतीर योजना है, जो कि पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये बनी हुई है, मंत्री जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे किसी तरह से आप जल्दी से जल्दी लेकर आएं, जिससे कि पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर टेबल है, वह बढ़ सके।

(श्री रोहित बौहरा)

एक मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आज हैण्डपम्प लगे हुए हैं। पूरे राजस्थान में हर गांव में हैण्डपम्प लगे हुए हैं, उन हैण्डपम्पों में से अब पानी निकालना दूभर हो गया है, क्योंकि पानी आपका नीचे चला गया है। हम गांवों में औरतों को देखते हैं, कितनी मुश्किल से हैण्डपम्प में से पानी निकाल रही हैं। मेरा उसमें एक सजेशन है कि हम उन हैण्डपम्पों को सोलर पैनल से जोड़ दें। जो पिछली सरकार ने कई जगह सोलर के पैनल्स से हैण्डपम्पों को जोड़ा था, मैडम, शायद आप ही ने यह प्रोजेक्ट करवाया था। वह प्रोजेक्ट कई जगह बहुत सक्सेसफुल हुआ। मैं कह रहा हूं कि उसी प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट की तरह जैसे आपने कराया था, जो चीज अच्छी है, उसे अच्छा कहना पड़ेगा। वह आपने कराया था, उसमें न किसी को दिक्कत होती है, दस-दस हजार लीटर की टैंक लगी हुई है, उसमें पूरा गांव पानी पी लेता है और जो अंडरग्राउंट वाटर का वेस्टेज है, वह खतम हो जाता है।

एक चीज और है साहब, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास लैंड बैंक नहीं बना हुआ है। पीडल्यूडी हुआ, यूडीएच हुआ, आज आप किसी डिपार्टमेंट से पूछ लें कि आपकी लैंड होल्डिंग्स क्या हैं, उनमें से किसी एक को भी नहीं पता है कि उनकी लैंड होल्डिंग्स क्या हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, हर डिपार्टमेंट को कहा जाए, जो जिसकी ओनरशिप है, उसका एक लैंड बैंक तैयार हो, लैंड बैंक तैयार होकर वह किसी तरह से एक वेबसाइट पर आ जाए तो कम से कम सरकार को पता तो चलेगा कि सरकार के पास लैंड कितनी है, उस पर कब्जे कितने हैं। वक्फ बोर्ड की लैंड है, यूडीएच की लैंड है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, इन सबका एक डाटाबेस बने और फिर सरकार उसे लीवरेज करे न। पीपीपी माडल पर लीवरेज करे।

श्री सभापति: तीन मिनट में समाप्त करेंगे आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं समाप्त करता हूं साहब, जल्द ही कर देता हूं। मैं तो पहली बार बोल रहा हूं, बोलने दें। पांच मिनट लूंगा बस, ज्यादा नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अच्छा बोल रहे हैं। बोलने दीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि government is the biggest litigent और आज आपके

(श्री रोहित बौहरा)

ऊपर, गवर्नमेंट के खिलाफ एक लाख केसेज पड़े हुए हैं। क्यों न इन केसेज पर हम ऐसा कर दें कि गवर्नमेंट बैठे और एम्प्लायी बैठें या लोक अदालत के माध्यम से कम से कम हम इन एक लाख केसेज को खतम तो करें।

पिछली सरकार एक बार प्रशासन गांवों की ओर ले गयी थी, बाकी चार साल उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी सरकार से विनती करता हूं, प्रशासन गांवों की ओर चले, जिससे कि रेवेन्यू के जो छोटे-मोटे केसेज हैं, उनमें हमारे किसान भाइयों को काफी मदद मिलेगी और उससे काफी काम हमारा आसान हो जाएगा।

हमें हमारे गवर्नमेंट के जितने वकील हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी अपाइंट करना पड़ेगा, जिससे ये लिटिगेशंस खतम हों। शिक्षा मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि हमारी प्राइमरी स्कूलें, जिन्हें आपने सबको एक साथ मर्ज कर दिया, प्राइमरी स्कूल की गांवों में बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं। उन बिल्डिंग्स का कोई धणी-धोरी नहीं है। या तो हम जो एनिमल हसबैंड्री के उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, उसमें ट्रांसफर करें या हम स्माल पीएचसीज को दे दें, जहां नर्सेज आती हैं, स्माल प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स को दे दें तो कम से कम ये प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स जो एक साथ वेस्ट हो रही हैं, वे वेस्ट तो नहीं होंगी।

एक जो हमारे युवाओं में, हमारे साथ प्राब्लम क्या है, हमने आईटीआई हर जिले में खोल रखी है और आईटीआई में क्या खुला हुआ है इलैक्ट्रिक मैन या फिटर, और कुछ है ही नहीं। मैं विनती करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक न एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसे एम्प्लायमेंट के लिये आदमी चाहिए होते हैं। Why don't the industries adopt the ITI और जैसे लड़के चाहिए, वहां वे कोर्सेज चलाएं और जो लड़के वहां से निकलें, उन्हें नौकरी मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक दूसरी चीज यह है साहब, ई-गजट। ई-गजट पर मैं चाहता हूं कि कम्प्यूटर से ईगजट खतम हो, जिससे ई-गजट चालू रहे और ई-गजट से यह होगा कि हमें रोजाना निकलना नहीं पड़ेगा, रोजाना हमें इन्फोर्मेशन नहीं चाहिए होगी। जैसे सैंट्रल गवर्नमेंट का ई-गजट अवेलेबल है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी ई-गजट होना चाहिए।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी। विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: समाप्त करें, विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। प्लीज, सहयोग करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये आभार प्रकट करता हूं। एप्रोप्रिएशन पर मैं सब्जैक्ट से हटकर नहीं, पर नयी बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। Eighth Finance Commission तक डिविजिबल पूल में सिर्फ 28 परसेंट स्टेट्स को मिलता था। आठवें वित्त आयोग से आपत्तियां दर्ज करनी शुरू की गयीं और अटल बिहारी जी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री बने तो 32 परसेंट डिविजिबल पूल में से स्टेट्स को मिलने लगा। उसके बाद पिछले कालखण्ड में डिविजिबल पूल में से 42 परसेंट स्टेट्स को मिलने लगा है। सभापति महोदय, यह क्वांटम जम्प है, 14 परसेंट डिविजिबल पूल में इन्क्रीज होना, लेकिन एक नुकसान जरूर हुआ। जो अधिकांश सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स थीं, वे बंद कर दी गयीं।

राजस्थान को इधर तो पैट्रोलियम से रायल्टी मिलना आरम्भ हुई 10-11 करोड़ लेकिन डिविजिबल पूल बढ़ने के साथ में स्टेट का प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा लेकिन 10-11 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सैण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स के जो मिलते थे वे बन्द हो गये। कुल मिलाकर राज्यों को काफी नुकसान इस पर हुआ। सिस्टम चैंज करने की आवश्यकता है। 70 वर्ष के बाद में उसी परिपाटी पर चलते रहे और उसके कारण से धीरे-धीरे जिस प्लान में जो थ्रस्ट एरिया था उसी पर काम हुआ। व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ एक प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ एक प्लान में। अब कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है ताकि स्टेट में जो चीज की आवश्यकता है उसके आधार पर हम डवलप कर सकें और इसी आधार पर डिविजिबल पूल की यह बढ़ोतरी की। फैडरल स्ट्रक्चर में स्टेट-सब्जैक्ट में हम लॉ बनाते हैं। सभापति महोदय, जीएसटी के बाद में बजट में रह क्या गया, बजट है क्या? इन्कम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ही बजट है

(श्री नरपत सिंह राजवी)

और उसमें से टैक्स हटा देंगे तो लोन्स और लोन्स के अलावा नोन टैक्स रेवेन्यू, नोन टैक्स रेवेन्यू का सभापति महोदय, स्कोप बहुत थोड़ा है। अब जुडीशियल स्टाम्प है उसमें आपको क्या मिल जाएगा? स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन है यह भी सैण्ट्रल एक्ट है, स्टेट को इसमें मिलेगा लेकिन बहुत कम राशि मिलती है। इस आधार पर कह सकता हूं कि स्टेट का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए भी जो डिवोल्यूशन हम डवलपमेंट एक्टिविटी में कर रहे हैं उदय योजना के बाद में क्योंकि वे कम्पनियां बन्द होतीं तो सारा कुछ बन्द हो जाता और वह स्टेट में आन किया है उसके बाद में फ्रिंज बैनेफिट, एफआरबीएम का जो गैप था वह बहुत नेरो डाउन हो गया।

अभी हमारे उप नेता राजेन्द्र जी ने काफी उस पर कहा और मंत्रियों में से शायद कोई मुख्य मंत्री जी को जाकर कहेंगे भी नहीं, डेमोक्रेसी में नोर्म्स हैं, 10 दिन, 15 दिन पहले कोई भी टैक्स बढ़ाता नहीं है, हाउस में बढ़ता है। लेकिन डीजल और पैट्रोल पर जिस तरीके से 4 परसेंट बढ़ाया, आप जितने भी नेशनल हाईवेज चाहे बोम्बे-देहली कोरीडोर हो चाहे दूसरा हो, उन सब कॉरीडोर्स में अगर आप कैमरा लगाकर भी देख लेंगे तो नेशनल परमिट का एक भी कॉमर्शियल वाहन आपके वहां डीजल भराते हुए नहीं मिलेगा। 20 परसेंट अरबन पापुलेशन पर यह सारा टैक्स का डिवोल्यूशन हुआ क्योंकि कार या स्कूटर वाला तो दूसरी स्टेट से नहीं लायेगा। गुजरात में अन्तर था इसलिए थोड़ा बहुत दो-तीन जिलों में सेल्स ठीक-ठाक थी। मैं किसी के सेल्स रिप्रजेंटेटिव के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ओवरआल स्टेट में ज्यादा वसूली होने के बावजूद भी नुकसान हो रहा है क्योंकि 80 परसेंट जो यहां से डीजल भराते थे उनका रेवेन्यू आपको नहीं मिल रहा। हरियाणा की रेवेन्यू देखिये, देहली की देखिये, पंजाब की देखिये और गुजरात ने इसमें सुधार कर लिया पर हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन के नालेज में लाना चाहूंगा कि ग्रोथ रेट एसजीडीपी की काफी चर्चा हुई। 2017-18 में 7.2 परसेंट, लेकिन राष्ट्रीय औसत 6.7 परसेंट से यह ज्यादा ही है जबकि 1994 से 2003 में लगभग 6 परसेंट और उसके आस-पास ग्रोथ रेट रही है चाहे वह आपकी सरकार रही हो या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। कंटीन्यूटी आफ पालिसी में डवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ती है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सोलर एनजी के बारे में, रूफ टाप सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के नाम पर खूब प्रचारित भी किया। 3074 मेगावाट सोलर एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, 4310.5 मेगावाट विंड एनर्जी कर रहे हैं लेकिन आफ-टेक पाइंट्स विंड एनर्जी के तो अभी भी अधिकांश स्थान पर नहीं हैं। उसको आप जनरेट करने के बाद में पीक डिमांड का 13 परसेंट लेना चाहते हैं, लेते भी हैं लेकिन अभी तक बहुत सी पाकेट्स ऐसी रह गई हैं जहां पर आफटेक पाइंट्स नहीं हैं। कंटीन्यूटी आफ सोलर एनर्जी पालिसी, फ्रैंकफर्ट एक कमेटी को भेजिए, वहां फ्रैंकफर्ट में बहुत पहले ही यह किया था, हर घर के ऊपर रूफ-टाप सोलर एनर्जी टैप करने के लिए सिस्टम जनरेट कर लिया लेकिन पीक डिमांड तो अपने यहां दिन में है क्योंकि गर्मी है और वहां पर होती है रात को। बैटरी है लैड ओरिएंटेड, जब तक लीथियम ओरिएंटेशन की बैट्रीज नहीं आएंगी और कोस्ट इफेक्टिवनैस नहीं होगी तब तक यह सक्सेसफुल नहीं है। पैरेलल आपको स्ट्रक्चर खड़ा करके एनर्जी को आप कहां लेकर जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे यह बहुत काम्प्लीकेटेड स्ट्रक्टचर हैं। एनर्जी फुटप्रिंट के सर्टिफिकेट, 10 रुपये का एक सिस्टम चालू हुआ था। सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा, गजनेर जाकर देख लें, गजनेर में जो छोटे प्लांट्स लगे थे एक मेगावाट, दो मेगावाट के, वे सारे बन्द हो गये और यह 10 रुपये का जो एनर्जी फुटप्रिंट का सर्टिफिकेट मिलता था वह एक रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं है।

अरबन पावर सेविंग प्रोजेक्ट के तहत एलईडी की लाइट्स यूडीएच ने, नगर निगमों ने लगाईं। टेण्डर्स भी काल किये लेकिन दो चीजें होती हैं ओम्स और ल्युमिनस, ये दोनों फैक्टर्स स्टडी किये नहीं और टेण्डर कर लिये। अब आईएएस अधिकारी पढ़कर तो आ गये होंगे लेकिन कामर्स पढ़ा हुआ है उसको ल्युमिनस का नहीं पता होगा और पावर फैक्टर का उस आधार पर जितना लाभ मिलना चाहिए था, जयपुर उसका उदाहरण है, नहीं मिल पाया। रिप्लेसमेंट के जो कम्पनी के फैक्टर्स हैं वे भी वे पूरा नहीं कर पा रहे।

यूडीएच, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सभापति महोदय, जब तक सिस्टम में चेंज नहीं करेंगे, जब तक निर्वाचित प्रतिनिधि अपना दर्द वहां पर कहने की स्थिति में नहीं होगा तब तक वहां पर जल्दी निर्णय नहीं होंगे। जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी में बोर्ड का मैम्बर विधायक नहीं है, नोटिफाई किये हुए नहीं है। पिछली सरकार में भी नहीं किया, अभी भी नहीं हुए।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

चार साल पहले, पांच साल पहले जो पीएचसीज जयपुर शहर में खुली हैं उनके लिए भी अभी तक जमीन आबंटित नहीं हुई है। इतना धीरे स्कोप रहेगा तो गरीबों का हाल कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर सुधरेगा वह स्थिति आप समझ सकते हो।

सभापति महोदय, इसी जेडीए में, उदाहरण के तौर पर दो-तीन बड़ी स्कीम्स को आप उठाकर देखें। पीने के पानी के लिए, एक छोटी कालोनी बनाई 20-25 घर की, खुद ने क्वार्टर बनाकर दे दिये, लोहा मण्डी है यहां पर भी खुद ने एक छोटी-सी पानी की टंकी बनाकर दे दी, तीन ट्यूबवैल लगा दिये। कमप्लीट काम होने से पहले ओ एण्ड एम एक्सपेंडिचर लेना शुरू कर दिया ठेकेदार ने और कुओं को चालू ही नहीं किया। रस्टिंग हो गये, वे मोटरें ही अन्दर रह गईं। जो काम जिस स्पेशलिटी का नहीं है उसको हाथ में नहीं लेना चाहिए, वह डिपार्टमेंट को देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने 5-7 ट्यूबवैल हैंड-ओवर करवाये हैं रूरल एरिया में।

झोटवाड़ा पंचायत समिति की जमीन, जब हमारी सरकार थी। उस समय तय हो गया कि वह सेटेलाइट हास्पिटल के लिए दे दी जाए, पिछले दस महीनों में मीटिंग ही नहीं हुई alternate जमीन उसको दे नहीं सकते।

रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम, राजस्थान के किसी भी शहर में परकोटे के अलावा कहीं नहीं है। विद्याधर नगर जैसे पाश एरिया में भी रेन वाटर ड्रेनेज का कहीं सिस्टम नहीं है, और तो और सीवरेज सिस्टम भी पूरे जयपुर में सभी वार्डों में सही नहीं है। कई जगह तो अभी तक सीवरेज सिस्टम की लाइनें भी नहीं डाली हैं, कहां से स्वच्छ भारत की योजना successful होगी। कालवाड़ रोड पर जाकर देखें, कालवाड़ गांव में सैकड़ों बीघा में, ये untreated पानी ऐसे ही बह रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो राशि दी है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी राशि बढ़ाए, ताकि जनता को यह सुविधा मिले।

Agriculture Sector, Devolution Plan का आउट-ले तो हमेशा बढ़ा है, लेकिन relative share हमेशा घटता गया है निरन्तर, देश की जीडीपी का 18 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, राजस्थान में कंट्रीब्यूशन है 30 परसेंट, 70 परसेंट राजस्थान की पोपूलेशन डिपेंड करती है और भारत में 58 परसेंट, Allied Services in Animal Husbandry, Dairy, Poltry, देश का दस प्रतिशत दूध उत्पादन राजस्थान में और 32 परसेंट मीट का उत्पादन टोटल नीड का, लेकिन स्टेट के बाहर जो पशु जा रहे हैं, उस पर कोई...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 5 मिनट में...

श्री सभापति: दो मिनट में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): फिर तो बोलना ही शुरू किस वास्ते कराया...

श्री सभापति: वो आपकी मर्जी है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अभी तो 8 मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति: आपकी सुविधा है, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वेटेरिनरी साइन्सेज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक सब्जैक्ट था, मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूं मैंने 2006-07 में लैटर लिखा था, लेकिन यह प्रक्रिया चलते-चलते वेटेरिनरी हास्पिटल अशोकजी ने खोली, मुख्य मंत्री जब वे बने। बीकानेर में वेटेरिनरी कालेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और आधार यह था कि गांव में हर परिवार की अगर आमदनी बढ़ सकती है तो वेटेरिनरी साइन्सेज में थर्स्ट एरिया बनाने के बाद बन सकती है। सैकण्ड व्हाइट रिवोल्यूशन होगा, तो उसी से होगा।

मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में फ्री मेडिसिन। सभापति महोदय, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में जेनेरिक मेडिसिन का सिस्टम मैंने शुरू किया था, जब मैं वहां पर मंत्री था और मैंने यह भी उस फाइल में लिखा है कि 15 परसेंट बजट आप और दे दें तो जितने भी इंडोर पेशेन्ट हैं, उनको सबको फ्री जेनेरिक मेडिसिन, जो भी नोटिफाइड हैं, उससे हम गरीब का इलाज कर सकेंगे। अब सभी का फ्री कर दिया, बहुत अच्छी बात है लेकिन लाइनें जितनी लम्बी लगती हैं, पिछले 8 महीने में मेरे खयाल से तीन एमएलए भी वहां एसएमएस में इलाज कराने नहीं पहुंचे। मेडिकल कालेजेज में सीटी और एमआरआई हमारे समय में भी था, आज भी है रेडियोलाजी में स्टूडेंस का जो डवलपमेंट है, वह नहीं हो पाएगा।

श्री सभापति: कनक्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह प्रूव हो चुकी है और निवेदन करना चाहूंगा कि 500 बैड की घोषणा की है इस बजट में, आपके अकेले बीकानेर में 1500 बैड की स्टाप गैप है। एसएमएस में 1200 पेशेंट नीचे सो रहे हैं।

श्री सभापति: कनक्लूड करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कम से कम अभी जितनी आवश्यकता है, उसको पूर्ति कर दें, वो निश्चित तौर पर हो जाएगा।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सिस्टम में चेंज करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बैठ जाएंगे, साहब, थोड़ा-सा तो और कहूंगा।

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा। श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, आसन की अवहेलना नहीं करेंगे आप। विराजिए, विराजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज। प्लीज, सहयोग करिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं विराजिए अब आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। मैंने नाम पुकार दिया, श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: अलाउ नहीं करेंगे तो आप नहीं बोलेंगे। आसन आपको यदि इजाजत नहीं देता है तो आप नहीं बोलेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। आसन आपको अलाउ नहीं कर रहा है। अंकित नहीं होगा। श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: नहीं-नहीं। मुझे निर्देश था, उतना टाइम दे दिया। प्लीज, आप सहयोग करिए। प्लीज-प्लीज सहयोग करिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष की तरफ से आपको 15 मिनट का टाइम था, आप 16 मिनट बोल लिए। प्लीज विराजिए, सहयोग करिए। प्लीज-प्लीज सहयोग करिए। श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इस महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल पर, मैं आपका आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं मेरी बात रखने से पहले कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं और इन आंकड़ों का सभी सदस्यों को मालूम भी है क्योंकि बजट के समय सभी डिस्कस हुए हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ है वह 11.2 प्रतिशत है और हम सैक्टरवाइज बात करें तो कृषि का योगदान है 25 प्रतिशत, उद्योग का है 30 प्रतिशत और सर्विस सैक्टर का 45 प्रतिशत।

महोदय, तीनों सैक्टर में रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। महोदय, कृषि में 44 प्रतिशत, उद्योग में 8 प्रतिशत और सर्विस सैक्टर में 47 प्रतिशत हमारी लेबर फर्म रोजगार पाती है। हम रेवेन्यू की बात करें तो हमारा टोटल रेवेन्यू 1.88 करोड़ है, जबकि खर्च हमारा है, औसतन 2.33 लाख करोड़ पर है। महादेय, मैं ये आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि यह बताया जा सके कि राजस्थान का बजट जब भी पेश होता है, वह हमेशा घाटे में रहता है और इस घाटे के लिए हमको कर्ज लेना पड़ता है, जो हमारी चिन्ता का विषय है। हम लोग जो हैं, हमारी आमदनी के अनुपात में 33 फीसदी कर्ज ले चुके हैं, यह बेहद चिंता का विषय है। आमदनी और हमारे खर्च में सामंजस्य नहीं होने के कारण रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है इसलिए समाज के अंदर असंतोष भी व्याप्त है।

सभापति महोदय, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, हम क्या करें, हमारा फोकस कहां होना चाहिए? सभापति महोदय, मैं अलग हटकर बात करना चाहता हूं। मेरे साथियों ने आंकड़े पेश किए, पूर्ववर्ती सरकार के पेश किए, वर्तमान सरकार के पेश किए। मैं बजट में यह सब बोल चुका हूं,

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम राजस्थान को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो तीन मुख्य सैक्टर हैं, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला हमारा कृषि, दूसरा माइनिंग और तीसरा हमारा पर्यटन सैक्टर, ये तीनों सैक्टर ऐसे हैं, जिससे हम रोजगार पैदा कर सकते हैं, रोजगार के नये अवसर दे सकते हैं।

महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान की सरकार बनते ही, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जिन्होंने शपथ लेते ही दिल्ली गये और सबसे पहले यमुना के पानी की बात की। उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। महोदय, यहीं नहीं उन्होंने हाल ही में चंडीगढ़ में जाकर वहां के मुख्य मंत्री, पंजाब के मुख्य मंत्री और वहां के सारे अधिकारी और हमारे सारे अधिकारियों ने एक उच्चस्तरीय बैठक की और हमारे पानी से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे समझौते वहां पर हुए। महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज आवश्यकता है राजस्थान को। आज इस बात के लिए मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनके दिल में किसान के प्रति कितनी भावना है और वे किसान की तरक्की चाहते हैं, प्रदेश की तरक्की चाहते हैं इसलिए वे सबसे पहले सिंचाई के पानी के लिए चाहे रावी व्यास का पानी हो, चाहे यमुना का पानी हो इन सबको लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के किसानों की तरफ से।

महोदय, यह सही है कि आज कृषि मुनाफे का कारोबार नहीं रहा। हमारे पास निश्चित रूप से पानी की कमी है और इसके लिए प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि आज हमको जो हमारी कृषि है वह महंगा सौदा होता जा रहा है। महंगा होता जा रहा है इसलिए किसान उससे दूर होते जा रहे हैं इसलिए हमको कृषि के अलाइड सैक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। महोदय, यह अलाइड सैक्टर चाहे पशुपालन है, चाहे बागवानी है, चाहे मुर्गीपालन है, मछलीपालन है इनके ऊपर हमको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तब जाकर के हम राजस्थान के किसानों के हाल ठीक कर सकते हैं। हमारे प्रदेश की हालत ठीक कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि बागवानी के क्षेत्र में हम लगातार पिछड़ रहे हैं और जो फलों का उत्पादन है वह 2013 में 6.82 लाख

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

मीट्रिक टन था जो अब 2017-18 में घट करके 5.73 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसी तरह से सब्जियों में देखें। सब्जियों में भी लगातार इसी प्रकार से घटता जा रहा है। हमारे 2013-14 में 19.87 लाख मीट्रिक टन से अब घट कर 2017-18 में 17.96 लाख मीट्रिक टन ही रह गया। क्यों? इसी प्रकार से आप मसालों का देख सकते हैं। मसाले हमारे किसान के लिए बहुत ही मुख्य हैं। मसालों का उत्पादन 2013-14 में 10.56 लाख मीट्रिक टन था जो अब घट कर 9.96 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि हम बागवानी पर कोई ठोस नीति नहीं बना पा रहे हैं और यह ठोस नीति हमको बनानी होगी क्योंकि हमारी मुख्य फसलों का उत्पादन लगातार घट रहा है। उसकी लागत बढ़ रही है।

सभापति महोदय, मैं कृषि के बाद में माइनिंग सैक्टर की बात करना चाहता हूं। आज माइनिंग सैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट सैक्टर है राजस्थान के लिए। आज राजस्थान के अन्दर ...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करेंगे आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): पांच मिनट दे दें मुझे।

श्री सभापति: दो मिनट।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सर, पांच मिनट। हम माइनिंग की बात करें तो राजस्थान में चूना पत्थर सबसे ज्यादा है और सीमेन्ट का उत्पादन बहुत कम हो रहा है 19.26 मिलियन टन है। पूरे देश में जितना जिंक भण्डार है उसका 99 प्रतिशत हमारे राजस्थान के पास है। जिप्सम 93 प्रतिशत, मार्बल है 90 प्रतिशत और एसबेस्टोस 89 प्रतिशत, सोपस्टोन 87 प्रतिशत, लैड 80 प्रतिशत, फास्फेट 75 प्रतिशत और सेक्सटन 70 प्रतिशत और प्लेमार्ट 70 प्रतिशत है। देश का इतना रिच मार्बल कहीं और नहीं है, सिर्फ राजस्थान के पास ही है। इसके लिए कोई ड्राइविंग पालिसी नहीं है वो हमको बनानी पड़ेगी। मिनरल बेस इंडस्ट्री इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। यह हमको करना पड़ेगा। राजस्थान में 81 किस्म के खजिन पाये जाते हैं पर व्यावहारिक उत्पादन सिर्फ 57 का हो रहा है। जिप्सम के भण्डार का इस्तेमाल हम पावर सैक्टर में कर सकते हैं जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और उसमें फ्रेश लुक की जरूरत है। फ्रेश लुक पालिसी की जरूरत है।

सभापति महोदय, तीसरा बिन्दु पर्यटन है। 2017 में 45.92 मिलियन

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

पर्यटक राजस्थान में आये जिसमें 1.61 मिलियिन विदेशी सैलानी थे। पर्यटन क्षेत्र को प्रयोगशाला बना रखा है। इसमें तरक्की नहीं हो रही है। नये-नये नारे आ रहे हैं लेकिन आज इस सैक्टर में यदि हम ध्यान दें तो सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन हो सकता है और इसके लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लेना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): साहब, एक और कहना चाहता हूं बस अंतिम।

सभापति महोदय, हैंडीक्राफ्ट्स की बात मैं करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): हैंडीक्राफ्ट्स की बात करना चाहता हूं। हैंडीक्राफ्ट्स आज रोजगार के नये अवसर सृजित कर सकता है और मैं उदाहरण देना चाहता हूं किशनगढ़ का। मैं उदाहरण देना चाहता हूं हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं लालसोट का तो वहां पर किस प्रकार से यह पनप रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। बड़े-बड़े बाजार बन चुके हैं उनको हमको प्रमोट करना चाहिए। मेरी एक अंतिम सलाह यह है कि खादी ग्रामोद्योग विभाग से ग्रामोद्योग निकालकर हैंडीक्राफ्ट्स एंड रूरल इंडस्ट्री नाम से अलग विभाग बनाकर उस पर फोकस करना चाहिए।

श्री सभापति: कनक्लूड करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका आभारी हूं।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटरयान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 लाया गया है जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुतबहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सरकारों

(श्री अभिनेश महर्षि)

के केन्द्र बिन्दु में, उनके सोच के केन्द्र बिन्दु में यदि आम आदमी का भला करने की मानसिकता होती है तो निश्चित रूप से वह स्टेट आगे बढ़ता है और सरकारों की मानसिकता में पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां निकालकर जो भी कोई हो लेकिन हमें कमी निकालनी है यदि यही सोच पनप जाता है तो वह स्टेट आगे नहीं बढ़ता है, विकास नहीं करता है। कोई दोराय नहीं है कि देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक जिन सरकारों ने राज किया, जो कहते हैं कि सूई जिस देश में नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनने लगा। निश्चित रूप से सरकारें विकास का काम करती हैं। सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह भी दोषारोपण करना ठीक नहीं होता है कि बाकी जो सरकारें हैं जब-जब भी आयीं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था उसको सब गुड़-गोबर कर दिया, ऐसा भी नहीं है।

विद्युत विभाग की बात कर रहे थे। कांग्रेस सरकार के समय में बिजली विभाग को कोई भी कर्ज देने से राज़ी नहीं था। कर्ज देना बंद कर दिया था। क्या गुनाह कर दिया वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने? राजस्थान अंधकार में डूबने वाला था और जो उससे पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी सोच और उनके लिए गए कर्जे के कारण था। उस वक्त वो यदि और कर्जा लेते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान अंधकार में नहीं डूबता और जब हम किसान की बात करते हैं किसान को सभापति महोदय, जब तक बिजली नहीं मिलेगी, जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा, जब तक किसान को उचित मूल्य पर खाद, बीज नहीं मिलेगा, जब तक नकली बीज मिलना किसान को बंद नहीं होगा तब तक किसान की बहबूदी और किसान के लिए उसके उन्नत भविष्य की कामना करना हमारे लिए बेमानी होगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि यदि आज हमारा अन्नदाता जो किसान है उस किसान के लिए हम जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक हम आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते हैं। सरकार ने सरकार में आने के लिए दो ऐसे बड़े वादे किए थे। एक वादा किसानों की कर्जा माफी को लेकर किया था और दूसरा वादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देने की बात का किया था। मैं समझता हूं कि वह सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिये किया था। आज भी जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, माननीय मंत्री महोदय का जो जवाब आया था वह मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने आज बहुत स्पष्ट बता दिया, आज भी मंत्री महोदय, सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं

(श्री अभिनेश महर्षि)

है कि किसान का कौनसा और किस-किस मद का कितना कर्जा बैंकों में हमने जमा करा दिया। किसान कर्जा माफी के बाद जो अब की बार फसली ऋण लेने वाला था, वह उससे वंचित हो गया है। किसान के साथ कितना बड़ा धोखा, किसान की पीठ पर छुरा घोंपने का काम इस सरकार ने किया है, जो किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।

मैं अभी दो दिन अपनी कांस्टीट्यूएंसी में गया मुझे लगातार लोगों ने पूछा कि वह बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? उसमें कई तरह के राइडर्स लगा दिये गये। जिन बेरोजगारों की भावनाओं को भड़काकर राजस्थान की सरकार सत्ता में आई थी, उन्हीं नौजवानों ने और जिनके लिये कहा गया था कि जो लोग भी संविदा पर थे, अनेक-अनेक तरह के, अलग-अलग विभागों के लोग थे, उन सब लोगों को हम नियमित कर देंगे, लोक लुभावने वादे दिये। हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय एक किसी धरने में गये थे। उन्होंने वहां पर बहुत जोर से कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम आप लोगों को नियमित कर देंगे। काम करने के बहाने नहीं होते हैं और काम नहीं करने के सौ बहाने होते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बेरोजगारों को ठगने का काम किया, जिन किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, उन किसान और बेरोजगार लोगों ने 5-6 महीने बाद ही जब समय आया तो आपको जीरो पर आउट कर दिया, यह सरकार का काम था। कोई भी बजट होता है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी तो नहीं हूं लेकिन परिवार को चलाने के लिये भी हमें बजट बनाना पड़ता है। अलग-अलग मद पर हमें अलग-अलग खर्चा करना पड़ता है।

मैं डीजल और पैट्रोल की बात करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं चूरू जिले से आता हूं और हमारी बार्डर हरियाणा से लगती हुई है। हरियाणा में 7.50 रुपये और 9.50 रुपये का डिफरेंस राजस्थान और हरियाणा में डीजल और पैट्रोल में हो जायेगा। सभापति महोदय, तस्करी करने के लिये सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं। मेरे से पूर्व वक्ता यह बात कह रहे थे कि यह केन्द्र सरकार के द्वारा लगाये गये टैक्स के कारण इतना डिफरेंस आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि टैक्स के कारण ही राजस्थान में यह डिफरेंस आता तो हरियाणा में इतना फर्क क्यों है? हरियाणा की सरकार 9.50 रुपये कम में डीजल और पैट्रोल बेच रही है, क्या राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कर सकती है?

(श्री अभिनेश महर्षि)

डीजल के कारण सारी चीजों में हमें बढ़ोतरी मिलेगी, महंगाई डीजल के कारण बढ़ेगी। चाहे आज किसान की बात कर लें, चाहे व्यापारी की बात कर लें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें या अन्य किसी भी कल कारखाने को चलाने की बात कर लें, सबमें डीजल की खपत होती है और उसके कारण पूरा का पूरा मार्केट प्रभावित होता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार ने सड़कें पास की थीं, मैंने संबंधित मंत्री महोदय से पूछा था कि इन सड़कों के बारे में क्या निर्णय होने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जितना पैसा था, जितना बजट था उससे ज्यादा बजट दे दिया था। बजट लोगों के हित में दिया था। सड़कें टूटी-फूटी पड़ी थीं, पांच साल पहले जो सड़कें बनाई थीं वह गुणवत्ता में इतनी खराब सड़कें बनी हुई थीं कि उन सड़कों ने पांच साल भी पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन सड़कों को ठीक करने के लिये, लोगों को सुविधा देने के लिये हमें यह सड़कें पास करनी पड़ेंगी। सड़कें पास हो गईं, बजट दे दिया गया, उसके बाद काम चालू हो गया। ठेकेदारों ने जब काम करना शुरू कर दिया, कुछ काम हो भी गया, उसके बाद में सरकार बदल गई और आते ही सरकार ने उन सड़कों को बंद कर दिया। सड़कें बंद कर दीं, ठेकेदार कहां जायेगा...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जी बिलकुल कर दूंगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो 2600 करोड़ रुपये बकाया है, सरकार उन ठेकेदारों को वह बकाया राशि देने की मानसिकता रखती है या नहीं रखती है?

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार अब श्मशान भी बेचने लगी, सरकार स्वयं भू माफिया बन गई है। श्मशान की भूमि पर भी सरकार स्वयं कब्जा करने लग गई है। संवत् 2025 में भी जो श्मशान भूमि में दर्ज है, उससे पहले रिकार्ड में कभी भी सरकारी भूमि नहीं रही, लगातार श्मशान में आ रही है, छोटे-छोटे बच्चों को उस भूमि में गाड़ने का काम श्मशान के रूप में किया जाता रहा हो और जहां पर अनेक मुर्दे जलाये गये हों, क्या कारण रहा, किन भू-माफियाओं के प्रभाव में सरकार आ गई कि वहां पर उस भूमि को किस्म

(श्री अभिनेश महर्षि)

परिवर्तन करने के लिये एक दिन में 8 आर्डर होते हैं। तहसीलदार, एसडीएम, उसके बाद उसमें दर्ज करवाना, चढ़वाना और सरकार यह घोषणा कर देती है कि यह श्मशान की भूमि नहीं है और उसमें भू-माफियाओं के साथ मिलकर, मैं तो कहता हूं कि सरकार स्वयं भूमाफिया हो गई है, अब श्मशान की भूमि भी सरकार छोड़ नहीं रही है। ऐसी सरकार को मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकहित में कार्य किये जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं यह बात कहते हुए कि ढाणियों के विद्युत कनेक्शन बहुत बकाया पड़े हैं। सरकार बिजली की बात तो करती है लेकिन यह ढाणियों के बकाया कनेक्शन यदि सरकार दे दे और मैं उम्मीद करता हूं, अब पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, यहां पर भी है, पंजाब का पानी लाओ जिससे राजस्थान का भला हो जाये। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मदरसा पैराटीचर्स शिक्षा संकुल में एक धरने के तौर पर बैठे हैं, उनकी बात सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं। अभी यहां आने से पहले मैं उनसे मिला, उनका ज्ञापन लिया। उनकी डिमांड बिलकुल वाजिब है, 7200 रुपये का वेतन उनको मिलता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गृह जिले से दूर काम पर जाते हैं तो उनके दो-तीन हजार रुपये आने-जाने में ही खर्च हो जाते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस मामले को सीरियसली लेकर उनका वेतनमान बढ़ाया जाये और आगे उनको रेगुलराइजेशन करने का मुद्दा चल रहा है, उसमें उनको रेगुलराइज किया जाये, यह मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है।

सभापति महोदय, सदन में बजट सैशन में बहुत सी चर्चाएं हुईं, सभी तरह के मामले डिस्कस हुए। ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री और रोजगार से रिलेटेड अभी यहां कोई बात डिस्कस नहीं हुई। अभी हमारे रोहित बौहरा जी ने कुछ बातें इसमें रखीं। डी-मोनेटाइजेशन के बाद प्रदेश में ट्रेड और इंडस्ट्री की जो हालत है पूरे देश में और स्पेशली राजस्थान प्रदेश में रोजगार के अवसर खतम हो गये

(श्री रफीक खान)

हैं। जिनकी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जो 400, 500, 600 आदमी लेकर काम करता था, उन्होंने अपने एम्प्लाइज का कटडाउन कर दिया और 30 से 50 परसेंट तक लोगों को नौकरी से निकाल दिया। डी-मोनेटाइजेशन के बाद एक फाइनेंशियल क्रंच ट्रेड और इंडस्ट्री में डवपलप हो गया। ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में अभी ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री को लेकर है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आजादी से लेकर आज तक के इतिहास में अगर सबसे खराब रेशो अनएम्प्लायमेंट का है तो वह इस वक्त है और उसका एक बहुत बड़ा कारण डी-मोनेटाइजेशन है।

(15.00 बजे)

राजस्थान में आज अगर कोई आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके पास इंडस्ट्री लगाने के लिये 500 मीटर की जमीन अवेलेबल नहीं है। मैं इस मामले में आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी पालिसी अनाउंस की और यह एक मैसेज दिया कि कोई भी आदमी, कहीं भी जाकर, किसी भी जगह ट्रेड और इंडस्ट्री का काम कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है। उससे तीन-साढ़े तीन साल तक किसी प्रकार के लाइसेंस के लिये नहीं पूछा जाएगा। तीन साल बाद भी उन्हें छह महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, जिससे वह अपना काम और धंधा सुचारु रूप से कर सकें। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं हमारे उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

जयपुर कुटीर उद्योगों की नगरी रही है। यहां के छोटे-मोटे उद्योग हैं। बहुत अर्से से आप देखते आ रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान में हम घूमते हैं तो जयपुर रजाइयों के लिये फेमस रहा है। आज के समय में उनको सर्वाइवल करने की परेशानी है। आदमी अपने काम-धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में लगा हुआ है। बिक्री में गिरावट आयी है। बिक्री में पिछले तीन-चार सालों में रिकार्ड गिरावट है। इसी तरह से राजस्थान के जयपुर में बैडशीट प्रिंटिंग का काम होता था। सर्टेन पोल्यूशन की वजह से या किसी और रीजन से धीरे-धीरे इस काम में भी गिरावट आयी है। जयपुर में टाई डाई बांधनी वर्क का काम होता था, उसमें भी काफी गिरावट है, काफी लोग बेरोजगार हो गये हैं। हैंडीक्राफ्ट के लिये हम काफी मशहूर रहे हैं, हम गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए काफी मशहूर रहे। जैम्स और जूलरी की इंडस्ट्री जयपुर में है। कुंदन-मीने की जूलरी यहां बनती है। गारमेंट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनस है, कुर्ती बनाने का बहुत बड़ा बिजनस

(श्री रफीक खान)

है। मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि ऐसा पैकेज बनाया जाए, ऐसा रिवाइवल पैकेज बने जिससे जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, उनको ग्रोथ मिले और उसके एम्प्लायमेंट में वृद्धि हो।

मैं जैम एंड जूलरी की बात करूं तो जयपुर एक ऐसी जगह है, जहां पर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन बाहर से लाये जाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन की जाती है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। विश्व के अंदर पन्ने की सबसे प्रसिद्ध कटिंग-पालिशिंग होती है तो वह जयपुर में होती है और हम इसकी कारीगरी के लिये पूरी दुनिया में विख्यात हैं। सबसे बड़ा बिजनस जैम एंड ज्वैलरी और पन्ने के स्टोन का अगर कहीं होता है तो जयपुर में होता है। हमारी सरकार का इस ओर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। जयपुर शहर की बात करें तो सात से आठ लाख लोग जैम एंड ज्वैलरी के कटिंग-पालिशिंग के धंधे पर आश्रित हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी की बात करें तो 50 हजार से लेकर 80-90 हजार लोग इस धंधे पर आश्रित हैं। इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी ने घर पर कटिंग व पालिशिंग की मशीन लगा ली तो उसके पास बिजली वाले आ जाते हैं। डोमेस्टिक कनेक्शन पर वह छोटी मशीन पर काम करता है तो बिजली वाले कहते हैं कि कामर्शियल कनेक्शन नहीं लिया तो पैनल्टी लगा देंगे। पैनल्टी लगाने के नाम पर उसका एक्सटोर्शन किया जाता है जबकि वह एसआईपी और टाइनी इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन का अधिकारी है और सब्सिडाइज रेट पर बिजली लेने का अधिकारी है। मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि उनको सब्सिडाइज रेट पर टाइनी इंडस्ट्री में, जैसे ही डिपार्टमेंट को यह पता लगे, बजाय पैनल्टी लेने के उनका कनेक्शन इंडस्ट्रियल कनेक्शन में तब्दील करें। जयपुर से 25 से 30 हजार करोड़ का काम जैम एंड ज्वैलरी में होता है। इतना अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है कि यहां अगर बाहर से कोई कस्टमर माल लेने के लिये आता है और अगर वह किसी एक ब्रोकर या आदमी के पास बैठ जाता है तो कोई ऐसा सिस्टम यहां पर नहीं है कि उसके पड़ौस के आदमी के पास क्या स्टाक है, उसकी उसको जानकारी मिल जाए और टाइम पर वह माल मिले।

एक बहुत बड़ी जरूरत है, जैम बूर्स की स्थापना करने की। एक ऐसी जगह की स्थापना करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है जहां सारे के सारे आदमी, सारे ट्रैडर्स, सारे मैन्युफैक्चरर एक ही प्लेटफार्म पर अपने माल का डिमोन्स्ट्रेशन कर सकें, नुमाइश कर सकें। बाहर से अगर व्यापारी आता है तो

(श्री रफीक खान)

उसके बिजनस में उसको ग्रोथ मिल सके और उसको भी यहां पर एक जगह पर सारी चीज कंसोलिडेट होकर मिल सके। मेरी गुजारिश है कि जयपुर सिटी में ऐसी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, जहां बिजनस को कंसोलिडेट किया जा सके। सेंट्रल जेल एक ऐसी जगह है। जेल को अगर यहां से बाहर स्थापित कर दिया जाए और वहां एक बहुत बड़ा जैम बूर्स बनाया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे क्षेत्र में न केवल एम्प्लायमेंट जनरेशन होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि जिस काम के लिये हम पूरी दुनिया में फेमस हैं, पूरी दुनिया में विख्यात हैं, वह काम करने में हमें आसानी होगी और हमारी ट्रैड का ग्राफ ऊंचा बढ़ेगा। मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि यहां पर जल्द से जल्द एक जैम बूर्स बनाने की रिकमंडेशन की जाए।

ऐसी इंडस्ट्रीज जो मैन्यूफैक्चरिंग ही नहीं करती हैं, स्किल डवलपमेंट का काम करती हैं। उनके ऊपर सर्टेन प्रोब्लम आती है। प्रोब्लम यह आती है कि 15-16 वर्ष के आदमी जो दसवीं-बारहवीं पास करने के बाद किसी वजह से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण टैक्निकल एजुकेशन में नहीं ले पाते हैं, वे काम सीखने के लिये फैक्ट्री जोइन कर लेते हैं। वहां पर ये होता है कि लेबर लॉज के नाम पर...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने तो शुरू ही नहीं किया। लेबर लॉज के नाम पर, चाइल्ड लेबर के नोर्म्स के नाम पर उनका एक्सप्लायटेशन किया जाता है, तो मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि ऐसी इंडस्ट्री जो स्किल डवलपमेंट का काम करती है, एम्प्लायमेंट जनरेशन का काम करती है और number of employees में 100, 150, 200 या 500 आदमियों को रोजगार देती है तो स्किल डवलपमेंट करने वालों को इस धारा से मुक्त रखा जाए, इस परेशानी से मुक्त रखा जाए। यह मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है।

मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि अल्पसंख्यक विकास सहकारी निगम, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे उप नेता ने, बाकी बहुत से लोगों ने बहुतसी बातें कीं, किसानों के ऋण की बात की। बहुत सारी चिंताएं विभिन्न मसलों पर जतायीं। मैं इनको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं कि माइनोरटी फाइनेंशियल कारपोरेशन में 150 करोड़ रुपये का लोन बाकी है। 150 करोड़ रुपये का लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है। इन्होंने

(श्री रफीक खान)

यह मना कर दिया कि हम आगे माइनोरटी फाइनेंशियल कारपोरेशन को कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि 20 करोड़ रुपये की इंस्टालमेंट बाकी है। ये बातें हजारों करोड़ की कर रहे हैं। इन्होंने माइनोरटी फाइनेंशियल कारपोरेशन को डेढ़ सौ करोड़ रुपये से ऊपर का ऋण देने से मना कर दिया है। मेरी प्रतिपक्ष के साथियों से गुजारिश है केन्द्र में यह अपील करें कि इसकी गारंटी बढ़ायी जाए, इसकी लिमिट बढ़ायी जाए और कम से कम इसको एक हजार करोड़ रुपये किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट से यह रिकमंड किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। विराजिए। श्री बलवान पूनियां।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): छोटे उद्योगों की फंडिंग सरल की जाए, जो जयपुर बेस की इंडस्ट्री हैं। जो रीजनल इंडस्ट्री हैं, उनके लिये सब्सिडी का पैकेज बनाया जाए। इंडस्ट्री के डवलपमेंट के लिये काम किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं दो प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं। मेरा प्रस्ताव पहला यह है पैट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार के पास सारे 200 मैंबर्स प्रस्ताव भेजें। यों नूरा कुश्ती करने से काम नहीं चलेगा।

नंबर दो, फसल बीमा की नेता प्रतिपक्ष भी चिंता कर रहे हैं, इधर भी चिंता है, मुझे भी चिंता है। 31 तारीख लास्ट डेट है जबकि 2017 में यह डेट 31 अगस्त तक की रही है तो केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए कि इसकी डेट बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए ताकि सारे लोगों के प्रीमियम कट सकें। इससे जुड़ी हुई एक बात यह भी है कि अगर बीमित लोग कम हो गये तो अगली बार फसल बीमा में काम करने के लिये बीमा कंपनियां टेंडर डालने के लिये नहीं आएंगी, इसलिए बीमित होना भी जरूरी है ताकि किसान का भला हो और हमारी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना भी मजबूती के साथ आगे बढ़े।

सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर बात करते हुए मैं सरकार का ध्यान कई चीजों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब टैक्स बढ़ा देते हैं हमारा और हरियाणा में तेल का डिफरेंस 9 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर और अलवर, आज के दिन कितना तेल

(श्री बलवान पूनियां)

बिक रहा है और आज के दो महीने पहले कितना तेल बिकता था, इस बात पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए ताकि हमारे यहां तेल माफिया न पनपें। 9 रुपये का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है।

नंबर दो बात, इतना लेने के बाद भी हमने नेशनल हाईवे पर क्या लोगों का टोल माफ किया? नेशनल हाईवे पर आज भी लोगों का टोल टैक्स लगता है। ये दोनों बातें भी मैं सदन में आपके मार्फत रखना चाहूंगा। सरकार ने पहले वादा किया था कि संविदाकर्मियों को, तमाम को स्थायी किया जाएंगा। हालांकि यह चर्चा चली है कि 46 परसेन्ट हमारे बजट का प्रावधान तनख्वाह, पेंशन में चला जाता है। इससे भार बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे यानी राज्य का चेहरा लोक कल्याणकारी है। मैं इतेफाक नहीं रखता कि विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ साहब जो बात बोल रहे थे कि आपने सफेद हाथी खड़े कर दिए और वे सफेद हाथी घाटा कर रहे हैं। नहीं साहब, सरकार बनिया नहीं है। सरकार लोक कल्याणकारी है। राज्य का नाम लोक कल्याणकारी स्टेट होना चाहिए। आज भी हम उसी संदर्भ से देखना चाहते हैं क्योंकि लगातार पिछले एक महीने से जो बहस में भाग लोगों ने लिया, सबकी बहस में एक-एक चीज यह जुड़ी हुई थी कि मेरे यहां पर यह हो जाए, मेरे यहां हो जाए, इसका मतलब राज्य करे। राज्य तभी करेगा जब राज्य की समझ यही रहेगी। राज्य की समझ यदि व्यापारी की तरह हो जाएगी तो फिर राज्य बेहतर नहीं कर पायेगा।

जीएसटी लगने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ा है राज्य के बजट और केन्द्र के बजट से। मैं राज्य को जोड़ना चाहूंगा केन्द्र से और केन्द्र ने जिस तरीके से एक निरुत्साहित बजट देकर हमारे ऊपर जो बातें थोपीं और सब चीजों को गौण करने के लिए आज जो खेल खेला जा रहा है, मैं उसकी आलोचना करना चाहता हूं। वह खेल है, सूचना के अधिकार पर सबसे बड़ा कुठाराघात। केन्द्र ने सूचना के अधिकार को दमन और दफन करने का कार्यक्रम बनाया, सूचना के अधिकार में केन्द्र की सरकार जो संशोधन बिल लेकर आई है, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के सदन से यह बात उठे कि जनता को बहुत मुश्किल के बाद यह सूचना का अधिकार मिला था। यूपीए फर्स्ट की गवर्नमेंट ने जो यह सूचना का अधिकार दिया था, कहीं न कहीं मेरी पार्टी के भी 62 एमपी ने इस बात के हक में हाथ

(श्री बलवान पूनियां)

खड़ा किये। हम उस हाथ को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। लोगों को कलम के साथ यह सूचना मिल जाती थी कि चिदम्बरम पर मुकदमा चला है, कनिमोझी पर मुकदमा चला है, सुरेश कलमाडी पर मुकदमा चला है या केन्द्र की सरकार ने कुर्बानी दी है, सूचना के अधिकार से। आज सूचना के अधिकार से लोग डर क्यों रहे हैं? सूचना के अधिकार को तोड़ कैसे रहे हैं? हम इस बात की सदन में निन्दा करना चाहते हैं। मैं इस बात को पुरजोर शब्दों में उठाना चाहता हूं कि मेरे तमाम साथी जो यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान में और हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है? यह चीजें अगर जानना चाहते हैं तो सूचना के अधिकार को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है।

आज मैं जिक्र करना चाहूंगा सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का। केन्द्र की सरकार ने जो आदेश किया था और खाद्य सुरक्षा में जो बाधाएं पैदा कीं, दोनों चीजों में जो बाधाएं पैदा की हैं, केन्द्र की सरकार उन बाधाओं को हटाए। हर्डल्स पैदा किए हैं। एक तरफ कहा कि आपको दस परसेन्ट आरक्षण देंगे, दूसरी तरफ ऐसी बाधाएं लगा दीं कि लोग फार्म उठाए एसडीओ के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। खाद्य सुरक्षा और सवर्णों के आरक्षण दोनों में जो सबसे बड़ा समाधान हम चाहते हैं कि नोशनल शेयर पर रिपोर्ट हो उसके फार्म पर। आज भी अगर शहर में किसी के पास 200 वर्ग गज जमीन है और वह ज्वाइंट फैमिली में है और दादा के नाम पर जमीन पड़ी है तो उसको सवर्ण आरक्षण नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा में भी यही स्थिति है। केन्द्र के आदेश को राज्य की सरकार नोशनल शेयर के आधार पर जनता को रिलेक्सेशन देने का काम करे।

मैं आपके मार्फत यह बात राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने इस बजट में जो-जो प्रावधान किए हैं, गत सरकार के बजट की तरह उन प्रावधानों को पीछे न छोड़ दें, लागू करें। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आज भी 40 परसेन्ट योगदान पशु उत्पादन से, पशु के दुग्ध उत्पादन से, हालांकि मैं निजी विधेयक के दिन विधेयक लेकर आ रहा हूं। सरकार अगर उस विधेयक को इस सदन में लाएगी, मैं विधेयक लेकर आ रहा हूं कि पशु क्रूरता के नाम पर जो फंड किया गया था राजस्थान में और उससे पहले 1998 में जो मेले बंद किए थे, तीन साल के बछड़ों की बिक्री पर जो रोक लगी थी, उस रोक को सरकार हटाए ताकि पशुधन तेजी से

(श्री बलवान पूनियां)

बिकना शुरू हो। मेले जगह-जगह लगें और लोगों में हौसला हो, एक उत्साह हो ताकि पशुपालन में राजस्थान की जनता तेजी से काम करे। पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान और पूरा का पूरा यह बेल्ट पशुधन में काम करके हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर भी इंगित करना चाहूंगा कि श्रम विभाग और राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई समाज कल्याण से जुड़ी हुई चीजें, श्रम विभाग के मार्फत शुभ शक्ति योजना जैसी योजनाएं जो दम तोड़ रही हैं आज, बजट होते हुए भी वांछित लोगों को बजट नहीं मिल रहा है, उनके फार्म पास नहीं हो रहे हैं। आप इसकी जांच कराएं और जांच करवाकर लाभान्वित होने वाले लोगों को लाभान्वित करने का काम सरकार करे। सदन में डिपार्टमेंट तोड़ने की बातें भी सदन में चली हैं। बहुत सारे साथियों ने अपनी राय रखी है कि जो डिपार्टमेंट काम करने वाले नहीं बचे, सरकार उनको तोड़ दे।

मैं एक बार फिर आस जगाना चाहता हूं। 1947 में देश आजाद होने के बाद 1950 के संविधान के बाद जिन लोगों ने डिपार्टमेंट बनाए थे, जिन्होंने असेट बनाए थे, जिन्होंने सम्पत्तियां बनाई थीं, शायद हमसे ज्यादा परेशान होकर उन लोगों ने यह सम्पत्तियां बनाई थीं। ये सम्पत्तियां बेची नहीं जाएं बल्कि उन डिपार्टमेंट्स में दिक्कत क्या हुई है? उनको पहचाना जाए, उसको दूर किया जाए। जैसे राजस्थान रोडवेज का जिक्र चला है। राजस्थान रोडवेज की बसें दम तोड़ रही हैं और राजस्थान रोडवेज की स्थिति खराब बता रहे हैं। यह राजस्थान रोडवेज भी फायदे में आ सकती है। अगर रोडवेज में सवारी चढ़ाई जाए। जो लोक परिवहन इनके आगे-आगे चलाई गई थी उस लोक परिवहन को पीछे किया जाए और राजस्थान रोडवेज में ज्यादा से ज्यादा सवारी चढ़ाई जाए। यह नारा दिया जाए कि रोडवेज में आकर चढ़ो चाहे रोडवेज उसके घर के आगे लगानी पड़े। यह वही रोडवेज है जो फायदे में चलती थी, वह और फायदे में चलेगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को परिवहन का साधन भी मिलेगा। आप लोक परिवहन को बंद करते हुए राजस्थान रोडवेज और ग्रामीण सेवा को मजबूती से घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे।

बड़े पुरजोर तरीके से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो क्षेत्र के गरीब और कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, जिनकी नि:शुल्क शिक्षा पर बजट में बात चली है, चर्चाएं चली हैं, उसमें और तेजी से आप काम करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी एक छोटी-सी बात और रह गई कि मेरे राजस्थान प्रदेश में एक चीज का मैं सरकार से न्याय चाहता हूं कि किसान को ऋण कामर्शियल बैंकों के मार्फत कितना दिया जा रहा है और दूसरे लोग किसान के नाम पर कितना ऋण उठा रहे हैं? मैंने एक सर्वे देखा था, उस सर्वे में स्पष्ट लिखा था कि फरवरी और मार्च में किसान को यह कह दिया जाता है कि तेरी केसीसी नहीं बनेगी, अब तो हमारी आडिट आ गई। सबसे ज्यादा केसीसी के पेटे पैसा उसी समय उठता है, इसलिए किसान के साथ न्याय किया जाए। फसल बीमा की तारीख तो डेफिनेटली बढ़वाने के लिए सर्वसम्मति से केन्द्र की सरकार को प्रस्ताव दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे राजस्थान विनियोग विधेयक, 2019 और वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा था कि कर का स्वरूप इस प्रकार का हो जिस तरीके का संबंध भंवरे और पुष्प का होता है। भंवरे को भी उसका हिस्सा मिले लेकिन पुष्प का नुकसान भी न हो। लेकिन जब से बहस शुरू हुई है तब से आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर के अंदर मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बाहर जाने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार अगर जनता से यह वादा करके सत्ता में आती कि आर्थिक प्रबन्धन बिगड़ा हुआ है, फिर भी हम सत्ता हासिल करने जा रहे हैं तो मेरे खयाल से उचित होता। लेकिन मत प्राप्त करने से पहले तो इस प्रकार की बातें करते नहीं लेकिन सत्ता बनने के बाद में कहते हैं कि आपकी सरकार ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि साख के आधार पर उधार मिलती है और राजस्थान के सदन के नेता पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक वातावरण बना चुके कि मेरे खजाने में तो पैसा ही नहीं है और जब मेरे खजाने में पैसा नहीं है तो मार्केट से उधार मिलना भी मुश्किल है।

सभापति महोदय, फिर भी राजस्थान की सरकार का मैं जिन बिंदुओं के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उन बातों पर गंभीरता से विचार

(श्री रामलाल शर्मा)

करे। यदि बजट के माध्यम से यह प्रावधान किया जाता कि आज प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है, उस पर अंकुश हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि साइबर क्राइम के माध्यम से आज जिस प्रकार के अपराध गठित हो रहे हैं, अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे प्रान्त के अंदर बैठा है और जयपुर के अंदर अपराध गठित हो रहे हैं। इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है। यदि आप संसाधन की व्यवस्था करते, आधुनिक तकनीक के आधार पर व्यवस्था करते तो लगता लेकिन आज हालात यह हैं कि थानों के अंदर पुलिस वालों के रहने के लिए बैरक नहीं है, कमरे नहीं हैं रहने के लिए, एसएचओ के रहने के लिए क्वार्टर नहीं है। आप कल्पना यह कर रहे हैं कि अपराधों पर अंकुश लगाएंगे। अच्छा तो यह होता सरकार यह कहती कि पुलिस तंत्र को सुधारने के लिए इतने करोड़ के बजट का हम प्रावधान करते हैं। इनको सभी चीजें हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज हकीकत यह है कि यदि मोबाइल नहीं होता और सीसीटीवी नहीं होते तो दस परसेन्ट मुलजिम भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते। आज सबसे बड़ा तंत्र अगर कोई है तो वह मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अपराधियों तक पुलिस पहुंचने का काम करती है। आज घटनाएं घटित होती हैं, एफएसएल की टीम पहुंचती है लेकिन एफएसएल की टीम का निर्णय कब मिलेगा? आज जिला हैडक्वार्टर के ऊपर भी एफएसएल की लैबोरेट्री स्थापित नहीं है जिसके आधार पर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर आप इन अपराधों पर अंकुश लगा सकें।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, सरकार बनने से पहले सदन के कई माननीय सदस्य जो आज मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, वह बड़े-बड़े वादे करके आए थे। उन्होंने रोडवेजकर्मियों, संविदाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, एनएचएम के संविदाकर्मियों से, शिक्षाकर्मियों से वादे किए थे। अच्छा होता आप इस बजट में यह कहते, बीडी कल्ला जी +++ सीधे सादे मंत्री हैं। उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई। आप यह कहते कि दो महीने के अंदर समस्त...

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के लिए +++ शब्द काम में लिया गया है। +++ शब्द मंत्री जी के लिए काम में लिया गया है।

श्री सभापति: ऐसे सब शब्द विलोपित किए जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++ नहीं लाचार कहा है।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी तो आदत पड़ी हुई है उसको सुधार करने की। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आदमी धन से दरिद्र हो सकता है, वचन से दरिद्र क्यों बनता है। जरूरी है वचन की दरिद्रता? भगवान ने आपको अच्छी जुबान दी है, दरिद्रता क्यों है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अगर यह बजट के अंदर कहते कि दो महीने में, संविदाकर्मियों से हमने जो वादे किए थे वह सारे वादे पूरे करेंगे, तो मैं समझता कि सदन के नेता की भावना ठीक है।

दूसरा, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो या जेडीए हो, ऐसी-ऐसी प्लानिंग करके चले गए। आप आज जयपुर जिले के अंदर देखेंगे, आप शिवदासपुरा की तरफ चले जाओ, आनन्दलोक की ओर चले जाओ, करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन, जो जेडीए की थी उस पर कालोनियां बसाकर चले गए। एक प्लाट बेचने का काम नहीं किया। वहां पर सड़कें बना दीं, लाइटें पहुंचा दीं, करोड़ों रुपये का खर्चा कर दिया। आज हाउसिंग बोर्ड के इतने फ्लैट बने हुए हैं, अब जिनको अलाट करोगे मेरे खयाल से उनको जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मिलेंगे। कम से कम सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति तो आप जवाबदेही तय करो। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर भी अंकुश लगे, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है।

सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं सामाजिक न्याय मंत्री महोदय, हकीकत यह है कि आज भी अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ओबीसी वालों को मिलना तो दूर की बात है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार अपने बजट में प्रावधान करे। आप वैसे तो मजबूत मंत्री हो, कई बार डांट डपट भी कर देते हो। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है आप डांट डपट यहां काम में लीजिए न, ताकि अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके।

सभापति महोदय, मैं पर्यटन क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा। पर्यटन के क्षेत्र में ऊंट के मुंह में जीरा जितना बजट देने का काम किया है। मंत्री महोदय जब भी जवाब देते हैं तब एक ही बात कहते हैं बजट की उपलब्धता

(श्री रामलाल शर्मा)

के आधार पर। आज तो कमाल हो गया, हमारी राजसमंद से आने वाली माननीय विधायिका को कहते हैं कि आप सिफारिश करो जो हमें बजट मिल जाए, तो हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में पधारो म्हारे देस का स्लोगन तो आपने दे दिया, लेकिन जब पधारो म्हारे देस के अंदर पर्यटक आते हैं तो उनको सुविधा देने का आप काम तो करें। बजट के अंदर सरकार प्रावधान करे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना शुरू की थी। एक तरीके से यह बेहतरीन योजना थी। राजस्थान के अंदर पानी को बचाने के लिए, बहते पानी का स्टोरेज करने के लिए बेहतरीन योजना थी। मेरा निवेदन है कि सरकार पानी के क्षेत्र में भी विशेष बजट का प्रावधान करे ताकि आने वाले समय में पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि किसानों की कायापलट करने का सरकार ने कुछ सोचा हो। आज भी जिस तरह से आधुनिक तकनीक की योजना है, चाहे वह पॉली हाउस हो, चाहे ग्रीन हाउस हो, चाहे, ड्रिप इर्रिगेशन हो, ऐसी योजनाओं के लिए सरकार विशेष बजट का प्रावधान करे, तो मैं समझूंगा कि सरकार वास्तव में जो नारा देती है कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है, तो नारे के अंदर कुछ तो सत्यता साबित होगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी अब तो इस सरकार से ऊब गए हैं। मुझे तीसरी बार इस सदन में आने का मौका मिला है। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 50 में स्थगन लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे खयाल से सरकार के सत्ता पक्ष के सदस्यों का विश्वास भी इस सरकार पर नहीं रहा।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका के लिए चिंता जाहिर की है। चाहे वह उपखण्ड स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया में वाद हो, चाहे न्यायपालिका के अंदर हो, जब तक हम इनको सुविधाएं नहीं देंगे, कोर्ट के अंदर आज हालत यह है कि कोई भौतिक सुविधा नहीं है। बैठने के लिए बैंच नहीं है, वहां पर टूटी-फूटी कुर्सियां पड़ी हैं, लाइटें नहीं हैं। सरकार के पैरोकार,

(श्री रामलाल शर्मा)

एपीपी हैं, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं है तो वह सुनवाई कैसे करेंगे। उनकी फाइलें कभी गुम हो जाती हैं, कभी चोरी हो जाती हैं, कभी उनको समय पर फाइल मिलती ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि न्यायपालिका को विशेष बजट..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति जी, दो मिनट ही। मैं चाहूंगा कि सरकार न्यायपालिका को विशेष बजट का प्रावधान रखे ताकि न्यायपालिका की स्थिति सुधर सके।

सभापति महोदय, मैं बिजली के क्षेत्र में भी निवेदन करना चाहूंगा। आप वीसीआर भरने का काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमारी सरकार किसानों को बिल माफी का लाभ देकर गई थी, आपने तीन महीने के लिए तो एक्स्टेंशन कर दिया, लेकिन मेरा किसानों की बिल समस्या के बारे में मेरा निवेदन है कि किसानों के बिल में ही 844 रुपये आप माइनस करके भेजें। आप इनको उस दायरे में लेकर जाएंगे कि पहले हम सब्सिडी अकाउण्ट में देंगे, फिर सब्सिडी अकाउण्ट से वापस लो, तो मेरे खयाल से 70 परसेंट किसान इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे। जिस तरीके से वीसीआर भरी जा रही है वह पूर्ण रूप से भेदभाव के तरीके से भरी जा रही है। मैं चाहूंगा कि उनमें भी एक कमेटी के द्वारा जांच हो ताकि सही वीसीआर भरी जा सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि फल-सब्जी मण्डी में व्यापारियों से डेढ़ परसेंट टैक्स लिया जाता था, वह माफ किया गया है। आज हालत यह हो गई कि फल-सब्जी मण्डी की देखरेख करने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। पहले स्थानीय स्तर पर व्यवस्था होती थी, चाहे वह स्टाफ की होती थी या गार्ड की होती थी, वह व्यवस्था करते थे, लेकिन आज वह व्यवस्था भी नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माइनिंग के माध्यम से सरकार के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। आज जिस प्रकार से अवैध माइनिंग के भण्डार शुरू हो चुके हैं, मैं चाहूंगा कि अवैध माइनिंग पर सरकार अंकुश लगाने का काम करे। जयपुर ज़िले में भी चाहे कोटपूतली हो, चाहे विराटनगर हो, चाहे चंदवाजी हो, चाहे मेरा चौमूं हो, अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, उस पर अंकुश लगे, ताकि सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति हो सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, सभी ने ऋण माफी की बात कही है। मैं सरकार से सिर्फ इतना चाहूंगा कि सरकार दो-तीन प्रमुख चीज़ें इस बात में देखे। एक लाख रुपये की जिसकी लिमिट बनी हुई है उसको आप दस हजार रुपये का ऋण दे रहे हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जिसकी लिमिट दो लाख की है उसको बीस हजार रुपये का ऋण दे रहे हो। मैं चाहूंगा कि समस्त किसानों को ऋण माफी का लाभ मिले।

सभापति महोदय, अंतिम निवेदन करूंगा कि जयपुर ज़िले में, अगर आप वास्तव में किसानों के हमदर्द हो तो आप कम से कम यमुना के पानी के लिए डीपीआर बनाना तो शुरू कर दीजिए। यदि यमुना के पानी की डीपीआर आज जल्दी बनाना शुरू नहीं करोगे तो जयपुर ज़िले के किसान शांत बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं चाहूंगा कि सरकार डीपीआर बनाने का काम करे। एक अंतिम निवेदन..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अभी आने वाले माननीय कामरेड साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया है वही करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने आर्थिक आधार पर दस परसेंट रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। आज भी पूरे राजस्थान में, ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनाने वाले सारे सदस्य चक्कर लगा रहे हैं, सरकार एक का भी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं बना रही।

श्री सभापति: विराजिए। सुश्री दिव्या मदेरणा। विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र, सरकार इसको गंभीरता से ले। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा। आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। सब सहयोग कर रहे हैं, आप भी सहयोग कीजिए। विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। सुश्री दिव्या मदेरणा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं आज आपके बीच I'm standing here to speak with the 2019-20 finance and appropriation bill presented by the Hon'ble Finance Minister. Well, I have been a student of Economy; I studied different subject's i.e. price equilibrium demands, micro and macro economics and how to calculate these indicators. But, what I didn't do as a student of economics, I never did analytical and critical study of a Budget. I'm here to speak on a very complex subject like finance rather public finance. बड़ा पेचीदा था, मैंने सारा पढ़ने की कोशिश की। लिमिटेड नॉलेज में, फिर भी जितना बनेगा उतना बोलने की कोशिश होगी। मेरे से पूर्व बजट की स्पीच में किसी एक ने कहा था कि हम घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। बाद में मैंने कटारिया जी, लीडर आफ

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

अपोजिशन की स्पीच सुनी थी, it's not a household budget. हम स्टेट का बजट प्रजेंट कर रहे हैं। स्टेट का बजट हमेशा एक डेफिसिट बजट होगा, यह अनिवार्य है। इसलिए बार-बार यह कहना कि आप तो घाटे का बजट पेश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई सरकार, रेवेन्यू सरप्लस हो सकता है लेकिन फिस्कल डेफिसिट होगा।

हम बजट की थर्ड स्टेज के ऊपर हैं और इसके बाद में हम बजट के वित्तीय संसाधनों को यूज करने का प्रावधान करेंगे। भारत एक क्वासी-फिस्कल आर्किटेक्चर में बंधा हुआ है। आज की जो मेक्रो पालिसी है, वह बहुत सारे चैलेंजेज फेस कर रही है। जब हमने आजादी के बाद शुरुआत की तो हम थोड़ी क्लोज-इकोनोमी थे। हमारी मेक्रो इकोनोमिक पालिसी थिंकिंग के पांच मुख्य पैरामीटर्स थे, agriculture shock rather than conventional business cycle. मानसून या अकाल पड़ते ही हमारी आय और पूरे बजट के ऊपर उसका असर दिखता था।

एक बहुत ही टूटी हुई टैक्स पालिसी थी, फिस्कल क्राइसिस था, फाइनेंशियल मार्केट के स्पेक्युलेटिव प्राइस डिस्कवरिंग थी। जैसे ही वर्ल्ड इकोनोमी में हम प्रवेश करने लगे, यह पूरी की पूरी मेक्रो इकोनोमिक पालिसी आज की तारीख में बदल गयी। रिस्क आफ कंवेंशनल बिजनस साइकिल डायनिमिक्स हम देख रहे हैं। Partial abatement of fiscal crisis, monetary policy environment with loss of autonomy, owing to exchange rate and lot many other policies and monetary frame-works के चेंजेज देख रहे हैं।

जो एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर हमने वोटेड और चार्ज्ड एक्सपेंडीचर दिया, और उसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं यहां पर हुईं जो हमारा टोटल एक्सपेंडीचर है, वह हम गत वर्ष से 9.7 की वृद्धि पर लाये हैं। हमारी टोटल रिसीट्स भी 9.8 परसेंट की वृद्धि पर आई है। इन सबके साथ में हमारी आउटस्टेंडिंग लायबिलिटीज तीन गुना बढ़ गई हैं। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट करीब 8.8 परसेंट से बढ़ गया है लेकिन इनका जो रेवेन्यू डेफिसिट था, 2018-19 के अन्दर 70454 और 2018-19 के रिवाइज में 42.2 परसेंट का रेवेन्यू, एक अनइमेजिनेबल नम्बर फीगर से इनका रेवेन्यू डेफिसिट इन्क्रीज हुआ। उसका आत्ममंथन नहीं करेंगे ये।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

यह रेवेन्यू डेफिसिट क्यों इन्क्रीज हुआ, किस तरीके से हुआ। 2015 में मुख्यत: जब उदय योजना को लागू किया, तब हुआ। मैं इस उदय की योजना पर प्रकाश डालना चाहूंगी। राजस्थान को हम रेवेन्यू सरप्लस देकर गये और आपने उसे एक रेवेन्यू डेफिसिट में बदला, लेकिन ऐसे भयंकर भयावह आंकड़े में बदला, और यह जो अवश्यम्भावी आंकड़े आपको भयावह नजर आते हैं, यह हम आपसे विरासत में लेकर आये हैं।

मैं वैसे तो खुद विरासत की राजनीति से आती हूं। एक्सीडेंटल केस भी हो सकती हूं, लेकिन संघर्षहीन राजनीति से नहीं आती। ये आंकड़े जो आपने हमें दिये हैं, इसके लिये हमने भी पांच साल बैठकर जनता में संघर्ष किया तो विरासत की राजनीति संघर्षहीन राजनीति नहीं हो सकती। हममें दम था कि हमने ऐसे विरासत के आंकड़े आपसे लिये। यह जो हलका-हलका सरूर है, तेरी नजर का कसूर है।

जो उदय की स्कीम लाई गई जो एनर्जी सैक्टर है, ऊर्जा का सैक्टर, यह हमारी इकोनोमी, जी.डी.पी. के अन्दर बहुत बड़ा योगदान देता है। इस उदय की स्कीम से सारा का सारा फिस्कल इम्बैलेंस हो गया। सारे इसके जो इम्प्लीकेशंस हुए वह हायर डेटलायबिलिटी हो गई, इंटरेस्ट आउट गो हो गया। डिस्काम्स की जो लायबिलिटी थी, आउट-स्टेंडिंग debts 83209.89 करोड़ थी। उदय योजना जो आई, उसमें यह कहा कि 75 परसेंट गवर्नमेंट इसका टेक-ओवर कर लेगी and which is 62,421.96 crore. यह क्यों किया, जिसको ये बार-बार कहते हैं, डिस्काम्स दिवालिया हो रहे थे, डिस्काम्स की यह हालत थी, यह अनिवार्यता थी, हमें यह करना पड़ रहा था, नहीं तो हमारी रातों-रात क्या बिजलियां चली जातीं, राजस्थान अंधेरे में बैठता। यह मैं मानती हूं कि डिस्काम्स के ऊपर outstanding of liability debt बहुत बड़ा था। बैंक की डेट आ रही थी, रीपेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, कोई नया लोन नहीं दे रहा था, लोन की लायबिलिटी थी, और जो रेट आफ इंटरेस्ट थी, वह 12 से 15 परसेंट, बहुत हाई थी।

हमने दो साल के अन्दर इसको लिया। फर्स्ट ईयर के अन्दर हमने कोई ग्रांट नहीं दी, सैकण्ड ईयर में हमने 34350 का लोन दिया, इक्विटी 5700 की दी। सैकण्ड ईयर में हमने 7000 का लोन दिया, 12000 की ग्रांट दी, 3000 की इक्विटी करके हम 62421 के अन्दर आ गये। उदय के जो

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

बोंड्स थे, वे नोन-एस.एल.आर. बोंड्स थे। ठीक है, मान लिया आपकी बार्गेनिंग बहुत अच्छी थी। नोन-एस.एल.आर. बोंड्स होने पर भी आप उनको नार्मल एस.एल.आर. बोंड्स के करीब 8.1 के इंटरेस्ट पर लेकर आ गये। फिर भी स्टेट को बैनिफिट नहीं हुआ। फिर भी 42.2 से आपका रेवेन्यू डेफिसिट इन्क्रीज हो जाता है, तीन गुना आपका कर्जा इन्क्रीज हो जाता है और आप जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत तीन प्रतिशत, जो आपको जी.एस.डी.पी. का मेन्टेन करना है, उसको भी आप बहुत लेट कर जाते हैं। आपको कोई फायदा आपकी बार्गेनिंग से नहीं हुआ।

राजस्थान के अन्दर जब हमारी सरकार थी, तब हम भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिये डिस्काम्स के लिये financial Plans of Discoms 2013 लेकर आये थे। लेकिन हमारी योजना पंचवर्षीय थी, ताकि स्टेट के ऊपर कोई भार नहीं पड़े। आपने दो साल में कहा कि हम यह का यह कर देंगे। आपको टाइम लिमिट ज्यादा करनी चाहिए थी, ताकि स्टेट पर भार नहीं आये। यह जो पूरी एक्सरसाइज आपने की it's just an entire exercise as an internal adjustment of entries और कुछ नहीं है जगलरी आफ आंकड़े, जिसे आप बार बार हमें कहते हैं। फेज मैनर में करना चाहिए था। एफ.आर.बी.एम. का वायलेशन हुआ। उसके बावजूद, स्टेट पर इतना भार पड़ने के बाद में आपको गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्स्ट्रा फिस्कल डेफिसिट की लिमिट या एक्स्ट्रा बोरोइंग्स बढ़ाने की स्पेस देती है और कुछ नहीं कर रही है। There is no financial help given by Government of India, बल्कि बहुत चतुराई से जो बैंक्स एन.पी.ए. हो रहे थे, इनकी छाया में उन्हें बचाने की स्कीम थी। यह इसका उद्देश्य था लेकिन यह तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कर दिया। कोई फाइनेंशियल हैल्प हमें नहीं दी और वित्तीय भार के अन्दर हमारे को बैठा दिया। क्या हुआ कि हम कर्ज के चक्कर में फंस गये। रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया। अब आप दिखाते हैं, आपकी बुक्स देखते हैं, 'Budget at a Glance' With Uday, Without Uday, यह क्या मजाक है। भार तो वही रहेगा, जो विद उदय है, आप उसको दर्शाते हैं, कि यह विद उदय है, यह विदाउट उदय है। इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ रहा है। कर्जा भी आपका इन्क्रीज हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट इन्क्रीज हो गया, फिस्कल डेफिसिट इन्क्रीज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे इन्क्रीज हो गये, और इन-टोटेलिटी रेवेन्यू एक्सपेंडीचर इन्क्रीज हो गया और कैपिटल एक्सपेंडीचर की जो हमारी

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

स्पेस थी, वह कम हो गई, हम बोरोइंग्स कम कर पा रहे हैं। आज आपके जितने भी सारे भाषण हैं, वे यह कहेंगे, साहब, कैपिटल एक्सपेंडीचर आपने कम कर दिया, आप कैपिटल एक्सपेंडीचर नहीं कर रहे हैं, आप स्टेट पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 40 परसेंट लायबिलिटीज के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ये सब आंकड़े आपने इस अनप्लेंड उदय के साथ विरासत में दिये लेकिन हम अपनी विरासत और संघर्षशीलता से इसको तोड़कर पटरी पर लाने का काम करेंगे।

आपने 15 लाख नौकरियां देने की बात की। बेरोजगारी का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। रिफाइनरी आपने नहीं लगाई। रिसर्जेण्ट राजस्थान के आपने एम.ओ.यू. किये, कोई उद्योग स्थापित नहीं हुए। उन उद्योगों के माध्यम से नौजवानों को नई नौकरियां मिलनी थीं, वे नहीं मिलीं। न नौ मन तेल, न मीरा नाचेगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगी कि हमें प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर दोनों में जोब्स क्रियेट करने के लिये एन्वायर्नमेंट बनाना पड़ेगा। Ease of Doing Business, Ease of Doing Farming, बहुत सारे नये तरीके लाने पड़ेंगे। क्वालिटी आफ एक्सपेंडीचर पर हमें मानिटरिंग करनी पड़ेगी। बियोंड द बजट जाकर आपने सैंक्शंस कर दिये, फेजिंग नहीं की। यह मैं नहीं कह रही हूं, मैंने आपकी यह पूरी सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ी है। मैं इसका एक भी पाइण्ट नहीं उठा रही हूं, क्योंकि यह आपका आईना है। ये कह रहे थे कि यह आईना है, जिसमें हमें अक्स नजर नहीं आता। अब आपको आपका अक्स नजर आएगा। मैंने इसमें आपके वित्तीय कुप्रबंधन का एक भी पाइण्ट नहीं उठाया, वह यहां पर व्याख्या कर रहा है। इनफैक्ट मैं इसको लिख रही थी कि कहां पर प्लस बी.जे.पी., प्लस बी.जे.पी. कर सकूं। कोई एक-आध जगह आपकी इन्क्रीज मिली।

आपके अण्डर यूटिलाइजेशन आफ फण्ड्स थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हम एक ह्यूज रेवेन्यू डेफिसिट से गुजर रहे हैं और हमें हमारे नये इन्कम के स्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर स्टेट को फोकस करने की जरूरत है। हम एक तरफ टैक्स-वेवर करते हैं। जितनी भी बातें हैं, टैक्स कोई नहीं लगाता। हम ज्यादातर छूट देने की बात करते हैं

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

क्योंकि छूट पर ही तालियां बजती हैं, चाहे सदन में बजें, चाहे बाहर बजें। एक पापुलरिस्टिक व्यू है कि छूट देती है तो सरकार सक्सेसफुल है। हमें देखना पड़ेगा कि हम कहां छूट दे रहे हैं और कहां टैक्स लगा रहे हैं। न्यू सोर्सेज जनरेट करने की जरूरत है और इसका क्या इम्पैक्ट देखना पड़ता है, हमें यह देखना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट पाइण्ट, लास्ट दो पाइण्ट।

शेयरिंग सेण्ट्रल टैक्सेज की बात कर रहे थे निश्चित रूप से this is the biggest increase in the vertical tax devolution from 32-42 per cent, पर क्या रियल टर्म्स में हमें वह मिल रहा है? और जो राजस्थान का शेयर है इस डिवीजीबल पूल में that's 5.49 percent. इसका भी पूरा हिस्सा हम ले नहीं पाते, हम प्लीड नहीं कर पाते।

मैं पुरानी स्पीचेज पढ़ती थी, देखती थी। माननीय सदस्य, चूरू से आये हैं, वे जरूर इस बात का, कि पहले गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला आया करता था और उसके ऊपर पापूलेशन और फिर बाद में फाइनेंस कमीशन आया। फाइनेंस कमीशन पहले वर्टिकल के ऊपर तो उन्होंने टैक्स रिवोल्यूशन पर तो 42 परसेंट दिया, लेकिन जी.एस.टी. कौंसिल से हमारे स्टेट की आटोनोमी रेस्ट्रिक्ट हो गई। उसका इफैक्ट हमारी रेवेन्यू पर इम्पैक्ट कर गया।

श्री सभापति: विराजिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): जब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, वह उसी पर आकर बढ़ जाता है। फाइनेंस कमीशन horizontal devolution formula भी दे रहा है और horizontal devolution formula में मैंने देखा कि एक forest cover देता है, जो नोर्थ-ईस्ट और जो पहले जिनको कवर नहीं किया गया था वह forest cover में मिल जाता है।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए। श्री बिहारीलाल।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): इसलिए मैं आपके माध्यम से यह प्लीड करना चाहूंगी कि राजस्थान यह प्लीड करे, हमारे मुख्य मंत्रीजी कि हमें स्टेट को डेजर्ट कवर के अंदर एक्स्ट्रा पैसा सरकार से मिलना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): इसका इम्प्लीमेंट बहुत प्रभावी रूप से करना चाहिए। हमारी जो यू.एल.बीज. और पंचायती राज है, वह न की बराबर उनकी सैल्फ इनकम है। उनके अपने टैक्स कैसे वसूल किये जाएं, उनको सैल्फ डिपेंडेंट बनाना जरूरी है।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): जो हम वेव-आफ करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपने फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): एक तरीके से जैसे कि हमने लैंड और बिल्डिंग टैक्स खतम किया तो लोगों ने यह सोचा कि हमने भरा क्यूं? (व्यवधान)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 तारीख को ...(व्यवधान)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): नरेगा के अंदर हमारे पास में इतना पैसा आता है, हमें पुराने आगोर वगैरह पक्के करने की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री बिहारीलाल। माननीय सदस्य, विराजिए-विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 तारीख को जो बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसमें बिंदु संख्या-227 में यह कहा कि- 'इस प्रकार कर प्रस्तावों में मेरे द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है तथा कर प्रस्तावों से लगभग 301 करोड़ रुपये की राहत दी गई है।' (व्यवधान)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, यह बात कहकर माननीय मुख्य मंत्रीजी 10 तारीख के अपने बजट प्रतिवेदन में यह कहते हैं कि नया कर कोई प्रस्तावित नहीं कर रहे, 301 करोड़ रुपये की हम राहत प्रदान कर रहे हैं और दूसरी तरफ सदन के नेता होने के बावजूद, सदन की महत्ता को कम करते हुए, सदन के बाहर, चलते हुए सदन के बाहर पैट्रोल और डीजल की दरों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके, 301 करोड़ की राहत देने वाले मुख्य मंत्री हजारों करोड़ रुपये लोगों की जेब से निकालने का काम करते हैं और रुपये 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ 1 लाख का कुल व्यय का बजट पेश करने वाले राजस्व व्यय रुपये 1 लाख 91 हजार 19 करोड़ 61 लाख और फिस्कल डेफिसिट भी कुल व्यय का हिस्सा, रुपये 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख, कुल बची हुई राशि मात्र 9659 करोड़ बचती है, जो अनेक मदों से राज्य को प्राप्त होती है। बजट में निवेश के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है। उद्योग व कृषि में नए नियोजन के लिए राशि की व्यवस्था नहीं।

परिवहन विभाग में नए-नए टैक्सों की भरमार की गयी है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्टेट कैरिज बसों की कर दर वर्तमान में 300 एवं 560 प्रति सीट के स्थान पर 200 एवं 350 रुपये प्रति सीट की जाकर राहत प्रदान की जाए। एक स्लैब और कम करें, कम किलोमीटर, 150 की जगह 130 की जाए। कांट्रेक्ट कैरिज, संविदा बसों का कर, सभी प्रकार की संविदा बसें चाहे वह राजस्थान परमिट हो या आल इंडिया, आल रीजन, स्लीपर बसों के समान 500 रुपये प्रति सीट प्रति माह किया जाए क्योंकि यह छोटे ट्रांसपोर्टर इतने करों के बोझ को झेल नहीं पाएंगे और उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, उप नगरीय बसों का कर न्यायसंगत किया जाकर अधिकतम 5 हजार रुपये प्रति माह रखा जाए क्योंकि कम दूरी पर चलने वाले छोटे व्यवसायी के लिए उनके ऊपर सीधा ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर सत्रह हजार रुपये मासिक का कर बढ़ा देना कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।

परमिट शर्त की उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए कम्पाउंडिंग फीस भी फिर से तय की जाए। 10 हजार रुपये जुर्माना राशि का जो 12.07.2019 का आदेश है, उसको निरस्त किया जाकर इन ट्रांसपोर्टर्स को राहत पहुंचायी जाए।

(श्री बिहारीलाल)

नए वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु पंजीयन से 60 दिन व पुराने वाहन का एक परमिट से दूसरा परमिट प्राप्त करने हेतु प्राप्ति की 30 दिन के समय की छूट दी जाए और इस अवधि में कोई अतिरिक्त कर न लगाया जाए। यह सब करके इन ट्रांसपोर्टर्स पर जो बहुत बड़ा कर इन पर लाद दिया गया है, इसमें इनको राहत प्रदान करने के लिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं।

कृषि, किसान के नाम वोटों की फसल काटने वाली सरकार किसान कल्याण कोष के एक हजार करोड़ रुपये के प्रावधान को अलग कर दे तो पिछले साल के बजट से 500 करोड़ रुपये का कम प्रावधान कृषि पर रखा गया है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने शिक्षा की चर्चा पर बहुत शानदार रिप्लाई दिया, उसके लिए तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन शिक्षा के लिए, इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूलों में जहां 42 प्रतिशत स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नही है, 47 प्रतिशत विद्यालय जहां पर खेल मैदान नहीं हैं, health is wealth, यह बात हम कहते हैं तो इन बातों पर भी हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से चिंतन-मंथन करे।

चिकित्सा जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है और पिछली सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, जो जनता में इतनी लोकप्रिय हुई, उसका जो वर्ष 2018-19 का बजट था 1491 करोड़, वह आज 2019-20 के इस बजट प्रावधान में 631 करोड़ रुपये रखा गया, मतलब 800 करोड़ रुपये की बड़ी कमी करके इस योजना को पंगु बनाने का काम किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास की बात करते हैं, हम मेजें थपथपाने का काम करते हैं। वर्ष 2018-19 में हमारी सरकार में बजट प्रावधान था 16009 करोड़ रुपये और आज 14625 करोड़ रुपये तो इसका मतलब, 1384 करोड़ रुपये की कमी ग्रामीण विकास के बजट में की गई है।

जलापूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अलग से पूरे दिन सदन ने चर्चा की। वर्ष 2018-19 का बजट 8671 करोड़ रुपये और 2019-20 का 8445 करोड़ रुपये यानी, 226 करोड़ रुपये कम।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कांग्रेस साथियों ने फसल बीमा

(श्री बिहारीलाल)

की बात की। चौमूं से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने भी फसल बीमा पर चिंता व्यक्त की है। फसल बीमा की जो महत्वपूर्ण योजना, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना इसलिए लाये कि किसान साहूकार के चंगुल से मुक्त हो और आज उस उद्देश्य को लेकर जिन योजनाओं को लागू किया गया, वह साहूकार के चंगुल से तो मुक्त हुआ लेकिन बैंकों के चंगुल में फंस गया, बीमा कंपनियों के चंगुल में फंस गया। बीकानेर जिले का उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूं कि वर्ष 2016-17, 2017-18 का किसानों का क्लेम अभी भी बकाया पड़ा है और प्रशासनिक अधिकारी और कृषि अधिकारी यह कहते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी हिस्सा राशि जमा नहीं करवाई। कंपनियों के अधिकारियों से बात करते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता। हम सबने यहां पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हमारे एक साथी श्री सुरेन्द्र शेखावत ने पी.एम.ओ. में भी पत्र लिखकर यह बात कही। पी.एम.ओ. के इंटरवीन से बीमा कंपनियों ने चर्चा की, बात की और अब बीमा कंपनियां यह कह रही हैं कि हमें राज्य सरकार का स्टेक भी मिला है और 21 दिन में इस क्लेम की राशि को हम किसानों के खातों में डालने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से और पूरे सदन से यह आग्रह है कि यह बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी किसानों की समस्याओं से फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की इस योजना को, कितनी विसंगतियां इसके अंदर हैं, किसान इस मकड़जाल में उलझता जा रहा है और जानकारी के अभाव में उसका कोई फायदा नहीं ले पा रहा है, इसलिए जिस तरह सदन ने अनेक महत्वपूर्ण विषय पर पूरे दिन की चर्चा की, आपके मार्फत हम सरकार से यह मांग करते हैं कि फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड इन योजनाओं पर यह सदन पूरे दिन की एक चर्चा करे और इनमें आने वाली विसंगतियों को दूर करने का काम करे और इन बैंकों, फसल बीमा कंपनियों पर एक रेगुलेटरी अथोरिटी भी सरकार की तरफ से हो जो चाहे जिला स्तर पर हो या चाहे संभाग स्तर पर हो तो वह उसकी बात को रेगुलेट कर सके, यह किसानों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया, उसकी शुरुआत 10 तारीख को यहां से की कि-

(श्री बिहारीलाल)

'यकीन से आगे भी बढ़ना है,
बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है,
वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं,
हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं।'

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय नेता, सदन ने, आपने तो तूफान और झंझावातों से पीड़ित कारवां को संबल, सहारा देना तो दूर, उस कारवां को लूटने का काम किया, चाहे वह कारवां किसानों का हो, चाहे वह कारवां बेरोजगारों का हो, चाहे वह संविदा कर्मचारियों का हो, इसलिए आज जब यह समाप्ति की ओर है, मुख्य मंत्री का रिप्लाई आने वाला है तो उसके अंत में इन चार लाइनों को मैं इन आठ लाइनों से बदलना चाहता हूं:-

"गहलोत साहब थे चुनावों में कारवां की आस में,
उधर दो कारवां खड़े थे, एक साथ पास-पास में,
किसानों का था एक कारवां, दूसरे बेरोजगार और संविदाई थे,
उत्पीड़न और शोषण के मारे सब मां जाये से भाई थे,
मौका ताड़ चुके थे, सो जादू की छड़ी घुमाई,
यह लो पूरी कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और तुम समझो स्थाई,
रात बीती, बात बीती, अब सदन में डींगें हांक रहे हैं,
लेकिन, जिन वोटों से जीते, वह अब धूल फांक रहे हैं।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, सदन में बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं यह सुन रहा था कि यह योजना अटल बिहारी जी ने चालू की, यह योजना मनमोहन सिंहजी ने चालू की। फसल बीमा योजना तो अटलजी के पहले ही चालू हो गयी थी। बहुत-सी बातें हैं, मेरा जहां तक सोचना है, माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी की है। शहरों की बात तो मैं कम कहूंगा पर गांवों में मजदूर ही नहीं है।

कृषि के भाव जिस तरह से खतम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिस तरह से सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। भूमिगत जल

(श्री रामनारायण मीना)

स्तर जिस तरह से पाताल में जा रहा है, आप देख लीजिये, माननीय सभापतिजी, कोई भी कैनाल ऐसी नहीं है जिसके टेल पर चार पानी गेहूं को मिलता हो। नियम से कम से कम तीन पानी मिलना चाहिए। एक भी नहर में एक से दो पानी नहीं मिलता। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा माननीय सभापतिजी, जिस टाइम पर चम्बल की नहरों का निर्माण हुआ था, प्रत्येक नहर में टेल क्लस्टर बनाया था। टेल क्लस्टर का साफ इंडिकेशन था वहां तक पानी जाएगा, उस पर ओवर फ्लो होगा तो उसका गेज रजिस्टर मेंटेन होगा, कितने दिन टेल में पानी चला ताकि यह देखा जा सके, गेज रजिस्टर मेंटेन कर सकें कि इतने दिन पानी चला तो पशु को पानी मिल गया। आज एक भी कैनाल में टेल क्लस्टर नहीं है। सी.ए.डी. के अधिकारियों ने टेल क्लस्टर को डिस्ट्राय कर दिया है। ऐसा ही स्टेट की दूसरी नहरों में हुआ है और सारी जमीन सिंचित है। यदि किसान किसी भी तरह से अपने संसाधन से, ट्यूबवैल से, कुए से या लिफ्ट करके पानी लेता है तो उसको फिर भी पिलाई ली जाती है, ऐसा एक सिस्टम-सा बन गया है।

माननीय सभापतिजी, कहने को हम कृषि प्रधान स्टेट भी हैं, देश भी हैं। खाद, बीज समय पर नहीं मिलता। इस वर्ष भी ऐसा हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। हालांकि पहले भी हुआ है और एक मर्तबा तो सुल्तानपुर में गलत बीज दे दिया, खाद दे दिया, लोगों के खेत बर्बाद हो गये। उस समय माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं। हमने बहुत ज्यादा हाउस में कहासुनी की, लेकिन उसका नतीजा अभी तक भी नहीं निकला है।

माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष भी वह स्थिति आयी है। किसान को समय पर बीज नहीं मिला और बीज नहीं मिला तो बुआई नहीं कर सका और बुआई नहीं कर सका तो डिले हो गयी, महंगे बीज लिये उसने, तो जो स्थितियां बन रही हैं, माननीय सभापति जी, आज सभी जिन्सों पर सपोर्ट प्राइस नहीं है और जो सपोर्ट प्राइस है, वह फूड कारपोरेशन हो या सहकारिता हो, वहां कर्मचारी नहीं हैं और कर्मचारी नहीं तो परचेज नहीं कर पा रहे हैं और कोटा फिक्स हो गया। सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है, हमें राजस्थान में इसकी पहल करनी चाहिए। जितना भी मार्केट में जिंस आए, पूरी जिंस सपोर्ट प्राइस पर खरीदनी चाहिए। किसान को टोकन दे दिया, समय पर उसकी खरीद नहीं हुई, किसान मंडी में अपना अनाज ले आया और उसको औने-पौने भावों में बेचना पड़ रहा है।

(श्री रामनारायण मीना)

(15.52 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज कोटा में एक नोनैरा बांध बन रहा है और यह स्थिति सब जगह की है, ड्रेनेज में पानी जा रहा है। हम नोनैरा बांध का पानी लिफ्ट करके, फ्लो से किसी तरह से दौसा में पहुंचाने की बात करते हैं तो फिर ड्रेन का पानी व्यर्थ जा रहा है। हर वर्ष विधान सभा में, हर सत्र में इसका मामला उठाया जाता है तो फिर ड्रेन के पानी को लिफ्ट करके क्यों नहीं डाला जाता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थितियां किसान की चल रही हैं, उनमें राजस्थान में सुधार होना चाहिए। गांवों में आज न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। नरेगा में जाता है, नाप में कमजोर आता है, किसी को दो रुपया, पांच रुपया मिलने की बात होती है।

इसी तरह से सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारे पूर्व माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, मैं अर्ज करूंगा आपने आपके समय पर सीमेंटेड सड़कों का जाल बिछाने की बात कही थी। आपने सीमेंटेड सड़कें बनायीं। कहीं भी आपके जमाने की एक सड़क आपको सही नहीं मिलेगी, सारी की सारी आपको खराब हुई मिलेगी। तीन साल में सड़क टूट रही है, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर हम विचार करेंगे तो जाकर सही काम चलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज गांवों में शिक्षा का स्तर कमजोर होता जा रहा है और यह प्राइवेटाइजेशन का मामला ऐसा हो गया, कहीं कक्षा में तीन लड़के, बड़े गांव में 10 लड़के, कहीं पांच लड़के हैं, वह सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। हमें उसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। मास्टर समय पर नहीं जाते, उनकी चैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है और जब चैकिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा तो स्थिति हमारी ठीक नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रोडवेज के बारे में बात हो रही थी। मैं आपसे अर्ज करूं जिस प्रकार से प्राइवेट बसों को अनुबन्धित किया गया है या चलने का मौका दिया गया, आज रोडवेज की ग्रामीण सेवा बिलकुल तहस-नहस है। कहीं भी सही व्यवस्था नहीं है तो ग्रामीण सेवा क्षेत्र में जो बात करते हैं, उसको पुन: चालू किया जाना चाहिए।

(श्री रामनारायण मीना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश इस लायक नहीं है और हिन्दुस्तान जिंक हमारे यहां का हो, होटल्स हो और अब तो एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइजेशन में जिस तरह से दिया जा रहा है, यह पूंजीपतियों के हितों की जो बात हो रही है, उससे गरीबी और बेकारी बढ़ रही है और जब बेकारी और गरीबी बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा। (समय-समाप्ति -सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के बारे में मैं आपको अर्ज करूं। उद्योग एक तरह से खतम होते जा रहे हैं। इसी के साथ, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप। समाप्त करें मान्यवर।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): जी सर, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे जल्दी ही चेता दिया बैठने के लिये, लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको मिलकर वह चीज करनी पड़ेगी जिससे राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े, गरीब को मजदूरी मिले और न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से ठेका प्रथा में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, वह हमारे लिये बहुत बड़े शर्म की बात है। इसी के साथ, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव, तीन मिनट।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान वित्त विधेयक पर मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि मैं ज्यादा बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैंने गांव में देखा कि एक परिवार होता था उसके पास इतनी जमीन होती और एक दूसरे परिवार के पास भी उतनी जमीन होती। एक परिवार पूरी तरह कर्जे में डूबा रहता तो दूसरे परिवार के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते, अच्छे कपड़े पहनते और अच्छे से उनका लिविंग स्टैण्डर्ड रहता। मैंने इस बात पर गौर किया और मैंने मेरे माता-पिता से भी कई बार पूछा, परिवार के

(श्री बलजीत यादव)

लोगों से चर्चा की कि इस व्यक्ति के पास इतनी जमीन है और इतनी जमीन फलां व्यक्ति के पास है, इसका स्तर क्यों डाउन है और इसका स्तर क्यों उठा हुआ है। उसका निचोड़ यह पाया कि यह सब मैनेजमेंट का खेल है। जिसका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उसके पास जो संसाधन होंगे, उसमें भी वह अच्छे से रिजल्ट लेकर आता है और जिसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो उसका रिजल्ट आता नहीं है। मैंने जयपुर में भी देखा, मैंने यही मेरा बिजनस चालू किया तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अजमेर रोड के ऊपर एक साल में सर्विस लाइन होती, उसको जे.डी.ए. खोद देता, उससे पूछा जाता, इसको क्यों खोदा जा रहा है, बोले कि यह जो नाली है, इसको शिफ्ट किया जाएगा 10 फीट इधर। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर दूसरे साल फिर उस रोड को जे.डी.ए. के द्वारा खोदा जाता, फिर पूछा जाता कि इसको क्यों खोदा जा रहा है, यह नाली गलत है, यह नाली 10 फीट वापस इधर बनेगी। मतलब एक साल पहले जो नाली थी, वही दुबारा बना दी जाती है और करोड़ रुपये जनता के फूंक दिये जाते हैं। मैंने इस बात पर जानकारी करनी चाही तो मुझे आफ द रिकार्ड किसी आफिसर ने बताई, यह सब इसलिए होता है कि हमारी पोस्टिंग होती है, जब मलाईदार पोस्टिंग में आते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि इनकम कैसे हो, कमीशन कैसे आये इसलिए हम जान-बूझकर ऐसी योजना बनाते हैं कि यहां पर बजट इस ढंग से खर्च किया जाएगा और उसके अंदर वह अपना कमीशन बनाने के लिये करोड़ रुपये जनता के फूंक दिये जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और जिम्मेदारी से सदन में कहना चाहता हूं, कतई बजट की कमी नहीं है। अगर बजट को ठीक से खर्च किया जाए तो बजट की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा है, लेकिन बिना मतलब, जिस काम में जरूरत नहीं होती है, वहां करोड़ फूंक दिये जाते हैं और जहां जरूरत होती है, वहां खर्च नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल इतनी ऊपर से बह रही है, अभी पुलिया के ऊपर से बह रही है। पानी वेस्ट जा रहा है, यमुना में पानी वेस्ट जाता है। मैं कहता हूं एक बार और चीजों पर बजट को न खर्च करके क्यों नहीं हम सबसे ज्यादा बजट पानी के ऊपर खर्च करें और पानी को राजस्थान में लेकर आएं जिससे किसान की स्थिति सुदृढ़ हो। इसलिए मैं

(श्री बलजीत यादव)

आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है, इसलिए, अध्यक्षजी, मेरा कान्फिडेंस डगमगाया हुआ है आपको देखकर मैं वैसे भी घबरा जाता हूं। अब सी.एम. साहब आ गये हैं, एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

(16.00 बजे)

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 10 परसेंट सवर्ण आरक्षण की जो बात चल रही थी, अध्यक्ष महोदय, एक डाइरेक्शन जारी हो गये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से कि अगर गलत सर्टिफिकेट बन गया तो एस.डी.ओ. पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वह खुद जिम्मेदार होगा और कहा कि 8 लाख तक की इनकम डिसाइड करे। अध्यक्ष महोदय, एक एस.डी.ओ. का लिमिटेड एरिया होता है या उसकी लिमिटेड सीमाएं होती हैं, उसका कार्य क्षेत्र होता है, वह कैसे बता सकता है कि बहरोड़ के व्यक्ति का जयपुर में प्लाट है कि नहीं है, मुम्बई में है कि नहीं है इसलिए वह डरा हुआ था। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी मुझे बताया गया कि सरकार की तरफ से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से एस.डी.ओ. को यह डाइरेक्शन दिये गये हैं कि आप जिम्मेदार नहीं होंगे। उस व्यक्ति से एक एफिडेविट ले लिया जाए कि मेरी इनकम इतनी है और उस पर दे दिया जाए और गलत बनता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा, जैसा कि ओ.बी.सी. में, एस.सी., एस.टी. में भी एफिडेविट लिया जाता है, इसलिए उसको सरल किया जाए। आपके डाइरेक्शन के बावजूद भी एस.डी.ओ. लोग बदमाशी कर रहे हैं इसलिए सरकार उनके ऊपर ठीक से सख्ती करे जिससे कि अननेसेसरी एस.डी.ओ. के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ें और जो वास्तव में पीड़ित हैं, जो वास्तव में गरीब है उसका हक मारा जा रहा है, उसको भी उसका हक मिल सके। यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मुख्य मंत्री महोदय की मंशा साफ, अच्छी दिखी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बजट पर राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 जो रखा है उसमें कुछ संशोधन किये हैं। मैंने पहले भी बजट पर बोलते समय कहा कि आप एक तरफ यह कह रहे हैं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने राजस्थान के लोगों को विभिन्न टैक्सों में 300 करोड़ रुपये की छूट दी है, हर आदमी ने उसी को पढ़ा और उसी के आधार पर सोचा कि यह पहला साल होगा कि हमसे किसी भी प्रकार का टैक्स लिये बिना सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, इसमें जो संशोधन किये और संशोधन के माध्यम से सरकार ने जिस प्रकार से पैसे को निकालने का प्रयत्न किया, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम इस सच्चाई को स्वीकार करें और अभी विशेषकर वाहन पर हमने जिस प्रकार का टैक्स लगाया है, मैं सोचता हूं कि एकदम इतना न बढ़ा दो कि कमर टूट जाए। अगर टैक्स लगाने का भी कोई तरीका हो तो टैक्स अंततोगत्वा जायेगा तो कन्जूमर पर ही जो उसका उपयोग करेगा, कोई मालिक उस टैक्स को नहीं देगा, वह भी किसी दूसरे से वसूल करेगा।

अब 2018-19 में जो हमने वाहन कर, रजिस्ट्रेशन शुल्क से जो पैसा प्राप्त किया वह 4 हजार 900 करोड़ रुपया प्राप्त किया और अभी आपने बजट में अपना जो अनुमानित आंकड़ा रखा है वह 5 हजार 660 करोड़ रुपया, इसका मतलब 750 करोड़ रुपया आपने इसको अनुमानित माना है, अब इस पर एक्चुअल तो बाद में कभी आयेगा। इसका मतलब यह है कि आपने इस माध्यम से 750 करोड़ रुपया अधिक निकालने का प्रयत्न किया है।

अब मुद्रण एवं पंजीयन शुल्क के बारे में मैंने पहले ही उस दिन कहा था, जब यहां एक प्रस्ताव आया था कि आपने डी.एल.सी. रेट को जिस ढंग से बढ़ाया है, डी.एल.सी. रेट को बढ़ाने के लिए भी आपने जिले पर एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें जन प्रतिनिधि भी हैं और बाकी सब लोग हैं और वे सब मिल करके जैसी वहां की शहर की या जिले की स्थिति होती है उसके आधार पर अपना-अपना सजेशन देते हैं और सब मिल-जुलकर के उसको तय करते हैं लेकिन मैंने भी यह पहली बार देखा है कि इस डी.एल.सी. रेट को बढ़ाने के लिए जन प्रतिनिधि को इग्नोर किया, मीटिंग में वे आये या न आये, उसकी कोई चिंता नहीं। वे भी सामान्य नहीं बढ़ाई, कोई सामान्य बढ़ाते तो समझ में आ सकता था, सीधा का सीधा 20 परसेंट से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकर 50 परसेंट तक राजस्थान में डी.एल.सी. रेट बढ़ी है और आपको और हमको, सबको अनुभव है कि जमीनों का जितना भी व्यवसाय है वह लगभग जमीन पर आ गया। कारण क्या है कि इसमें पिछले पांच सालों से किसी प्रकार का उठाव नहीं आया।

इसके साथ ही, आपने जो उद्योग हैं, उनके ऊपर भी लगाया, पहले 1.5 लगता था अब 2.5 लगा दिया। उद्योग वैसे ही मरे हुए हैं, हमारे यहां उद्योगों की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और उसके ऊपर आपने यह और बर्डन लाद करके 1100 करोड़ रुपया जो एस्टीमेटेड लिखा है, क्योंकि पिछली बार 2018-19 में आपको 4 हजार 250 करोड़ मिला था, उसकी जगह आपने एस्टीमेटेड किया है 5 हजार 350 करोड़, इसका मतलब 1100 करोड़ रुपया आपने पंजीयन और मुद्रांक से निकाला है।

विद्युत में भी आपने बड़ी चालाकी से यह कहा कि हम पांच साल तक कुछ नहीं बढ़ाएंगे लेकिन आपने जिस ढंग से बढ़ाया इसमें हर कन्जूमर को जा रहा है, जो बिल जायेगा न तो वह अहसास कर लेगा कि वास्तव में हमको कितना पैसा अधिक देना पड़ा। इसमें भी आपने अपने हिसाब से ही जो एस्टीमेटेड किया उससे भी ज्यादा पैसा आपको आयेगा क्योंकि आपने और कोई तरीके से, इस अमैंडमेंट के माध्यम से और अधिक हरेक कन्जूमर पर 55 पैसे के लगभग और डालने का प्रयास किया है। पहले एस्टीमेटेड था 2 हजार 450 करोड़, अब आपने एस्टीमेटेड किया 2 हजार 804 करोड़, इसका मतलब 354 करोड़ रुपया इसमें निकला।

अब पैट्रोल-डीजल में आपने जिस तरह से पहले ही, विधान सभा में आने के पहले ही चार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिया और उसके बाद भी इस अमैंडमेंट में आने के बाद इसमें वैट और बढ़ा रहे हैं। इस वैट और बढ़ जाने के कारण से, वैसे ही पैट्रोल और डीजल राजस्थान के जो अड़ोसी-पड़ोसी राज्य हैं उनमें पैट्रोल और डीजल की कीमत कम होने के कारण से बार्डर पर हमारे जितने भी पैट्रोल पम्प हैं वे एक तरह से वैसे ही सिक हो रहे हैं क्योंकि एक-एक लीटर पर पांच-पांच और सात-सात रुपये का एक राज्य से दूसरे राज्य में फर्क है तो नुकसान तो अपने को सेलिंग के आधार पर ही होगा। अपन इस तरह से लेना चाह रहे हैं उधर से उसकी मार एक तरह से लोगों पर पड़ती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने रसोई गैस पर भी अपने बजट में ही बढ़ा दिया, 5.5 परसेंट था उसको आप सीधा का सीधा 10 परसेंट के रूप में लाए। इसका मेरा अंदाज है, क्योंकि आपने इसमें कोई एस्टीमेटेड तो फीगर दिया नहीं कि इस साधन से, गैस से, पैट्रोल से, डीजल से और इस वैट के बढ़ाने के कारण से राजस्थान को कितनी एक्स्ट्रा आदमनी होगी। मैं सोचता हूं कि चार रुपया तो अभी से ही बढ़ चुका और आगे और कितना बढ़ेगा। अब आप अंदाज लगा सकते हो राजस्थान में प्रति दिन कितना पैट्रोल और डीजल का होता है। उसके कारण से मेरा अनुमान है कि राजस्थान में कम से कम, राजस्थान के सामान्य व्यक्ति से भी इस पैट्रोल और डीजल के कारण से 10 हजार करोड़ रुपया साल का निकाला जाएगा, सारा मिला करके 12 हजार 200 करोड़ के लगभग मैंने अनुमान किया है, एक्चुअल फीगर तो उसके बाद आयेगा। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में मुख्य मंत्री जी को विचार करना चाहिए कि हमारा व्यापार और पास में हरियाणा का है, बाकी जो पंजाब का है जहां बार्डर मिलता है, उसका इस पर क्या इफैक्ट होगा और उसमें हम उसको कैसे रेशनेलाइज कर सकते हैं जिसके कारण से हमारा व्यापार भी कम प्रभावित हो।

फिर यह जो विनियोग विधेयक आपने पेश किया है, मैं इस विनियोग विधेयक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारी हमेशा एक मंशा होती है कि हम यह सोचते हैं कि पहले वाले ने बिलकुल कुछ ही नहीं किया, हम ही सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। मैं सोचता हूं यह निगाह लेकर के काम करने से कभी भी किसी भी राज्य की तरक्की होने वाली नहीं है, हम अपने मन को भले ही खुश कर लें। लेकिन अगर पहले ने कोई अच्छा किया तो उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो, अगर उसमें कोई कमी-खामी रह गई तो उसमें सुधारने का प्रयास करो तब तो जाकर के चलेगा।

मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूं। मैं सोचता हूं कि राजस्व प्राप्ति में ऐसा नहीं है कि हमने पांच साल तक कुछ ही नहीं किया, यह जो-जो शब्द आपने हमारे लिए लिखे कि बिलकुल फाइनेन्शल मैनेजमेंट बेकार था, सब-कुछ ये हो गया, कर्जे में डुबा दिया, सब प्रकार से ये हो गया। लेकिन हकीकत में मैं आपको फीगर से बता रहा हूं, आपके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी यहां बैठे हैं वे मेरी बात को आपके ही रिकार्ड से टेली करके दिखायें कि हमको जब आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्व प्राप्तियां दी थीं 2013-14 में वह 74 हजार 471 करोड़ रुपये की दी थी और आज जो हमने 2018-19 का एण्ड किया है, हमने राजस्व प्राप्ति की 1 लाख 51 हजार 663 करोड़ रुपया। ऐसा नहीं है कि हमने आमदनी नहीं बढ़ाई। यह मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा हूं, यह आंकड़े सब आपकी दी हुई किताब के आंकड़े हैं, और हर साल बढ़ा है। अबकी बार जो आपने एस्टीमेटेड दिया है कि राजस्व प्राप्तियां होंगी वह 1 लाख 64 हजार 4 करोड़ रुपया किया है, इसका मतलब हमने 74 हजार से लाकर के आज आपको एस्टीमेटेड 1 लाख 64 हजार बनाने की जो ताकत दी है, इसका मतलब कुछ तो हमारी मेहनत होगी जिसके कारण से हमने रेवेन्यू रिसीट बढ़ाया है। अब यह हमारा स्वयं का जो राजस्व है, जो हम कर वसूल करते हैं यह हमको मिला था वह 47 हजार 53 करोड़ रुपये मिला था और आज जो हम जो आपको सुपुर्द कर रहे हैं, जो आपका एस्टीमेटेड है वह 81 हजार 867 करोड़ रुपया राजस्व की आय को सुपुर्द कर रहे हैं, जो लगभग-लगभग 80 परसेंट अधिक है।

इसी तरह से हमारे पास केन्द्र से जो कर आता है उस केन्द्र के करों में भी हमने 18 हजार 673 से शुरू किया था। मुझे अभी फीगर नहीं मिला। मुझे 2017-18 का फीगर मिला वह 37028 करोड़ रुपये की हमें केन्द्रीय सहायता करों में मिल रही है। जो हमें ऋण और केन्द्र के अनुदान और बाकी सहायता मिल रही है, वह 2013-14 में 8745 करोड़ मिली थी। अब की बार जो आपने एस्टिमेटेड माना वह 26676 करोड़ रुपया माना है। 8 हजार से सीधा का सीधा 26676 करोड़ रुपया आपको केन्द्र से विभिन्न प्रकार की सहायता के अंदर मिल रहा है। इसका मतलब आपके पास पैसा तो आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो कर्जा, कर्जा, आप बार-बार आग्रहपूर्वक कहते हैं कि कर्जे में डुबा दिया, यह एक दूसरे के ऊपर केवल छींटाकशी करने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं निकला, जब कोई कर्जा न लिया गया हो या कर्जे में नहीं हो। अगर मैं आपको 2011-12 का बताऊं तो उस समय भी 7891 करोड़ का कर्जा हमने लिया था और अभी हम कर्जा ले रहे हैं, पिछले साल हमने लिया था 21412 करोड़ और अभी आपने एस्टिमेटेड बनाया है उसमें 23132 करोड़ का आप कर्जा ले रहे हैं। इस तरह से यह मिलाकर के 72 हजार करोड़ का वैसे ही आपका सकल राजकोषीय घाटा है। सब मिलाकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के जो आपने एस्टिमेटेड किया है, हमको तो आपने कहा कि आपने कर्जा 3 लाख 9 हजार करोड़ रुपया हमें सुपुर्द किया। वह मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन आज आपने जो एस्टिमेटेड किया है, वह आपका 3 लाख 39 हजार 368 करोड़ रुपये का, सारा का सारा मिलाकर के राजस्थान के ऊपर कर्जा होगा। यह आपके आंकड़े से है।

अब यह जो आपने विभिन्न स्रोतों से, जो आप बार-बार कहते हैं कि जीएसडीपी में हमने यह कर दिया, वह कर दिया, अब मैं आपके सामने फीगर रख रहा हूं, वह आप देखिए। राजस्व प्राप्तियां, जो हमने 2013-14 में 74471 जो कहा था, वह राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर का जो प्रतिशत था वह 11.3 प्रतिशत था। कर राजस्व की वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत थी। यह जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वह जीएसडीपी में 13.5 प्रतिशत थी। हमने हर साल बढ़ाई है। मैं सोचता हूं कि इसको आप देखें। 2014-15 में जीएसडीपी को 14.8 किया। 2015-16 में 14.7 किया। 2016-17 में 14.4 किया। उसके बाद 2017-18 में 15.2 किया। आज की तारीख में जीएसडीपी क्या है? इसका मतलब हमने हर साल जीएसडीपी के कंपेरिजन में हमारा जो रेवेन्यू रिसीट है, उसको हमने बढ़ाने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं सदन के नेता महोदय, कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। हमने 5 साल बैठे-बैठे ऐसे ही फालतू गुजार दिए जैसे कि राजस्थान मेरा नहीं है, राजस्थान की जनता मेरी नहीं है। मैं यहां जीतकर आता हूं या मेरी सरकार जीतकर आती है तो उनकी मंशा ही बिगाड़ने की होती है, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं जिससे आप लोगों को यह समझ में आए कि हम लोगों ने कुछ किया है। वह मैं आपको बताता हूं।

आपका जो पहले का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, पूरा 5 साल का कार्यकाल। सामान्य शिक्षा पर मैं राजस्व व्यय बता रहा हूं। राजस्व व्यय, जो आपने खर्च किया, वह 55969 करोड़ रुपया किया। हम लोगों ने इन 5 सालों में 90199 करोड़ रुपया किया। इसका मतलब हमने 34220 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्चा, 61 प्रतिशत बढ़ाया। चिकित्सा में आपने 12308 करोड़ खर्चा किया और हमने 20844 करोड़ खर्च किया। हमने 8556 करोड़, यानी इन 5 सालों में 69 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। परिवार कल्याण पर आपने 3167 करोड़ रुपया दिया और हमने 9391 करोड़, लगभग 196 परसेंट इसमें बढ़ोतरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आपने बार-बार कहा कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं था। तब यह पैसा कहां से आया? काम कहां से हुआ?

जल आपूर्ति और सफाई पर, आपने 8021 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने 10110 करोड़ खर्च किया। लगभग 26 परसेंट की हमारी बढ़ोतरी थी।

एससी, एसटी, यह तो मैं आपको आगे आंकड़ा बताऊंगा कि आपने अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ किया, ईमानदारी से कोई समझना चाहे, प्रारम्भ से लेकर अब तक बजट पर हमने एससी, एसटी को दिया क्या है? यह तो नीति आयोग के बाद एक तरह से यह बाइंडिंग भी आ गई कि आपको उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका बजट अलाट करना पड़ेगा। उसके बाद यह एलोकेशन बढ़ा है। आपने अपने समय में 5 साल में किया 3187 करोड़, हमने किया था उस समय 4411 करोड़, 38 परसेंट की बढ़ोतरी थी।

सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा पर आपने 4738 करोड़ किया और हमने 17261 करोड़ रुपया, 264 परसेंट ज्यादा, 5 साल में खर्च किया। आपने देखा होगा कि सामाजिक सेवाओं में कुल राजस्व व्यय में हमने 62 परसेंट की बढ़ोतरी की है। पूंजीगत व्यय में भी हमने एसेट्स बनाने की दृष्टि से भी, निर्माण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जो-जो आवश्यक सामग्री थी, उसको बढ़ाया है।

मैं आपको बता दूं कि कृषि क्षेत्र में आपने पूरे 5 साल में, 2009 से लेकर 2014 तक जो खर्च किया है, वह 1239 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह मैं पूंजीगत खाते में बता रहा हूं। हमने इसमें 2381 करोड़, 92 परसेंट कृषि में अधिक पूंजी लगाकर के एसेट्स कायम करने का प्रयास किया है।

ग्रामीण विकास, जो कि हर गांव का आधार है, आपने 1609 करोड़ रुपये 5 साल में खर्च किए और हमने इसको सीधा बढ़ाकर के 9114 करोड़, 56 परसेंट की इसमें बढ़ोतरी की है।

ऊर्जा के क्षेत्र में तो आश्चर्यजनक पैसा लगाकर के किया। आज आप जो कह रहे हो कि हम आत्मनिर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, अगर आप हमें 2013 में आत्मनिर्भर छोड़कर जाते तो आपकी भाषा हमें बहुत अच्छी लगती। लेकिन हमने जो कुछ किया उस पर आपने पानी फेरते हुए अपना सारा श्रेय लिया। ऊर्जा में आपने पूरे 5 साल में 13116 करोड़ रुपये खर्च किया और हम लोगों ने 25669 करोड़ रुपये खर्चा किया। 95 परसेंट खर्चा हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ाया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, आपने 4159 करोड़ दिया और हमने दिया 9213 करोड़, 121 परसेंट हमने पूंजीगत खर्चे को बढ़ाया है।

परिवहन पर, परिवहन मंत्री जी बहुत जोर से बोलते हैं लेकिन हकीकत में फीगर भी देखो। मुंह से बोलना तो बहुत आसान है किधर भी बम फेंको। लग जाए तो लग जाए। लेकिन हकीकत में कागजों में भी देखो कि हम लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया। यह ठीक है कि रोडवेज निश्चित रूप से आज तकलीफ में है, घाटे में है। उसकी हालत खराब है। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सुधारो, हम आपका सहयोग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। 6043 करोड़ रुपया आपने 5 साल में खर्च किया और हमने 17050 करोड़ रुपया खर्च किया। यह 182 परसेंट खर्चा बढ़ाया।

सामान्य शिक्षा की एसेट्स बढ़ाने में 382 करोड रुपये आपके टाइम में खर्च हुआ और हमने इसको 1617 करोड़ खर्च करके, 322 परसेंट खर्चा बढ़ाया है। आपको और हमको सुनकर के आनंद नहीं आता है कि हम 26वें पायदान पर थे शिक्षा की दृष्टि से देश के नक्शे पर और आज हम दूसरे स्थान पर आए हैं। क्या यह उपलब्धि नहीं है? इसको भी आप उपलब्धि नहीं मानोगे।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 711 करोड़ आपने खर्च किया। हमने 2393, यानी 236 परसेंट इन 5 सालों में इसका खर्चा बढ़ाया है। जलापूर्ति इसमें आपने 7412 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने 21943 करोड़ रुपया, 196 परसेंट इसमें खर्चा बढ़ाया है। सामाजिक सेवाओं में आपने 13729 करोड़ रुपये खर्चा किया। हमने 32903 करोड़ रुपये, 139 परसेंट इसमें खर्चे को बढ़ाया है। आर्थिक सेवाएं, 27798 आपके टाइम पर था और हमारे टाइम पर 61219 करोड़ रुपया खर्च करके 120 परसेंट इसमें पूंजी बढ़ाई है।

योजनागत व्यय में आपको और सदन को बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि हमने भाषण तो बहुत दिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जब भी वोट का सवाल आता है, तब वह तो माई, बाप हो जाते हैं लेकिन हकीकत में हमारे दिमाग में, या जो भी हम बनाते हैं, इसमें मैं आपको पूरा आंकड़ा रखकर के बताता हूं कि वास्तव में हमने इनके साथ न्याय किया है कि नहीं किया है? अनुसूचित जाति, 2008-09 में आपने जो खर्च किया है वह बजट था आपका 12190 करोड़ रुपये और उसमें से आपने इसको दिया है 381 करोड रुपये यानी 3.13 परसेंट। 3 परसेंट केवल आपने शिड्यूल्ड कास्ट को दिया है। उसके बाद 2009-10 में 12568 था, उसमें से 342 करोड़ दिया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसका मतलब 2.7 परसेंट दिया। इसके बाद 2010-11 में बजट 14172 करोड़ था। आपने इसमें से 655 करोड़ रुपया दिया। केवल 5.9 परसेंट दिया। 2011-12 में टोटल बजट था 22796 करोड़ रुपये और आपने शिड्यूल्ड कास्ट को दिया 1786 करोड़, इसमें 7.8 हुआ। उसके बाद 2012-13 में, यानी पहले तो 2 और 3 परसेंट चले और फिर आप 7 परसेंट पर आए। 7 परसेंट में आपने 2012-13 में 20569 करोड़ में से 1568 करोड़ यानी 7.6 परसेंट दिया। उसके बाद 2013-14 में आपने 27159 करोड़ में से 2232, यानी 8.2, उसके बाद आपने देखा जो हमें मिला तो हमने पहले हर साल बढ़ाने का प्रयत्न किया, हमारा टोटल खर्चा था, बजट था 44174 करोड़ था, हमने 3837 करोड़ किया, 8.7, मतलब जहां आपने 8.2 पर छोड़ा, हमने पहले साल इसको 8.7 बढ़ाया, दूसरे साल हमने इसको 11.4 किया, तीसरे साल हमने वापस 9.7 पर किया, उसके बाद 2017-18 से जब से नीति आयोग के बारे में यह हुआ कि जनसंख्या के आधार पर आप बजट का अलोकेशन करें तो हमारे यहां 2017-18 में 17.85 यानी 17 प्रतिशत उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए बजट का अलोकेशन किया। उसके बाद 2018-19 में भी 17.88 और उसके बाद अभी आपने जो अपना बजट पेश किया उसमें 17.87, हमने 0.88 किया, फिर 0.01 नीचे आए हैं। मैं सोचता हूं कि इसको देखकर लगता है कि वास्तव में हम लोगों का दृष्टिकोण अपने समान लाने का है या केवल और केवल फोर्मेलिटी पुजाने का है।

इसी तरह से जनजाति उप योजना का जो पैसा दिया गया है उसके भी फीगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस के काल में 2008-09 में टोटल बजट का पैसा मिला 3.2, 2009-10 में मिला 2.9, 2010-11 में मिला 5.1, 2011-12 में मिला 6.4, 2012-13 में मिला 6.7 और 2013-14 में मिला 9.1, उसके बाद इसके बढ़ने का क्रम हमारे टाइम पर लगभग वही रहा। पहला हमने 8 प्रतिशत, 2015-16 में 8.6, 2016-17 में 7.4 हुआ, उसके बाद नीति आयोग के बाद यह जो निर्णय होने के बाद 2013-14 के बाद 13.8, मतलब हमने 2017-18 में किया, 2018-19 में 13.5 प्रतिशत किया, अभी आपका एस्टीमेटेड है, 13.6 प्रतिशत। इसका मतलब अगर यह नीति आयोग और मुझ पर डंडा नहीं चलाता तो हम तो अपनी पुरानी गति से ही चलते रहते, बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते लेकिन हकीकत में उनके सुधार की दृष्टि से हमारे मन में वेदना है या केवल फोर्मेलिटी करने का काम है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जितने भी राज्य कर्मचारियों की संख्या है, वह लगभग घट रही है। राज्य कर्मचारियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। काम निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे कालेज बढ़ रहे हैं, हमारे आफिस बढ़ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट फैल रहा है लेकिन राज्य कर्मचारियों की संख्या में निरंतर घटने का क्रम चल रहा है 1994 से, 1994 में 10 लाख 5 हजार लोग राज्य की सेवा में थे और आज की तारीख में यह जो आया है 9.68 लाख। भाजपा काल में यद्यपि हमने भी 10.05 पर लिया, लेकिन 10.16 पर छोड़ा, केवल हम 11 हजार उनकी संख्या को बढ़ा सके। लाखों की तुलना में केवल 11 हजार हमारे पूरे के पूरे पांच साल के कार्यकाल में 1994 से 1998 के कार्यकाल में, आपका 1998 से लेकर 2003 तक माइनस 84, इसका मतलब 84 हजार पोस्टें कम हुई हैं, जिस स्थिति में हमने छोड़ा। इसके बाद फिर भाजपा का समय आया तो हमने 31 हजार पोस्टें वापस बढ़ाई, उसके बाद कांग्रेस का फिर से राज आया, फिर उसके बाद 9 हजार संख्या उसमें कर्मचारियों की कम हुई। आज की तारीख में हमने फिर बढ़ाया, बढ़ाया मतलब 0.08, अर्थात् केवल 8 हजार सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निजी क्षेत्र है, उस निजी क्षेत्र में भी हमने कोई बहुत अधिक उपलब्धि हासिल नहीं की। आज की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई महसूस करता है तो वह अनएम्प्लायमेंट है। कोई सरकारी काम चाहे मिले या न मिले, कोई दिक्कत नहीं लेकिन आदमी को कोई न कोई काम जरूर मिले, इसके बारे में जब तक हम सब लोग चिंता नहीं करेंगे तो इस यूथ को गलत रास्ते पर जाने से न तो आप और न मैं रोक सकेंगे, चाहे उसकी कितनी ही आलोचना करो, चाहे उसके बारे में कितना ही और कुछ करो। निजी क्षेत्र में भी हमारे टाइम पर 1994 में 2.4 लाख लोग काम करते थे और आज की तारीख में 4.39 हजार लोग अभी 2018 में काम करते हैं, इसका मतलब हमने जाब की दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं की कि वास्तव में जाब क्रिएशन कैसे हो। यह gross fixed capital formation के बारे में आपने जो बार-बार कहा कि एसेट्स कायम नहीं किए, एसेट्स कायम नहीं किए, ऐसा नहीं है, आपने भी करने का प्रयास किया, हमने भी किया। कर्जा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन कर्जा लेकर एसेट्स कायम होता है तो कर्जा कौनसा राज्य नहीं लेता, कौनसी सरकार नहीं लेती? केन्द्र भी लेता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हे, हम सब लेते हैं लेकिन उसका सदुपयोग होकर भविष्य के लिए कोई रास्ता बने तो कर्जा लेना कोई बुरा नहीं है। आपके कर्जे की स्थिति मैं बताता हूं। पांच साल में सार्वजनिक क्षेत्र में सकल स्थायी पूंजी का निर्माण, जो आपने एसेट्स बनाए वह 189892 करोड़ का एसेट्स बनाया, इसका मतलब आपका पांच साल का एवरेज निकालो तो 27987 करोड़ का एवरेज बनता है हर साल का। हमने केवल चार साल, पांचवें साल का हमारा अभी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन चार साल में हमने 2,29,789 करोड का एसेट्स बनाया, इसका मतलब हमारा साल का एवरेज कितना बनता है, 54 हजार करोड़ से अधिक, आपका 37 हजार करोड, इसका मतलब हमने एसेट्स बनाने में पांच साल में 51 परसेंट की बढ़ोतरी की है, उसको बढ़ाया है। इसी तरह से आपके निजी क्षेत्र में भी आपका हर साल का आया, 1,06,634 करोड़ रुपया और हमारा आया है, 1,56,104 करोड रुपये निजी क्षेत्र में, अर्थात् 46 परसेंट हमने एसेट्स को बढ़ाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल और केवल आपको आलोचना करना है तो करिये, हमको इसमें कोई बात नहीं। अब आपने राजस्व घाटे के वह आंकड़े उठाए हैं जो आपके लिए ठीक थे। आपने उस सारी स्थिति को बताने का प्रयास नहीं किया कि राजस्व घाटे को हमने भी सरप्लस में लिया है। आपने देखा होगा कि 2003-04 का राजस्व घाटा आप छोड़कर गए थे 3,424 करोड़, हमने इसको लाते-लाते 2007-08 में, पहले तो हम भी घाटे में चले, लेकिन 2007-08 में हम 165 करोड़ रुपये प्लस में आए, अर्थात् हम आगे बढ़े। 2013-14 में आपने वापस घाटा हमको दिया, वह दिया था 1039 करोड़ रुपये, आपने जब लिया, जब हमने लिया तब भी आप 30424 करोड़ रुपये का घाटा दे गए थे और वापस जब छोड़ गए थे तब भी, राजस्व घाटा कह रहा हूं, राजकोषीय घाटा, 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत पहुंच गया था, 2007-08 में हमारे कार्यकाल में जीएसडीपी में केवल 1.75, 1.75 प्रतिशत हमने इसको एडजस्ट किया और 2013-14 में फिर आपने जब हमको दिया था तब वापस यह 2.8 तक जीएसडीपी के लेवल पर था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण भार के बारे में, ऋण भार का बताया, आपने यूं कर दिया, आपने यूं कर दिया, कुछ नहीं है। सच बात यह बताइए कि आपने जब हमको सुपुर्द किया था तब राजस्थान पर कर्जा कितना था? 77,138 करोड़ रुपये था और जिस समय हम 1998 में, जब यहां भैरोंसिंहजी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और हम विपक्ष में आए थे, तब यहां हमारे चन्दनमलजी ने 24 हजार करोड़ रुपये का घाटा था उस समय, उसका एक व्हाइट पेपर हमारे खिलाफ इश्यू किया कि आपने राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया। उसके बाद जब आपको यह मिला और आपने अपने समय में, आप ही मुख्य मंत्री थे, यहीं बैठकर व्हाइट पेपर में, यानी भैरोंसिंहजी को आप जितना जो कुछ कह सकते थे, वह सब कहने का प्रयत्न किया लेकिन जब आप वापस इस सरकार को देकर गए थे उस समय आपने 77,138 करोड़ रुपये दिया, 2014 में जब आपने हमें दिया था तो 1,30,640 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर गए थे, अर्थात् 53 हजार का एक्स्ट्रा कर्जा दिया। अब इसमें आपने चतुराई क्या की, पाप किया आपने, भुगता हमने, बिजली कम्पनी को बंद तो नहीं होने देते, बिजली के कारण से राजस्थान को अंधेरे में तो नहीं डालते? चाहे हमारी मजबूरी थी, चाहे जो कुछ भी हमारे सामने था, उन बिजली कम्पनियों को किसी तरह से हमें जिंदा रखना था, उनको कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं क्योंकि वह इतने कर्जे में डूब गई थी, उनको सर्वाइव करने के लिए हमने 62 हजार करोड़ रुपये हमारे खाते से देकर उनको रिवाइव किया। अगर 62 हजार का कर्जा जो आपने उस समय दिया था, उसको अगर जोड़ लें तो 1,92,640 करोड़ रुपये का कर्जा तो आपने हमें उस समय दिया जो हमने जोड़ा नहीं लेकिन अगर उस समय के कर्जे को भी आगे देखेंगे तो हमने आपको बिजली कम्पनियां सुपुर्द की थीं तो राजस्थान की बिजली कम्पनियां 15 हजार करोड़ के घाटे में थीं। और जब आपने हमें वापस यह घाटा विरासत में दिया था, यह 75 हजार 138 करोड़ का आप हमें घाटा देकर के गये। मैं सोचता हूं कि अभी भी मैंने आपको बताया कर्जे की दृष्टि से आपकी स्थिति कोई अच्छी होने वाली नहीं है। 33 हजार करोड़ तो अभी से ही आपको लग रहा है कि वह हमें देना है। कुछ आपके और पेमेंट हैं, अभी तक आपके कुछ बिल ड्यू पड़े हैं, 13 हजार करोड़ का लगभग आपको ब्याज देना है। इन सबको मिला दें तो 80 हजार करोड़ का घाटा तो आज की तारीख में आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, फिर यह कहां तक जाएगा? अगर इस फीगर को जोड़ेंगे तो 4 लाख से ऊपर जाएगा। मैं सोचता हूं, यह वृद्धि दर जो है, वह 2015-16 व 2016-17 में हमारे कार्यकाल में राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप आलोचना करते हैं, करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में भी हमने कोशिश की है और इस कारण से ऊर्जा क्षेत्र में जो आपने खर्चा किया था, वह 16842 करोड़ किया और हमने ऊर्जा क्षेत्र में जो खर्चा एक्स्ट्रा किया, वह 6747 करोड़ रुपये अधिक किया। बिजली कम्पनियों का घाटा जब हमने आपको सुपुर्द किया था, तब 15 हजार करोड़ था और आप जब हमें सुपुर्द कर गये तो 77 हजार करोड़ रुपये से अधिक का घाटा आप हमें देकर गये हैं।

हमने जो लघु और सीमांत किसान का ऋण माफ किया 50 हजार, आप उसके बारे में बार-बार यह कहते हैं कि आपकी जेब में तो था ही नहीं, तो आज आपकी जेब में है क्या जो आप दे रहे हैं? हमारी जेब में तो नहीं था। आपने जिस दिन दस दिन की घोषणा की थी, उस दिन जेब भरी हुई थी न, उसी में से आप देने वाले थे? क्यों एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं? जो हम कर सकते थे, हमने किया, इसमें कोई दोराय नहीं है। हमने पचास हजार रुपये सारे किसानों को, जो लघु और सीमांत थे, पहले हमने उनका कर्जा माफ किया और उसके कारण 29 लाख 30 हजार लोगों को हमने उनके प्रमाण पत्र देकर, पूर्ण कर्जा माफ करके सारा का सारा बर्डन, 2 हजार करोड़ हमने अपने फंड से दिये। जो आप बात कहते हैं, वह सही है, इसमें कोई दोराय नहीं। 22 सौ करोड़ हमने केन्द्र से, सहकारी डिपार्टमेंट से लिये, कुछ हमारे पास एफडी पड़ी थी, उसके अगेंस्ट हमने 600 करोड़ रुपये लिये और बाकी लेकर के हमने किसानों का कर्जा माफ किया तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान के किसानों को, ओवरड्यू क्या होता हे, ओवरड्यू वह होता है जिसको छह महीने का कर्जा है। हमने सितम्बर-अक्टूबर में यह कर्जा माफ कर दिया। अब आपका ओवरड्यू कहां से आएगा? ओवरड्यू का जो प्रमाण पत्र दिया न, भगवान करे दो-पांच प्रमाण पत्र लाकर इन्हें दिखाएं, किसी को छह हजार दिया, किसी को 535 रुपया दिया, किसी को 11 हजार दिया, कर्जा माफ किया और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी आप इतना ईमानदारी से बता दीजिएगा कि हमने किसानों के खाते में इतना पैसा डाल दिया और आज वह फिर से कर्जा लेने के योग्य बन गये हैं, क्योंकि आज उनका जो बीमा होना है, उसकी आज लास्ट तारीख है।

उस दिन मंत्री जी ने पहले कह दिया कि मैं सूचना कर रहा हूं तो वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सब बीमा की राशि जमा करी तो देखा ये तो उलझ गये हैं, तो फिर वापस आये कि नहीं, नहीं, उनकी राशि हम डालेंगे। कैसे डालेंगे, जब तक वह कर्जा लेगा ही नहीं तो उसका पैसा आएगा कैसे और आपका इन्श्योरेंस होगा कैसे और इन्श्योरेंस नहीं होने से, पिछली बार हमारे किसान ने 220 करोड़ रुपये का केवल उनका फंड दिया था। बाकी शायद इस सरकार ने मिलाया हो या केन्द्र सरकार ने मिलाया हो और जो फसल बीमा का पैसा मिला राजस्थान में, वह 1600 करोड़ रुपया किसानों को मिला है। आपने उसमें भी एक चतुराई की। जो कर्जे का पैसा माफ होकर आया न, वह उसके खाते में नहीं डालकर बैंक के खाते में डाल दिया। आपने किसान को नहीं दिया यह पैसा। अगर दिया हो तो बता दीजिए। यह जो उसके खाते में पैसा आया था 1600 करोड़ रुपया, यह आपने किसान के खाते में डाल दिया या केवल को-आपरेटिव सोसाइटियों के खातों में डाल दिया। मैं सोचता हूं कि इसे भी आप विकास नहीं मानेंगे कि हमने एक साथ इतने स्कूल खोले। हम जानते हैं कि जब तक शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं बढ़ेगा, तब तक हम राजस्थान को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उसके कारण से ही आज राजस्थान जो 26वें पायदान पर था। आज शिक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में दूसरे पायदान पर आया है, इसका मतलब कुछ तो किया होगा। आज शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आप ईमानदारी से तीन-चार साल के आंकड़े निकालकर बताइएगा कि पहली बार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी या नहीं? पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती गयी- 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। अब जाकर के वापस सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है। उसमें आप बड़े नाराज हो रहे थे कि 22 हजार स्कूल बंद कर दिये। जहां कोई मास्टर पढ़ा रहा है, वहां स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं है, क्या करेंगे, पढ़ाइए। केवल उसकी नौकरी ही लगाये रखने के लिये आपको वहां रखेंगे? जिस स्कूल में 15 बच्चे थे, ऐसे 4 हजार से अधिक स्कूल थे। ऐसे स्कूल जिनमें 15 से 30 बच्चे थे, उसमें भी अगर आपको लगता है कि अगर दूरी ज्यादा बढ़ रही है, बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है तो खोल दें न, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठे आदमी को तनख्वाह देकर के एक तरह से राज्य के ऊपर भार नहीं डालेंगे?

मिड-डे मील में भी हमने तीन दिन का दूध देने का प्रयत्न किया, वह भी हमने अच्छा नहीं किया। राजश्री योजना चलायी, क्या गुनाह किया? इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

योजना की भले ही आप तारीफ करें, न करें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहली बार उन बच्चियों और उनके परिवारों को यह लगा कि बच्ची भार नहीं है, क्योंकि हमने बच्ची के जन्म के दिन 2500 रुपया उसकी मां के खाते में डाला। जब उसकी पहली वर्षगांठ मनायी, तब 2500 रुपया और डाला। फिर जब उसका पहली कक्षा में प्रवेश हुआ, तब 4 हजार रुपया और डाला। छठीं कक्षा में जब उसने प्रवेश किया तो 5 हजार और डाला। उसके बाद आठवीं में प्रवेश हुआ, तब 11 हजार और डाला। जिस दिन वह बारहवीं पास कर गयी, 25 हजार रुपये उस बच्ची के खाते में डालकर पचास हजार रुपया उसकी शादी के लिये किया, यह है राजश्री योजना। मैं सोचता हूं कि बच्ची किसी की भी हो, गरीब की या अमीर की, सबको इसका लाभ मिला है।

अभी मैं बता रहा था जलापूर्ति में पूंजीगत व्यय जो मैंने अभी आपको बताया, विद्युत में बताया, सिंचाई में बताया, सड़क और पुल के बारे में, जिसके बारे में आप बहुत आग्रह करते हैं, सच बात यह है कि सड़क और पुल का अगर हिन्दुस्तान में आमूलचूल परिवर्तन किया है, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना', इस योजना के पूर्व राजस्थान में सड़क का नेटवर्क गांवों में कितना था और आज राजस्थान के गांवों की सड़क की लम्बाई 1 लाख 70 हजार 972 किलोमीटर है। हर गांव, ढाई सौ की आबादी, न कोई राज है, न पार्टी है, न एमएलए है, न सरपंच है, जो भी गांव ढाई सौ की आबादी कवर कर जाएगा, वह हमारे ट्राइबल एरिया और रेगिस्तान में, जो भी बड़े गांव हैं, उन्हें पांच सौ की आबादी के आधार पर, सेंसस के आंकड़े उठाकर के गांवों को जोड़ने का प्रयास किया, उसके लिये भी आप धन्यवाद देने के लिये तैयार नहीं कि किसी आदमी ने क्या सोच लेकर के हिन्दुस्तान में रोड नेटवर्क तैयार किया।

आज यह जो आपको फोर लेन-सिक्स लेन दिखती है, इसके पहले कभी शक्ल ही नहीं देखी, फोर लेन क्या होती है, सिक्स लेन क्या होती है। आज हम चार-साढ़े चार घंटे में उदयपुर पहुंच जाते हैं तो रोड का नेटवर्क जिस प्रकार से किया है, वह भी आपको अच्छा नहीं लगता है। उप-मुख्य मंत्री जी आज हैं नहीं। जब मुख्य मंत्री बोलते हैं तो उप-मुख्य मंत्री नहीं होते हैं और उप-मुख्य मंत्री बोलते हैं, तब मुख्य मंत्री नहीं होते। क्या दुर्भाग्य है। यह डिसिप्लिन है। चलिये। उन्होंने एक भाषण दिया था उस दिन रिप्लाई में और रिप्लाई में उन्होंने कहा था...

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्य मंत्री को भी बुला दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) उन्हें भी बुला देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 23 जुलाई को उप-मुख्य मंत्री जी का एक भाषण हुआ था यहां।

एक माननीय सदस्य: लो आ गये उप-मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह परम्परा ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सुन नहीं रहे आप? बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने उस दिन अपने विभाग पंचायती राज के ऊपर भाषण देते हुए कहा था 23.07.2019 को कि दिसम्बर, 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब पहली मीटिंग हुई तो मैंने जानकारी ली, उस समय नरेगा के माध्यम से 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था और हमने 32 लाख को दिया। मैं आपका यह कागज निकालकर के लाया हूं। यह कागज मेरा नहीं है। आपकी प्रगति रिपोर्ट में है उपलब्धि नवम्बर, 2018 तक 17.12.2018 की एमआईएस रिपोर्ट के आधार पर। उसमें लिखा है कि जाब कार्डधारी हमारे यहां 97 लाख हैं। कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या 37 लाख 23 हजार। मैं आपका ही लाया हूं, मेरे पास जो कुछ भी आंकड़े हैं, यह पूरा का पूरा सरकारी डाकूमेंट है जिसमें से मैं निकालकर लाया हूं। उसमें से सौ दिन का जिन्होंने काम किया है, ऐसे 44 हजार 64 लोग हैं। कुल व्यय जो उस समय हुआ है, वह 3902 करोड़ रुपया हुआ है।

मैं सोचता हूं कि इन तीन वर्षों में जो प्रोग्रेस हमारी रही, वह प्रोग्रेस भी इस रिपोर्ट में दी हुई है। 2015-16 में हमने 42 लाख लोगों को लगाया, 2016-17 में 46 लाख को लगाया और 2017-18 में 45 लाख लोगों को रोजगार दिया। यह आंकड़ा मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। यह जो आपने प्रगति रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर बता रहा हूं। कम से कम वैरिफाई करके बोलना चाहिए। अधिकारी क्या करते हैं, आपको खुश करने के लिये कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने आकर ठोक दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं ठोकना चाहिए और कम से कम पता तो करना चाहिए कि वास्तव में हकीकत है या नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब मैं आपको यह बताता हूं जो हमारे टाइम पर भी और आपके टाइम पर भी खराबी है। हम कई बार काम शुरू कर देते हैं लेकिन काम कई वर्षों तक पूरे नहीं होते, कई वर्षों तक काम चलते रहते हैं। कई काम तो ऐसे हैं, यह जो मेरे पास लिस्ट है यह 5 साल से लेकर 24 साल तक विभिन्न काम चलते रहे। अब मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2018 को 247 अपूर्ण परियोजनाएं, ये सब 10 करोड़ से ऊपर वाली हैं जिन पर राशि 20 हजार 174 करोड़ का व्यय था, इनमें से 39 परियोजना की लागत वृद्धि 7 हजार 992 करोड़ रुपया हुई जिसमें नर्मदा-झाड़ोल परियोजना की लागत, एक्चुअल जो उसकी लागत थी वह थी 467 करोड़ और उसके बाद 3 हजार 124 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और अभी तो इसमें काम बाकी है।

इसी तरह से आपने लिखा है कि 63 परियोजनाएं ऐसी हैं जो 11 हजार 940 करोड़ की थीं और विगत 5 से लेकर 24 वर्ष से अपूर्ण पड़ी हैं। 34 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत 145 प्रतिशत बढ़ गई है, अर्थात् 5 हजार 400 करोड़ रुपये जिसकी प्रारम्भिक लागत थी, वह बढ़कर आज 13 हजार 222 करोड़ रुपये हो गई है तो यह जो समस्या है यह आज भी है, पहले भी थी, कोई आज नई पैदा हुई हो यह नहीं है लेकिन हम लोग नये-नये काम के बारे में तो जाते रहते हैं लेकिन जो पुरानी योजनाएं शुरू हो जाती हैं वे आधी अधूरी रह जाती हैं। उसके कारण से पैसा भी खर्च होता है और उसका जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ भी नहीं मिलता है।

सदन के नेता चले गये, मैं सोचता हूं कि आपने बजट में जो लिखा, मैं अपने मन की पीड़ा कह रहा हूं आपको, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाकर पिछली मुख्य मंत्री वसुंधरा जी की सरकार ने केन्द्र को भेजी है, आप भी प्रयत्न करो, हम भी प्रयत्न करते हैं ताकि वह पैसा अगर मिलेगा तो 13 जिलों की समस्या का समाधान होगा। उसमें केन्द्र सरकार ने और प्रधान मंत्री जी ने भी अपनी सहमति दी है कि वे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे और मैं सोचता हूं कि उसके बारे में आपको और मुझे दोनों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए ताकि राजस्थान के 13 जिलों को फायदा मिले।

मेरे जिले और विशेषकर जो उदयपुर डिवीजन है, आज की तारीख की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पीने के पानी की दृष्टि से भी, उदयपुर में आपको झीलें जरूर दिखाई देती हैं पर वे केवल उदयपुर जिले तक ही पूर्ति करती है लेकिन अगर आप मावली जाएंगे तो नहीं है, वल्लभनगर जाएंगे तो नहीं है, राजसमन्द के क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है। सलूम्बर, जहां जयसमन्द भरा हुआ है वहां के लोग भी पानी से तकलीफ पाते हैं। मैं सोचता हूं कि दो प्रोजेक्ट बने हुए हैं कोई बहुत ज्यादा उसमें पैसा नहीं है, केवल आप अपनी तरफ से यहां से प्रस्ताव मूव करेंगे तो मैं सोचता हूं कि कुछ सहयोग आप करें, कुछ सहयोग उनसे करके कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। देवास योजना का थर्ड और फोर्थ स्टेज है जिसमें एक हजार एमसीएफटी पानी आएगा, नीचे की सारी की सारी टनल 11 किलोमीटर की और केवल दो छोटे डैम हैं और टनल को जोड़ना है तो एक हजार एमसीएफटी पानी हमको हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा। यह पीने के पानी के रूप में ही काम लो, आपकी मर्जी हो जहां ले जाकर काम लो पर जो भी उस क्षेत्र का पानी पीयेगा, उसकी प्यास बुझेगी। वह पानी सीधा साबरमती में होता हुआ समुद्र में जा रहा है तो मैं सोचता हूं कि 1100 करोड़ रुपया खर्च करके उस एक हजार एमसीएफटी पानी को अगर डाइवर्ट कर लेंगे तो थर्ड और फोर्थ स्टेज के कारण से हम पानी रोकने में समर्थ हो जाएंगे, नहीं तो अब हर राज्य आगे चले गये धीरे-धीरे, अपने पानी पर क्लेम करने के लिए नये-नये खड़ा करेगा जबकि हमारा तो सारा प्रोजेक्ट एक तरह से क्लीयर है।

इसी तरह से एक प्रोजेक्ट हमने देवास के साथ-साथ माही से भी बनाया क्योंकि माही में 10 साल में 5 साल हमको गेट खोलने पड़ते हैं। इतना पानी हमारे पास आता है कि हमको उस पानी को निकालना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि उसी पानी का अगर हम उपयोग करें जब हमारे पास सरप्लस पानी हो तो माही से ग्रेविटी से पानी जाखम के नीचे नांगलिया डैम में। जिस नांगलिया डैम से सारी की सारी धरियावद की सिंचाई होती है वह नांगलिया से हो जाएगी। जाखम का लेवल हमारे जयसमन्द के लेवल से अप है तो केवल हम टनल के द्वारा, मुश्किल से छोटी टनल है बाकी ग्रेविटी से पानी आता है और अगर जयसमन्द में पानी आ जाएगा तो मैं सोचता हूं कि यह जो वल्लभनगर है, मावली है और हमारे राजसमन्द जिले का अधिकांश हिस्सा है वह इससे कवर हो जाएगा। आपने बागोलिया बनाया, आज बागोलिया एक वरदान की तरह से सिद्ध हुआ है कि इतने गांवों में कम से कम इस संकट के समय में भी पीने का पानी मिल रहा है। आगे चलकर हमको सिंचाई से भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ज्यादा महत्व पीने के पानी को देने के लिए जहां-जहां से भी हमको पानी टैप हो सकता है, वह टैप करना ही पड़ेगा। यह जो सारी माही वाली योजना है यह केवल 1600 करोड़ की है, दोनों मिला दो और 2700 करोड़ रुपये में अगर इस मेवाड़ की सारी समस्याओं का हल हो जाए तो निश्चित रूप से करना चाहिए।

अब आप लोग हमेशा यह कहते हैं कि आप यह तो बताओ कि आमदनी कहां से होगी। निश्चित रूप से जब तक सरकार को आय बढ़ाने के स्रोत नहीं मिलेंगे तब तक हम अपने बजट को और ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि अतिक्रमण में हमारी सरकार की सम्पत्ति को इतने लोंगों ने दबा रखा है कि अगर आप इसका एक विभाग ही अलग खोल दो जो देखे कि अतिक्रमण कहां-कहां है और उस भूमि को कैसे-कैसे मुक्त कराया जाए। मेरे यहां सैक्रेटरी, यूआईटी रामनिवास जी थे, उन्होंने हमको कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये की जमीनें खाली कराकर उदयपुर को सुपुर्द कीं और उसके कारण से उदयपुर का खजाना भरा हुआ है क्योंकि लोग दबाकर बैठे हैं, कई पीढ़ियों से बैठकर उस सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं और वह ऐसी प्राइम जमीन है। मैं सोचता हूं कि चाहे शहर की जमीन हो, चाहे गांव की जमीन हो, जहां-जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी बैठा हुआ है उसको चिह्नित करके अगर आपको उसको भी बेचनी है तो बेच दीजिये। अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी बैठा है तो जिस रेट में चाहो, उसे दो पर कम से कम दो पैसे तो सरकारी खजाने में किसी तरह से आये।

अब आप और हम सब जानते हैं, यूडीएच मिनिस्टर साहब बैठे हैं, राजस्थान का कौनसा ऐसा शहर है जिसमें हजारों दुकानें कामर्शियल नहीं हुई हैं, आज भी बनी हुई हैं। न आप तोड़ सकोगे और न हम तोड़ सके और ये दुकानें बनी ही रहेंगी। अब कभी तो गुलाब कोठारी का कानून आ जाता है, कभी कोई कानून आ जाता है। उससे बड़ा कानून इस विधान सभा से पास कराओ और पास कराने के बाद जैसी उसकी आबादी हो, जितने फीट की आपको सड़क चाहिए, जहां-जहां सम्भव हो सकता है वहां उसको कामर्शियल चैंज करके अगर आप उसका पैसा लेंगे तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की सब नगरपालिकाएं कम से कम आर्थिक दृष्टि से इतनी सशक्त हो जाएंगी लेकिन एक बार हमको हिम्मत करनी पड़ेगी और वह कानून के द्वारा ही हो सकेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप हमको तो कह रहे हैं कि ऐसा कानून लाइये पर जब हम कानून लाएंगे तो सबसे बड़ा रोड़ा आप ही अटकाएंगे। उसमें कहेंगे कि जनमत जानने के लिए भेजो। यह इस तरीके का कानून हम लेकर आएंगे, निश्चित तौर पर लेकर आएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपका भाषण है, यहां लिख लो। आज तो क्या मरते दम तक भी इस बात का विरोध नहीं करूंगा कि जो वास्तव में जिससे हमें पैसा नहीं मिल रहा है, उसका पैसा हमें मिलना चाहिए, राज्य के खजाने में पैसा आना चाहिए। कोई आदमी आज करोड़ रुपये की सम्पत्ति बनाकर दुकान चला रहा है, वर्षों से चला रहा है, उसकी एवज में अगर हमको नगरपालिका को कोई दो पैसा मिले तो निश्चित रूप से, पर समान एक तरीके से, जिस प्रकार का भी आपका कानून चाहिए, अगर पारदर्शी हो तो मैं सोचता हूं कि कोई आदमी विरोध नहीं करेगा। केवल वह विरोध करेगा जिसकी दुकान से पैसे निकलवा रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान की हर जनता आपको आशीर्वाद देगी, धन्यवाद देगी और आपका खजाना निश्चित रूप से भरेगा। इतना बड़ा अमाउंट इसमें छिपा हुआ है।

इसी तरह से देवस्थान मंत्री जी हैं, इनसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास भी यह डिपार्टमेंट रहा, अरबों-खरबों रुपये की सम्पत्ति हमारे पास है पर इसका कोई धणी-धोरी नहीं है। न तो इसका कोई वैरिफिकेशन होता है, न इस जमीन का पता लगता है। कोई 5 रुपये में बैठा है, कोई 10 रुपये में बैठा है। 25 लाख की दुकान होगी और वह 5 रुपये में किराये पर बैठा है, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपये किराया होगा, इन सब को आप एक बार करें। जो हमारी सम्पत्ति इस प्रदेश से भी बाहर है, हमारी अरबों रुपये की सम्पत्ति इस प्रदेश से भी बाहर है उसको आइडेंटिफाई करें और उसका किसी प्रकार से निस्तारण करके जितनी आमदनी भी आप उससे ले सकें, वह लेने का प्रयास करें।

हमारे पास इतने जेवरात हैं लेकिन हमारा वैरिफिकेशन नहीं होता है तो जो जेवर हमने रखे हैं, आज वे हैं या नहीं हैं इसका भी पता नहीं। जितने भी आभूषण हैं, जितने भी हैं, उनका साल में कम से कम एक बार वैरिफिकेशन तो हो कि वास्तव में वे हैं या जिसके पास है, जो उपयोग कर रहा है वही उसका दुरुपयोग कर रहा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के, आप जहां भी जाएंगे, पहले हमारे सड़क बनाने का नेटवर्क होता था वह सड़क के किनारे ही ड्रम रखते थे, सड़क के किनारे ही रोड रोलर रखते थे, सामान पड़ा रहता था पर आज उनका सच में कोई काम नहीं, उस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। भगवान के लिए उनको आइडेंटिफाई करके अगर आपको बेचना हो तो बेचो, उसको कामर्शियल करना है तो करिये, आपको बिल्डिंग बनानी हो तो बनाइये पर लाखों रुपये, करोड़ रुपये की सम्पत्ति है और मैं सोचता हूं कि इससे भी हम राजस्थान के खजाने को भर सकते हैं।

अब आपकी जो आरटीडीसी की होटलें हैं, अब चाहे वह डाक बंगला मेरा हो, चाहे वह डाक बंगला आपके अजमेर का हो, ऐसी प्राइम लोकेशन पर है लेकिन उसके बाद भी हम हर महीने जेब से पैसा लगाकर उसको चलाते हैं तो यह तो कोई समझदारी का काम नहीं है। मैं सोचता हूं कि जिस मोड पर, पीपीपी मोड पर देना हो तो दें, लीज पर देना हो तो दें, बेचना हो तो बेचें ताकि कम से कम उसकी देखभाल करने वाला तो कोई मिले पर हमारी इतनी बड़ी प्रोपर्टी जा रही है। सबसे बड़ा अगर कोई अर्निंग सोर्स बन सकता है तो वह पर्यटन है पर दुर्भाग्य से हम पर्यटन को सबसे नैग्लेक्ट करते हैं। इस बार भी बजट में आपने पर्यटन को 130 करोड़ रुपया दिया है अब 130 करोड़ में राजस्थान का पर्यटन डवलप हो सकता है। अगर हजार, दो हजार करोड़ रुपया एक साथ डालकर, उधार लेकर के भी डाल दें, लेकिन अगर हम स्थानों को विकसित करेंगे तो आने वाला जो टूरिस्ट है न, वह राजस्थान सरकार को कितना पैसा देगा, वह पता नहीं पर उस गरीब ठेले वाले का काम चलेगा, उसकी रोजी-रोटी बनेगी, उसका बच्चा पलेगा, उस धोबी का भी पेट पलेगा। मैं सोचता हूं इस इंडस्ट्री को जितना मजबूत करें, राजस्थान इस दृष्टि से पर्याप्त क्षमता रखता है, कोई स्थान ऐसा नहीं है। मेरे अकेले पानरवा के अंदर आप चले जाओ, पानरवा की बैल्ट में आपको टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म की दृष्टि से पानरवा से अच्छी कोई वैली नहीं हो सकती लेकिन, हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे, इसके कारण से हमको उसमें नहीं आता है।

इसी तरह से, रीको इंडस्ट्री में है, लोगों ने कभी रीको में अपनी जगह ले ली और लेने के बाद आज वह यूनिट पड़ी है। या तो उसको कोई और यूज कर रहा है या आपने जैसा देखा होगा, आप कोटा से आते हो, कोटा से जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रकार से, उससे भी दो पैसे मिलते हों तो चलो उनको वह अधिकार देकर के भी, दो पैसे तो कमाओ, पैसे भी नहीं कमाए और फोकट में आदमी करोड़ रुपये की सम्पत्ति दबा के बैठ गया, वह मालामाल हो गया और हम बर्बाद हो गए। मैं सोचता हूं यह नियम नहीं हो, हम कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं, जेनुइन जितना हो, उतना लें लेकिन जरूर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और इसको लेना चाहिए।

मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूं, केवल आलोचना से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े, हम पर कर्जा है, कर्जा होगा, लेकिन कर्जे से हम असेट को कायम करें तब तो चलेगा लेकिन आपने मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में किया कि 12 हजार पुलिस की भर्ती करेंगे, आपके बजट में तो 75 करोड़ हुए एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे से, 75 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा है और 12 हजार आप कांस्टेबल की भर्ती कर लेंगे, ये कौन सा है।

आपने जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बताए हैं, अगर उसको आप बजट के साथ मिलान करो तो आपका बजट तो कहीं मिलता और कहीं मिलता ही नहीं है। आपने घोषणा तो कर दी हम यह करेंगे, ये करेंगे लेकिन बजट को जब देखने का प्रयास करते हैं तो बजट के अंदर वह दिखाई नहीं देता है।

मैं सोचता हूं इस प्रकार का केवल आंकड़ों का मायाजाल बनाकर, अगर आप जनता को यह कहना चाहते हैं, हम बहुत कुछ हैं। अभी तो तीन काम आपके जिम्मे हैं, उन तीन कामों को भी करेंगे तो राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देगी। किसान का वास्तव में कर्जा माफ हुआ कि नहीं, उसके खाते में पैसा गया कि नहीं गया, उसको वापस लोन मिलने की स्थिति आई कि नहीं, ये 10 परसेंट का आरक्षण देने की आपकी मंशा है या नहीं है, और है आपने घोषणा तो कर दी मार्च में, लेकिन बच्चे को जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हमारा कानून जो है न, वह गुजरात की तरह से अब आपने 5 हैक्टेयर जमीन का रखा, हो सकता है कुछ राज्यों के लिए 5 हैक्टेयर ठीक है, हमारे रेगिस्तान में 5 हैक्टेयर क्या कीमत रखता है। मेरे यहां फारेस्ट में किसी का खेत में बीड़ा है 20 बीघा का, 40 बीघा का, वहां पांच हैक्टेयर क्या काम करेगा? इस क्षेत्र को देखकर के उसकी लिमिट को तय करेंगे तो केवल और केवल आठ लाख से जिसकी कम आमदनी है, उन सब बच्चों को मिले जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

टेलेंट होगा वह जाएगा, जो टेलेंट नहीं होगा उसको लाभ नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम उस गरीब टेलेंटेड बच्चे को किसी तरह से लाभ प्राप्त हो।

अब आपने जो घोषणा की थी हम 3500 रुपये और 3 हजार रुपया बेरोजगारों को देंगे, आपने हमें प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें तो आपने बताया था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट राजस्थान में जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज है, अभी तो कई लड़के ऐसे होंगे जो दर्ज ही नहीं कराते, वह 13 लाख है और 13 लाख में से जो आपने दिया है वह 82 करोड़ रुपया अब तक दिया है। यह 82 करोड़ वह है जो 40 हजार लोगों को हम पहले से ही दे रहे हैं। आपने यह बताया कि हमारी तो लिमिट तय हो गई 1 लाख 60 हजार, 1 लाख 60 हजार यह लिमिट जो तय हो गई तो फिर इन 13 लाख में से 1 लाख 60 हजार में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, मैं सोचता हूं कि लिमिट कहकर के आपने बच्चों को यह घोषणा नहीं की थी कि लिमिट देखकर के करेंगे, हम लाख 1 लाख 60 हजार में जितने बच्चे आएंगे, उनको ही दे सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, अगर आप यह कहते हो कि हम सभी बच्चों को यह स्कालरशिप दे सकते हैं तो जितनी दे सकते हो, उतना दो। उसमें भी अगर आपको कम ज्यादा करना हो तो कोई क्राइटेरिया बनाकर के कम से कम उन बच्चों को मिले, जो इस बारे में सोचते हैं कि हमको यह लाभ सरकार देने वाली है।

मैं अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर मैं कहता हूं कि मैं कभी नेगेटिव सोचता नहीं, नेगेटिव करता नहीं, मैं चाहता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने और जहां-जहां लीकेज हमको दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, उस लीकेज को रोकने का प्रयास करें ताकि हम राजस्थान को और अच्छा राजस्थान बना सकें। हमने कुछ किया है, यह मैंने आपको आंकड़ों से सिद्ध करने का प्रयास किया है, केवल यह कहकर के कि हमने व्यर्थ समय खराब किया, यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2019

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, सदन के नेता होने के नाते, पूरे सदन के माननीय सदस्यों की ओर से आपको जन्मदिवस की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप शतायु हों, लम्बे समय तक प्रदेश की सेवा करते रहें, यह हम सबकी भावना है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक खुशखबरी यह है कि अभी हाल ही में जो अच्छा मानसून आया है, उसके लिए सबको बधाई। पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे मानसून की बरसात हुई और जो चिंता की लकीरें हम सबके चेहरे पर और माथे पर आ रही थीं, उनसे छुटकारा मिला, उसके लिए पूरे प्रदेशवासी, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इंद्रदेव की बड़ी कृपा हुई, कह सकता हूं मैं। इन पर तो कब्जा आपका नहीं है खाली, जय श्रीराम, अब जय श्रीराम जो है, उस पर आपने कब्जा कर लिया। क्या हमारे लोग खुश नहीं हुए मैं बोला जय श्रीराम? सब खुश होते हैं पर दुर्भाग्य यह है आप कब्जा कर लेते हो जैसे गांधीजी पर कर रहे हो, सरदार पटेल पर कर रहे हो, अम्बेडकर साहब पर कर रहे हो, यह गलत है, यह गलत है। जय श्रीराम, श्रीराम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम होता है।

अध्यक्ष महोदय, उस नारे को भी, उनके नाम को भी इस रूप में लिया है लोगों के बीच में, जिससे लोगों में अशांति पैदा हो, गुस्सा पैदा हो, यह अच्छी बात नहीं है। दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से मैंने कहा जय श्रीराम

(श्री अशोक गहलोत)

सब खुश हो गए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रदेशवासी हो, कोई अल्लाह हो अकबर बोल जाए और कोई एतराज करें या कहें कि जबर्दस्ती बोलना पड़ेगा आपको, वह गलत है। यह मैं कहना चाहता हूं, यह गलत है, मन से कोई बोले, अच्छी बात है पर जय श्रीराम को लेकर के भी हम लोग अगर इस प्रकार का माहौल बनाएंगे तो यह देश कहां जाएगा, चिंता यह लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, संघीय ढांचा है देश के अंदर, संघीय ढांचे में राज्य केन्द्र पर निर्भर करते हैं कई बातों में, अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय बता रहे थे हम लोगों को और उसी रूप में हम लोग सभी मिलकर के राज्य सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, केन्द्र में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, जनता माई-बाप होती है, जनता माई-बाप होती है, जो वह एक बार चुन लेती है तो हम सबका यह दायित्व होता है, भावना होती है, कामयाब हो और देशहित में और जनकल्याण में अपनी भूमिका अदा करें पर, जो माहौल बना है देश के अंदर वह चिंताजनक है। इसलिए मैंने कहा कि मानसून अच्छा आया, सब खुश हो गए।

नागौर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को लेकर के राजस्थान को सम्मान मिलने जा रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा था 20 साल पहले, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमारे वक्त में बहुत जम्प हुआ है शिक्षा के अंदर, बिलकुल ठीक कहा आपने, पर क्यों हुआ है? इसका रिसर्च करो, 1998-99 के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब मुश्किल से लड़कियों की शिक्षा थी 6 परसेंट, एससी-एसटी की। एससी-एसटी का परसेंटेज डाउन था।

अध्यक्ष महोदय, आप उस वक्त में पंचायती राज मंत्री थे और मैंने पिछली बार कहा यहां पर जो 50 वर्ष हुए थे हमारे राजस्थान को, स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा था, राजीव गांधी शहीद हो चुके थे, भारत रत्न प्रधान मंत्री रहे हुए थे, तो उनके नाम से हमने कोई जुल्म नहीं किया, गुनाह नहीं किया, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती राजस्थान का पार्ट था और गांव का ही टीचर गांव में लग जाए तो कम से कम गांव ढाणियों के अन्दर, आप देखते हैं टीचर्स गांव में जाते ही नहीं हैं, स्कूल खाली पड़े रहते हैं, डाक्टर नहीं जाते हैं, नर्स

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं जाती हैं, तकलीफ सबको होती है। पूरे देश में हालात ये ही हैं। उस वक्त में जो स्कूलें खुलीं, 23 हजार स्कूलें खोली गईं। पहली बार गांव के, ढाणियों के लड़के-लड़कियां पढ़ने लगे। उसको आप भूल जाते हो। आपको यह कहना चाहिए था, आपने कम्पेयर किया है 2008-09 को...

(17.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसके पहले हमने शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश के माध्यम से ये सारे स्कूल और ये सारे प्रयोग, उसके पहले पांच पहले से ही कर दिये थे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने कम्पेयर किया बजट को हमारे सैकंड टाइम से 2008-09 से 2013-14 तक कम्पेयर कर दिया पिछली सरकार को। आपको कम्पेयर करना है तो फिर आप 1998 से करते तो आपको मालूम पड़ता कि उस समय हालात क्या थे देश में। आज आप वित्तीय प्रबंधन की बात करते हो, शेखी बघार रहे हो आपके सरकार के वक्त की। मैं बताऊंगा आपको कि आपका कुप्रबंधन किस प्रकार का रहा है। आंकड़े आपके पास में हैं उन आंकड़ों को आपने अभी बताया सबको। मैं भी वो ही आंकड़े बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको जिस प्रकार से हमारी स्थिति थी उस वक्त में 1998 से लगाकर 2003 तक। जब सरकार बनी तो कोई सोच नहीं सकता पूरे देश में पंजाब हो, आसाम हो, बिहार हो, तनख्वाहें नहीं मिल रही थीं कर्मचारियों को। ओवरड्राफ्ट चलते थे। अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को मोरगेज करके चुकाते थे तनख़्वाहें वो राज्य। ऐसा वक्त था उस समय और हमारे यहां पर हम लोगों ने जिस प्रकार से शानदार वित्तीय प्रबंधन किया, आपने चन्दनमल जी बैद का नाम लिया अच्छा लगा। उनके बाद में प्रद्युम्न सिंह जी आये पर हम लोगों का शानदार प्रबंधन रहा उस कारण से उस वक्त के अकाल, सूखे का मुकाबला हमने किया। राजस्थान में तीन-चार लगातार अकाल पड़े थे। आपको तो इस बात का स्मरण होगा। हम कोई घबराये नहीं। हमें बदनाम किया गया आपके नेताओं द्वारा। आपकी नेता आज तो यहां नहीं हैं। पता नहीं आज वे आपकी नेता हैं कि नहीं, यह मुझे पता नहीं पर आज वे यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान, दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहा है वाजपेयी गवर्नमेंट से। गेहूं की भीख मांगता फिर रहा है, कटोरा लेकर फिर रहा है। मैंने कहा वसुन्धरा जी, मुझे गर्व होगा

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान की जनता की भूख मिटाने के लिए मैं अगर भीख मांगूं गेहूं की तो मुझे गर्व होगा, शर्म नहीं आयेगी। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे, इतना भयंकर अकाल पड़ गया है। भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरी गवर्नमेंट के रहते हुए एक भी आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, मेरा संकल्प है। इस प्रकार के वित्तीय प्रबंधन किये थे उस वक्त में। 1,750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया। पूरे देश में नंबर-1 हम आये थे फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी। सैकिंड रहा था वैस्ट बंगाल 1,600 मेगावाट पर तो हमारी सरकार ने हमेशा वित्तीय प्रबंधन करने में, अच्छे प्रबंधन करने में कमी नहीं रखी।

कर्जे की बात आपने खुद ने स्वीकार की, कर्जा बढ़ता रहता है। ठीक कहा आपने। हमने कहा उस वक्त में भैरोंसिंह जी शेखावत साहब जब सरकार चली गई उनकी तो हमने कहा आपने हमें कर्जा दिया। उन दिनों से कर्जे लेने की शुरुआत हुई है। उस वक्त की रेट इन्फ्लेशन के बाद में बीस साल में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप भले ही कम्पेयर करें इन सब बातों को। हमारी गवर्नमेंट ने 2008-13 के बीच में क्या खर्च किये हर मद में आपने कंपेयर किया अपने वक्त से। कितना इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उसी ढंग से खर्च बढ़ते हैं। परसेंटेज आपने बताई नहीं, खाली आपने अमाउण्ट बता दिया। अमाउण्ट तो बढ़ता ही है। किस परसेंटेज में आपने रखा राजस्थान के हर विभाग के अन्दर वो बात की जाती वह मौलिक बात होती। हमने जो यह बजट पेश किया है डेफिसिट बजट के बावजूद भी हमने 9.74 परसेंट की बढ़ोतरी की है पिछले बजट से। लक्ष्य रखा है सर्वांगीण विकास। एक प्रोग्रेसिव दस्तावेज के रूप में मैंने पेश किया है माननीय सदस्यों के सामने। सरकार की जो हमारी नीति है वह जन घोषणा पत्र से प्रेरित होकर के बनाई गई है। पचास हजार करोड़ तो हमने खाली सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा और सिंचाई के लिए प्रावधान किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस रूप में हमने जो शुरुआत की उसमें पिछले बजट से, यह पहला वर्ष है हमारा, अभी शुरू ही हुआ है, 6 महीने हुए हैं, हमने सामाजिक क्षेत्र में जिसमें, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण आदि आते हैं 85 हजार 94 करोड़ रुपये मतलब 2018-19 की तुलना में 15 परसेंट पैसा अधिक रखा जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, परिवहन में 1,456 करोड़ रुपये अधिक रखे जा रहे हैं। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में 16 परसेंट पैसे अधिक रखे जा रहे हैं। कृषि व अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में 15 परसेंट पैसा अधिक रखा जा रहा

(श्री अशोक गहलोत)

है। यह हम लोग परसेंटेज बता रहे हैं। मैं अमाउण्ट नहीं रख रहा आपके सामने, जैसा आपने रखा तो कहां दस साल पहले की बात कर रहे हैं और कहां आप आज की बात कर रहे हैं। यह तो मेरा पहला है। अभी सरकार शुरू हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेन्शन में सरकार बनते ही हमारी पहली कैबिनेट में हम लोगों ने जो पेन्शन में बढ़ोतरी की है वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, नि:शक्तजनों के लिए, उसके कारण 3 हजार करोड़ की वृद्धि हुई और अब 7,120 करोड़ का मैंने इस बजट में प्रावधान किया है। किसानों के लिए आपको मालूम है कि हमारे दिल में क्या है। आप सब जानते हैं। इसीलिए पहली बार डा. मनमोहन सिंह सरकार ने 72 हजार करोड़ के कर्जे माफ किए थे देश में। आपने भी कर्जे माफ किए। अभी आप उसको और ज्यादा कंप्लीकेट कर रहे हो बार-बार उसको रिपीट करके, क्योंकि आप पचा नहीं पा रहे हो कि हमने कर्जे माफ पूरी तरह सीसी बैंक के, भूमि विकास बैंक के कैसे कर दिए। पहले मैंने कहा कि नेशनलाइज्ड बैंक, शिड्यूल्ड बैंक, ग्रामीण बैंक उनसे बातचीत चल रही है। मैंने कोई बात छिपायी नहीं आपसे। मैंने बताया आपको, परंतु यह तो आप मानेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बात ठीक है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह तो मानेंगे ही पर मानेंगे दिल से या जुबान से? जुबान या दिल बोल रहा है आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मन से मानेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बहुत शुक्रिया आपका पर यह तो मानेंगे आठ हजार करोड़ के कर्जे माफ करने की घोषणा की आपने तो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह आप क्यों नहीं मान रहे हो कि आप दो हजार करोड़ ही चुका पाये वह भार भी हमारे पर ही आ गया। यह तो आप मानो कम से कम। आप यह क्यों नहीं मानते हो कि बजटरी प्रोविजन से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए चुनाव से पहले आपने सब विभागों में और 9 हजार करोड़ का भार हमारे पर पड़ गया बाद में। हम लोग बदनाम हो गये। सरकार नयी बनी और सारे पेमेंट बंद हो गए। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हों, चाहे पीएचईडी के हों, चाहे कोई विभाग के हों। अभी तक मुश्किल से चुकाये जा रहे हैं इस साल के बजट से पैसा लेकर के, क्योंकि आपके वक्त में आप डेफिसिट में थे, लायबिलिटी थी आपकी, पीडब्ल्यूडी के अंदर थी तब

(श्री अशोक गहलोत)

भी आप प्रोविजन पूरा नहीं कर पाये। लायबिलिटी चुकाने के लिए पैसे का प्रोविजन नहीं किया आपने और 900 करोड़ के आस-पास आपने नये कामों के लिए रखा और चुनाव के पहले आपने चुनाव जीतने के लिए बाकायदा उसको बिना कोई सोचे-समझे आप काम का आर्डर निकालते गए। यह तो कागजों के अन्दर है मैं क्या कहूं आपको। हमने किसानों के लिए जो कृषक कल्याण योजना बनाई है, एक हजार करोड़ रुपये रखे हैं, यह वन टाइम सोल्यूशन की तरह नहीं है। ईज आफ डूइंग एग्रीकल्चर यह कल्याण कोष है इसका रिवोल्विंग फंड रहेगा। परमानेंट इंस्टीट्यूशन की तरह इसका इंतजाम होगा। आने वाले वक्त में और पैसा बढ़ाया जा सकेगा, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार महिला शक्ति के लिए हमने जो रखा है एक हजार करोड़ रुपये, वह भी रिवोल्विंग फंड के रूप में होगा। उसके अनुसार महिला सशक्तीकरण की जो नयी-नयी योजनाएं आएंगी उन पर वह खर्च किया जाएगा। युवाओं के लिए मैंने कहा आपको। आपके वक्त में 2-3 हजार नौजवानों को कर्जा मिला था रोजगार के लिए प्रतिवर्ष, हम लोगों ने एक लाख रखा है पांच साल के लिए। इस साल पच्चीस हजार नौजवानों को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा 4 परसेंट ब्याज दर पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सामाजिक मानवीय पहलू लिए हुए है इसीलिए हमने गली मोहल्लों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है। बीपीएल परिवारों के लिये कन्यादान या हथलेवा के रूप में 21 हजार रुपये देने की बात कही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व साथिनों के मानदेय में वृद्धि की है। पालनहार आवासीय छात्रावास की नई पहल की है। विमंदित बच्चों के लिये हाफवे होम बनाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहूंगा, आशा सहयोगिनियों के लिये भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह ही 200 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संकट हमेशा रहा है, यह ठीक कहा आपने, कर्जा लिया जाता है परंतु जिस रूप में आपने कर्जा लिया और खर्च किया, उसमें जिस प्रकार से अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वह चिंता का विषय होना चाहिये। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कमिटेड लायबिलिटी की परवाह नहीं की गई। और तो और आपने पिछली बार मीटिंग

(श्री अशोक गहलोत)

में कह दिया कि 40 हजार करोड़ के तो ट्रेजरी में बिल लंबित थे। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि करीब 750 करोड़ के बिल लंबित रहे। इस प्रकार आपने बिना सोचे समझे ही, जैसे ही हमारा बजट हुआ, आपने कह दिया कि पैट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा दिये, 10 हजार करोड़ रुपये सरकार ने इकट्ठे कर लिये, यह फीगर कहां से लेकर आये थे? उस मद में मात्र 1800 करोड़ रुपये हो रहे थे और आपने कह दिया कि किस प्रकार से 10 हजार करोड़ रुपये सरकार ने बजट आने के पहले ही पैट्रोल डीजल के माध्यम से इकट्ठे कर लिये। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2013-14 में कमिटेड लायबिलिटी, उसमें टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का 78 परसेंट, जो चिंता का विषय होना चाहिये कि रेवेन्यू कलेक्शन का, टैक्स और नोन टैक्स की कमिटेड लायबिलिटी, जिसमें सैलेरी, पेंशन, तनख्वाह वगैरह सब आती हैं, आप बार-बार बोलते भी रहते हैं, जब हमने आपको सत्ता सौंपी उस वक्त उसमें आपकी सरकार में मात्र 70 परसेंट पैसा खर्च हो रहा था और पिछली सरकार के आपके कार्यकाल में वही खर्चा, यह विशेष रूप से आपके ध्यान देने वाली है, जब हमने आपको सत्ता सौंपी उस वक्त हम लोग 78 परसेंट राशि जो कमिटेड लायबिलिटी के रूप में रखते थे और खर्च होता था, अब वह 114 परसेंट हो गया है, जब 6 महीने पहले आपने हमको सत्ता सौंपी। इसके चलते विकास कार्यों पर जो कैपिटल एक्सपेंडीचर है, उसमें आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ा और कम पूंजी का सीधा असर भविष्य में जीडीपी पर पड़ता है। जीडीपी के लिये हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर शोर से उस दिन बिना सोचे समझे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, माननीय उप नेता महोदय, चूरू से आने वाले विधायक, आपने जो बातें कहीं उसमें कोई दम नहीं था। पता नहीं आप कहां से वह आंकड़े ले कर आ गये थे, आपके वह आंकड़े ही गलत थे। हो सकता है आपने रात को ज्यादा मेहनत की होगी, मेहनत करना आपकी फितरत में है, तो सुबह चूक गये होंगे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने यहां जो भी आंकड़े रखे हैं वह आपके द्वारा दी हुई किताब से रखे हैं और मेरी चुनौती है अगर वह आंकड़े गलत सिद्ध कर दो तो आप मुझे बुला लेना।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो उन्होंने बहुत जोर शोर से वह बात उठाई। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने अभी आपको कहा हमने

(श्री अशोक गहलोत)

सत्ता संभाली 84 हजार करोड़, जो 2013-14 में बढ़कर 1 लाख 30 हजार करोड़ हो गया। जब हमने आपसे सत्ता ली थी, तब कर्जा 84 हजार करोड़ था, वह 2013-14 में बढ़कर 1 लाख 30 हजार करोड़ हो गया। इस प्रकार आपके वक्त में कर्जे में 55 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ठीक है? और जब वापस हमें सत्ता मिली, अभी जब आपने सत्ता छोड़ी है, सरकार आपसे गई है, तब 3 लाख 9 हजार करोड़ का कर्जा आप देकर जा रहे हो। कहां तो 1 लाख 30 हजार तक हम पहुंचे और कहां 3 लाख 9 हजार करोड़ का। अब आप कहेंगे उदय योजना, बिलकुल ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, आपने अच्छी बात कही कि हम कंपनियों को ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। अल्टीमेटली तो बिजली का उत्पादन भी है और वितरण भी है इसलिए वह आपको मजबूरी में करना पड़ा। पिछली मीटिंग में मेरा कहना यह था कि अगर अपन कोशिश करते तो हो सकता है केन्द्र से अपन को उसमें कोई छूट मिल जाती, इतना ही मेरा कहना था, वर्ना आपने उदय में 65 हजार करोड़ रुपये दिये, लायबिलिटी ली आपने, यह मैं मानता हूं। पर आपको जानकर दुख होगा कि अगर उस लायबिलिटी को हम निकाल दें जो अपन ने बिजली कंपनियों को दी 65 हजार करोड़, तब भी 90 परसेंट की आपके कर्जे में वृद्धि हुई है। कहां तो हमारे वक्त में 55 परसेंट कर्जा बढ़ा और कहां आपके, आप उदय को निकाल दीजिए, उदय नहीं निकालते हो तब तो 138 परसेंट होता है, उदय निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, तब भी आपके 90 परसेंट की वृद्धि हुई है और सबसे बड़ी बात यह है जिस पर आप घमंड करते हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष, अभी आपने कहा जो कैपिटल एक्सपेंडीचर है, सम्पत्ति बनाने का एक्सपेंडीचर, उसमें भी कहां से आप आंकड़े लेकर आते हैं। हमारी सरकार द्वारा लिये गये ऋण का कुल 91.30 परसेंट उपयोग आधारभूत संरचना के कार्यों पर किया और आपकी सरकार ने, जो अभी थी, जिसका आपने जिक्र किया, उसने 53.91 परसेंट ही उपयोग किया है कैपिटल एक्सपेंडीचर में। यह आंकड़े तो मेरे नहीं हैं, यह तो आपके दिये हुए आंकड़े हैं जो मेरे पास हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं हो सकता, आप चैक कर लेना। आप बताइए, कहां तो कैपिटल एक्सपेंडीचर हमारे वक्त में 91.30 परसेंट रहा और कहां आपकी सरकार में 53.91 परसेंट ही खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडीचर में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संकट में और भी तकलीफें हैं जो आपके वक्त से ही शुरू हो गई थीं क्योंकि फैडरल सिस्टम है, केन्द्र सरकार

(श्री अशोक गहलोत)

का रुख महत्वपूर्ण होता है। टैक्स रेवेन्यू के महत्वपूर्ण अधिकार भी केन्द्र के पास है। सैंट्रल टैक्सेज का ट्रांसफर पहले महीने की पहली तारीख को होता था, पिछले साल से जो केन्द्र में सिस्टम बदला, 20 तारीख के आस पास होने लगा है, उससे राज्यों को तकलीफ आ रही है। अभी मैं खुद वित्त मंत्री महोदया के पास दिल्ली गया था, हमने मांग की है कि 1 तारीख को तनख्वाह जाती है, अधिकांश पेमेंट होते हैं, वापस पहले वाला सिस्टम आना चाहिये, यह हमारे लिये समस्या है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केन्द्र में सरकार आपकी है, मैंने पहले भी आपको कहा, आप भी जब दिल्ली जाएं तो आप कृपा करके हमारी भावना पहुंचाएं। आप कहेंगे तो हम आपके संग चलेंगे। वैसे मुझे पता है आप मुझे साथ ले जाओगे नहीं। जब मैं अहमदाबाद मैं आपसे मिलने अस्पताल में नहीं आ सका तो आप मुझे कैसे ले जा सकते हो। आप बीमार थे, मैंने सोचा कि गुलाब चन्द कटारिया जी राजस्थान के बड़े सीनियर नेता हैं, बीमार हैं, मिलना चाहिये जो कि हमारे राजस्थान के संस्कार हैं, तब भी आपने कहा कि आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गया हूं। यह भय है यह भय देशभर में है, खाली आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी में भी थोड़े बहुत लोग तो बोलने लग गये हैं, शुरू हो गया है। देश में दो लोग राज कर रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है लोकतंत्र में। चुनाव जीत गये, बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीतना कितनी बड़ी बात होती है। भारी बहुमत से जीते आप लोग, एक तरफा जीते। पर मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव जीतने के बाद जो चेहरे खिलने चाहिये थे, देश में देशवासियों को, बीजेपी कार्यकताओं को जो खुशियां मनानी चाहिये थीं, इतनी बड़ी जीत के बाद में भी उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग गया, यह एक खोज का विषय है और रिसर्च का विषय है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है? इतनी बड़ी जीत, साफ कर दिया आपने 25 में से 25 सीटें, कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी। पर मुझे समझ में नहीं आता कि उन खुशियों को आप मना क्यों नहीं पा रहे हो? देश, देशवासी, प्रदेशवासी, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता कौनसे अपराध बोध से ग्रसित हैं? यह समझ के परे है। इतनी बड़ी जीत और चेहरे पर कोई रौनक नहीं, यह समझ नहीं आता है। हमारा सेंट्रल शेयर कम हो गया, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। 54वें वित्त कमीशन ने डिवोल्यूशन फंड की बात की थी कि 32 परसेंट की जगह 42 परसेंट मिलेगा। हम बड़े खुश हो गये कि राज्यों को हिस्सा मिलेगा। केन्द्र सरकार ने चालाकी की कि 42 परसेंट तो उन्हें कागजों में करना पड़ा,

(श्री अशोक गहलोत)

बाकी जितनी भी स्कीमें थीं, जिनमें 90 परसेंट हिस्सा केन्द्र का होता था और 10 परसेंट हिस्सा राज्यों का होता था, या 75 या 25 होता था, उन सबको उलटा कर दिया। हमारे लिये तो वही बात आयी जो पहले होती थी।

मनमोहन सिंह जी के समय में जब आपकी सरकार थी। वसुंधरा जी, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदया अभी नहीं हैं, वर्ना मैं उनको पूछता कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे तो आप सरकार में पांच साल थे, उस वक्त आप ज्यादा कम्फर्टेबल थीं, केन्द्र से सहयोग के रूप में। आपको सहयोग मिल रहा है, केन्द्रीय सहायता मिल रही थी या जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने और आप अभी पांच साल रहीं, तब कम्फर्टेबल थीं? यह मैं जानने का इच्छुक हूं। वे नहीं हैं, कृपया करके मेरी बात बता दें। सोच में कितना बड़ा फर्क है। शासन करने वालों का दिल बड़ा होना चाहिए। उसी रूप में जब वाजपेयी जी थे, मुझे याद है। अकाल हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पड़ गया। आप लोग खूब बदनाम करते थे कि कांग्रेस आती है, अशोक गहलोत आता है, अकाल पड़ता ही पड़ता है। अभी मैंने शुरूआत में मानसून की बधाई इसलिए ही दी है कि आपके मुंह पर ताले लगें। आपके मुंह पर ताले लग गये हैं, वर्ना आप फिर कहते कि कांग्रेस सरकार आयी है, अशोक गहलोत आया है और अकाल पड़ गया है। श्रीमान् जी, किस प्रकार से आप लोग उस वक्त जुमले बोलते थे, परंतु वाजपेयी जी थे तो हमने जाकर कहा कि अकाल बहुत भयंकर है। उन्होंने मीटिंग बुलाई। हमें गेहूं के रूप में सहयोग किया, यह हम नहीं भूल सकते हैं। राजस्थान के घर-घर में गेहूं पहुंच गया। इतनी बोरियां इकट्ठी हो गयीं, काम के बदले अनाज। निजी काम, निजी कुएं, निजी कुंड, निजी मकान बनाओ, गेहूं ले जाओ। गेहूं मेरे घर तो पैदा नहीं हुआ था। वहां सरकार आपकी थी, हमें सहयोग मिला। फिर वहां क्या बिगड़ गया? आप लोगों ने वसुंधरा जी को सलाह दी होगी कि अब क्या शब्द काम में लेने हैं? आप तो उनके एडवाइजर रहे हैं। जिस रूप में हमारे बारे में कहा गया। हम तो सहयोग लेने गये थे। हमें सहयोग मिला भी था और राजस्थान में शानदार प्रबंध ऐसा किया है कि पूरे देश के लोग एक्सपर्ट हैं, वे इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में चार अकाल लगातार पड़े हैं और शानदार प्रबंध हुआ है, पीने के पानी का, चारे का प्रबंध हुआ। गांवों में कैम्प लग रहे हों। महसूस ही नहीं होने दिया कि चार अकाल पड़े हैं, और तो और एक वक्त आया था कि हमने 11 महीने काम

(श्री अशोक गहलोत)

खोले। अगस्त से शुरू किये और अगले जुलाई तक काम खोले, रात-दिन। यह सहयोग की बात है। वह मनमोहन सिंह जी ही कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी को याद करें।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से 25 से 50 परसेंट हमारा खर्चा बढ़ गया, 32 परसेंट से 42 परसेंट की वित्त आयोग की जो रिकमंडेशन थी, वह धरी की धरी रह गयी। केन्द्र सरकार जो सैस लगाती है, सरचार्ज लगाती है, उसमें रेवेन्यू प्राप्त है, उसमें डिविजिबल पूल का कोई प्रावधान नहीं है। आप तो इन बातों को जानते हैं। नोन टैक्स रेवेन्यू, चाहे आफ साइल रायल्टी हो या स्पैक्ट्रम बिक्री हो, हमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है। कई केन्द्रीय काम ऐसे होते हैं, पर्यावरण के हों या अन्य हों, आरटीई हो, पैसे का खर्चा करना पड़ता है, वह पैसा भी हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार से यह स्थिति बनती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि डा. मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमें 40 परसेंट सहयोग मिलता था, अब 31 परसेंट पर आ गये।

एक और दुखद बात है। 2018-19 के जो अभी फरवरी में रिवाइज एस्टीमेट जारी हुए, तब केन्द्र में स्टेट शेयर की 1450 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी। जब वोट आन अकाउंट लिया गया उस दिन की बात है तब बताया गया कि जो अमाउंट था, उसमें भी कटौती करके अभी जो हमारी तरह दिल्ली में मोडिफाइड बजट आया है, राजस्थान के 2 हजार करोड़ रुपये और कम कर दिये गये हैं। अब बता दीजिए, इस प्रकार से जो कटौती हो रही है, वह केन्द्र से हो रही है और फिर 2 हजार करोड़ की राशि का जो कैम्पा फंड है, वह हमारे यहां रिलीज नहीं हो रहा है। मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहूंगा कि यह मैंने खाली कहने के लिये नहीं कहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं। हो सकता है कि हम नयी शुरुआत करने जा रहे हों।

अध्यक्ष महोदय, आपके अनुशासन में जिस प्रकार हाउस चला है, उसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ने जिस निष्पक्षता से हाउस चलाया है, डिसिप्लीन मेंटेन किया है, वह लंबे अर्से के बाद देखने को मिला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अनुपस्थित थे इसलिए हुआ। आप उपस्थित होते तो ऐसा नहीं होता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने गाड़ी पटरी से उतार दी। नैगेटिव इम्पैक्ट चढ़ा है। नोटबंदी और आपने बाद में जो माहौल बनाया, गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर गयी और उसका परिणाम है कि अब हमें कई कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि वह गाड़ी वापस पटरी पर आये।

वसुंधरा जी ने 2014-15 में कहा, प्रथम साल था, हमारी तरह। आप तो मौजूद थे, मैं आपके पड़ौस में बैठा हुआ था। तब उन्होंने मोडिफाइड बजट में क्या कहा? वसुंधरा जी बोल रही हैं 'अफसोस की बात है इतना कर्ज लेकर भी इसको प्रोडेक्टिव कैपिटल एक्सपैंडीचर में नहीं लगाया, बल्कि परिवार के एक लापरवाह मुखिया की तरह केवल राजस्व खर्चे बढ़ाने में ही उपयोग किया गया' ठीक है। यह तो कहा है। यह मैं कोट कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइये जो कि मैंने आपको बताया कि 2013-14 में आपका शासन था, पर आपने कहा कि लापरवाह मुखिया की तरह, मेरे बारे में। वसुंधरा जी ने मेरा विशेष रूप से बहुत ध्यान रखा। इसलिए इशारा करते हुए मैं सदन के अंदर लापरवाह मुखिया कहलाया। अब आप बता दीजिये 91 परसेंट पूंजीगत कार्यों पर खर्च किये गये ऋण की अदायगी को निकालने के बाद। ऋण और अन्य दायित्व जो हैं, उनकी बढ़ोतरी हुई हैं वह कैपिटल एक्सपैंडीचर में हमने 91 परसेंट खर्च किये और आपने 53.91 परसेंट। कहां तो 91 परसेंट और कहां 53.91 परसेंट। आपके वक्त पूंजीगत कार्यों में, सम्पत्ति निर्माण में कैपिटल एक्सपैंडीचर में खर्च हुआ है। मैं आज पूछना चाहूंगा कि बताइये परिवार का कौनसा मुखिया लापरवाह है या था? आप समझ सकते हो। यह तो आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 91 परसेंट हमने खर्च किये हैं और वे कह रही हैं लापरवाह मुखिया। लापरवाह मुखिया के रूप में तो वे सिद्ध हुई हैं। वे मुझे ब्लेम कर रही हैं, आप बता दीजिए। आपने रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं? कुछ तो कह सकते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम आपका समाचार पहुंचा देंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप उनको कान में कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। आपका तो उनके ऊपर बड़ा अधिकार रहा है। राजेन्द्र राठौड़ साहब, आपने हाउस में फिस्कल डेफिसिट पूर्व सरकार के कार्यकाल में तीन प्रतिशत अधिक रहना बताया। इसमें यह नहीं बताया कि यह कुल कर राजस्व या कुल शुद्ध ऋण का तीन प्रतिशत अधिक रहा है। एफआरबीएम एक्ट किसने बनाया? किसने बनाया? 2005 में बना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूं तो आपकी याद्दाश्त ठीक है। शेखावत साहब के वक्त से ही आपने जो ट्रेनिंग

(श्री अशोक गहलोत)

ली है उनकी इसलिए आप पार्लियामेंट्री में भी अच्छे हैं। मेहनत भी करते हैं। सुबह से शाम बैठते हैं। घर पर मेहनत करते हैं। रात को गाने गाते हैं। अब आप बताइए कि एफआरबीएम एक्ट की मंशा के अनुरूप फिस्कल डेफिसिट तीन प्रतिशत रखना अपेक्षित है। एफआरबीएम एक्ट की मंशा के अनुरूप फिस्कल डेफिसिट तीन प्रतिशत रखना अपेक्षित है, जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) का तीन प्रतिशत होता है, न कि रेवेन्यू और नेट बोरोइंग का, जो आपने कहा। क्यों सदन को गुमराह करते हो आप? आप जानते हैं कि यह समझ नहीं पाएंगे। समझने वाले बहुत हैं हमारी पार्टी के अंदर सभी समझने वाले हैं तभी हम यहां आए हैं, तभी जीत कर आए हैं, समझदार हैं हम लोग। समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं?

आप रेवेन्यू की बात करते हैं, कुल शुद्ध ऋण की बात कर रहे हैं, यह जीडीपी का तीन प्रतिशत होता है। रेवेन्यू डेफिसिट 29 हजार करोड़ हो गया, यह भी आपने कहा। एफआरबीएम एक्ट में कोई डाकूमेंट पृष्ठ संख्या 9, क्या बात है 9, जो न तो कोई पढ़ता है, न पढ़ने की जहमत करता है। पृष्ठ 9 का कालम 10 में रेवेन्यू डेफिसिट 24824 करोड़ बताया। वही 13 फरवरी, 2019 को वोट आन अकाउंट के समय दिये वक्तव्य में रेवेन्यू डेफिसिट 24824 करोड़ 91 लाख बताया। यह 29 हजार का आंकड़ा कहां से आया? यह यहां से आया। यह आया है रेवेन्यू डेफिसिट वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान, आरई में 24824 करोड़ ही है जो वर्ष के अंत में पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंध की वजह से यह लगभग 29 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। यह जवाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने पूरा पढ़ा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब आप घर जाकर पढ़ना। आप वापस पढ़ लेना। यह तो मैं पुस्तकों के आंकड़ों से ही बता रहा हूं।

एक बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है कि बजट प्रावधान 16 हजार करोड़, कई माननीय सदस्यों ने भी उठाया है कि कृषि ऋण मिलना जल्दी शुरू हो। शुरू हो चुका है। 16 हजार करोड़ हमने रखा है। खरीफ सीजन में 9 लाख 34 हजार 776 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब तक 2239 करोड़ रुपये की साख सीमा स्वीकृत हो गई है। 31 अगस्त का लक्ष्य होता है इसमें, वह हम पूरा कर देंगे।

गोशालाओं के अनुदान, पहले आपने 6 से 9 महीने बढ़ाया, खाली

(श्री अशोक गहलोत)

कागजों के अंदर बढ़ाया। गो भक्त का तो आपने ले रखा है कि आप लोग ही गो भक्त हैं, हम लोग तो हैं नहीं और काम ऐसा करते हैं कि गोशालाओं को मदद करते नहीं हैं आप लोग। कागजों में बता दिया 6 से 9 महीने और किया नहीं। हमने आते ही फैसला किया कि हम 9 महीने गोशालाओं को अनुदान देंगे। हमने गत वर्ष की तुलना में प्रोविजन 81 परसेंट बढ़ा दिया है। 508 करोड़ रुपये रखा है हमने उनके लिए और 158 करोड़ 81 लाख अनुदान वितरित किया जा चुका है। यह मैं जानकारी के लिए कहना चाहूंगा।

बेरोजगारी भत्ते की बात आपने कही। बड़ी अच्छी आपकी सोच है। उसको हमने पांच गुना बढ़ाया है। पहले 600 या 650 मिलते थे। अब हमने 3000 रुपये किए हैं। महिलाओं के लिए किए हैं 3500 रुपये, दिव्यांगों के लिए किए हैं 3500 रुपये, यह मैं बता चुका हूं बजट के अंदर। परंतु मैं जो कहना चाहूंगा कि 2018-19 में आपने 25 करोड़ रखे थे। हमने 524 करोड़ रखे हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए, जो 21 गुना है। 21 गुना ज्यादा पैसा रखा है हम लोगों ने। पूर्व में आपके वक्त में जो पंजीकृत थे, उनको हमने बढ़ावा दिया है और यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर चालू रहेगी। यह भी मैं कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने कई तरह से हमें सुझाव दिए थे, डिमांड्स पर भी और फाइनेंस बिल पर भी। मैं कहना चाहूंगा कि उन सब सुझावों को उसी रूप में लेंगे। हर क्वेश्चन को और सभी की भावना को तो मैं रेस्पोंड नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप निश्चिंत रहें सदन की जो भावना होगी, माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे, तमाम उन सुझावों को जो राज्य हित में है, प्रदेश हित में है और जन कल्याणकारी योजनाओं को सपोर्ट करते हैं, हम लोग काम में कमी नहीं रखेंगे। इतिहास रहा है हम लोगों का, पिछली बार सरकार थी तब भी हमने जो कहा वह करके दिखाया था। हालांकि वह आपको रेवड़ियां लग रही थीं कि रेवड़ियां बंट रही हैं राजस्थान के अंदर। वह रेवड़ियां नहीं थीं। उन रेवड़ियों ने ही वापस जिताकर हम लोगों को भेजा है। वह रेवड़ियां नहीं थीं, वह जन-कल्याण के काम थे। चाहे पेंशन के हो, चाहे फ्री दवा हो जिसको आपने भामाशाह कार्ड के माध्यम से योजना को लागू करके एक नई मिसाल कायम की है। हम उस योजना को रिव्यू करायेंगे। उसके अंदर भयंकर करप्शन हो रहा है। कई प्राइवेट हास्पिटल ऐसे भी हैं, अगर 1000 आपरेशन होते हैं तो एक जिले में एक अस्पताल में 900 हो रहे हैं और 100 हो रहे हैं पूरे राजस्थान भर के अंदर। इस प्रकार से कई शिकायतें आ रही हैं। हम जांच कराएंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

आयुष्मान भारत, भारत सरकार की योजना है। हम चाहेंगे कि फायदा जो है, चाहे वह भामाशाह कार्ड वालों को हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हमारी फ्री दवा योजना हो, हम चाहेंगे कि अछूता कोई न रहे, सबको लाभ मिले। परंतु जरूरत पड़ने पर भामाशाह की जो योजना है, इसमें जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, उसको जांच करवाना चाहेंगे जिससे कम से कम भविष्य के अंदर निहित स्वार्थों से उसका लाभ न उठाए। मंशा अच्छी हो सकती है। हमने फ्री मेडिसिन की तो आपकी सरकार में सब नाम बदले गए। प्रोजेक्ट बंद किए रिफाइनरी के, रेलवे के, मैमू कोच फैक्ट्री के, यह तो आपके फितरत में ही है। मैट्रो का, सब काम बंद कर दिए हमारे। इस योजना को भी आप, दवाइयां फ्री थीं, उसको मजबूत करने के बजाय, कैसे आप उसको चालू रख सकते थे? उसको तोड़-मरोड़ दिया। माननीय उस वक्त मंत्री बने थे तब तो हमारे एक अधिकारी को बुलाकर कहा गया कि इसमें 150 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। वह पैसा कहां पहुंचा? जिस अधिकारी ने योजना बनाई थी, उस अधिकारी को कहना पड़ा मंत्री जी को कि मंत्री जी आप तो बात करते हैं 150 करोड़ की, मैंने होली-दीपावली पर मिठाई का पैकेट भी लिया हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बताइए आप, इस प्रकार की शानदार योजना पूरे देश के अंदर जिसका नाम हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की हो, मोदी जी ने यहां पर टीम भेजी इसको समझने के लिए। आयुष्मान भारत इसको देखकर ही लाए हैं वह। आप लोग इस प्रकार से अधिकारी पर कि बताओ यह पैसा कहा पहुंचा है जिसने मिठाई का पैकेट भी नहीं लिया हो। ऐसी बातें भी आपके वक्त में शुरू हो चुकी थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात तो क्या कहूं क्योंकि हमारे काफी साथी बैठे हुए हैं। काफी समय हो गया है। मैं समझता हूं कि अभी भी पाइंट तो काफी हैं परंतु मैं चाहूंगा कि जो मैंने कहा, जो भी मेरे पास सुझाव आएंगे, उनको मैं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा और कुछ घोषणाएं मैं करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे 6 महीने बाद में वापस बजट पेश करना है। 6 महीने बाद में ही वापस पेश करना है, पूरा बजट। इसलिए सब काम तो घोषणा में हो नहीं सकते परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों की जो भावनाएं थीं, उसके अनुसार मैं कुछ फैसले करूं। जो बाकी रह जाएंगे, उनको मैं आगे देखूंगा। जब फरवरी-मार्च में बजट आएगा 6 महीने बाद में तब उसको पूरा करेंगे। परंतु जितना संभव होगा उसमें कमी नहीं रखेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

बजट का वित्तीय प्रबंधन भी ऐसा करेगे जिससे कि यह सब काम इम्प्लीमेंट भी हो। अध्यक्ष महोदय, घोषणा करना एक बात है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उस पर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा। सैशन समाप्त होगा उसके बाद में मैं चाहूंगा कि हम लोग उस काम में लगें जो आपसे वादे किए हैं।

बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की विभिन्न मांगों के क्रम में अब मैं कुछ नवीन घोषणाएं करना चाहूंगा।

बांदीकुई एवं सिकन्दरा जिला दौसा, बहरोड़ एवं लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, तिवरी मथानिया जिला जोधपुर, हेतमसर तहसील एवं जिला झुन्झुनूं, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।

बाबा मोहनराम किसान महाविद्यालय, भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया जाएगा।

राजसमंद ज़िले के रेलमगरा, जयपुर ज़िले के जमवारामगढ़, बारां ज़िले के शाहबाद, नागौर ज़िले के नावां कस्बे में नवीन महाविद्यालय खोले जाएंगे।

इसके अतिरिक्त भी सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने एवं वर्तमान महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग की है। इन सभी प्रस्तावों का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा और जहां जस्टिफाई, आवश्यकता होगी वहां नवीन महाविद्यालय खोले एवं क्रमोन्नत किए जाएंगे।

प्रदेश के सात राजकीय महाविद्यालयों पोकरण (जैसलमेर) एवं जैसलमेर मुख्यालय, कामां (भरतपुर), ब्यावर (अजमेर), राजकीय महाविद्यालय नागौर, कन्या महाविद्यालय नागौर, बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में उर्दू साहित्य विषय प्रारम्भ किया जाएगा।

राज्य के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून, 1947 को तरूणावस्था में ही अपने प्राणों का बलिदान देने वाली कालीबाई भील की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारम्भ की जाएगी। इस योजना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही विभिन्न स्कूटी वितरण योजना को एकीकृत किया जाकर, वर्तमान में वंचित अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग सात हजार छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा।

राज्य के 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

इस वर्ष भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। श्री राजीव गांधी ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधान द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण, 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार, 21वीं सदी में प्रवेश के लिए कम्प्यूटर व इंटरनेट का विस्तार जैसे अभूतपूर्व निर्णय लिए थे। युवा पीढ़ी को इनकी सोच से प्रेरणा मिलती रहे, इस हेतु इस वर्ष 20 अगस्त जन्मदिवस से अगले एक वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

लोहावट जिला जोधपुर, मालाखेड़ा जिला अलवर में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाएंगे। उप तहसील देलवाड़ा जिला राजसमंद, उप तहसील मनिया जिला धौलपुर, उप तहसील सीकरी जिला भरतपुर, उप तहसील नारायणपुर जिला अलवर, उप तहसील सूरौठ जिला करौली को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा।

अलवर ज़िले की तहसील थानागाजी के कस्बा प्रतापगढ़ एवं खेरली मण्डी में नवीन उप तहसील कार्यालय खोला जाएगा।

आदिवासी क्षेत्र के प्रतापगढ़ ज़िले में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ की वर्तमान क्षमता को 150 शय्याओं से बढ़ाकर 300 किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में अब 500 शय्याओं की जगह 1000 शय्याओं की बढ़ोतरी की जाएंगी।

प्रदेश में दस की जगह पचास स्वास्थ्य केन्द्रों को (पीएचसी) से सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रदेश में 50 की जगह 100 नवीन पीएचसी खोली जाएंगी। रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), मेड़ता सिटी (नागौर), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) सहित प्रदेश में पांच की जगह दस नवीन ट्रोमा सेंटर खोले जाएंगे।

कोटपूतली (जयपुर) एवं केकड़ी (अजमेर) के चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा।

प्रदेश में एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी हेतु संचालित राजकीय छात्रावासों में देय मैस भत्ते में वृद्धि करते हुए मैं इसे 2000 प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा करता हूं।

विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोहपूर्वक मनाने एवं इस दिन का ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर नेशनल इंस्टीटयूट आफ फैशन टैक्नोलोजी (निफ्ट) की तर्ज पर क्राफ्ट एवं डिजाइन के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर सके, इसके लिए अधिनियम बनाया जाएगा।

जोधपुर शहर में स्थित नया तालाब के पुनरुद्धार कार्य हेतु 7 करोड़ 84 लाख रुपये, बाईजी के तालाब और गांगेलाव, जोधपुर शहर के पुनरुद्धार एवं मरम्मत कार्य हेतु डीपीआर बनाई जाएगी जिसके लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया जाता है।

मंडोर उद्यान परिसर में नागादड़ी पहाड़ी के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे, जिसके लिए 13 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है।

जोधपुर शहर में जोजरी नदी में साल भर पानी की उपलब्धता एवं सौन्दर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट बनाने हेतु डीपीआर बनाई जाएगी।

राई का बाग़ स्थित जोधपुर बस स्टैण्ड, जब पिछली सरकार हमारी थी, तब हमने जो प्लान बनाया था वह ठण्डे बस्ते में चला गया। पुन: हम लोगों ने तय किया है कि फल सब्जी मण्डी को वहां खाली करवाकर आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जाएगा जिसे राई का बाग़ रेलवे स्टेशन से फुट ब्रिज द्वारा जोड़ा जाएगा।

पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मंडावा विधान सभा क्षेत्र के शेष 114 गांवों को कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने हेतु डीपीआर बनाई जाएगी।

विधान सभा के जिस भवन में आज हम सब बैठे हैं वहां एक आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा जो राजस्थान राज्य के निर्माण में भागीदार रहे निर्माताओं के योगदान सहित प्रदेश के राजनीतिक आख्यान को भी प्रदर्शित करेगा।

चौहटन रोड रेलवे फाटक बाड़मेर एवं जालौर शहर में नवीन आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। आपने काफी पैरवी की।

भरतपुर-आगरा वाया अचनेरा रोड को राजस्थान सीमा तक बीस किलोमीटर की लंबाई में चौड़ा करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।

औसियां (जोधपुर) में 33 केवी जीएसएस की स्थापना की जाएगी। नवीन औद्योगिक नीति 2019 शीघ्र ही जारी की जाएगी।

आज वर्ल्ड टाइगर दिवस है। राजस्थान में टाइगर की बढ़ती संख्या को देखते हुए रणथम्भौर के निकट बूंदी और रामगढ़ विषधारी सैंक्चुअरी को

(श्री अशोक गहलोत)

टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है, उसका परीक्षण करवाया जाएगा।

भामाशाह योजना के लागू होने के समय से ही इसकी कार्य प्रणाली एवं क्रियान्वयन को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संदर्भ में एक मंत्री स्तर का समूह बनाकर इसकी जांच एवं पुनरीक्षण करवाया जाएगा।

इकोनोमिकली वीकर सैक्शन की एक नई श्रेणी हाल ही में बनी है। इस श्रेणी के व्यक्तियों को लाभ दिए जाने की शर्तों में प्रारम्भिक कठिनाइयां आ रही हैं। जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस पाइंट को उठाया भी है। अत: इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक मंत्री स्तर के समूह का गठन किया जाएगा।

विधान सभा के माननीय सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास व उनके नियमित मेंटीनेंस के बारे में विभिन्न समस्याएं रहती हैं। मितव्ययता की दृष्टि से यह सुझाव भी दिया जाता है कि माननीय विधायकों को बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाकर फ्लैट आबंटित किए जाएं। इसी प्रकार माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्राएं इत्यादि मुद्दों पर भी रिव्यू की मांग उठती जा रही है। उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर विचार कर एक स्थाई फार्मूला सजेस्ट करने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई जाएगी जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे जो अन्य राज्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर एक दीर्घकालीन रिपोर्ट पेश करेगी जिससे कि उक्त सभी सुविधाएं व्यवस्थागत तरीके से एक निश्चित अंतराल पर उपलब्ध हो सकें। यह समिति पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के बारे में भी सुझाव दे सकेगी।

शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने अपने वर्ष 2008-2013 के कार्यकाल में जो भी नई घोषणा की थी, और जो अधूरी है, वह चाहे गत सरकार ने रोकी हो, या अन्य कारणों से रुकी हुई हो, उन सबको अब पुन: हाथ में लेकर पूरा किया जाएगा।

भादरा तहसील के 15 बारानी गांव और नोहर तहसील के 14 बारानी गांव, जो कि सिद्धमुख नहर परियोजना की नोहर फीडर एवं साहवा लिफ्ट कैनाल से वंचित रह गये थे, को भी इस कमाण्ड क्षेत्र में शामिल करने के लिये डी.पी.आर. बनाने का निर्देश दिया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार ने 15 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी। शायद आपने चूरू के अन्दर शिफ्ट कर दिया, करना ही था वह तो। करना था कि नहीं करना था?

केन्द्र सरकार के 60:40 सहयोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनमें शेष रहे स्थानों अलवर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़ की डी.पी.आर. बनाई जाएगी। साथ में सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, जैसलमेर, करौली, सिरोही इन तमाम जगहों से मांग आ रही है, इनको फेज स्तर पर, भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, और 60:40 रेशो से, हम चाहेंगे कि अधिकांश जगहों पर फेज स्तर पर ये मेडिकल कालेज यहां पर शुरू हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट के अन्दर मैंने 10 जुलाई को कैप्टिव पावर प्लांट पर विद्युत शुल्क की दर को 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर एक रुपये प्रति यूनिट किया था। परन्तु राज्य में उद्योगों पर बढ़ने वाले अतिरिक्त भार को, आपने भी इस मुद्दे को उठाया था, भार को मद्देनजर रखते हुए विद्युत शुल्क की दर एक रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 60 पैसे प्रति यूनिट किये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

परिवारजनों के बीच पारिवारिक पैतृक सम्पत्ति का विभाजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, इसके लिये मैंने इस वर्ष के बजट में पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा की थी। चूंकि इसमें पंजीयन अनिवार्य है, इसलिये मैं अब इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर टोकन राशि के रूप में एक हजार रुपये करने की घोषणा करता हूं।

कम्पनियों के अमलगमेशन व डीमर्जर के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में राहत प्रदान करते हुए इसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

शगुन अच्छे हो गये। सब काम टाइम पर होंगे, बजट पूरा ढंग से लागू होगा, अच्छा शगुन हो गया है।

मेरे द्वारा बजट में माता-पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति का, संतान के पक्ष में सैटलमेंट करने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को माफ करने की वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। चूंकि इसमें पंजीयन अनिवार्य है, इसलिये मैं अब इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटा करके टोकन राशि के रूप में एक हजार रुपये करने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

अचल सम्पत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 01.03.2019 को पत्नी के पक्ष में निष्पादित भेंट पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ कर दिया गया था। चूंकि इसमें पंजीयन अनिवार्य है, इसलिये मैं अब इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटा करके टोकन राशि के रूप में एक हजार रुपये करने की घोषणा करता हूं।

बजट में, उपनगरीय एवं अन्य मार्गों के स्टेट कैरिज बसों के लिये सुझाव आया था, 300 किलोमीटर प्रतिदिन संचालन पर तीन सौ रुपये प्रति सीट प्रति दिन तथा 300 किलोमीटर से अधिक संचालन के लिये 560 रुपये प्रति दिन प्रति सीट आरोपित किया गया था। मैं अब इन मार्गों के लिये तीन श्रेणियां बना कर उपनगरीय मार्गों की बसों पर 150 किलोमीटर तक दो सौ रुपये प्रति सीट प्रति दिन, 150 से अधिक किंतु 300 किलोमीटर तक ढाई सौ रुपये प्रति सीट प्रति दिन, और तीन सौ किलोमीटर से अधिक के लिये 350 रुपये प्रति सीट प्रति दिन आरोपित किया जाना प्रस्तावित करता हूं। अन्य मार्गों के लिये उपरोक्त दूरियों हेतु क्रमशः ढाई सौ रुपये, तीन सौ रुपये तथा पांच सौ पचास रुपये प्रति दिन, प्रति सीट की दर से प्रस्तावित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान में धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के महापुरुषों, योद्धाओं, संत महात्माओं, स्वतंत्रता सेनानियों के बनाये गये 48 स्मारकों, पैनारमा के निर्माण का कार्य पिछली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 36 स्मारक, पैनोरमा पूर्ण हो चुके हैं एवं 12 निर्माणाधीन हैं, जिनकी सूची संलग्न है। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इन तमाम परियोजनाओं को स्वीकृत तो कर दिया, पर इनके रखरखाव के लिये बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। मैं इन तमाम स्मारकों, पैनोरमा के रखरखाव, प्रबंधन व संचालन के लिये राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

मुगल शासकों एवं मारवाड़ शासकों के बीच में गिरी, पाली में एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें आम जनता ने मुगलों को भगाया। इस ऐतिहासिक जगह पर पैनोरमा बनाया जाएगा, जिस पर 50 लाख खर्च आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पैनोरमा की सूची पढ़कर सुना

(श्री अशोक गहलोत)

रहा हूं। राणा सांगा पैनोरमा, खानवा, जिला भरतपुर; गुरु जम्भेश्वर पैनोरमा, पीपासर, जिला नागौर; लोक पूज्य देवता तेजाजी पैनोरमा, खरनाल, जिला नागौर; वीर अमरसिंह राठौड़ पैनोरमा, जिला नागौर; बूढ़ा पुष्कर फीडर निर्माण, जिला अजमेर; पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक, धानक्या, जयपुर; करणी माता पैनोरमा, देशनोक, जिला बीकानेर; लोक देवता बाबा रामदेवजी पैनोरमा, जिला जैसलमेर; संत सुन्दरदास पैनोरमा, जिला दौसा; हाड़ौती पैनोरमा, जिला बारां; संत पीपाजी पैनोरमा, जिला झालावाड़; स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा, आऊवा जिला पाली; वार मैमोरियल सैन्य शक्ति स्मारक धोरासर, जिला झुंझुनूं, संत रैदास पैनोरमा, चित्तौड़ीखेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़; लोक देवता पाबूजी पैनोरमा, कोलू, जिला जोधपुर; नागीदासजी पैनोरमा, किशनगढ़, जिला अजमेर; कालीबाई पैनोरमा, मांडवा, जिला डूंगरपुर; मां बलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा, कमहेड़ी, जिला राजसमन्द; हसन खां मेवाती का पैनोरमा, जिला अलवर, बप्पा रावल पैनोरमा, मठाठा, जिला उदयपुर; महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पैनोरमा, भीनमाल; महाराणा राजसिंह पैनोरमा, जिला राजसमन्द; धन्ना भक्त स्मारक, धुआंकला, जिला टोंक; राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़, जिला बांसवाड़ा; कृष्णभक्त अलीबख्श पैनोरमा, मुण्डावर, जिला अलवर; मावजी महाराज पैनोरमा बेणेश्वर धाम, जिला डूंगरपुर, निम्बार्काचार्य पैनोरमा, सलेमाबाद, जिला अजमेर; गुरु गोविन्द सिंह पैनोरमा, नरैना, दूदू; लोक पूज्य देवता गोगाजी महाराज पैनोरमा, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़; धौलपुर पैनोरमा, धौलपुर; चालकनेची पैनोरमा, चालकना, जिला बाड़मेर; गुरु गोविन्दसिंह पैनोरमा, बूढ़ा जौहर, रायसिंहनगर, जिला गंगानगर; राजा भर्तृहरि पैनोरमा, जिला अलवर; भगवान श्री परशुराम, मातृकुण्डिया, जिला चित्तौड़गढ़; भगवान देवीनारायण पैनोरमा, माला सेड़ी, जिला भीलवाड़ा; महाराणा कुम्भा पैनोरमा, माल्यावास, जिला राजसमन्द; भक्त शिरोमणि करमेती बाई खण्डेला, जिला सीकर; श्री शैल महाराज, पैनोरमा, पुष्कर, जिला अजमेर; राव शेखाजी पैनोरमा, शाहपुरा; जिला जयपुर; गोरा बादल पैनोरमा, जिला चित्तौड़गढ़; ध्याला पन्ना पैनोरमा, बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़; शहीद रूपाजी कृपाजी पैनोरमा, गोविन्दपुरा, बेगूं, कई का काम अभी तक चल रहा है, अधूरा है। उसको भी मैं समझता हूं कि जिस तरह पहले काम पूर्ण हुए हैं, उस रूप में इनको पूरा करवाया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

(18.00 बजे)

यह पैनोरमा जो पूर्ण हो चुके हैं, मीरा बाई स्मारक, मेड़ता, नागौर, महाराजा सूरजमल स्मारक, भरतपुर, नंदेश्वर धाम, जिला जालौर, साहवा सरोवर, साहवा जिला चूरू, हाड़ी रानी स्मारक सलूम्बर जिला उदयपुर, बूढ़ा पुष्कर सरोवर विकास जिला अजमेर, यह काम पूरे हो गये हैं, बाकी काम चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं माननीय सदस्यों से विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

राजस्थान बीज तथा पौध निरसन विधेयक, 2019, माननीय कटारियाजी, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप आखिरी में बोल लें? पारण की स्थिति पर बोल लें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, पारण की स्थिति में।

श्री अध्यक्ष: पारण की स्थिति पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है। किरणजी?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जी।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए? जो पक्ष में हो वह हां, कहें।

जरूरत ही नहीं है रखने की फिर।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खंड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री लालचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 विचारार्थ प्रस्तुत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्वक बीज मिले, उनको समय पर बीज की उपलब्धता रहे, इस दृष्टि से 1960 के दशक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में यह विधेयक लाया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 जुलाई, 1960 को इसका गजट में प्रकाशन भी हो गया। इसी विधेयक के रूल-3 के अंदर जो नियम बनने थे, किसी कारण से वह नियम नहीं बने और इसी कारण से यह बिल प्रभावी नहीं हुआ और 1966 में केन्द्र सरकार जो बिल लेकर आई, बीज अधिनियम, जिसके रूल 1968 में बने, राजस्थान की सरकार ने उसको अंगीकार किया और उस बिल के आधार पर राजस्थान के अंदर बीजों की गुणवत्ता और समय पर किसानों को बीज मिले, यह सुनिश्चित किया जाता रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1983 के अंदर जो केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के धारा-3 के अंदर सीड कंट्रोल का एक आर्डर जारी किया। सीड कंट्रोल आर्डर, उसके तहत राजस्थान के अंदर भी बीज की गुणवत्ता के बारे में, इसको अधिनियमित भी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, मुख्यत: ऐसे बिल जो आज प्रासंगिकता खो चुके हैं, जिन बिलों का कोई उपयोग नहीं। राजस्थान के अवाम को बिलों के, विधेयक के मकड़जाल से बचाने के लिए अलग-अलग ऐसे कानून जो आज प्रचलित नहीं हैं, प्रासंगिक नहीं हैं, उसको रिपील करने का काम किया है इस सरकार ने।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, वसुन्धराजी की सरकार के अंदर, एक अच्छी सरकार के अंदर मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी थी। पूरे राजस्थान में ऐसे अलग-अलग विभागों के अंदर जो कानून आज उपयोगी नहीं रहे या जिन कानूनों का अमैंडमेंट हो गया और अमैंडमेंट होने के बाद वह कानून मुख्य विधेयक का हिस्सा बनकर, मुख्य एक्ट का हिस्सा बन गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर जो जनरल प्रोविजन एक्ट है, उसकी धारा-7 में यह प्रावधान भी है कि अमैंडमेंट एक्ट अगर कोई मुख्य अधिनियम का हिस्सा बन जाता है तो उसकी कोई प्रासंगिकता रहती नहीं है। उस समय 248 ऐसे कानूनों को एक बिल लाकर राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 लाया गया था और एक साथ ही इन सारे बिलों को लिपिबद्ध करके इनके निरसन का काम किया गया था। अच्छा रहे, सरकार एक-एक करके यह बिल ला रही है, इस प्रकार के जितने भी ऐसे बिल हैं, जिनकी आज उपयोगिता नहीं रही, उनके बारे में निश्चित तौर पर कार्यवाही हो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यही नहीं, पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत के काल खण्ड में दवे कमीशन बना था और दवे कमीशन की रिकमंडेशन के आधार पर उस समय भी 303 ऐसे विधेयक जिनका क्रियाशील रहने का कोई उपयोग राजस्थान में था नहीं, अप्रासंगिक हो गये थे, उनके निरसन का काम भी हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जो 1960 के अन्दर यह बिल लाया गया था, उस बिल की मंशा के अनुसार और जिस बिल को बाद में 1983 में जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो आर्डर जारी किया गया था 1955 के, उस बिल की इच्छा के अनुसार, उस कानून की इच्छा के अनुसार चाहे राजस्थान के किसानों को आज गुणवत्तापूर्वक बीज मिल रहा है या नहीं, आज हमारे अगर शास्त्रों में भी देखें, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जो बीज मंत्र है, उसको मूल मंत्र माना गया है। जो किसान धरती का सीना चीरकर इस बीज को डालता है, पूरे साल एक तरह से उसकी तपस्या करता है और उसके ऊपर अपना श्रम लगाता है और बीज की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हो तो किसान के साथ जिस प्रकार का होता है, वह ठगा रह जाता है।

आपको याद होगा, मंत्री महोदय, पिछली फसल में जब आप सत्ता में आ गये थे, गेहूं का एक बीज 4037 वैरायटी, आपके सीड कारपोरेशन ने बांटा और सीड कारपोरेशन के बांटने के पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बीज में उगाव जरूर हुआ पर फल नहीं आए। इसका मतलब यह है कि आज भी राजस्थान में बीज की गुणवत्ता को लेकर कई प्रकार के सवाल उठे हैं।

राजस्थान के अंदर आज आपका सीड कारपोरेशन बना हुआ है। आपके तिलम संघ है, आपके राजफैड है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मूल जो इनका काम था, उस काम से यह पूर्णत: भटक गये हैं। इनका काम क्या था? यह किसानों को सर्टिफाइड सीड रियायती और अच्छी दरों पर उपलब्ध कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सीड कारपोरेशन के पास 13 फार्म हैं। उनके पास 13 फार्म हैं और हजारों बीघा जमीन है। उनका काम क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका काम है कि कृषि विश्वविद्यालय से वह ब्रीडर सीड तैयार करवाए और न्यूक्लीयर सीड के माध्यम से और ब्रीडर सीड के आधार पर वह अपने 13 फार्मों के अंदर फाउंडर सीड, जिसको हम आधार सीड कहते हैं, वह तैयार करवाएं और इस आधार सीड के आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय,... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। इसको अभी निरसन करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): निरसन करना है पर इसके साथ आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का बीज किसान को मिल रहा है और राजस्थान के अंदर जो आपका सीड कारपोरेशन जिस प्रकार का काम कर रहा है, उसके बारे में तो व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। इस पर तो अभी एक घंटे का भाषण तो निश्चित तौर पर देना चाहिए।

(18.07 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

अगर किसान हितैषी सरकार है तो, माननीय सभापति महोदय, इनको सुनना भी चाहिए। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं मंत्री महोदय कि आप किसान के बेटे हो। आज हो क्या रहा है? आपका जो राजस्थान सीड कारपोरेशन है, जिसके पास 13 कृषि फार्म हैं और सारे फार्म ठेके पर दिये गये हैं। कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान के द्वारा आप जो ब्रीडर सीड तैयार करवा रहे हो, वह ब्रीडर सीड आप तैयार नहीं करवाते हो और फाउंडर सीड अपने इन 13 फार्मों के अंदर, यह जो आपका कारपोरेशन है, राजस्थान सीड कारपोरेशन यह तैयार नहीं करवा रही है और यह फाउंडर सीड के आधार पर, माननीय सभापति महोदय, यह प्रगतिशील किसानों को यह फाउंडर सीड देकर वह सर्टिफाइट सीड पैदा करने का काम इस कारपोरेशन को करना चाहिए था और जो सर्टिफाइड सीड है, उसके आधार पर आपको वैज्ञानिक परीक्षण करवाकर उसके पश्चात् आपको अपने इस राजस्थान सीड कारपोरेशन के माध्यम से किसानों को बांटना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि राजस्थान में कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटीवाइज प्रोडक्शन हो निश्चित तौर पर मंत्री महोदय, इस सीड कारपोरेशन को किसानों के मित्र की भूमिका में आना पड़ेगा, व्यापारी की भूमिका में नहीं। आज हो क्या रहा है? आपका राजस्थान सीड कारपोरेशन ने इस बार क्या किया? माननीय सभापति महोदय, आंध्र-प्रदेश से इन्होंने बाजरे का बीज मंगवाया, इन्होंने मक्का का बीज मंगवाया, ज्वार का बीज मंगवाया और बीज को खरीदकर किसानों को बांटने का काम कर दिया। अब आंध्रप्रदेश के अंदर जो जलवायु है, वह बिलकुल विपरीत है। वहां पर किस प्रकार इन्होंने सर्टिफाइड किया होगा कि यह बीज सर्टिफाइड बीज है, लाकर किसानों को बांट दो और उसके बाद उस बीज को राजस्थान का किसान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके विश्वास के साथ उसको अपने खेत में बो दे और उसके बाद में उसके अनुरूप अगर पैदा नहीं हो तो यह निश्चित तौर पर यह किसान के साथ अन्याय है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और आज हो क्या रहा है, माननीय सभापति महोदय, आज यह बीज उत्पादक कंपनियां, आपने देखा होगा, आप सीकर पधारते हैं, बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर रही हैं। बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करके किसानों को आकर्षित करती हैं। किसानों को यह कहती हैं कि एक बीघा के अंदर इतनी फसल पैदा हो जाएगी, हमारा बीज खरीदो और यह सारी कम्पनियां, आज कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। यह गुणवत्तापूर्ण बीज दें या नहीं दें, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज यह बिल सदन के सामने आया है, तो निश्चित तौर पर मंत्री महोदय, आपको राजस्थान के किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि राजस्थान के अंदर, आपका राजफैड हो, आपका तिलम संघ हो और चाहे आपका बीज कारपोरेशन हो, इनके माध्यम से जो बीज आप किसानों को देते हैं, वह प्रामाणिक बीज देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज जैविक खेती की बात चल रही है। आज जिस प्रकार खेतों के अंदर पेस्टीसाइड यूज किया जा रहा है, निश्चित तौर पर बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैविक खेती की ओर लोग बढ़ रहे हैं पर जैविक खेती के लिये जिस प्रकार के बीज की आवश्यकता है, उस बीज की उपलब्धता नहीं है। मंत्री महोदय, यह बीटी कपास, बीटी बैंगन और इस तरह की जो प्रतिबन्धित फसलें हैं, वह किसान उगा रहा है। उसके बाद उनको रुकवाते हो। इसके बीज कैसे किसान के खेत तक पहुंचे, इसके बारे में भी आपको निश्चित तौर पर कड़ाई से पालना करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कुल-मिलाकर मैं कह सकता हूं कि यह जो आपका सीड कारपोरेशन है, इसकी भूमिका व्यापारी की भूमिका हो गयी। बड़ी कम्पनियों से बीज लेकर किसानों को बांटने का काम जो कर रहे हैं, यह किसानों के साथ अन्याय है। जो किसान हमारा अन्नदाता है, यह अन्नदाता के साथ अन्याय है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह निरसन तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, उपयोगी नहीं है। मैं कह रहा हूं और मैंने तो पहले भी कहा था कि एक-एक करके नहीं, आप लिपिबद्ध करें। सरकार को चाहिए, चाहे कमीशन बनाए, चाहे बड़े अधिकारियों की कमेटी बनाए, आज जितने भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुपयोगी विधेयक हैं, जो प्रासंगिकता खो चुके हैं, जो अमैंडमेंट के बाद अपने मूल एक्ट का हिस्सा बन गये हैं। जनरल क्लाजेज एक्ट के अंदर सैक्शन 7 में यह प्रोविजन भी है, सैक्शन-7 यह कहता है कि अमैंडमेंट बिल अगर मूल एक्ट का हिस्सा बन जाए तो उसको रिपील कर देना चाहिए। आप सारे बिल एक साथ लेकर आओ। हमारी सरकार के समय में भी हमने इस प्रकार के 248 अनुपयोगी कानूनों का निरसन किया, आप भी वह करो। आज बीज की क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण बीज राजस्थान के किसान के पास पहुंचे। आपने एक तरफ तो गोलमोल जवाब सदन के नेता से दिलवा दिया। आप यह नहीं बता सके कि किसान के कितने कर्जे का आपने अपलेखन किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आज सुबह भी कहा था, यह 31 जुलाई है, 31 जुलाई के बाद राजस्थान में प्रधान मंत्री फसल बीमे का पोर्टल अपने आप बन्द हो जाएगा, फिर मिल नहीं पाएगा उसको। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसान एक-दो नहीं, 33 लाख किसान आज फसल बीमे से महरूम होंगे, जो पिछली बार उसको 1800 करोड़ रुपये मुआवजे का मिला था, उससे महरूम होगा। कृषि मंत्रीजी, यह छोटी बात नहीं है। किसान के मन से जब आह निकलेगी, धुंआ निकलेगी जिसने आपको लोक सभा में भस्म कर दिया, मैं समझता हूं यह पहली सरकार है जिसने इतनी बुरी तरह पिटाई होने के बाद, जीरो पर आउट होने के बाद भी आज दम्भ किस बात का बचा है आपमें? कभी आपके यातायात मंत्रीजी इतराते हैं, कभी आपके चिकित्सा मंत्रीजी इतराते हैं। आप यह भी देखें कि आपके नीचे की जमीन खोखली हो चुकी। कितने-कितने हजारों वोटों से आप अपने विधान सभा क्षेत्रों में हारे हो। आप मुस्कुरा रहे हो, मैं समझता हूं इस निर्लज्ज हंसी का राजस्थान की जनता ने आपको लोक सभा में जवाब दे दिया और आने वाले समय में जवाब देगी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इसका निरसन तो किया जाए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हद हो गयी, पूरी फ्रस्ट्रेशन सारी की सारी यही मिटाओगे? म्हें कांइ करां थांकी जवानी खतम होगी तो?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। प्लीज बोलने दीजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): म्हाकां आदमी की जवानी ल्यानो ..(व्यवधान) हाल तो यह जवानी ल्यानो चावै।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह किस पर बोल रहे हैं, बिल पर बोल रहे हैं, हमारे पर बोल रहे हैं। व्यवस्था तो दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं बिल के ओर्बिट से बाहर बिलकुल भी नहीं निकला हूं। यह बिल, जिसका नाम है 'राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019' यानी राजस्थान में किस प्रकार के बीज मिल रहे हैं, राजस्थान में किस प्रकार की पौध पैदा हो रही है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपके पास बीज है कि नहीं, पहले यह बता दो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार, जिस तरह से इस बिल का निरसन हो रहा है, इस सरकार का निरसन भी हो जाएगा समय आएगा जब।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, विपक्ष के उप-नेताजी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। इनकी शैली, इनका वक्तव्य इतना शानदार है कि मैं दुआ करता हूं कि अगले 20 साल तक इसी पद पर बैठे रहें और ऐसे ही भाषण देते रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं दुआ करूंगा उप मुख्य मंत्रीजी एक सीट इधर बैठें, इनका हक है वहां बैठने का और उप मुख्य मंत्रीजी, जरूरत पड़े तो आपने पुकारा और हम चले आए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पार्टी छोड़ दोगे क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): समय बताएगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, यह विधेयक उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। माननीय सभापति महोदय, 1960 का एक्ट, उसके बाद 1966 में सेंट्रल

(श्री संयम लोढ़ा)

गवर्नमेंट का एक्ट, फिर सीड कंट्रोल आर्डर 1983 का, उसके बाद कोई आदेश नहीं, तो 39 साल लग गये हमारी ब्यूरोक्रेसी को यह समझने में, कि बिल कोई काम का नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है? और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मंत्रीजी भारत सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, आप नहीं रहे कभी। इन्होंने पदभार संभालते ही यह समझ लिया कि यह एक्ट कोई काम का नहीं है, इसलिए बिल लेकर आ गये यह विड्रा करने के लिये। आप दो-दो बार मंत्री रहे, आप कभी समझ ही नहीं पाये कि यह एक्ट कोई काम का नहीं रहा, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितने भी प्रोविजन हैं आपके पास में, चाहे सीड कंट्रोल आर्डर है, चाहे वह एक्ट है, चाहे आपने यह जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत अधिकार हासिल किये हैं, इन सबके बाद सैम्पल लिया आपके इंस्पैक्टर ने, आज जिसको भी आपने अधिकार दिया है, आपके डायरेक्टर ने तो पावर डेलिगेट कर दिये और इसलिए कर दिये कि रोज पेशियों पर कौन जाएगा, तो यह नीचे पकड़ा दो। अब सैम्पल लिया और फेल हो गया, क्या करते हैं? आप करते हैं इस्तगासा और इस्तगासे के अंदर भी वह जाकर यह कह दे कि मैं तो री-टैस्ट करवाऊंगा, तो आप फिर उसको री-टैस्ट कराने भेजो और फिर फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या पैनल्टी होती है, 500 रुपये? माननीय सभापति महोदय, काश्तकार को क्या मिला? उसके बीज से फसल खराब हो गयी। आपके पास क्या प्रोविजन है? और जिसका बीज री-टैस्ट के बाद भी सैम्पल में खराब निकला, क्या कभी आप जाकर स्टाक रजिस्टर चैक करते हो कि उसने किस-किस किसान को माल दिया है, वह घटिया बीज दिया है? आप यह निरसन विधेयक लेकर आए, वह तो ठीक है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फार्मर का क्या होगा? आपको अभी इसमें प्रोविजन करने की जरूरत है कि जिस किसान ने घटिया क्वालिटी का बीज लिया और उसके नुकसान हुआ, उसकी क्या भरपाई? क्या कंज़्यूमर कोर्ट एकमात्र रास्ता है उसके लिये? इसलिए आप किसान हैं, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप यह प्रावधान करें जिससे आने वाले वक्त में घटिया क्वालिटी के बीज की वजह से जिस किसान ने नुकसान उठाया है, उसको लाभान्वित किया जा सके, उसके हितों का ध्यान रखा जा सके और जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो संशोधन रखा है, वह मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, किसान को शुद्ध प्रामाणिक बीज उपलब्ध करवाने के लिये राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 पेश किया गया है। इससे पहले पूर्ववर्ती भारत सरकार ने 1960 में और उसमें बाद में 1966 और उसके बाद 1983 में, यह सब होने के बाद इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, यह बात तो सत्य है। लेकिन राजस्थान का किसान हो या देश का किसान हो, किसान तो हमेशा ठगा ही गया है। किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वोट के वक्त ही किसान को याद किया जाता है और राजेन्द्र राठौड़ साहब सही कह रहे थे कि जो हमारा सीड कारपोरेशन है, वह तो व्यापारी की भूमिका में आ गया है। बीज की पैदावार करने के बजाय बीज को कहीं से खरीदा और कहीं पर लाकर किसानों को दे दिया गया, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। मैं राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 के बारे में बहुत अधिक बात नहीं करना चाहता। यह निश्चित रूप से जो संशोधन है, इसके अंदर बजाय इसको करने के, किसान के हित के अंदर जो भी निर्णय लिये जा सकें, वह किये जाने चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, क्योंकि किसानों का मामला है और बीज का मामला है, राजस्थान में किसानों की अच्छी पैदावार हो उसमें बीज अच्छा हो, यह हमेशा किसान प्रयास करता है कि उसे गुणवत्ता वाला बीज मिले या बाजार से भी यदि किसान कोई बीज खरीदता है तो बाजार में जिसकी इमेज अच्छी है, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे कोई किसान हो, उसी से वह बीज खरीदना पसंद करता है। सरकार द्वारा राजस्थान बीज निगम, तिलम संघ, केन्द्रीय बीज निगम और अनेक प्राइवेट संस्थाओं को भी बीज पैदावार करने के लिए कांट्रेक्ट दिया जाता है।

सरकार की मंशा ठीक है कि बीज निगम के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले। इसके लिए किसान का भी जागरूक होना आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि किसान हूं, खुद बीज निगम से बीज खरीदता हूं और निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताना चाहता हूं। पिछले लगभग चार-पांच साल से जब से हम जुड़े हैं, मंत्री जी, हमने अच्छे किसानों को बीज निगम से जोड़ा है और हमेशा यह प्रयास किया

(श्री नरेन्द्र नागर)

है कि बीज निगम से केवल किसान ही बीज खरीदें और किसान ही बीज खरीद करके वास्तव में वो पैदावार करे और उस बीज को तुलवाये ताकि उसके मन में इस प्रकार का भाव हो कि मैंने अच्छा बीज तैयार किया है और ये बीज आने वाले समय में किसान के जायेगा और किसान भी मेरा भाई है। इस प्रकार की उसकी भावना होनी चाहिए। यदि वास्तव में किसान बीज बोते हैं और वो ही तुला दें, इस प्रकार की भावना से वो अच्छा बीज तैयार करने का हमेशा प्रयास करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, होता यह भी था कि इससे बहुत से व्यापारी लोग जुड़ जाते थे, किसानों के नाम से बीज खरीदते थे और जब बीज तुलाई का नम्बर आता था तो बाजार से बीज खरीदकर, मंडी से बीज खरीद कर उसको तोल दिया करते थे और जब वो बीज वापस किसानों के पास जाता था तो निश्चित रूप से घटिया बीज होता था और जिस प्रकार से किसानों के साथ जो धोखा और छलावा होता था, निश्चित रूप से उसको किसान माफ नहीं कर सकता था क्योंकि बीज बोने के बाद उसका समय निकल जाता है, रबी की फसल का साल भर बाद वापस नम्बर आयेगा तो, माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से सुधार हुआ है। साथ ही क्योंकि इसकी जांच के लिए लैबोरेट्री में जाता है, लैबोरेट्री में अभी संयम जी लोढ़ा कह रहे थे कि एक बार गया और वह सैम्पल पास नहीं हुआ, फिर दोबारा कहीं गया, वह सैम्पल पास नहीं हुआ और फिर तिबारा गया, उस पर अपन पैनल्टी लगाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, स्थिति यह भी है कि कभी-कभी यह स्थिति आ जाती है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि जैसे चने का बीज है, अब चने की स्थिति यह है कि आप चने के बीज को रोककर रखोगे और जब बरसात शुरू होगी, जब मॉइश्चर आ गया तो माइश्चर आते ही निश्चित रूप से उसमें डंक लगना शुरू हो जाता है। पिछले साल मेरे साथ हुआ, जब हमने बीज निगम को बीज दिया तो हमने अच्छी किस्म का बीज दिया और बीज देने के बाद जब उन्होंने उसको टैस्ट के लिए भेजा जब उसमें डंक लग चुका था। हमने कहा, भाई, हमारा क्या कसूर है? लैबोरेट्री वालों ने उसको एक महीने तक पटक कर रखा तो यह ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं, माननीय मंत्री महोदय, जो वास्तव में किसान अच्छा चाहता है तो इस पर निश्चित रूप से अपना अंकुश हो और वास्तव में अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले और हम चाहते हैं कि

(श्री नरेन्द्र नागर)

राजस्थान तरक्की करे, प्रगति करे तो निश्चित रूप से यदि बीज की गुणवत्ता अच्छी होगी तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार निकलेगी।

मैं मानता हूं कि सरसों में, सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एक बीघा में एक क्विंटल तक का बीज का बहुत बड़ा अन्तर होता है। आपने यदि वो ही बीज वापस बोया तो एक क्विंटल तक प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार कम निकलती है। यदि अपन अच्छी गुणवत्ता का बीज बोते हैं तो एक क्विंटल तक प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार ज्यादा निकलती है तो विशेष रूप से इस प्रकार का हमारा प्रयास किया जाए।

मंत्री जी, जितने अपने फार्म हाउस हैं, ब्रीडर बीज अपन वहीं तैयार करें ताकि पहला जो बीज है वह अच्छी तरह का किसानों के पास जाए। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब पहली बार किसी किस्म का बीज बाहर से आता है, मैं भी यह चाहता हूं और हमने हमेशा यह प्रयास किया कि नया तो नया बीज अच्छा होगा, उसको हमें बोना चाहिए। किसान इस प्रकार का प्रयास करता है और चाहता है कि अपन नया बीज बोएं पर स्थिति यह होती है कि वातावरण के हिसाब से चूंकि जहां से वो आया है वहां का वातावरण क्या है, वहां बीज हो सकता है अच्छी पैदावार हो पर अपने यहां अच्छी पैदावार नहीं हो। इस प्रकार के भी हमने उदाहरण देखे हैं कि यहां बोने के बाद वो बीज, वास्तव में वो पैदावार अच्छी नहीं निकलती तो इस प्रकार का प्रैक्टिकल पहले अपन करें ताकि किसानों को दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार का प्रयास करें और जब अपन ब्रीडर बीज बोएंगे तो फाउंडेशन भी अच्छा देंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): फाउंडेशन के बाद सीड प्रोग्राम के लिए बीज किसानों को जायेगा तो ऐसा प्रयास रहे कि अपन अच्छा बीज पैदा करें। मैंने जो जनमत जानने के लिए भेजा है, मैं चाहता हूं कि इसके लिए अपन प्रयास करें और जनमत के आधार पर अपन इसको दोबारा लेकर आएं।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को आज निरसन करने के लिए यहां पर रखा गया है और यह विधेयक

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कई वर्षों से बिना किसी नोर्म्स के बना हुआ पड़ा हुआ था, आज कहीं न कहीं इसका निरसन होगा। इसके साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहती हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा रिसर्च वैरायटीज जिसको हम एफ-1 के नाम से भी विभिन्न फसलों को, विशेषकर जो हमारी सब्जियां हैं, जो बाजरा है आदि के बीजों का विक्रय अत्यंत महंगी दरों पर कृषकों को किया जाता है, यह बड़ी चिंता का विषय है।

हम लगातार देख रहे हैं कि किसान हमेशा ठगा जाता है। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं लेकिन इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हमेशा किसान को ठगा है। मैं आपको कुछ दिनों पहले की कोटा की बात बताना चाहती हूं। यह 01.06.2018 की बात है। आप देखिये कि निजी कम्पनी को बीज बेचा और 150 किसान तब से लेकर आज तक चक्कर काट रहे थे, इतने परेशान हो चुके। यानी कि कम्पनी आये, उनके बीज के नाम पर उनकी जो भी फसल थी, उपज थी, उसको ले लिया और उसके बाद कम्पनी का कोई अता-पता नहीं। क्या हम इन कम्पनियों के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं? इन कम्पनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सके, अगर इस तरह का नियम हम बनाते तो निश्चित तौर पर किसान को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूं कि जब किसान बीज खरीदने जाता है, जैसे मान लीजिए किसान ने टमाटर का बीज खरीदा, उससे 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये प्रति किलो की दर से रेट ली जाती है, मैं कहूंगी कि यह किसान के साथ सरासर लूट-खसोट है। इन कम्पनियों की एक बात और जो देखने को मिली, आप देखिये कि इनके नाम का कहीं किसी तरह का कोई लिखा हुआ नहीं रहता कि किस तरह की सीड्स है, ये क्या है, कुछ नहीं तो हमें निश्चित तौर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा किसान बचे। साथ ही हमें यह काम भी करना पड़ेगा कि जो हमारी ऐसी रिसर्च वैराइटीज एफ-1 एवं टीएफएल किस्म का जो प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए तभी हम किसान को फायदा दे सकते हैं एवं ऐसी सभी किस्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान सीड एक्ट में व सीड (कंट्रोल) आर्डर के अन्तर्गत हमें कठोर डिसीजन लेना चाहिए, तभी किसान का भला हो सकता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी किस्मों के विरुद्ध हम सीड एक्ट में दंड का प्रावधान भी रखें। मैं कहूंगी कि किसान अपने को बिलकुल ठगा-सा महसूस कर रहा है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं एक और ध्यान में लाना चाहती हूं कि 2004 में सीड अधिनियम के लिए प्रस्ताव लेकर भेजा गया राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा और जहां तक मुझे याद है, वो स्टैंडिंग कमेटी, दिल्ली में पड़ा हुआ है। अगर हम इसके लिए भी कुछ कर पाते तो तब से लेकर आज तक किसान का बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। सभापति महोदय, मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेने की बात कहूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि किसान को अच्छी गुणवत्ता का सीड मिले। आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में ही अलग-अलग क्षेत्र में ही जलवायु बदलती रहती है, हाड़ौती की अलग होगी तो मारवाड़ की अलग होगी तो इस प्रकार से अलग-अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बीज आसानी से, अच्छी तरह से हाड़ौती की जलवायु में अंकुरित हो पाए, वह आवश्यक नहीं है कि मारवाड़ में भी अंकुरित हो पाए। जलवायु के हिसाब से उसको टैस्ट करके, उसका बीज के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इसका परीक्षण सरकार को अपने स्तर पर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके माध्यम से करवाना चाहिए।

सभापति महोदय, यह भी आप जानते हैं कि आजकल हम सब लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए। उसमें खर्चा भी कम होता है और आगे जाकर आमदनी भी ज्यादा होती है। किसान की जोत छोटी होती जा रही है। यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उनको बीज अच्छा मिले ताकि उसका बीज अंकुरित हो जाए, पौधा बने और अच्छा फल दे। उसकी जोत छोटी होने से यदि उसका बीज खराब हो जाता है तो उस किसान का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जैविक खेती के लिए हमें जैविक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। इसके लिए गौ-माता का गोबर आवश्यक होगा। आसानी से आजकल गोबर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि गायों की नस्ल खराब हो गई है। वर्ण संकर गायें आ गई हैं। जो अच्छा गोबर होगा तो ऊंचे कंधे वाली गौ-माता का होगा। उस गाय का पालन-पोषण अच्छी तरह से हमें करना चाहिए ताकि हम ऐसे गोबर के खाद में उस बीज को बनाएं, उसको पैदा करें।

(श्री मदन दिलावर)

सभापति महोदय, मेरा आप सबसे और सरकार से निवेदन है कि अच्छा बीज उपलब्ध करवाने के लिए जो नई-नई टेक्नोलोजी हैं, जो जैविक खेती में नए-नए नवाचार किए जा रहे हैं, उनका उपयोग करते हुए बीज को हम किसान तक पहुंचाएं। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को यहां चर्चा में लाया गया है। मैं यह कहूंगी कि यह बिल 1960 में बन गया था, लेकिन चूंकि इसका अधिनियम नहीं बना और उसके बाद में अब निरसन के लिए लेकर आए हैं। मैं समझती हूं कि ऐसे बहुत सारे बिल्स पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें लगभग 248 ऐसे बिल जो अनुपयोगी थे, उनको रिपील किया गया था, उन सबको निरस्त किया था। ऐसे जितने भी बिल्स हैं, जिनके रूल्स ही नहीं बने हैं, उनको एक तरह से इकट्ठा लाना चाहिए। इनको एक साथ करना चाहिए। एक-एक सिंगल बिल लाकर के सदन में रखने के बजाय इसको एक कमेटी बनाकर पूरी तरह से इसको रिव्यू किया जाए तो ऐसे बहुत सारे बिल्स निकलेंगे।

सभापति महोदय, लेकिन साथ ही यह बीज का बहुत इंपोर्टेंट इश्यु है, माननीय मंत्री जी भी यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे मेवाड़ में सारे जिले ही कृषि प्रधान जिले हैं लेकिन डूंगरपुर को पूर्ववर्ती सरकार ने आर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया था कि वहां पर जैविक खेती होगी। आज यह स्थिति हो रही है कि वे जैविक खेती करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले इसका बंदोबस्त किया जाए कि यह जो डूंगरपुर जिला है, जिसको जैविक जिला घोषित किया गया है, वहां के किसानों को अच्छे बीज मिलें ताकि वहां जैविक खेती हो सके।

दूसरा, माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह डालना चाहती हूं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बीज बेचती हैं लेकिन वह इतनी घटिया क्वालिटी के बीज होते हैं, जैसा ठीक कहा मुझसे पूर्व भी हमारे माननीय सदस्यों ने कि किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस करता है। वह बीज बोता है और बोने के बाद में वह बीज अंकुरित नहीं होते हैं। उसके बाद एक तरह से उसकी सारी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आशाएं खतम हो जाती हैं। बीज में से 30 से 35 परसेंट तक ही उसकी उपज निकल पाती है। कम से कम ऐसी जो फ्राड कंपनीज हैं, जो इस प्रकार के बीज बेचती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जिस तरह से फसल बीमा योजना चलाई गई थी केन्द्र सरकार के द्वारा, जिसके अंदर अगर बारिश नहीं आई या अकाल हो गया तो उस समय उन्हें कुछ न कुछ मुआवजा मिलता था। ऐसे जो घटिया क्वालिटी के बीज आते हैं, जिसकी वजह से वे बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। किसान खेती नहीं कर पाता है तो उन किसानों के लिए भी कोई न कोई अगर ऐसा बीमा हो सकता है, तो वह होना चाहिए। उसका पूरा जो खामियाजा है, वह जिनसे बीज लिया है, उन लोगों से उसकी भरपाई करनी चाहिए। इसके अंदर बड़ा सख्त होने की जरूरत है।

पहले तो किसान मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश अच्छी आएगी तो अच्छी फसल होगी। लेकिन जब बीज ही अच्छा नहीं होगा तो कितना भी मानसून आ जाए, उसके बाद भी वह बीज अंकुरित न हो, उसका पौधा न बने, उसकी खेती न हो तो सारा बेकार होगा। ऐसी बीज कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करें। सुरक्षित किस्म के ब्रांडयुक्त बीज, लैबोरेट्री के अंदर रिसर्च करके, अपना डिपार्टमेंट भी इस प्रकार से सोचे। आप लोग भी केवल यह कि बीज निगम ही बीज देगा, वही लेना है, उस बीज निगम के अंदर भी कई बार बीज नहीं होते हैं। कई बार उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। कुछ इस प्रकार का रिसर्च होना चाहिए।

सभापति महोदय, मृदा कार्ड अब बनने शुरू हो गए हैं। केन्द्र सरकार ने योजना चलाई और अब मृदा कार्ड बन रहे हैं। मृदा कार्ड के अंदर मिट्टी का परीक्षण हो रहा है। पता चल रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कौनसी फसल अच्छी हो सकती है। एक किसान जागरूक होता है। किसान के लिए जो प्रधान मंत्री संचय योजना बनी है, उसमें भी यही है कि किसानों के लिए हम अवेयरनेस लेकर के आएं कि किस प्रकार की मिट्टी हो, किस प्रकार के बीज हों, कितने पानी में क्या होगा? ड्रिप सिस्टम से हम किस प्रकार से अच्छी खेती कर सकते हैं। सम्पूर्ण विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अच्छे बीज हों, रिसर्च करें, लैबोरेट्री के अंदर। जो कंपनीज इस तरह के घटिया बीज देती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। किसान जो खेती से वंचित रहा,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उसकी पूरी भरपाई उन कंपनीज के द्वारा की जाए ताकि उनको अच्छा सबक मिल सके। मैं यही कहना चाहती थी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो अभी तक विचार रखे हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करती हूं कि ठीक 59 साल बाद में यह विधेयक निरसन के लिए यहां प्रस्तुत हुआ है। निश्चित रूप से यह 1968 में प्रस्तुत होना चाहिए था लेकिन रूल्स नहीं बने।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करूंगी कि ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं, विधेयक तो बहुत आननफानन में प्रस्तुत हो जाते हैं। सरकारें डिक्लेयर करती हैं कि हम यह बिल लेकर आ रहे हैं। यह व्यवस्था करने के लिए यह बिल लेकर आ रहे हैं लेकिन जब उनके रूल्स सालों तक नहीं बनते तो उनका आना और नहीं आना, एक बराबर होता है। इसलिए आइंदा यह ध्यान रखा जाए कि उनको यदि हम लाएं तो समय पर उनके रूल्स बनें ताकि वह लागू हों। जिस उद्देश्य के लिए उस बिल को लेकर आएं हैं, वह फ्रूटफुल हो, वह पूरा हो।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगी कि जब खेती में पेस्टिसाइड डलता है तो कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। उन बीमारियों के कारण से सरकार का और व्यक्ति का पैसा खर्च होता है। आजकल किसी भी खाद्यान्न में, किसी भी उपज में बिना पेस्टिसाइड के वह पैदा नहीं होती। किसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो और उस नाते से वह पेस्टिसाइड डालता है। ऐसी स्थिति में किसान को अधिक आय भी हो और उसको उस पर खर्चा भी कम से कम करना पड़े, पेस्टिसाइड खरीदने में जो उसको खर्चा आता है, वह उसको कम करना पड़े। इस नाते से माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैविक खेती के लिए जो आसाम में शुरू किया, राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने भी कहा कि डूंगरपुर पूरा जिला जैविक खेती के लिए डिक्लेयर किया था, उसको बढ़ावा मिले।

ऐसे में यदि हम एक-एक जिले को चुनेंगे और वहां के जो किसान हैं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

उनको बाकायदा प्रशिक्षण देंगे, उनको बीज उपलब्ध कराएंगे, उनको बाकी की चीजें उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उनसे प्रोत्साहित होकर बाकी के किसान भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। किसानों को लगता है कि नया प्रयोग किया, यदि फसल पैदा नहीं हुई, जितना चाहिए था उस क्वांटिटी में फसल पैदा नहीं हुई तो यह हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसी स्थिति में यदि हम उन दूसरे किसानों को भी जो जैविक खेती कर रहे हैं, ऐसे किसानों के पास उनकी विजिट करानी चाहिए और उनको प्रैक्टिकली बताना चाहिए कि किस तरह से वे किसान अच्छे बीजों के माध्यम से अच्छी पैदावार कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैंने यह जो निरसन विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी, प्रवर समिति में भेजने के लिए लिखा है, उसको मैं वापस लेती हूं। मैं निवेदन करती हूं कि इस तरह से और भी जो बिल रखे हैं, उनको एक साथ लाकर उनको समाप्त करने का काम करेंगे तो जनता भी भरोसे में ना रहे और हम भी जो बेकार की चीजें हैं, उनको समय पर खतम कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 पर आठ वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजपत्र, असाधारण, भाग 4-क में यह विधेयक दिनांक 21 जुलाई, 1960 को प्रकाशित किया गया था परंतु इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिए धारा 1 की उप धारा (3) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई जिसके कारण यह अधिनियम प्रभाव में नहीं आ सका।

(18.40 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 लागू किया और उसके तहत बीज नियम, 1968 बनाए जिसके लागू होने पर राज्य में अलग से विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं रही क्योंकि पूरे भारत में यह प्रभावी है। इसके अलावा

(श्री लालचन्द कटारिया)

केन्द्र सरकार ने सभी प्रकार के बीजों के विक्रय और व्यापार को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 जारी किया इससे प्रदेश में पृथक् से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी सदन में उल्लेखित करना चाहूंगा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड़जी ने कहा कि इस सदन में 22 सितम्बर, 2015 को तकरीबन 187 संशोधित अधिनियमों को जो अनुपयोगी हो गए हैं, राजस्थान विधियां (निरसन) विधेयक, 2015 के माध्यम से रिपील करने का काम गत भाजपा सरकार में किया। इसी कड़ी में यह निरसन विधेयक सदन में पेश किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो किसानों के प्रति सुझाव दिए हैं बीज के बारे में, उनका हम पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2019 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.42 बजे मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

396. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय एवं जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2013 में GNM, ANM के पदों की भर्तियां निकाली गईं थीं? क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पदों में कटौती करते हुए आधे ही पद भरकर भर्ती-2013 को बंद कर दिया गया था? क्या वर्तमान सरकार उक्त भर्ती को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय, जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल 170 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 72 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिला प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय, जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अराजपत्रित संवर्ग के कुल 1010 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 444 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती/स्थानान्तरण प्रक्रिया से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। विभाग में अराजपत्रित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को पदोन्नति उपरान्त शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ए.एन.एम. के 12278 एवं जी.एन.एम. के 15773 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पदों में कटौती कर दिये जाने के कारण ए.एन.एम. के 5559 एवं जी.एन.एम. के 11259 पदों पर ही भर्ती की कार्यवाही की गई।

वर्तमान में ए.एन.एम. के 5602 पदों एवं जी.एन.एम. के 6557 पदों हेतु नवीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जिसकी भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

397. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर शहर में संचालित राजकीय कला महाविद्यालय, राजर्षि महाविद्यालय, राजकीय कामर्स महाविद्यालय एवं राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में किस-किस संकाय में कितने-कितने व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर में व्याख्याताओं के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 पर, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर का परिशिष्ट-02 पर, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर का परिशिष्ट-03 पर व राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय, अलवर का विवरण परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

(2) राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर में व्याख्याताओं के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 पर, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर का परिशिष्ट-02 पर, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर का

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

परिशिष्ट-03 पर व राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय, अलवर का विवरण परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

जी हां। उक्त महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों कों चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस संघ के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

398. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर "राजस संघ" विगत 5 वर्षों से लाभ में है तथा इस संघ में कोई संचित हानि भी नहीं है?

(2) "राजस संघ" के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है एवं अब कब तक उक्त वेतनमान दे दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। "राजस संघ" विगत 5 वर्षों से लाभ में है तथा इस संघ में कोई संचित हानि भी नहीं है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर (राजस संघ) कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र कमांक प.13(5)वित्त/नियम/2017 दिनांक 9 जनवरी, 2018 में अंकित दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं (परिशिष्ट-ब)। गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव पर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को देय सहायता राशि में वृद्धि

399. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बिहारीलाल)

(1) क्या यह सही है कि गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को मुआवजा या राहत राशि दिए जाने के नियम और प्रक्रियाओं में जटिलता होने से पीड़ित को वास्तविक राहत समय पर नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुर्घटनाओं में दी जाने वाली सहायता राशि काफी कम है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रकरण में प्रभावित द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के उपरांत तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार के एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिनमें संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। एसडीआरएफ नोर्म्स की छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) केन्द्र सरकार के एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिनमें संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संविदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

400. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से राजकीय उपक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विगत पांच वर्षों में संविदा कार्मिकों को देय मानदेय की जांच करवाकर न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दी गई राशि के अन्तर का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में 34 राजकीय उपक्रम हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर एवं उनसे प्राप्त उत्तर परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) बिन्दु सं. 1 में वर्णित उत्तर अनुसार राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले 34 राजकीय उपक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के दूधालेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

401. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में स्थित दूधालेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

फलौदी के तहसील कार्यालय के कनिष्ठ सहायक के यात्रा बिलों का भुगतान

402. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील कार्यालय फलौदी के कनिष्ठ सहायक वर्ष 2014 से 2018 तक विधायक कार्यालय फलौदी में प्रतिनियुक्ति पर थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में इनके द्वारा राजकार्य हेतु की गई यात्राओं के यात्रा बिलों का भुगतान शेष है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(3) क्या सरकार शेष रहे यात्रा बिलों का भुगतान विशेष बजट आबंटित कर किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील कार्यालय फलौदी के श्री सुरेश बुडर, कनिष्ठ सहायक वर्ष 2014 से 2018 तक विधायक कार्यालय फलौदी में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(2) जी हां। उक्त अवधि में श्री सुरेश बुडर, कनिष्ठ सहायक के यात्रा विपत्रों की भुगतान राशि 209000/- रुपये शेष है।

(3) परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 के पारित होने पर बजट आबंटन उपलब्ध कराया जाकर बकाया यात्रा विपत्रों का नियमानुसार परीक्षण उपरान्त भुगतान कराया जा सकेगा।

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की कार्ययोजना

403. श्री अविनाश (जैतारण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना" को लागू किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना से अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं? यदि नहीं, तो उक्त योजना को सरकार कब तक लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा 20.06.2019 को उक्त योजना को राजस्थान प्रदेश में लागू करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है तथा आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ समन्वय कर लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

404. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा (जालौर) में वर्तमान में किस-किस संकाय में कौन-कौनसे विषय खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में किस-किस संकाय में किस-किस विषय के व्याख्याताओं के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में पदस्थापन की क्या स्थिति है? संकायवार व विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा (जालौर) में कला संकाय में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र व संस्कत विषय खोले गये हैं।

(2) राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में कला संकाय में उपरोक्त विषयों के सह/सहायक आचार्य के स्वीकृत पदों व वर्तमान में पदस्थापन का संकायवार व विषयवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित क्षेत्र के छात्रावासों में सुरक्षा/सुविधाएं

405. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित क्षेत्र में कितने बालिका विद्यालय एवं कितने बालिका छात्रावास हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में चारदीवारी, शौचालय, सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं फर्नीचर नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में संचालित सभी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में सी.सी.टी.वी. कैमरा, कम्प्यूटर, चारदीवारी, शौचालय, स्वच्छ पानी और फर्नीचर की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित क्षेत्र में 7 बालिका व एक सहशिक्षा का जिसमें बालिका भी अध्ययनरत है, कुल 8 विद्यालयों एवं 147 बालिका छात्रावास संचालित हैं। जिलेवार विद्यालयों एवं छात्रावासों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला डूंगरपुर में आश्रम बालिका छात्रावास, ग्राम-फलोज पंचायत समिति दोवडा में चारदीवारी निर्माण की आंशिक भूमि विवादित होने से कार्य अपूर्ण है एवं वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिला बांसवाड़ा में आश्रम बालिका छात्रावास कलिंजरा, ग्राम-शक्करवाडा पंचायत समिति बागीदौरा में चारदीवारी निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण अपूर्ण है एवं एकलव्य माडल रेजिडेन्शियल स्कूल पाडोला पंचायत समिति आनन्दपुरी की भूमि का स्थानीय लोगों के साथ विवाद के कारण चारदीवारी निर्माण नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सभी बालिका छात्रावासों में चारदीवारी एवं शौचालय निर्मित है।

अनुसूचित क्षेत्र के बालिका विद्यालयों एवं बालिका छात्रावासों में तीन विद्यालय क्रमश: माडल पब्लिक स्कूल ढीकली उदयपुर, जनजाति आवासीय विद्यालय, सागवाड़ा, डूंगरपुर व हरेगजी का खेड़ा बांसवाड़ा में ही सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किये हुए हैं। सभी छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध है।

(3) जिला डूंगरपुर में आश्रम बालिका छात्रावास, ग्राम-फलोज पंचायत समिति दोवडा में चारदीवारी निर्माण की आंशिक भूमि विवादित होने से कार्य अपूर्ण है एवं वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिला बांसवाडा में आश्रम बालिका छात्रावास कलिंजरा, ग्राम-शक्करवाडा पंचायत समिति बागीदौरा में चारदीवारी निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण अपूर्ण है एवं एकलव्य माडल रेजिडेन्शियल स्कूल पाडोला पंचायत समिति आनन्दपुरी की भूमि का स्थानीय लोगों के साथ विवाद के कारण चारदीवारी निर्माण नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सभी बालिका छात्रावासों में चारदीवारी एवं शौचालय निर्मित है।

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सभी बालिका विद्यालयों एवं बालिका छात्रावासों में सी.सी.टी.वी. कैमरा, आर.ओ., आवश्यकता अनुरूप फर्नीचर व

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

खेल सुविधाओं के विकास इत्यादि कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 योजना अनुमत की गई है।

अधिकांश बालिका छात्रावासों में कम्प्यूटर की व्यवस्था है तथा समस्त में शौचालय, स्वच्छ पानी तथा फर्नीचर की व्यवस्था है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन की कार्ययोजना

469. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अजमेर रोड पर रीको द्वारा छितरौली में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है? यदि हां, तो अब तक कोई भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र को मार्बल/ग्रेनाइट व अन्य स्टोन व इण्डस्ट्रीज के लिए कोई जोन बनाकर आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्टोन जोन बनाकर उद्योगों को कोई टैक्स में राहत व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर रोड पर बगरू के पास रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बगरू छितरौली स्थापित किया गया है।

इस औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2003 तक 500.00 वर्ग मीटर से 2000.00 वर्गमीटर के कुल 4 (चार) भूखण्ड आबंटित किये गये थे, जिनमें से 1 (एक) भूखण्ड का भूमि की सम्पूर्ण कीमत जमा नहीं कराने के कारण आबंटन निरस्त कर दिया गया था एवं 1 (एक) भूखण्ड आबंटी द्वारा समर्पित कर दिया गया। वर्तमान में निम्न दो भूखण्ड आबंटित हैं:-

1. एफ-262 (ए) 500.00 वर्ग मीटर
2. ई-296, 2000.00 वर्ग मीटर

सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) 2075/1994, विजय सिंह पूनिया बनाम राजस्थान स्टेट एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2003 की अनुपालना में औद्योगिक क्षेत्र बगरू छितरौली को सांगानेर के आस-पास में स्थित रंगाई छपाई की इकाइयों को स्थानान्तरित करने हेतु आरक्षित किया गया है। इसलिए वर्ष 2003 के बाद से इस औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आबंटन नहीं किया जा रहा है।

सागानेर की रंगाई छपाई इकाइयों को माननीय उच्च नयायालय के

(उद्योग मंत्री)

आदेश के उपरान्त इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के प्रयास किये गये लेकिन उक्त रंगाई छपाई की इकाइयां द्वारा इस औद्योगिक क्षेत्र बगरू छितरौली में स्थानान्तरित होने के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

बगरू छितरौली औद्योगिक क्षेत्र को आरक्षण से मुक्त करने बाबत रीको द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। जब तक इस औद्यागिक क्षेत्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनारक्षित करने के आदेश नहीं दिये जाते तब तक इस औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आबंटन कराना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। इस औद्योगिक क्षेत्र को मार्बल/ग्रेनाइट व अन्य स्टोन व इण्डस्ट्रीज के लिए वर्तमान में कोई जोन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सांगानेर के आस-पास की रंगाई छपाई की इकाइयों को स्थानान्तरित करने के लिए आरक्षित किया हुआ है।

(3) ऐसी कोई प्रोत्साहन नीति विचाराधीन नहीं है।

पाली में ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना

470. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्रानुसार विगत पांच वर्षों में कितने ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना की गई है? उक्त अवधि में प्रति वर्ष कितने आवेदकों ने बोर्ड ऋण सहायता हेतु आवेदन किया एवं कितने आवेदकों को ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत में नई ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में 57 ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना की गई। उक्त अवधि में योजनान्तर्गत 226 आवेदकों ने बोर्ड के माध्यम से वित्तीय बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिनमें से 57 आवेदकों को ऋण/मार्जिन मनी वित्तीय बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिसका विवरण विधान सभा क्षेत्रवार व वर्षवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार की योजना प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग (नोडल एजेन्सी) द्वारा उद्योग विभाग, खादी बोर्ड के माध्यम से PMEGP बैकवर्ड फारवर्ड लिकेंज मद अन्तर्गत होर्डिंग्स, विज्ञापन, ब्रोशर, पम्पलैट के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य, लोगों को योजना के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन, प्रगति हेतु बैंकर्स समिति का आयोजन एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन हेतु राज्य/जिला स्तरीय ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन आवश्यकतानुसार राजधानी/जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है।

(3) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना सरकार द्वारा नहीं की जाती है, अपितु उक्त योजनार्न्तगत स्थापित की जाने वाली नवीन इकाइयों को मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र सोजत से भी ऐसे आवेदन आने पर इस योजना की गाइड लाइन अनुसार इकाइयों के आवेदनों पर विचार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाल गृह, विशेष गृह, सम्प्रेक्षण गृह, निराश्रित बाल गृहों द्वारा बालक-बालिकाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट

471. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में आई.सी.पी.एस. से अनुदान प्राप्त करने वाली एन.जी.ओ. के द्वारा अन्य किन-किन (राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्था) तथा निजी दानदाताओं से किस प्रकार से अनुदान व सहयोग प्राप्त किया जाता है? 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2019 तक संस्थावार व वर्षवार प्राप्त अनुदान व सहयोग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) उक्त जिले में 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2019 के दौरान एन.जी.ओ. व सरकार द्वारा संचालित बाल गृह, विशेष गृह, सम्प्रेक्षण गृह, निराश्रित बालगृहों में लाभान्वित बालक-बालिकाओं की माहवार व संस्थानवार संख्या तथा 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2019 तक कितने बच्चों को उनके माता-पिता के पास पहुंचाया गया? माहवार, संस्थावार संख्या व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिले में एन.जी.ओ. व सरकार द्वारा माता-पिता को सुपुर्द किये गये बालक-बालिकाओं में से कितने बालक-बालिकाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई? प्रत्येक बालक-बालिकाओं की वर्षवार मूल्यांकन रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आईसीपीएस से अनुदान प्राप्त करने वाली एनजीओ के द्वारा अन्य किन-किन (राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्था) तथा निजी दानदाताओं से किस प्रकार से अनुदान/सहयोग प्राप्त किया जाता है, के रिकार्ड का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(2) उक्त अवधि के दौरान एनजीओ व सरकार द्वारा संचालित बाल गृहों, विशेष गृहों, सम्प्रेक्षण गृह, निराश्रित गृह, बाल गृहों में लाभान्वित बालक -बालिकाओं की माहवार व संस्थावार संख्या तथा माता-पिता को सुपुर्द किये गये बच्चों का माहवार, संस्थावार संख्या एवं वर्षवार बच्चों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि के दौरान एनजीओ व सरकार द्वारा माता-पिता को सुपुर्द किये गये बालक-बालिकाओं की वर्षवार मूल्यांकन रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वृद्ध किसानों को पेंशन देने की घोषणा

472. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वृद्ध किसानों को पेंशन दिये जाने की घोषणा की है? यदि हां, तो किस-किसको व कितनी-कितनी पेंशन राशि दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) सरकार द्वारा इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही कब की गई? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा बजट में उक्त पेंशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लघु व सीमान्त किसानों को अंशदायी पेंशन देने की केन्द्रीय सरकार की योजना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त वृद्धजन किसानो को पेंशन दिये जाने की घोषणा की गई है।

लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रहा है, को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 के तहत निम्नलिखित दर से पेंशन देय है:

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 750/- प्रतिमाह
2. 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 1000/- प्रतिमाह

जारी नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 जो दिनांक 01.03.2019 से प्रभावी है, जारी किये गये हैं।

पात्र आवेदक को किसी भी ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में Rajssp पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही ऐसे वृद्धजन किसान जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे व लघु सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान योजना मे भी पात्र हो सकते हैं, का चयन कर वृद्धावस्था पेंशन से लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान योजना में जुलाई 2019 से लाभ दिया जायेगा। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत मुद्रित बजट प्रावधान 300 करोड़ रुपये का है, जिसमें 4 माह की लेखानुदान की राशि 100 करोड़ रुपये है। बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में लघु एवं सीमान्त वृद्धजन किसानों को अंशदायी पेंशन देने की केन्द्रीय सरकारी योजना को लागू करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ तहसील में अकालग्रस्त ग्रामों को राहत

473. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नवलगढ़ तहसील में विगत तीन वर्षों में कौन-कौनसे गांव निरन्तर अकालग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निरन्तर 3 वर्षों से अधिक अकालग्रस्त उक्त गांवों को विशेष राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त तहसील में गत 3 वर्षों में अकालग्रस्त गांवों को क्या-क्या राहत कहां-कहां व कितनी राशि की दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवलगढ़ तहसील में गत तीन वर्षों में कोई गांव अकालग्रस्त नहीं रहा है।

(2) जी नहीं। सूखे से प्रभावितों को केन्द्र सरकार के एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एसडीआरएफ नोर्म्स में संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

(3) नवलगढ़ तहसील में गत तीन वर्षों में कोई गांव अकालग्रस्त नहीं रहा है।

गोविन्दगढ़ (चौमूं) में पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थियों के बकाया भुगतान

474. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पालनहार योजना संचालित है? यदि हां, तो इस योजना में प्रार्थी को क्या-क्या लाभ दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का लाभ पं.स. गोविन्दगढ़ (चौमूं) में भी दिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विगत वर्ष 2017 से 2018 तक एक भी लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व दिया गया है तो कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार के द्वारा उक्त योजना को बंद कर दिया गया है? यदि नहीं, तो दिसम्बर, 2018 से जून, 2019 तक पं.स. गोविन्दगढ़ (चौमूं) में किस-किस लाभार्थी को कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले निम्न श्रेणी के बच्चों के पालन-पोषण करने वाले एवं निर्धारित आय सीमा 1.20 लाख रुपये वार्षिक में आने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है:

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
8. विशेष योग्यजन माता-पिता के सभी बच्चे
9. तलाकशुदा/परित्यकता महिला के सभी बच्चे

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पालनहार को देय अनुदान राशि व अनुदान की शर्तें निम्नांकित है:

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
4. पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिये।
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।

(2) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2014 -15 से 2018-19 तक प्राप्त आवेदन एवं उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट अ पर संग्लन है।

(3) जी नहीं। किसी भी पात्र लाभार्थी का भुगतान नहीं रोका गया है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संग्लन है।

(4) जी नहीं। योजना निरन्तर संचालित है। गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में दिसम्बर 2018 से जून 2019 तक लाभार्थियों को स्वीकृत राशि का विवरण लाभार्थियों की सूची सहित परिशिष्ट-ब पर संग्लन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घुमन्तू जातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

475. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन–किन जातियों को घुमंतू जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जातियां प्रदेश के किन–किन क्षेत्रों में पायी जाती हैं? जिलेवार व जातिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) सरकार द्वारा घुमंतू जातियों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उन पर विगत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्ष में उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार व जातिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जातियों को स्थाई निवास उपलब्ध कराने के लिए विगत पांच वर्षों में कब–कब क्या प्रयास किये गये? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की घुमन्तू जातियों की सूची परिशिष्ट अ पर सलंग्न है।

(2) उक्त घुमन्तू जातियों का राज्य सरकार द्वारा सर्वे नहीं करवाया गया है। परन्तु इस संबंध में तथ्य यह है कि उक्त घुमन्तू जातियों सामान्यतः सम्पूर्ण राज्य में निवास करती हैं। राज्य सरकार के पास उक्त घुमन्तू जातियों के जिले वार एवं जातिवार आंकड़े संकलित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

(3) भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से डा. अम्बेडकर विमुक्त घुमन्तू अर्ध्द घुमन्तू जातियों हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का वर्ष 2014-15 से संचालन किया जा रहा है लेकिन उक्त योजना के अर्न्तगत वर्ष 2014-15 से आवेदन पत्र नहीं होने के कारण किसी को भी लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। घुमन्तू एवं अर्ध्दघुमन्तू में सम्मिलित 32 जातियों में से 06 जाति अनुसूचित जाति में एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 तथा शेष 17 जाति सामान्य वर्ग में सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों के व्यक्ति नियमानुसार उक्त वर्ग के लिये संचालित योजनाएं यथा उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति अनुप्रति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना, छात्रावास योजना आदि में लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा सामान्य वर्ग में सम्मिलित जातियों के व्यक्ति को सामान्य वर्ग के लिये संचालित यथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, छात्रावास आदि योजनाओं में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उक्त योजनाओं में जातिवार लाभार्थियों की सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) लाभार्थियों की जातिवार सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(5) इस संबंध में तथ्य यह है कि घुमन्तू जातियों को स्थायी निवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने समस्त जिला कलेक्टर को समय-समय पर इस संबंध में परिपत्र/पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। (परिशिष्ट-ब) शेष विवरण उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दर्ज प्रकरण

476. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में जयपुर शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने एवं खराब खाद्य सामग्री बेचने पर किस प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में जयपुर शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने एवं खराब खादय सामग्री बेचने वाले 1376 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के 1045 प्रकरणों को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा अनसेफ 148 प्रकरणों को संबंधित माननीय सीजेएम/एसीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है एवं शेष 183 प्रकरण विभागीय स्तर पर अनुसंधान की प्रक्रिया में लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

196 प्रतिष्ठानों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा शास्ति/जुर्माना लगाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 तथा 59 में निहित प्रावधानों के अनुसार सतत प्रक्रियाधीन है। विवरण

(चिकित्सा मंत्री)

परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा समय-समय पर विशेष अवसरों (होली, रक्षाबन्धन, दीपावली एवं अन्य त्यौहारों) पर विशेष अभियान चलाया जाकर मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रसायनशालाओं में औषधियों का निर्माण

477. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में रसायनशाला में कौन-कौनसी आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित औषधियों की गुणवत्ता जांच की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक किस-किस रसायनशाला में कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य की औषधियों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभागीय रसायनशाला में निर्माण की जा रही औषधियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में रसायनशालाओं में निर्मित की जाने वाली औषधियों के लिए क्रय किये जाने वाले कच्चे घटक द्रव्यों की गुणवत्ता जांच हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षणोपरान्त ही औषधियों का रसायनशालाओं में निर्माण किया जाता है। निर्माण पश्चात् औषधि जांच हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) वर्ष 2014 से वर्ष 2019 में विभागीय रसायनशालाओं में वर्षवार निर्मित औषधियों की मात्रा एवं मूल्य संबंधी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के पैकेज

478. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किन-किन बीमारियों के लिए किस-किस प्रकार के पैकेज हैं? मरीज को उक्त बीमा योजना का लाभ किस प्रकार मिलता है? योजना का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत किस-किस पैकेज पर कितने-कितने क्लेम सरकारी व निजी अस्पताल द्वारा कितने-कितने मरीजों को दिये गये? सरकारी व निजी अस्पताल के पृथक्-पृथक् वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने-कितने क्लेम सरकारी व निजी अस्पताल द्वारा कितने-कितने मरीजों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? सरकारी व निजी अस्पताल द्वारा पृथक्-पृथक् वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वर्तमान में कुल 1401 बीमारियों के इलाज के पैकेज सम्मिलित हैं जिनमें सामान्य बीमारियों हेतु 738 एवं चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु 663 पैकेज रखे गये हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भामाशाह कार्ड की संख्या से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी पाए जाने वाले परिवारों को योजना से सम्बद्ध निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क दिया जाता है। योजना का विस्तृत दिशानिर्देश एवं पैकेजों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रथम चरण के प्रारम्भ दिनांक 13.12.2015 से दिनांक 12.12.2017 तक सरकारी व निजी अस्पतालों में योजना के अन्तर्गत निर्धारित पैकेजों के तहत मरीजों व क्लेम की संख्या की सूची क्रमश: परिशिष्ट-ब एवं परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा मरीजों व क्लेम की संख्या का जिलेवार वर्षवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-द (राजकीय) एवं परिशिष्ट-य (निजी) पर संलग्न है।

योजना के द्वितीय चरण के प्रारम्भ दिनांक 13.12.2017 से 11.07.2019 तक सरकारी व निजी अस्पतालों में योजना के अन्तर्गत निर्धारित पैकेजों के तहत मरीजों व क्लेम की संख्या की सूची क्रमश: परिशिष्ट-र एवं परिशिष्ट-ल पर संलग्न है तथा मरीजों व क्लेम की संख्या का जिलेवार

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-व (राजकीय) एवं परिशिष्ट-ष (निजी) पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी मरीजों को राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

योजना में मरीजों का समस्त इलाज नि:शुल्क है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएं

479. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना लागू की गई थी? यदि हां, तो एक आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सुविधाएं होना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जालौर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले के उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मानव संसाधन, लेबर रूम उपकरण, न्यू बोर्न चाइल्ड केयर उपकरण, टीकाकरण एवं कोल्ड रूम उपकरण, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत 15 प्रकार की जांचें, सूची के अनुसार दवाइयां इत्यादि उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समान ही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं अर्थात् कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्ध सुविधाओं में कोई भिन्नता नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थय मंत्री)

(2) जालौर जिले में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में घोषित किया गया है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जालौर जिले के 25 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली के मेडिकल कालेज के मार्गदर्शन एवं स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरण

480. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेडिकल कालेज, पाली के प्राचार्य एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांगड़ अस्पताल, पाली ने 01 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2019 तक किस-किस प्रकार के कार्य के निष्पादन हेतु कब-कब मार्गदर्शन एवं स्वीकृति मांगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में किस-किस पत्र पर सरकार एवं निदेशालय द्वारा कब-कब, क्या-क्या मार्गदर्शन एवं स्वीकृति दी गई एवं किस-किस प्रकरण में अब तक किन-किन कारणों से कोई मार्गदर्शन एवं स्वीकृति नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मार्गदर्शन एवं स्वीकृति के अभाव में किन-किन कार्यों का निष्पादन कितने-कितने समय से नहीं हो पाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मार्गदर्शन हेतु लंबित प्रकरणों में निर्णय लेकर उनका निष्पादन कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज, पाली के प्राचार्य एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली द्वारा 1 जनवरी, 2019 से अब तक राज्य सरकार एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को किस-किस प्रकार के कार्य के निष्पादन हेतु कब-कब मार्गदर्शन एवं स्वीकृति मांगी, परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थय मंत्री)

(2) उक्त में की गयी कार्यवाही परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या-2 के अनुरूप।

(4) बिन्दु संख्या-2 के अनुरूप।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

481. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समाचार चैनल को विज्ञापन दिये जाने के संबंध में एसीबी द्वारा जांच की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकरण में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत पांच वर्षों में विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समाचार चैनल को विज्ञापन दिये जाने से संबंधित अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) पिछले पांच वर्षों में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में अनुबंध पर संवेदक/फर्म

482. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल कोटा में वर्तमान में संवेदक/ठेकेदार/फर्म कौन-कौनसे अनुबंध के तहत कब से कार्य कर रहे हैं? इनके अनुबंध से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ठेकेदारों को विगत पांच वर्षों में अस्पताल प्रशासन द्वारा कब-कब कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल कोटा में वर्तमान में संवेदक/ठेकेदार/फर्म की सूची मय अनुबंध प्रपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल कोटा में वर्तमान में संवेदक/ठेकेदार/फर्म को विगत 5 वर्षों में चिकित्सालय द्वारा किये गये भुगतान के बिलों आदि की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

नोट: प्रश्न के उत्तर में परिशिष्टों (लगभग 3500 पृष्ठ) होने के कारण अपलोड किया जाना संभव नहीं हो सका।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रख-रखाव पर व्यय राशि

483. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश मे विगत 5 वर्षों में धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रखरखाव हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में देशी एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अजमेर शहर में स्थित अरावलियों की पहाड़ी पर बने तारागढ़ किले एवं हैप्पीवेली जैसे संरक्षित एवं ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश मे विगत 5 वर्षों में धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रखरखाव एवं विकास कार्यों हेतु सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में देशी एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु विभाग द्वारा वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के पर्यटक स्थल, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विरासत, लोक कलाओं- पारम्परिक लोक नृत्यों/लोकगीतों आदि का देशी-विदेशी पर्यटकों के मध्य प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट्स में भाग लिया जाता है व एक समग्र मीडिया प्लान तैयार कर राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख मैगजीन्स, टीवी, आउटडोर, डिजीटल एवं सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इसके साथ ही विभाग द्वारा मेले एवं त्यौहार का भी आयोजन किया जाता है तथा राज्य के पर्यटन स्थलों से संबंधित पर्यटन प्रचार-प्रसार सामग्री का पर्यटकों के मध्य वितरण कर व विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी इस बाबत सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2009 में स्वीकृत प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राशि रुपये 380.59 लाख व्यय कर तारागढ़, घण्टाघर व शहीद स्मारक-अजमेर पर संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत तारागढ़, अजमेर में स्थित चश्मा-ए-नूर (हैप्पीवेली) को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विभागीय स्वीकृति दिनांक 13.06.2017 द्वारा राशि रु. 50.00 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था। वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण यह राशि व्यय नहीं की गई। दिनांक 23.02.2018 को स्वीकृति निरस्त की गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बंद होटल्स

484. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पुखराज)

(1) वर्तमान में आरटीडीसी की कितनी होटल हैं तथा कौन–कौनसी सी होटल निजी कंपनियों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आरटीडीसी की कई होटलें तथा मिडवे लंबे समय से बंद पड़े हैं? यदि हां, तो ऐसी होटलों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आरटीडीसी की बंद पड़ी होटलों को पुन: संचालित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में आरटीडीसी के अधीन कुल 74 होटल/मोटल/मिडवे/ यात्रिकायें/कैफेटेरिया संचालित की जा रही हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निगम की 4 इकाइयां मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित की जा रही हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। आरटीडीसी की बंद 43 इकाइयों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने का सैद्धान्तिक अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 17.06.2015 के द्वारा किया गया। तदनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निगम के अध्यधीन इकाइयों को निस्तारित किये जाने के संबंध में राजस्थान पर्यटन विभाग/राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा भूमि, सम्पत्तियों का व्ययन नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण की कार्ययोजना

485. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक

(श्री हमीर सिंह भायल)

सम्पदा के संरक्षण हेतु नियमों में प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति के अनुसार बाड़मेर जिले के कौन-कौनसे से पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सूची में सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नीति के अनुसार सिवाना क्षेत्र के हल्देश्वर, भीमगौड़ा एवं सिवाना दुर्ग के विकास एवं संरक्षण हेतु क्या योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के नियमों में प्रावधान किया गया है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राज्य में पर्यटन नीति, 2001 लागू है। उक्त नीति पूरे प्रदेश में कार्यशील है।

वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) सिवाना दुर्ग (बाड़मेर) को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के अधीन संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा सिवाना दुर्ग, बाड़मेर में वर्ष 2007-08 में राशि रुपये 44.11 लाख एवं वर्ष 2013-14 व 2014-15 में राशि रुपये 31.39 लाख के संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य करवाये गए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिवाडीवाला ग्राम, पटवार हल्का क्षेत्र श्यामसिंहपुरा की भूमि का सीमाज्ञान

486. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तिवाडीवाला, पटवार हल्का क्षेत्र श्यामसिंहपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़, तहसील एवं जिला जयपुर

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

स्थित आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी तथा खसरा नम्बर 3, 10 बीघा 9 बिस्वा वादग्रस्त भूमि पर 19 जून, 2019 में सीमाज्ञान (पैमाइश/पत्थरगढ़ी) किया गया है? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से? क्या भूमि सीमाज्ञान (पैमाइश/पत्थरगढी) से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सूचित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दूसरी पंचायत से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर प्रथम, मुख्यालय जयपुर ने यथास्थिति हेतु स्थगन आदेश जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो मा. न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरांत भी सीमाज्ञान (पैमाइश/पत्थरगढ़ी) किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार मा. न्यायालय के आदेश की अवमानना करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम तिवाडीवाला, पटवार हल्का क्षेत्र श्योसिंहपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़, तहसील एवं जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नं. 3 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि का 19 जून, 2019 को सीमाज्ञान (पैमाइश/पत्थरगढ़ी) नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। सीमाज्ञान पंचायत द्वारा कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम, मुख्यालय जयपुर के ग्राम तिवाडीवाला के खसरा नम्बर 2 व 3 पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति के स्थगन आदेश (केस संख्या 18/18) जारी कर रखे हैं। खसरा नम्बर 2 व 3 का सीमाज्ञान नहीं हुआ।

नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के मानदण्ड

487. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कान्ति प्रसाद)

(1) प्रदेश में नवीन राजस्व गांव बनाये जाने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के गांव बिसूणी, गुवाडा नीमाला, गुवाडा-राडी, जोगियों की ढाणी-हमीरपुर, सेवा का गुवाडा-आगर, दूदीका की ढाणी-आगर, ढाणी कलसी काला-झीरी, कालेका गांव-समरा आदि राजस्व गांव बनाये जाने के सभी मानदण्ड पूर्ण करते हैं? यदि हां, तो उक्त गांवों की आबादी, विस्तार संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांव/ढाणियों को राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन राजस्व गांव बनाये जाने के मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के गांव बिसूणी, गुवाडा-राडी, जोगियों की ढाणी-हमीरपुर, सेवा का गुवाडा-आगर, दूदीका की ढाणी-आगर, ढाणी कलसी काला-झीरी, कालेका गांव-समरा राजस्व गांव बनाये जाने के मानदण्ड पूर्ण करते हैं। गांव गुवाडा नीमाला की दूरी मूल गांव क्यारा से निर्धारित मानदण्ड से कम है। उक्त गांवों की आबादी की सूचना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(3) राजस्व गांव बनाये जाने के मानदण्ड पूर्ण करने वाली ढाणियों को नवीन राजस्व गांव बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करवाये जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र ही निर्णीत कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पटवारियों के रिक्त पद

488. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों पर कितने कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती

(श्री जोराराम कुमावत)

है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पटवारियों के 12252 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों पर 8718 कार्यरत हैं व 3534 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। पटवारी के 3835 पदों को भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में पटवारी भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमों में संशोधन की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर भर्ती का आयोजन किया जाकर पटवारी के रिक्त पदों को भरा जायेगा।

सावली ग्राम तह. मौजमाबाद (जयपुर) की भूमि का पुनर्ग्रहण

489. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम-सावली, तह. मौजमाबाद, जिला-जयपुर में भू.पू. जागीरदार श्री गुमानसिंह पुत्र रामसिंह की जमीन पुनर्ग्रहित की गई है? यदि हां, तो भूमि के खसरे नं. व रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त भू.पू. जागीरदार को मुआवजा की कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भू.पू. जागीरदार के पास खुद काश्त भूमि भी थी? यदि हां, तो कितनी? भूमि के खसरे एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त खुद काश्त भूमि किन-किनके नाम दर्ज है? उक्त के वर्तमान खसरा नं. व रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त के नामान्तरण किस आधार पर खोले गये? दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत ग्राम सावली, तहसील मौजमाबाद, जिला-जयपुर में भू.पू. जागीरदार श्री गुमानसिंह पुत्र रामसिंह की जमीन पुर्नग्रहण नहीं की गई है।

(राजस्व मंत्री)

(2) भूतपूर्व जागीरदार के राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण नहीं होने से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) भूतपूर्व जागीरदार श्री गुमानसिंह पुत्र रामसिंह के साबिक खसरा नं. 902 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 903 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 904 रकबा 3 बिस्वा, 905 रकबा 13 बिस्वा, 906 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किता 5 रकबा 5 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/12 खुदकाश्त में दर्ज रिकार्ड थी।

(4) उक्त खसरा नम्बरान की खसरा/रकबा एवं खातेदारीवार स्थिति निम्नानुसार है-

गत खसरा नम्बर	**रकबा बीघा बिस्वा**	**हाल खसरा नम्बर**	**रकबा हैक्ट.**	**वर्तमान खातेदार**
903	1.08	982	0.11	उमाशंकर पुत्र सुन्दरलाल पुरोहित साकिन देह
		2196/ 982	0.24	हरिशंकर पुत्र सुन्दरलाल पुरोहित साकिन देह
904	0.03	983	0.04	दुर्गाशंकर, उमाशंकर, हरिशंकर, विजयशंकर पुत्र सुन्दरलाल जाति पुरोहित बहिस्सा बराबर साकिन देह
905	0.13	981	0.13	उमाशंकर पुत्र सुन्दरलाल पुरोहित साकिन देह
		2193/981	0.01	दुर्गाशंकर पुत्र सुन्दरलाल पुरोहित साकिन देह
906	1.15	980	0.22	दुर्गाशंकर पुत्र सुन्दरलाल पुरोहित साकिन देह
		2195/980	0.22	विजयशंकर पुत्र सुन्दरलाल पुरोहित साकिन देह

(राजस्व मंत्री)

गत खसरा नम्बर	**रकबा बीघा बिस्वा**	**हाल खसरा नम्बर**	**रकबा हैक्ट.**	**वर्तमान खातेदार**
902	1.01	984	0.27	पृथ्वीसिंह पुत्र गुमान सिंह राजपूत हिस्सा 1/12 साकिन देह
योग	**5.00**	**योग**	**1.26**	

(5) उक्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 54 विरासत, नामान्तरकरण संख्या 55 बख्शीस, नामान्तरकरण संख्या 121 विरासत, नामान्तरकरण संख्या 367 विरासत एवं नामान्तरकरण संख्या 781 विभाजन के द्वारा दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण एवं बंटवारानामा की प्रतियां संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेतों में से आम रास्ता देने की कार्ययोजना

490. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सड़क या आम रास्ते से अन्दर वाले खेतों हेतु रास्ता देना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस नियम में टीनेन्सी एक्ट की धारा 251A को जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियम बनने के उपरांत भी अन्दर के खेत वाले किसानों को रास्ता नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त नियम की पालना हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 से अधिसूचना दिनांक 18.01.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन कर धारा 251 क जोड़ी गई है तथा राजस्थान काश्तकारी

(राजस्व मंत्री)

(सरकारी) नियम, 1955 में अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 द्वारा संशोधन कर इस संबंध में नवीन अध्याय 12 जोड़कर नियम 68 से 70 के प्रावधान उपबन्धित किए गए हैं। उक्त प्रावधान द्वारा अधिकतम 30 फीट का रास्ता निर्धारित क्षतिपूर्ति लिया जाकर प्रदत्त किया जा सकता है।

(2) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 251ए अधिसूचना दिनांक 18.01.2012 द्वारा जोड़ दी गई है।

(3) जी हां। दिनांक 08.01.2012 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल चुकी है। उक्त प्रावधानों के बावजूद किसानों को उनकी जोत तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं के समाधान का सरकार विचार रखती है। इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार स्तर से परिपत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। परिपत्र दिनांक 14.06.13, 24.12.14 की प्रतियां संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माडा तथा जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित योजनाएं

491. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में माडा तथा जनजाति क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत कितनी-कितनी आबादी है तथा उनके लिए कौन-कौनसी योजना चलाई जा रही है? पृथक्-पृथक् योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला करौली में विगत पांच वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार से मदवार कितना बजट स्वीकृत हुआ? किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा प्रतिवर्ष कितना बजट लैप्स हुआ? माडा तथा जनजाति क्षेत्र के विकास के संबंध में पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग को प्राप्त बजट लैप्स होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा क्षेत्र) की कुल जनसंख्या 29,66,750 है जिसमें 15,88,885 अनुसूचित

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जनजाति की जनसंख्या है तथा अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत कुल जनसंख्या 64,63,853 है जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 45,51,917 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा क्षेत्र) में चलाई जा रही योजनाओं की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट में से जिला करौली के लिए क्रमश: राशि 742.59 लाख रु. एवं राशि 514.87 लाख रु. कुल बजट राशि 1257.46 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई। करौली जिले का कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) में नहीं आता है। मदवार व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**मद**	**व्यय राशि**
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	28.77
2.	संविधान की धारा 275 (1)	339.02
3.	जनजाति कल्याण निधि	566.53
	योग	**934.32**

केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृत बजट की राशि लैप्स नहीं हुई।

(3) करौली जिले की स्वीकृत बजट की राशि जिला परिषद् के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। जिले में बजट राशि लैप्स नहीं हुई है अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पिण्डवाड़ा तहसील को टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित करने की योजना

492. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पिण्डवाड़ा तहसील के आंशिक क्षेत्र को टीएसपी में शामिल किया है जबकि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है और आबूपिण्डवाड़ा विधान सभा क्षेत्र जनजाति के लिए आरक्षित होते हुए भी पिण्ड्वाड़ा तहसील सम्पूर्ण रूप से टीएसपी क्षेत्र घोषित नहीं है? क्या सरकार सम्पूर्ण पिण्डवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 19 मई 2018 को अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार संबंधी अधिसूचना जारी की गई जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले पिण्डवाड़ा तहसील के 51 ग्राम अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये गये, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वर्तमान में सम्पूर्ण पिण्डवाड़ा तहसील को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बगरू में महिला महाविद्यालय की स्थापना

493. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बगरू में महिला कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में बगरू में निजी क्षेत्र में 05 महाविद्यालय (03 सहशिक्षा एवं 02 महिला शिक्षा) संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों को खोलने के संबंध में नीति बनाई जा रही है। नीति बनाने के पश्चात् चरणबद्ध रूप से नये महाविद्यालय खोले जाएंगे। इस पर भी विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

494. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत 2 वर्षों से खानपुर महाविद्यालय में पद रिक्त हैं? यदि, हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, खानपुर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में रिक्त चल रहे पदों का विवरण परिशिष्ट-01, 02 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) जी हां। शैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने/स्थानान्तरण/पदोन्नति द्वारा भर दिया जाएगा। अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नति/स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति/अनुकम्पात्मक नियुक्ति पश्चात् कार्मिक उपलब्ध होने पर शीघ्र भर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा संभाग के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर व्याख्याताओं की भर्ती

495. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में संचालित राजकीय महाविद्यालय हेतु संविदा पर व्याख्याता भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो कितने आवेदन किस-किस विषय के प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त आवेदनों की छंटनी और साक्षात्कार हेतु क्या किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति में कौन-कौन संयोजक एवं सदस्य थे? समिति ने किन-किन अभ्यर्थियों का चयन किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त चयनित व्याख्याताओं में अब तक कौन-कौन कार्यरत हैं और कौन-कौन कार्यरत नहीं हैं? जिन व्याख्याताओं की सेवायें निरन्तर है, उसका क्या आधार है तथा जिनकी सेवायें समाप्त हो गई हैं, उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त व्याख्याताओं के संबंध में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहे हैं? यदि हां, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या निर्णय दिये गये हैं व उक्त निर्णयों की पालना में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा संभाग के महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पूर्णतया संविदा के आधार पर रुपये 7950/- प्रति माह की दर से व्याख्याता पद की निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदकों से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा दिनांक 28-02-2009 तक की अवधि में से जो

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

भी पूर्वतम हो, के लिए अध्यापन कार्य करने हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, कोटा द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। (संलग्न-01)

उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर विभिन्न विषयों में प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**विषय**	**प्रार्थियों की संख्या**
1	वनस्पति शास्त्र	22
2	राजनीति शास्त्र	22
3	इतिहास	17
4	चित्रकला	19
5	हिन्दी	20
6	प्राणि शास्त्र	11
7	भूगोल	14
8	गणित	2
9	एबीएसटी	4
10	अंग्रेजी	2
11	गृहविज्ञान	1
12	समाज शास्त्र	8
13	रसायन शास्त्र	12
14	संस्कृत	22
15	उर्दू	2
16	अर्थशास्त्र	4

आवेदकों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त आवेदकों को संविदा पर अध्यापन कार्य हेतु रखे जाने के लिये कोई साक्षात्कार नहीं लिया गया। आवेदनों तथा संलग्न प्रमाण-पत्रों की जांच कर वरीयता सूची तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है। समिति द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को दिनांक 28-02-2009 तक अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक के लिये पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर रखा गया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(3) उपरोक्त संविदा व्याख्याताओं में से वर्तमान में शिखा शर्मा तथा रमन गुप्ता माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत हैं। कुछ संविदा व्याख्याता स्वयं संविदा त्याग कर चले गये तथा अन्य संविदा व्याख्याताओं की राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित चयनित सहायक आचार्य प्राप्त होने पर संविदा समाप्त की गई।

(4) जी हां।

(1) माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर संविदा व्याख्याताओं को आरपीएससी से नियमित चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने तक कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेशों की पालना में आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर इन्हें कार्यमुक्त किया गया।

(2) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या-**1**9263/2013 रूचि कुलश्रेष्ठ बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 11-11-2013 तथा समान अन्य याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में संविदा व्याख्याताओं को ग्रीष्मावकाश अवधि का वेतन दिया गया।

(3) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या-6526/2014 नितिन गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य तथा समान प्रकृति की याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 04-10-2016 की पालना में उक्त संविदा व्याख्याताओं को याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से नियमित चयनित सहायक आचार्य को परिवीक्षा अवधि में देय स्थिर पारिश्रमिक के अनुसार बकाया राशि की गणना कर भुगतान दिया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 496

(स्थगित)

संस्कृत शिक्षा महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की पदोन्नति

497. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 से महाविद्यालयों का

(श्री कालीचरण सराफ)

संचालन कब तक हो रहा था? क्या वर्तमान में भी उक्त नियमों से महाविद्यालयों का संचालन हो रहा है? यदि हां तो उक्त नियमों के प्रभावी रहने तक इनसे पदोन्नति क्यों नहीं की गई तथा अब कब तक पदोन्नति कर दी जाएगी? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्यालय शाखा के संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, संभागीय शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षक तथा उपनिदेशक (साइट) एवं प्राचार्य एस.टी.सी. के पदों की पदोन्नति किन नियमों से एवं किस वर्ष से बकाया है तथा कब तक इन्हें पूर्ण कर लिया जायेगा? साथ ही इन पदों के अभाव में प्रशासनिक कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी वरिष्ठता से है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो वरिष्ठता का अधिलंघन कर अधिकारी लगाये जाने के सक्षम आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या एस.टी.सी. और साइट में एम.एड. योग्यताधारी प्राध्यापक नियुक्त होने चाहिए? क्या विभाग में एम.एड. योग्यताधारी प्राध्यापक उपलब्ध हैं? यदि हां, तो एस.टी.सी. और साइट में योग्यताधारी प्राध्यापकों का पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा? क्या एस.टी.सी. में मनोविज्ञान एवं संस्कृत के प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अन्यत्र की गई है? यदि हां तो छात्रहित में इनकी प्रतिनियुक्ति कब तक निरस्त कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977, 8 अक्टूबर 2015 तक प्रभावी रहे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर 2015 द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015 जारी कर नियम 44 द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977 का निरसन कर दिया गया है।

जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 प्रभावी नहीं है।

राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन/संशोधित सेवा नियम लागू होने पर आगामी कार्यवाही सम्भव है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(2) राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) सेवा नियम 2015 एवं संशोधन नियम, 2018 जारी किये गये। इन नियमों में विद्यालय शाखा के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद निहित हैं, किन्तु अभी तक इन पदों का सृजन नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई है।

राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक एवं प्राध्यापकों के पद प्रतिनियुक्ति के पद हैं।

संभागीय शिक्षाधिकारी/प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के प्रशासनिक कार्य हेतु वरिष्ठता, न्यायालय निर्णयों व प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों को लगाया गया है।

(3) राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 के अनुसार प्रधानाचार्य, अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय के लिए अतिरिक्त योग्यता के रूप में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा आचार्य या एम.एड. डिग्री निर्धारित की गई है। अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय के प्राध्यापक की योग्यता उक्त सेवा नियमों में पृथक् से निर्धारित नहीं है। राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक एवं प्राध्यापकों के पद प्रतिनियुक्ति के हैं। अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय, महापुरा में प्राध्यापक संस्कृत कार्यरत है एवं प्राध्यापक मनोविज्ञान का पद रिक्त है। अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। विद्यालय में शिक्षण कार्यरत अध्यापकों के माध्यम से कराया जा रहा है।

मकराना के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

498. श्री रूपा राम (मकराना): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में कितने संस्कृत उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यालय किस-किस ग्राम पंचायत में संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में छात्र-अनुपात व राजकीय नियमानुसार अध्यापकों के कितने-कितने पद श्रेणीवार स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपा राम)

(3) क्या यह भी सही है उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कौन-कौनसे विद्यालय में कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम भरनाई में रा.उ.प्रा.वि. संचालित है (खांखलों की ढ़ाणी)? यदि हां, तो यहां पर कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत विभाग के अधीन विधान सभा क्षेत्र मकराना में 7 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय स्तर के राजकीय विद्यालय उक्त क्षेत्र में संचालित नहीं है। विद्यालयवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में स्थित 7 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 में निहित है।

(4) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खांखलों की ढाणी भरनाई में वरिष्ठ अध्यापक का एक पद 27.07.2011 से तथा अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 के 1-1 पद दिनांक 07.04.2017 से रिक्त हैं। वर्तमान में विद्यालय में 1 शिक्षक कार्य व्यवस्था के रूप में कार्यरत है और छात्र संख्या मात्र 13 है।

(5) जी हां। वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 690 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की रिक्त सीटें

499. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रतिवर्ष काफी सीटें रिक्त रह जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिए आरपीईटी परीक्षा आयोजित किये जाने के औचित्य की समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2018-19 में उक्त हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया? परीक्षा के मद में परीक्षार्थियों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई एवं उस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में प्रदेश में कितने निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं? उक्त में कुल सीटों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु वर्तमान में JEE (Main) की मेरिट के आधार पर Centre for e-Governance द्वारा आयोजित REAP (Rajasthan Engineering Admission Process) के माध्यम से मेरिट द्वारा प्रवेश दिये जा रहे हैं। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी एवं Merit आधारित है। JEE (Main) की Rank के आधार Counselling प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद Engineering Colleges को vacant सीटों पर सीधे ही इच्छुक विद्यार्थियों को मेरिट आधार पर प्रवेश देने की छूट दी जाती है।

इस कारण से वर्तमान में RPET आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) राजस्थान इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया 2018 में समस्त चरणों में कुल 21857 आवेदन प्राप्त हुए एवं 13915 अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया।

इस प्रवेश प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थियों से 1,52,99,900/- रुपये पंजीकरण शुल्क प्राप्त हुए। इस धनराशि में से राशि रुपये 52,85,445/- के उपयोग का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अंतिम बचत राशि रुपये 10014455/- सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक गवर्नेन्स, जयपुर के बैंक खाते में स्थानांतरित की

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

गई जिसका उपयोग वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) वर्तमान में कुल 89 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल सीटों की संख्या 32141 है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)